कुरुक्षेत्र

अक्तूबर 1989 मूल्य : पांच रुपये

नेहरू जन्म शताब्दी

नेहरू जी के सपनों का ग्रामीण भारत

नेहरूजी उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर के निकट हजरतपुर गांव में एक नाले की खुदाई का शुभारम्भ करते हुए ।

इम्फाल के ताम्पाशाना हाई स्कूल में कताई कर रही लड़कियों के बीच ।

वर्ष-34 अंक 12 आश्विन-कार्तिक शक-1911

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

कार्यवाहक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

उत्पादन अधिकारी : राम स्वरूप मुंजाल
आवरण पृष्ठों की
साज सज्जा : एम.एम. परमार
चित्र : फोटो अनुभाग, पत्र सूचना कार्यालय

एक प्रति : 5.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय सूची

जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण भारत की खोज 3
जनार्दन पुजारी

आधुनिक भारत के भगीरथ – नेहरूजी 7
अक्षयकुमार जैन

नेहरूजी और ग्रामीण विकास 10
डा. प्रभाकर माचवे

क्या हम नेहरूजी के रास्ते से हट गये हैं? 14
लक्ष्मी चन्द जैन

पण्डित नेहरू ने गांवों के उत्थान को प्राथमिकता दी 18
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

जवाहरलाल नेहरू व गांवों का योजनाबद्ध विकास 23
सत्यवीर त्यागी

आदिवासी संस्कृति से पण्डितजी को गहरा प्यार था 29
डा. बी.एन. सहाय

ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक : जवाहरलाल नेहरू 34
सुबह सिंह यादव

ग्रामीण विकास में नेहरूजी का योगदान 41
डा. सी.एम. चौधरी

गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास में पण्डित नेहरू का योगदान 46
डा. विश्व मित्र उपाध्याय

ग्रामीण विकास के प्रति नेहरू की नीति 51
डा. बद्री बिशाल त्रिपाठी

पण्डित नेहरू और किसान 55
रामजी प्रसाद सिंह

नेहरूजी का स्वप्न – ग्रामीण विद्युतीकरण 60
सुरेन्द्र द्विवेदी

महात्मा गांधी, नेहरू और ग्रामीण भारत 63
रफीक शास्त्री

ग्रामीण पुनरूत्थान और मानव-संसाधन नेहरूजी की अवधारणा 69
डा. मालकम एस. आदिशेषैया

पण्डित नेहरू और ग्रामीण विकास 73
कृष्ण कांत

राजस्थान में पण्डित नेहरू 77
बलवन्त सिंह हाड़ा

ग्रामीण विकास और नेहरूजी 81
धर्मेन्द्र त्यागी

ग्रामीण विकास में नेहरूजी की भूमिका 85
जे.पी. यादव

गांव हों उन्नत हमारे तो देश बने खुशहाल 89
डा. कु. पुष्पा अग्रवाल

गांवों के विकास में उन्हें भारत का भविष्य दिखाई देता था.... 95
डॉ. डी. रामकृष्णैया

पण्डित नेहरू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास 100
सतीश जगरान

नेहरू दर्शन की प्रासांगिकता 103
डा. हरिवल्लभ त्रिवेदी

पंचायती राज पर नेहरू के विचार आज भी प्रासांगिक 109
ब्रजलाल उनियाल

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष 384888

जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास में जो अहम् भूमिका निभाई, उसके कारण उन्हें किसानों का मित्र, निर्धन ग्रामीणों के हित में संघर्षरत नेता, दलितों का मसीहा, एक सच्चा लोकतांत्रिक और समाजवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला महापुरुष कहा गया है। उनके व्यक्तित्व की इस संदर्भ में अन्य अनेक विशेषताएं भी गिनाई जा सकती हैं। लेकिन इस सबके बावजूद वास्तविकता यह है कि नेहरूजी ने निर्धन ग्रामीणों की तकलीफें दूर करने और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तेज करने के लिए जो भारी योगदान किया, उसके बारे में अधिक नहीं लिखा गया है। नेहरूजी के प्रखर व्यक्तित्व के इसी पहलू को उजागर करने के लिए 'कुरुक्षेत्र' इस महान युग पुरुष की जन्मशती के मौके पर इस साल यह विशेषांक निकाल रहा है। यह प्रयास इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि नेहरूजी ने जो नीतियां बनाईं और चलाईं, विशेषकर ग्रामीण विकास के बारे में उन्होंने जो नीतियां तय कीं वे समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और इन पर आज भी पूरी तत्परता से अमल हो रहा है।

इस विशेषांक में प्रकाशित अधिकांश लेखों के यशस्वी लेखक नेहरूजी के समकालीन रहे हैं। वे नेहरूजी की नीतियों के फलस्वरूप स्वाधीन भारत के ग्रामीण अंचल में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साक्षी हैं। इन लेखकों ने अपने लेखों में नेहरूजी द्वारा ग्रामीण विकास में किये गये योगदान का बेलाग और वस्तुपरक आकलन किया है। हमें आशा है कि हमारे पाठकों के लिये ये लेख बहुत रुचिकर, विचारोत्तेजक तथा ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगे।

— सम्पादक

जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण भारत की खोज

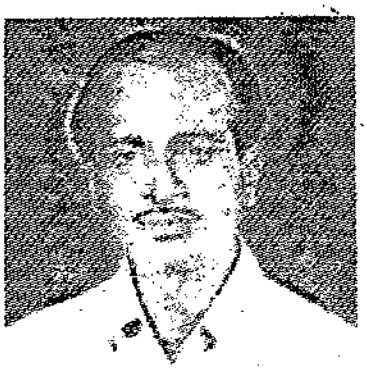

जनार्दन पुजारी
राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग,
भारत सरकार

भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान पं. जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत की दयनीय दशा के बारे में गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने स्वाधीन भारत का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद देश के तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु अपने आपको समर्पित कर दिया था, ताकि निर्धन ग्रामीणों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए, जिनमें सामुदायिक विकास परियोजना तथा पंचायती राज प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 28 अप्रैल 1989 को प्रारम्भ की गयी जवाहर रोजगार योजना का जिक्र करते हुए श्री जनार्दन पुजारी कहते हैं, "पंडितजी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती कि उनके जन्म शताब्दी समारोह गरीब ग्रामीणों को रोजगार देने के कार्यक्रमों हेतु समर्पित कर दिए जाएं और इन परिवारों के जीवन से अभाव को कम कर दिया जाए।"

गांधीजी की तरह पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी प्रायः अपने देशवासियों को याद दिलाते रहे कि भारत गांवों में ही बसता है और हमारा देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक गरीब ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं किया जाता और उनका इस बात पर जोर देना स्वाभाविक भी था, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले हमारे गांव बहुत ही शोचनीय हालत में थे।

स्वतंत्रता से पहले लंबे उपनिवेशिक शासन के दौरान गांव बुरी तरह उपेक्षित रहे। आर्थिक दृष्टि से संपन्न गांव बदहाल होते गए क्योंकि ब्रिटेन में तैयार माल को खपाने के लिए हमारे कुटीर उद्योग ठप्प कर दिए गए। अपने निहित स्वार्थों के लिए विदेशी शासकों ने परंपरागत कृषि जोतों को तबाह कर दिया। गांवों की गरीब जनता जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान से भी वंचित रह गई। कुल मिलाकर वह भयावह स्थिति थी।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी गांधीजी और जवाहरलाल नेहरू जैसे चोटी के नेताओं ने गांवों के उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व-संध्या पर पण्डितजी ने कहा, "भारत की सेवा का मतलब है—लाखों दीन-दुखियों की सेवा। इसका मतलब है—गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और समान अवसर उपलब्ध कराने के रास्ते में आने वाली बाधाओं का खात्मा। जब तक लोग दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, हमारा काम खत्म नहीं होगा।"

स्वतंत्रता से पहले गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांवों के विकास की दिशा में कई ठोस कदम उठाए, और गांवों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए।

फिर स्वतंत्रता के बाद गरीब ग्रामीणों की शोचनीय हालत में सुधार लाने की दिशा में प्रयास शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत गरीबों के

जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हो गया।

आधुनिक भारत के निर्माता पण्डितजी की योजनाबद्ध विकास में गहरी आस्था थी। उन्होंने ही आर्थिक योजना की नींव रखी, क्योंकि देश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए यह बहुत जरूरी था। पण्डितजी की दृष्टि में उन्नति को मजबूत आधार और गति प्रदान करने के लिए योजना एक सूझ-बूझ भरा कदम था, क्योंकि तभी समाज का चहुंमुखी विकास संभव हो सकता था। उनके अनुसार योजना एक ऐसा व्यावहारिक विज्ञान है, जो तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक उसमें लचीलापन, व्यापकता और गति न हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को वे एक ऐसा माध्यम मानते थे, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है।

देश से गरीबी हटाने, एक मजबूत व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने तथा समानता व न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय चेतना जगाने में ये पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सहयोगी रहीं।

पण्डितजी की दृष्टि में उन्नति को मजबूत आधार और गति प्रदान करने के लिए योजना एक सूझ-बूझ भरा कदम था, क्योंकि तभी समाज का चहुंमुखी विकास संभव हो सकता था। उनके अनुसार योजना एक ऐसा व्यावहारिक विज्ञान है, जो तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक उसमें लचीलापन, व्यापकता और गति न हो।

विकास का दौर

1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरूआत भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे जनता की भागीदारी से विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। यह कार्यक्रम पण्डितजी का मानस-पुत्र था, और वे जीवन-भर इसका पोषण करते रहे। मई 1952 में जब उन्होंने विकास आयुक्तों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया तो मानो इस आंदोलन को गति ही मिल गई।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, गांवों के विकास के लिए एक क्रमबद्ध और एकीकृत तरीका अपनाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से गांव तथा खंड स्तर पर कार्यकर्ता जुटाए गए। इन कार्यक्रमों में कृषि, पशुपालन, जन-स्वास्थ्य, महिलाओं का उत्थान तथा ग्रामीण उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत पांच हजार राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित किए जा चुके थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कई विकास योजनाएं बना कर विकास की गति को बरकरार रखा गया। इसके बाद सत्तर के दशक के आरंभिक वर्षों तक लघु किसान विकास एजेंसियां, ग्रामीणों को रोजगार उलपब्ध कराने की योजनाएं, काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम, सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, मरू भूमि विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं बनाई जा चुकी थीं। उन कार्यक्रमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के ग्रामीण आधार, विशेषकर कृषि व पशुपालन को मजबूत करना था। इसके अलावा सड़कें तथा ऐसे ही उपयोगी निर्माण कार्यों में मजदूरी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना भी इन योजनाओं का एक भाग था।

जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को पिछड़े वर्गों की ओर ध्यान देने और सबको समान अवसर देने की दिशा में काम करते रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि आधुनिक युग में छोटे-बड़े ऊँच नीच के बीच भेद ज्यादा दिन नहीं चल सकता। उन्हें आशा थी कि देश में सामुदायिक केंद्र न केवल एक क्षेत्र विशेष के विकास में सहयोगी होंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े दूसरे क्षेत्रों की समस्याएं भी सुलझाएंगे, ताकि पिछड़ेपन की विकट समस्या के समाधान में जनता भी भागीदार बन सके।

लेकिन नेहरूजी की दिलचस्पी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में किए गए काम की उपयोगिता में अधिक थी। वे यह जानने को उत्सुक रहते थे कि इन कार्यक्रमों से ग्रामीणों को कितना फायदा हुआ है, और वे उन्हें एक बेहतर मानव बनाने में कहां तक सफल रहे हैं।

ये सामुदायिक परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं एक तरह से भारत के पुनरोत्थान का प्रतीक बन गई थीं। हमारे देशवासियों ने तो इन्हें पसंद किया ही, दुनिया के दूसरे देश भी इनकी ओर आकर्षित हुए।

सामुदायिक विकास मंत्रालय के गठन से तो सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए एक नए दौर की शुरूआत हुई। इससे सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के कार्यों का विकास तो परिलक्षित हुआ ही, इनके महत्व और विस्तार को भी एक तरह से मान्यता मिल गई।

हालांकि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी तरह का चमत्कार तो नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इनकी बदौलत गांवों की गरीबी हटाने को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रमुखता जरूर दी जाने लगी। इन्हीं कार्यक्रमों ने भारत के गांवों में बदलाव की शुरूआत की। पण्डितजी के अनुसार इन सामुदायिक परियोजनाओं का महत्व भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न होकर इससे भी कहीं अधिक था क्योंकि ये समुदाय और व्यक्ति का निर्माण कर, व्यक्ति को इस योग्य बनाती थीं कि वह अपने गांव और व्यापक अर्थ में भारत का निर्माता बन सकें।

सामुदायिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मिला अनुभव भारत के ग्रामीण क्षेत्र से गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में बहुत मददगार रहा।

पण्डितजी भूमि सुधार को भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि इसके बिना कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी सुधार नहीं लाए जा सकते। इन सुधारों के जरिए वे एक जड़ समाज की पुरानी वर्ग-व्यवस्था को भी तोड़ना चाहते थे।

शक्तियों का हस्तांतरण

पण्डितजी का कहना था कि योजना बनाने में निचले स्तर पर जनता की भागीदारी के जरिए ही स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को समुचित महत्व मिल सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावित नवीकरण और उनकी शक्तियों तथा कार्यों की नई परिभाषा के बावजूद शक्तियों का हस्तांतरण कर इन संस्थाओं को मजबूत करने का जो सपना पण्डितजी ने देखा था, उसे पूरा करने में देर लगेगी, यह अवधारणा हमारे प्राचीन 'ग्राम गणराज्य' और पण्डितजी ने गांवों के उत्थान की योजना पर जोर दिया था, उससे ली गई है।

पण्डितजी पंचायत को सरकारी ढांचे की नींव मानते थे। उनका कहना था, "जब तक यह नींव मजबूत नहीं होगी, ऊपरी ढांचा कमजोर ही रहेगा। यह तो हम मानते हैं कि पंचायत चलाने वाले लोगों में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। हमसे कहा जाता है कि हम इन लोगों पर विश्वास न करें, लेकिन यदि एक बार इस दलील को मान लिया जाए, तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हम जानते हैं कि वे गलतियां करेंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें काम करने का एक मौका देंगे। जब तक हमें किसी संस्था में विश्वास नहीं होगा, हम इसकी उन्नति की कोशिश नहीं करेंगे।" पंचायती राज को वे आजाद भारत की सबसे क्रांतिकारी घटना मानते थे। उनका कहना था कि पंचायती राज में ऐसी शक्तियां निहित हैं, जिनके प्रस्फुटन से भारत की उन्नति को नई दिशा मिलेगी। इससे गांव तो खैर उन्नत होंगे ही, औद्योगिक क्षेत्र में भी लघु उद्योग और सहकारी क्षेत्रों को पनपने में मदद मिलेगी। पण्डितजी के अनुसार मुख्यमंत्री जिनके अधीन पंचायतें थीं, एक तरह से देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय के सर्वेसर्वा थे।

उन्हें लगता था कि हमारे सांसदों और विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की पंचायत समितियों से संपर्क बनाने चाहिए। इधर पंचायत समितियों को चाहिए कि वे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अथवा विधायक की सेवाओं का पूरा लाभ उठाएं। इस तरह समग्र व सहकारी प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा, जो भावी उन्नति का आधार तो बनेगा ही, लोकतांत्रिक ढांचे को ऐसी मजबूती प्रदान करेगा कि वह कभी चरमरा न पाए।

यहां 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर-राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पण्डितजी के भाषण को याद करना प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा था, "लोकतंत्र भारत के लिए एकदम नई चीज नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में देखी जा सकती हैं। यह व्यवस्था शायद इसलिए अस्तित्व में आई होगी, क्योंकि तब जनता और गांव राजनीतिक सत्ता से बहुत दूर स्थित हुआ करते थे।"

"आप लोगों को आपसी सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हरेक को वोट का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में हरेक के लिए समान अवसर हैं। इसी तरह पंचायतों में भी सबको समान समझा जाना चाहिए। स्त्री-पुरुष, ऊंच-नीच का भेदभाव यहां नहीं होना चाहिए। हमें एकता, भाईचारे की भावना के साथ खुद पर और अपने काम पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है।"

"भारत तभी तरक्की कर सकेगा, जब यहां के ग्रामीणों में राजनीतिक चेतना जागेगी। हमारे देश की उन्नति गांवों की उन्नति के साथ ही जुड़ी है। यदि हमारे गांव उन्नत होते हैं, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा, और तब इसके बढ़ते कदम कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप अपने संकल्प से मुंह मोड़ कर छोटे-छोटे झगड़ों और मतभेदों में उलझ जाते हैं तो अपने ध्येय में कामयाब नहीं हो पाएंगे।"

जवाहर रोजगार योजना

जवाहरलाल नेहरू ने हमें सिखाया था कि गरीबी का निवारण हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह शिक्षा भी उन्होंने ही दी थी कि सबसे बड़े पहले राष्ट्रीय उद्यम का उद्देश्य उद्यम गांवों के बेरोजगारों और अर्ध-रोजगारों के दुःख को कम करना है। इसलिए पण्डितजी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती कि उनके जन्म शताब्दी समारोह गरीब ग्रामीणों को रोजगार देने के कार्यक्रमों को समर्पित कर दिए जाएं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को काफी धन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे गरीब ग्रामीणों जो कि हमारी ग्रामीण, जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, के हित में ग्राम रोजगार योजना खुद चला सकें। एक अनुमान के अनुसार पिछले सात सालों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केवल 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन जवाहर रोजगार योजना हर पंचायत तक पहुंचेगी। इस योजना का अंतिम उद्देश्य हर उस व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देना है, जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है और हाथ के काम को हेय नहीं समझता। फिलहाल, हम उतना ही कर रहे हैं जितना करने की हमारे संसाधन अनुमति देते हैं। इसके अलावा मौजूदा सभी ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को जवाहर रोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है।

इस योजना से भारत के गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 440 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इनमें से प्रत्येक परिवार तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। हमारा उद्देश्य इन परिवारों के अभावों को कम करना है। विशेषकर इन परिवारों की महिलाओं के दुःख-दर्द को हम हल्का करना चाहते हैं, जो सदियों से असीम धैर्य और साहस से कष्ट झेलती आई हैं और ये उद्देश्य पंचायतों जैसी संस्थाओं के जरिए ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू करते वक्त कहा था, "महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बेरोजगारी के अभिशाप को दूर करने, गरीबी की महामारी को भगाने, महिलाओं के प्रति होने वाले भेद-भाव को दूर करने तथा अपने देशवासियों को सार्थक और सम्पन्न जीवन जीने का अवसर व और सहायता सुनिश्चित करने के महान उद्देश्य के प्रति हम खुद को एक बार फिर समर्पित करते हैं।"

पण्डितजी जो कुछ करते थे, उसकी प्रेरणा उन्हें देश के लोगों के संपर्क से मिलती थी। उन्होंने लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को वाणी दी। हम सबके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने अपने विचारों की महान विरासत छोड़ी है। बाद के वर्षों में यह साबित हो चुका है।

पंचायती राज को वे आजाद भारत की सबसे क्रांतिकारी घटना मानते थे। उनका कहना था कि पंचायती राज में ऐसी शक्तियां निहित हैं, जिनके प्रस्फुटन से भारत की उन्नति को नई दिशा मिलेगी। इससे गांव तो खैर उन्नत होंगे ही औद्योगिक क्षेत्र में भी लघु उद्योग और सहकारी क्षेत्रों को पनपने में मदद मिलेगी।

पण्डितजी ने गांवों के विकास के बारे में जो कुछ कहा, वह आज भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा था, "भारत के गांवों की रोचक कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ा है। हमारे दूर-दूर तक फैले खेतों और अनगिनत गांवों में एक नया नाटक खेला जा रहा है, इस नाटक के पात्र हैं—हमारे हजारों कार्यकर्ता और संस्थाएं। बेशक, इस नाटक में गांव के सभी लोगों-पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को भी शामिल होना चाहिए। शायद इन सभी को भारत के निर्माण के महान कार्य में भाग लेने की ललक होगी।"

अनुवाद : (कु.) विमल
मकान न. डब्ल्यू बैड, 299
जी ब्लाक, हरि नगर
नयी दिल्ली-110058

आधुनिक भारत के भगीरथ - नेहरूजी

अक्षयकुमार जैन

नेहरूजी के व्यक्तित्व में जहां एक ओर आधुनिकता का प्रचुर सामंजस्य था वहीं परम्परागत धरोहर को उन्होंने अस्वीकार भी नहीं किया था। यशस्वी पत्रकार लेखक अक्षयकुमार जैन का कहना है कि प्राचीन परम्परा की थाती सुरक्षित रखते हुये नवीनतम विचारधारा व तकनीक को अपनाना ही उनकी सोच थी। विद्वान लेखक का मत है कि नेहरूजी ने न केवल भारत में वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्र में सुदृढ़ आधार तैयार किया बल्कि दुनिया को गुट-निरपेक्षता, सह-अस्तित्व व शांति को दर्शन के रूप में प्रदान किया। इस दृष्टि से विख्यात वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अलबर्ट आइंस्टाइन द्वारा नेहरूजी को 'आगामी कल का प्रधानमंत्री' कहने की बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई।

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति न कहकर व्यक्तित्व कहना ज्यादा उपयुक्त होता है। पं. जवाहरलाल नेहरू भी उन्हीं महान व्यक्तियों में हैं। भारत को उनकी देन अनेक हैं किन्तु अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा को भी उनकी देन कुछ कम नहीं है। गुट निरपेक्षता, सह-अस्तित्व, अहिंसा तथा शांति को दर्शन के रूप में उन्होंने संसार को दिया और अपने देश में तो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भगीरथ ही कहा जा सकता है। महात्मा गांधी को देश को स्वतंत्रता का दाता कहा जाये तो देश के निर्माण का कार्य पण्डितजी के कन्धों पर पड़ा। ज्ञान और विज्ञान, उद्योग और तकनीक के आधार पर देश आज जहां पहुंचा है कि हमारे वैज्ञानिक संसार में तीसरे नम्बर पर और उद्योग में भारत इस समय दसवें नम्बर पर गिना जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो हरित क्रांति और अब श्वेत क्रांति यदि चल रही है तो उसका शुभारम्भ भी पण्डितजी के समय में ही हो गया था। बड़े-बड़े बांध जिन्हें उन्होंने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी और बड़े-बड़े कल कारखाने उन्हीं की देन हैं। गोबर युग से पैट्रोल युग की छलांग का श्रेय पण्डितजी को ही देना होगा।

विश्व विख्यात वैज्ञानिक और दार्शनिक एलबर्ट आइंस्टाइन ने पं. जवाहरलाल नेहरू को 'आगामी कल का प्रधानमंत्री' कहा था। उनकी यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई और भारत के सपूत महान वैज्ञानिक स्व. होमी भाभा ने उन्हें 'प्रिय देवता का अवतार' कहा था। वैसे तो उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू का परिवार अपने समय का आधुनिकतम विचारधारा वाला माना जाता था किन्तु प्राचीन परम्पराओं को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। पण्डितजी के व्यक्तित्व में भी जहां एक ओर आधुनिकता का प्रचुर सामंजस्य था वहीं परम्परागत धरोवर को उन्होंने अस्वीकार भी नहीं किया था। उन्होंने एक बार कहा था कि हर पुरानी चीज खराब नहीं और हर नई चीज अच्छी नहीं। यही उनके जीवन दर्शन का सार है। प्राचीन-परम्परा की थाती सुरक्षित रखते हुए नवीनतम विचारधारा एवं तकनीक को अपनाना ही उनकी सोच थी।

ब्रिटेन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर तथा बैरिस्टर होकर वे स्वदेश लौटे तो उन्हें लगा कि देश राजनीतिक, आर्थिक और महान सांस्कृतिक धरोहर वाला होते हुए भी पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से हमारा देश अंग्रेजों की दासता में था। आर्थिक रूप से तीन चौथाई आबादी सामान्य जीवन रेखा से नीचे थी और दरिद्रता से ग्रसित थी। सांस्कृतिक रूप से हम अपने संगीत, नृत्य तथा अध्यात्म को पाश्चात्य संगीत तथा दर्शन से छोटा मानते थे। पण्डित नेहरू के हृदय में वह स्थिति शूल की तरह चुभी।

महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए थे और अपने साथ सत्याग्रह नामक आधुनिकतम हथियार भी लाए थे। जिसका सफल प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्वट्स की सरकार के विरुद्ध किया था। यह वह समय था जब समस्त राष्ट्रहीन भावना से ग्रसित था।

उस समय अमरीका की ओर से यह कहा गया कि भारत इस्पात बनाने के पचड़े में क्यों पड़ता है। जितनी भी उसकी आवश्यकता होगी, उचित मूल्य में हम उसे मुहैया करा देंगे किन्तु पण्डितजी चाहते थे कि भारत किसी भी क्षेत्र में – उद्योग तो एक मूल क्षेत्र है – किसी भी प्रकार से पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। उनके समय में ही रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के सहयोग से हमारे देश में इस्पात निर्माण के आधुनिकतम कारखाने लगे।

नेहरूजी का हृदय उस समय की उस पस्त मन की परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मुझे याद है 1928 का पण्डितजी का तूफानी दौरा जब समस्त उत्तर भारत में वे नगर-नगर युवकों के हृदय सम्राट के रूप में भाषण करते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय मैं स्कूल का एक विद्यार्थी था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि अलीगढ़ की एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने किस प्रकार अपनी सोवियत संघ की यात्रा का जिक्र किया था और अपने देश की पुरानी रोगग्रस्त जमीदारी और साहूकारी प्रथा का उल्लेख उन्होंने किया था। समानता और समाजवाद का जो आकर्षक चित्र उन्होंने उपस्थित किया था उससे हम तरुण अपने आपको उनके अनुयायी होने में फख्र समझने लगे थे। दिसम्बर 1929 में कांग्रेस महासभा की बागडोर उन्होंने अपने स्वनामधन्य पिता पं. मोतीलाल नेहरू से लाहौर में सम्भाली थी और उनकी अध्यक्षता में रावी के ऐतिहासिक तट पर पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प उन्होंने देश को दिलाया था। 26 जनवरी 1930 को उनके निर्देशानुसार देश भर में पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पढ़ा गया और उसकी प्रतिज्ञा ली गई।

हर प्रश्न और समस्या पर उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और आधुनिकता लिए रहता था। यहां तक कि स्वराज्य से पहले उन्होंने कांग्रेस महासभा से यह प्रश्न किया था कि आजादी के बाद देश का क्या रूप होगा ? इसका नक्शा हमें तैयार कर लेना चाहिए और इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माण का बीजारोपण उस समय की नेहरू रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य प्राप्त किया और तब प्रश्न आया देश के निर्माण का, जिसके नियन्ता थे पण्डितजी।

हमें अच्छी तरह याद है कि जब पण्डितजी ने इस्पात के बड़े-बड़े कारखानों की नींव डाली; उन्हीं के शब्दों में "देश का उद्योग उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उद्योगों में काम करने वाली मशीनें देश में ही न बनने लगें, यही नहीं उन मशीनों को बनाने के लिए जो इस्पात और लोहा हमें चाहिए उसको बनाने के लिए बड़े-बड़े कारखाने लगाने होंगे।"

उस समय अमरीका की ओर से यह कहा गया कि भारत इस्पात बनाने के पचड़े में क्यों पड़ता है। जितनी भी उसकी आवश्यकता होगी, उचित मूल्य में हम उसे मुहैया करा देंगे किन्तु पण्डितजी चाहते थे कि भारत किसी भी क्षेत्र में – उद्योग तो एक मूल क्षेत्र है – किसी भी प्रकार से पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। उनके समय में ही रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के सहयोग से हमारे देश में इस्पात निर्माण के आधुनिकतम कारखाने लगे। जिनका विशाल रूप आज भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो में देखा जा सकता है।

उस समय परमाणु शक्ति की ओर भला किसका ध्यान जा सकता था किंतु पण्डितजी ने बम्बई के निकट ट्रॉम्बे में परमाणु शक्ति का महान कारखाना लगाया। आज उत्तर और दक्षिण में ऊर्जा के लिए परमाणु शक्ति का शांति कालीन प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए भारत के कई बड़े कारखानों में हो रहा है। अपने अनुभव और प्रयोगों के

कारण ही परमाणु शक्ति का एक अन्तः स्फोट राजस्थान के पोखरण स्थान पर करके भारत परमाणु शक्ति वाले राष्ट्रों का समकक्षी बन गया।

ऊर्जा के लिए ही बिहार के परम्परागत क्षेत्रों के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में आधुनिकतम प्रणाली से कोयला खानों का पता किया गया और आज कोयले से ताप बिजली उत्पादन का कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है।

उन्होंने देश में कई बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया जो पानी बाढ़ों के रूप में या निरर्थक होकर समुद्र में जा मिलता था, उस पर बांध बनाकर एक ओर पन-बिजली तैयार की गई और दूसरी ओर सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। उन्हीं के समय में सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त करने के परीक्षण सफलतापूर्वक हुए थे। आज देश को बहुत कुछ उस ओर उन्मुख होना पड़ रहा है। विज्ञान और तकनीक में देश को किस प्रकार आधुनिकतम बनाकर आगे बढ़ाया जाये, इसके लिए पण्डितजी ने भौतिक प्रयोगशालाओं का एक जाल देश भर में बिछा दिया था जिसका सुपरिणाम आज सुस्पष्ट हो गया है।

ऊर्जा के लिए खनिज तेल कितना आवश्यक है, इसका अनुमान भी पण्डितजी ने कर लिया था। रोमानिया के सहयोग से देश की धरती के नीचे छिपे हुए खनिज तेल का सर्वेक्षण किया गया और जब गुजरात में तेल के पहले कूएं में से पहला स्रोत फूटा और वह गंदा तेल पण्डितजी के धवल वस्त्रों पर गिरा तो उस समय पण्डितजी के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे भीषण गर्मी के बाद वर्ष की पहली फुहार को शरीर पर लेकर बालक प्रसन्न होता है। आज उन्हीं की दूरदृष्टि से देश अपनी आवश्यकता का दो तिहाई तेल स्वयं प्राप्त करता है। और आशा की जाती है कि अगली शताब्दी आने तक स्वालम्बी हो जायेगा। ऊर्जा के अन्य स्रोत भी अब काम में लाए जाने लगे हैं, इनमें सौर ऊर्जा, पवन तथा सागर की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना प्रमुख हैं। अन्तरिक्ष विज्ञान की ओर भी उनका ध्यान गया था। उस कार्य का प्रारम्भ उनके समय में ही हो गया था जिसके परिणामस्वरूप आर्य भट्ट, रोहिणी आदि उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजे जा सके और भारतीय युवा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अन्तरिक्ष की यात्रा भी कर आया और अब तैयारी हो रही है स्वयं भारत अपने ही अन्तरिक्ष यान में अपने ही किसी वरद पुत्र को अन्तरिक्ष में भेजे।

सच तो यह है कि विज्ञान और तकनीक में निष्णात, भारतीय युवा डाक्टर, इंजीनियर, व्यवस्थापक आदि अनुन्नत अथवा विकासशील देशों में ही नहीं विकसित देशों में भी कार्यरत हैं। कुछ विकसित देशों के अस्पताल बिना भारतीय डाक्टरों के बन्द हो जाएंगे और सड़कों तथा इमारतों का निर्माण बिना भारतीय इंजीनियरों के रूका रह जाएगा।

रोमानिया के सहयोग से देश की धरती के नीचे छिपे हुए खनिज तेल का सर्वेक्षण किया गया और जब गुजरात में तेल के पहले कूएं में से पहला स्रोत फूटा और वह गंदा तेल पण्डितजी के धवल वस्त्रों पर गिरा तो उस समय पण्डितजी के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे भीषण गर्मी के बाद वर्ष की पहली फुहार को शरीर पर लेकर बालक प्रसन्न होता है। आज उन्हीं की दूरदृष्टि से देश अपनी आवश्यकता का दो तिहाई तेल स्वयं प्राप्त करता है।

स्वराज्य के समय देश की कृषि उपज कुल साढ़े चार करोड़ टन थी आज यह चौगुनी हो गई है। चीनी का उत्पादन पांच गुना हो गया है। गेहूं, चावल, चीनी की जबरदस्त कमी थी। नेहरूजी ने इसीलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि प्रधान बनाया। अच्छे बीज, ऐसे बीज जिनमें उपज तो बढ़े ही रोग विहीन भी हों, उर्वरकों के कारखाने, सिंचाई की उचित व्यवस्था इसके अन्तर्गत नल कूपों का जाल बिछाने और बिजली की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल विद्युत योजनाएं, ताप बिजली घरों का निर्माण, पुराने हलों के स्थान पर नए उपकरण ट्रैक्टरों का प्रयोग अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जो एक साथ वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की सहायता से चलाए गये। देखते ही देखते कृषि उत्पादन भी बढ़ा और कृषि के आधुनिकतम साधन भी बढ़े। देश को पण्डितजी की यह सबसे बड़ी देन है। ग्रामीण विकास का उनका स्वप्न साकार हो रहा है।

पण्डित नेहरू व्यक्तित्व में तथा रहन सहन में ही आधुनिकता के समर्थक नहीं अपितु विचारों में भी आधुनिक थे। उन्होंने देश को आधुनिकता की ओर मोड़ा। यही कारण है कि आज भारत आधुनिकतम देशों में सिर ऊंचा कर सकता है। देश आधुनिक तथा बड़ा बनने के लिए पण्डितजी का सदा सर्वदा ऋणी रहेगा।

सी-47, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली–49

नेहरूजी और ग्रामीण विकास

डा. प्रभाकर माचवे

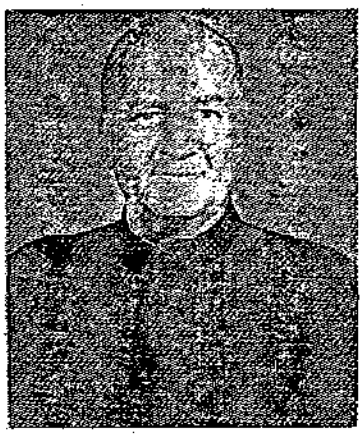

विद्वान लेखक एवं पीथा 'संसार' के सम्पादक डा. प्रभाकर माचवे नेहरूजी के काफी निकट रहे हैं। उन्होंने इस महामानव को एवं उसमें अन्तर्निहित गुणों को काफी बारीकी से देखा है। नेहरूजी जिस तरह आधुनिकता एवं तकनीकी कौशल पर जोर देते थे —उसी तरह उनका अधिक जोर ग्रामीण विकास पर भी था। हमारे किसानों की दशा भी उनसे छुपी न थी। वे किसानों एवं ग्राम जनता के समुचित विकास पर बल देते थे। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने विभिन्न विद्वानों के वक्तव्य देकर नेहरूजी के ग्रामीण विकास संबंधी विचारों पर अच्छा प्रकाश डाला है।

नेहरूजी अभिजात उच्च कश्मीरी ब्राह्मण वर्ग के उस समय के बहुत यशस्वी अमीर वकील मोतीलाल नेहरू के लाड़ले पुत्र थे। शिक्षा भी विलायत में ईटन और कैंब्रिज में साहबी ढंग से हुई थी। भारत की ग्रामीण जनता से उनका सीधा संपर्क भारत में लौटकर आने पर गांधीजी के संपर्क में आने से हुआ। जिस वर्ष उनके पिता मोतीलाल जी की मृत्यु हुई, महात्मा गांधी नेहरूजी के जीवन में एक पिताश्री (फादर-फिगर) की तरह हो गये। मोतीलाल जी से भी उनका मतभेद रहता था, गांधीजी से भी रहा। पर दोनों से उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। गांधीजी और नेहरूजी कई बातों में परस्पर पूरक थे। स्वराज्य से पहले के ग्राम-विकास में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के चौदह सूत्र काम आये तो स्वराज्योत्तर भारत में जवाहर की पंचायत की योजना और सामूहिक प्रकल्प (कम्युनिटी प्रोजैक्ट की परिकल्पना)।

परन्तु यह समझने के लिए हमें 1920 के समय के भारत की स्थिति की ओर मुड़ना चाहिए। 1886 के मालगुजारी कानून के तहत अवधमें जमींदार सात बरस में रुपये में एक आना लगान बढ़ा सकते थे। कीमतें बढ़ती जाती थी और जमींदार, जागीरदार, मालगुजार तरह-तरह से किसानों का शोषण करते थे। किसानों की मिलकीयत में जमीन नहीं थी। सो जमींदार उन्हें बेदखल करने की धमकी आये दिन देते रहते। वे लगान से ज्यादा 'नजराना' किसानों से ऐंठते थे। साहूकार के कर्जे में किसान सदा डूबा रहता। न्यायालयों के रास्ते तब गरीब, अनपढ़ किसान के लिए खुले नहीं थे। न संगठित रूप से विद्रोह करने का माद्दा उनमें तब तक जागा था।

प्रतापगढ़ जिले में ग्यारह प्रतिशत 'कुरमी' जाति के लोग थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय किसानों से ज्यादा लगान इन अछूतों को देना पड़ता था। 'निराला' ने कविता मे लिखा था — "गांव के अधिक जन कुरमी, कहार हैं।" प्रेमचन्द के 'गोदान' या 'रंगभूमि' में जो होरी या सूरदास का हाल था वहीं किसान की दुर्दशा थी। प्रेमचंद की 'सद्गति' और पचासों कहानियां इस दैन्य और उत्पीड़न की साक्षी थीं।

प्रतापगढ़ के किसानों को यह लाभ था कि इलाहाबाद पास था, जहां से वे नेताओं से सलाह ले सकते थे। अप्रैल, 1920 में प्रतापगढ़ में गड़बड़ शुरू हुई। किसानों को बेदखली के नोटिस दिये गये। एक बाबा रामचंद्र वहां किसानों के नेता थे। उन्होंने किसानों से कहा लगान दें, पर अन्यायपूर्ण अन्य नजराने नहीं दें। जून, 1920 में यह किसान नेता इलाहाबाद में गांधीजी से मिलने आये। मसूरी से शहर बदर किये गये, जवाहरलाल उन्हें मिल गये। गांधी वहां नहीं थे। यहीं से जवाहरलाल जी की ग्रामीण भारत में विशेष रुचि शुरू हुई।

गांधीजी और नेहरूजी की ग्राम-सुधार दृष्टि में अंतर था। गांधी मनुष्य की धार्मिक मूल्यों में आस्था पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि जमींदार दान-दया से किसानों को परिवार के अंग की तरह रखेगा। वे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते थे। नेहरू का उस सामन्ती, जमींदारी पद्धति पर बिलकुल विश्वास नहीं था। वे उसका पूरा विकास चाहते थे।

गौरी शंकर मिश्र तब जवाहरलाल जी के साथ थे। वे और भी पुराण-पंथी थे। सो उन्होंने किसानों से कहा कि किसान सभाएं गठित करो, अपनी मांगें सरकार के सामने रखो जब ऐसी सामान्य मांगों के लिए कुछ किसान पकड़े गये तो जवाहरलाल और पुरुषोत्तमदास टंडन डिप्टी कमिश्नर से मिले और किसानों को छुड़वाया।

इस समय सन् 1920 का असहयोग आन्दोलन जोरों पर था। जवाहरलाल जी ने चाहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बने। प्रतापगढ़ और रायबरेली को जवाहरलाल जी ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वहां एक अवध किसान सभा संगठित की गई। जवाहरलाल जी ने किसानों को प्रेरित किया कि वे चुनावों का बहिष्कार करें और प्रदेश काउंसिल का विरोध करें। 1920 और 1921 के जाड़े के दिनों में जवाहरलाल जी ने बड़ी-बड़ी किसान सभाओं को संबोधित किया। गांधीजी नवम्बर में प्रतापगढ़ आये। दिसम्बर की फैजाबाद की किसान कांग्रेस में नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन से भी ज्यादा लोग जुटे। नेहरू किसानों को अनुशासित और संगठित होने की बात पर जोर देते रहे। कीमतें बढ़ रही थीं और भूमिहीन किसान भी जमींदार विरोधी संघर्ष में शामिल हो गये।

जनवरी 1921 में रायबरेली जिले में स्थानीय गुंडों ने 'सीर' की फसलें जला दीं। बाजार लूटे। पांच तारीख को तीन किसान नेता पकड़े गये। जनता उमड़कर रायबरेली पहुंची। फुरसतगंज में पुलिस ने गोलीबारी की। छह आदमी मारे गये। दूसरे दिन मुन्शीगंज में और जोरों से गोली चली। नौ आदमी मारे गये। जवाहरलाल नागपुर कांग्रेस से लौटे थे। वे नहीं चाहते थे कि लूटपाट करने वाले किसान तत्वों से कांग्रेस मिल जाये। फिर भी 7 जनवरी 1921 को वे स्वयं रेल से रात को दो बजे रायबरेली पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ने पेंसिल से लिखा एक नोट भेजा—"मि. नेहरू, इस जिले में आपकी उपस्थिति सरकार नहीं चाहती। अगली ट्रेन से आप लौट जायें।" जवाहरलाल ने उत्तर भेजा — "क्या यह सरकारी आदेश है? तो वह औपचारिक ढंग से आना चाहिए। मैं यहां से नहीं जाऊंगा।" जवाहरलाल को पुल पार करने दिया गया। उन्होंने किसानों को शांति और अहिंसा से काम लेने को कहा। उन्होंने इस विषय पर 'दि इंडिपेन्डेंट में' 22 और 23 जनवरी को लेख लिखे। सरकार ने वहां सभा नहीं होने दी। जवाहरलाल हिंसा भड़काना नहीं चाहते थे। उन्होंने सभा भंग कर दी। दूसरे दिन मोतीलाल और जवाहरलाल हताहत किसानों को इलाहाबाद के अस्पताल में देखने गये।

यह घटना विस्तार से देने का कारण यह है कि यहीं से जवाहरलाल के मन में यह बात बैठ गयी कि हिंसक उपायों या साधनों से, देश का किसान थोड़ी देर के लिए उकसाया जा सकता है, पर उसकी समस्याओं का स्थायी समाधान यों नहीं मिलेगा। अकबरपुर में किसान सभा में जवाहरलाल ने बाबा रामचंद्र जैसे साधुओं के तरीकों का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति लोगों को भड़काने वाला गांधी का सच्चा चेला नहीं है। किसानों को लूटपाट नहीं करनी चाहिए। टांडा में 5 मार्च 1923 के एक भाषण में जवाहर ने किसान—जमींदार, मिलकर स्वराज्य की लड़ाई लड़ें, ऐसा भी कहा। भारतीय किसान गरीबी से कितना रीढ़-हीन और दलित हो चुका है, इसका पूरा अहसास नेहरू को नहीं था। उन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा था। फ्रांस और रूस की क्रांतियों में किसान की भूमिका उनके सामने थी। अतः वे तब तक किसान को भारत में भी वैसी ही स्वप्निल दृष्टि से देखते थे। वे तब तक गांधी और बरट्रंड रसल के मिश्रित विचारों से किसान विकास की बात सोचते थे। सर सीताराम को 11 मई 1920 को एक पत्र में

उन्होंने लिखा कि साम्यवाद से किसानों की जिंदगी आनन्दहीन हो जायेगी, वे भारतीय ग्रामों को यंत्रों से पीड़ित नहीं देखना चाहते थे। गांधीजी के 'पंचायती राज' में उन्हें आशा दीखती थी। वही स्वराज्य की कुंजी थी।

परन्तु जवाहरलाल जी का मन समाजवाद की ओर झुका हुआ था। मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव में गांधी के सूत-कातने, ग्राम-केंद्रित आत्मनिर्भर आर्थिक कार्यक्रम में लगान न देने और जमींदार के जुल्म के खिलाफ अहिंसक लड़ाई की बातें उन्होंने जोड़ीं। सम्मेलन में भाग लिया। उस आरंभिक जवाहरलाल के अंतर्द्वंद्व से आरंभ करके ही उनके विचार और स्पष्ट होते गये। प्रो. पी.सी. जोशी के अनुसार "भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू एक मात्र नेता थे जिन्होंने किसान और ग्राम विकास को केंद्र में रखा" ('मेनस्ट्रीम' नवंबर 20, 1982)। एक रूसी लेखक ने नेहरू का उदाहरण दिया है कि वे "भूमि सुधार को प्रधानता देते थे।" पंचायती राज ही एकमात्र लोकतांत्रिक मार्ग था, जिससे किसान का विकास हो सकेगा। (ज. नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)। पी.एन. हक्सर के अनुसार 'नेहरू ग्रामीण और नागरी विकास में संतुलन बनाये रखना चाहते थे। (मेनस्ट्रीम मई 24, 1985)।

गांधीजी और नेहरूजी की ग्राम-सुधार दृष्टि में अंतर था। गांधी मनुष्य की धार्मिक मूल्यों में आस्था पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि जमींदार दान-दया से किसानों को परिवार के अंग की तरह रखेगा। वे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते थे। नेहरू का उस सामन्ती, जमींदारी पद्धति पर बिलकुल विश्वास नहीं था। वे उसका पूरा विकास चाहते थे। इंगलैंड और आयरलैंड में उन्होंने बड़ी खेती को छोटे-छोटे भूखंडों में बंटकर स्वायत्त होते देखा था। उन्हें रूस में सोवखोज (सामूहिक खेती) का भी ज्ञान था। वे 1927 में रूस यात्रा कर आये थे। 1933 में ही उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि जीवन का सत्यानाश हो चुका है। नयी समाज रचना आवश्यक है (आर.पी. दत्त, इंडिया टूडे, 1970) डी.ई. स्मिथ ने 'नेहरू एंड डेमाक्रेसी' में लिखा कि 1935 से पहले ही नेहरू ने लिखा था- "कांग्रेस के लिए ग्राम समस्या सामाजिक है और उस पर बहुत विचार किया जा चुका है।" 1936 की लखनऊ कांग्रेस के प्रस्ताव में नेहरू ने उस प्रश्न के आर्थिक-राजनैतिक महत्व रेखांकित किये। "इस कांग्रेस का यह मत है कि देश का पहला सबसे अहम् मसला किसानों की भयावह गरीबी, बेरोजगारी और कर्जदारी है। इसका मूल कारण यह कि पुरानी राजस्व पद्धति एकदम बेकार हो चुकी है। उस जालिम प्रथा को बदलना होगा।"

नेहरू राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते भूमिकर, स्वामित्व, खेती के साधन और पद्धतियों और भूमि, खदान, वन के राष्ट्रीयकरण पर विचार करने लगे। खेती में सहकारिता पर उन्होंने जोर दिया। किसी के पास भी आवश्यकता से अधिक जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा। वह अतिरिक्त भूमि ग्राम सहकारी संस्था को दे देनी चाहिए। जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि-विकास समिति की स्थापना की गई। इसने तीन उद्देश्य सामने रखे –

1. कृषक के व्यक्तित्व का विकास;
2. एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिये कोई अवसर नहीं दिया जायेगा; और
3. उत्पादन में अधिकाधिक गुणवत्ता और बढ़ोतरी।

ए.आर. देसाई ने 'रूरल सोसायटी इन इंडिया' (1969) में इस पर विस्तार से विचार किया है। यह सब जवाहरलाल नेहरू के ग्रामीण विकास विषयक विचारों के विकास में सहायक बिंदु हैं।

परंतु स्वराज्य के बाद कांग्रेस के भीतर के जमींदार-ताल्लुकेदार वर्ग के न्यस्त स्वार्थी तत्व नेहरू की क्रांतिकारी समाजवादी परिवर्तन नीति का विरोध कर रहे थे। 1966 में बैरिंगटन मूर की पुस्तक 'सोशल ओरिजिन्स आफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी' में लिखा कि भारत का अनुभव समाजवादी देशों से भिन्न था। जवाहरलाल विश्व-मानव की एकता मानते थे और प्रशांत महालनोबिस जैसे वैज्ञानिकों से प्रभावित थे। रूसी आदर्श सामने रखते हुए भी, जवाहरलाल ने पंचायतों और कम्युनिटी डेवलपमेंट योजनाओं को बहुत तरजीह दी। एस. के.डे. को सामुदायिक विकास के काम में लगा दिया। नीलोखेड़ी आदर्श ग्राम की तरह विकसित किया गया। पंजाब राव देशमुख और अन्य कृषि मंत्री अमरीकी माडल से प्रभावित थे। दो विचारधाराओं का टकराव हुआ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम पीछे छूट गया तथा इस्पात के बड़े कारखाने, ऊर्जा-स्रोत और भारी यंत्रोद्योगों पर जोर दिया जाने लगा। नेहरू को लगा कि बड़ी सिंचाई योजनाएं, यांत्रिक खेती, उन्नत बीज, बेहतर उर्वरक से ही किसान को उभारेंगे। उनके सामाजिक सुधार साक्षरता, जाति व्यवस्था का नाश या अंधविश्वास से उनकी मुक्ति के कार्यक्रम गौण हो गये। और इसी बीच दुर्भाग्य से नेहरू को केवल कुछ वर्ष प्रशासन के मिल पाये कि 1964 में वे नहीं रहे।

इन सारे प्रश्नों पर हाल में छपे एक परिसंवाद के निबंधों के संग्रह में बहुत विचारणीय सामग्री है। पुस्तक का नाम है 'नेहरू

एंड एडमिनिस्ट्रेशन' (संपादक वी. भास्कर राव तथा ए-अमृत राव, अजंता प्रकाशन, 1, बी जवाहर नगर, बंगलो रोड, दिल्ली-7 - 1989, पृ.-337, मूल्य 200 रुपये)। इसमें 45 विद्वानों के इस विषय से सम्बन्धित लेख हैं-

1. नेहरू और आर्थिक योजनाएं (पी. रामैया, पी. रवींदर)
2. नेहरू और योजना (बी. प्रभाकर राव, एम. वेंकटरेड्डी)
3. नेहरू और भारतीय किसान समस्या (एन. लिंगमूर्ति, एस. राधाकृष्णन)

जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का अक्तूबर 2, 1959 को उद्घाटन करते हुए कहा – "आज हम भारत में प्रजातंत्र की नींव रखने जा रहे हैं। इसी का नाम पंचायती राज है। अभी भी जोर सामुदायिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा-विस्तार पर है। यह जो धीमी गति विकास की दिखाई दे रही है, इसका मूल कारण सरकारी मशीनरी पर अधिक निर्भर होना है।"

---

4. नेहरू और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (बाला रामुलु कुमारस्वामी)
5. नेहरू और पंचायत राज (बाला रामुलु, पी. नरसिंहराव, एम. मधुसूदन।
6. नेहरू ग्रामीण परिवर्तन (सी. शिवराय कृष्णराव)

काकतीय विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी में पढ़े गये विद्वान-अर्थशास्त्रियों और राजनीति विभाग के प्रोफेसरों के ये निबंध हैं।

इससे पता लगता है कि आज जो जवाहर रोजगार योजना बनी है, उसके बीज जवाहरलाल की पंचायती राज संबंधी विचारों में निहित थे। उनके इरादे बहुत अच्छे थे। बलवंतराय मेहता कमेटी और बाद में अशोक मेहता समिति ने यह सब बहुत विस्तार से अपनी रिपोर्टों में दिया था।

जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का अक्तूबर 2, 1959 को उद्घाटन करते हुए कहा – "आज हम भारत में प्रजातंत्र की नींव रखने जा रहे हैं। इसी का नाम पंचायती राज है। अभी भी जोर सामुदायिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा-विस्तार पर है। यह जो धीमी गति विकास की दिखाई दे रही है, इसका मूल कारण सरकारी मशीनरी पर अधिक निर्भर होना है।"

नेहरूजी चाहते थे कि यह एक जन-आंदोलन बने। लेकिन दुर्भाग्य से वैसा नहीं हो पाया। स्थानीय नेतागण जातीय और गुटीय झगड़ों में उलझे रह गये। जन-जन में सामूहिकता की भावना जब तक विकसित नहीं हो पाती, आर्थिक कार्यक्रम कागजों पर रह जाते हैं। तिरलोक सिंह ने पंचायती राज को अत्यन्त रचनात्मक अंश कहा था – एम.ए. मुत्तालिव ने भारत को एक नये युग में ले जाने वाला कदम कहा, हेनरी मैड्रिक ने इसे क्रांतिकारी उपाय बताया, सी.टी. राघबुलु ने कम्युनिटी डेवलपमेंट में सारी बीमारियों का रामबाण उपाय पंचायती राज कहा, पी.आर. गायकवाड़ ने इसे सामाजिक परिवर्तन की विराट संभावनाओं भरा कार्यक्रम बताया। परंतु नेतृत्व-निर्माण इस में से नहीं उपज पाया। पंचायती राज का प्रयोग गये पंद्रह वर्षों में बहुत तरक्की क्यों न कर पाया, इसके अनेक कारण दिये गये हैं—बाढ़, सूखा, अधिक वर्षा से लगाकर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शासकीय शिथिलता आदि।

परन्तु यह सब बाद की बातें हैं। इन सबके लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वप्नदृष्टा और उनकी आदर्श ग्राम विकास योजनाओं को दोष नहीं दिया जा सकता। नेहरू महान थे, हम उनके छोटे अनुयायी साबित हुए। दोष हमारा है, न कि उनके विचारों का। ग्राम केन्द्रित अन्त्योदय पर आधारित समताश्रित ग्राम समाज अभी भी सुदूर लगता है, यद्यपि पुनः इस वर्ष 'पंचायती राज' की बात उठी है और मरने से पहले एस.के.डे उसी को एकमात्र रामबाण उपाय कह गये।

विषय बहुत विस्तार से चर्चित होना चाहिए। पं. नेहरू इस भूमि की जड़ों से जुड़े थे। उनकी वसीयत साक्षी है। उनकी विभूति कण-कण में फैले।

73, बल्लभ नगर,
इन्दौर-452003
(मध्य प्रदेश)

क्या हम नेहरूजी के रास्ते से हट गये हैं ?

लक्ष्मी चन्द जैन

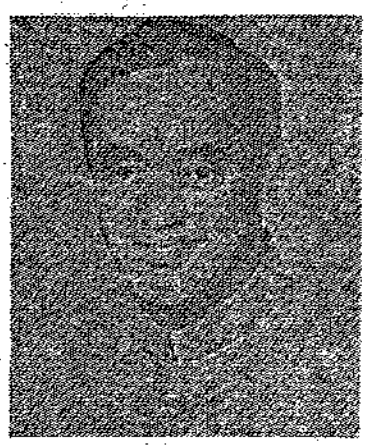

श्री जैन को उल्लेखनीय जनसेवा के लिये वर्ष 1989 के मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण उत्थान कार्यों में लगाया है। उनका कहना है कि नेहरूजी की नीति यह थी कि भारत को औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाया जाये ताकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया ताकि लोगों को नये अवसर मिल सकें और वे अपनी सहायता स्वयं करने के लिए संगठित हो सकें।

उनका कहना है कि नेहरूजी के बाद किसी भी नेता ने उनकी व्यापक और दूर-दृष्टि को नहीं अपनाया। श्री जैन का मत है कि अगर नेहरू के उत्तराधिकारी उनके द्वारा आरंभ किये गये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जारी रखते, उसे मजबूती प्रदान करते तो नीचे के स्तर से जैसा कि नेहरूजी ने सोचा था, आर्थिक नीतियों को दुरूस्त करने और उन्हें निर्धन ग्रामीणों के लिये अधिक भरोसेमंद बनाने के लिये खूब दबाव पड़ता।

नेहरूजी को श्रद्धांजलि देने के लिये केवल यह कह देना काफी नहीं है कि देश के ग्रामीण अंचल के तेजी से विकास के लिए निर्धन ग्रामीणों की दशा में त्वरित सुधार में उनकी विशेष दिलचस्पी रही। नेहरूजी ने स्वाधीनता के पश्चात् देश के विकास के बारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, उन्होंने भावुकता से काम नहीं लिया। वे यथार्थ, ठोस परिप्रेक्ष में सोचते थे। उनका दृढ़ मत था कि ग्राम विकास व अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों का विकास एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुये हैं।

इसलिये जब विभाजन का दौर कुछ ठंडा हुआ तो उन्होंने फौरन योजना आयोग का गठन किया ताकि वह तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें, समस्याओं को समझे और देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लाने की गुंजाइश पर गौर करे, ताकि देश में लंबे साम्राज्यवादी शासनकाल के दौरान आयी विकृतियों व कुंठा के वातावरण को समाप्त किया जा सके और देश में नयी आशा, नये उत्साह का संचार किया जा सके।

सामुदायिक विकास

नियोजन का मतलब होता है लंबी अवधि के लक्ष्यों का विवरण तैयार करना तथा इनकी प्राप्ति के लिये संसाधनों के उपयोग के बारे में दिशा – निर्देश तय करना। योजनाएं तैयार करना वास्तव में विशेषज्ञतापूर्ण कार्य था लेकिन नेहरूजी इनके दस्तावेजों को लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं के रूप में राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया करते थे। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा हुई तो कतार में खड़े होकर इसकी प्रति लेते समय हम लोग अत्यंत रोमांच महसूस कर रहे थे। हम लोग उस समय बाकी सब बातें भूल गये थे और इस योजना की प्रति का एक-एक शब्द हमने बहुत ही तल्लीनता से पढ़ डाला था। विकसित देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था को

स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यहां मजबूत औद्योगिक ढांचा खड़ा करने, ग्रामीण क्षेत्रों को सदियों के पिछड़ेपन से उभरने का अवसर प्रदान करने, उन्हें समृद्धि का रास्ता दिखाने के लिये नेहरूजी की परिकल्पनापूर्ण नीति इन्हीं शब्दों में समाहित थी।

लक्ष्य तय हो जाने के बाद यह महसूस किया गया कि औद्योगिक विकास के श्रीगणेश के लिये तो सरकार के पास कुछ संस्थागत संसाधन उपलब्ध हैं पर ग्रामीण समुदाय के प्रयासों में सहयोग के लिये कोई तंत्र मौजूद नहीं है। एक बार यह कमी सामने आने पर नेहरूजी ने तुरन्त कदम उठाया व सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसे राष्ट्रीय विस्तार संगठन का रूप दिया ताकि सबसे दूर-दराज गांवों तक भी इसकी पहुंच हो सके। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम मूलतः कार्यवाही कार्यक्रम न होकर एक सहायता कार्यक्रम जैसा था। इसका उद्देश्य वास्तव में ग्रामीण समुदाय को नये अवसरों के बारे में जागरूक बनाना था और उन्हें स्वयं अपनी सहायता के लिये संगठित होने में सहयोग प्रदान करना था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर विकास कार्य इस सिद्धांत को लेकर चलाया जाना था कि स्थानीय समुदाय को इसमें अधिक से अधिक योगदान के लिये प्रेरित किया जाये। राज्य से सहायता तो पूरक के रूप में आनी थी। नेहरूजी का इस सिद्धांत के पीछे विचार बिल्कुल स्पष्ट था। उनका सोचना यह था कि स्थानीय समुदाय व उनका विकास दोनों साथ-साथ आगे बढ़ें। नेहरूजी ने सैकड़ों बार यह बात दोहरायी कि केवल सड़क या कुआं बना देना अथवा खेत बढ़ा देना ही काफी नहीं है, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि पुरुष, स्त्रियां, बच्चे—ये सब लोग भी एक स्वतंत्र देश के नागरिक के नाते आगे बढ़ें, इनका अधिक से अधिक मानसिक, शारीरिक विकास हो, इनके सांस्कृतिक व रचनात्मक पक्ष का अधिकतम विकास हो।

गांवों में इस कार्यक्रम से उत्साह की एक नयी लहर दौड़ गयी। उत्साही लोग उठ खड़े हुये। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पहचाना; श्रम, सामान, पैसा — तमाम उपलब्ध स्थानीय संसाधन मुस्तैदी से जुटाये। प्रारंभ में प्रत्येक प्रखंड के लिये पचास हजार रुपये की मामूली राशि तय की गयी थी। यह मात्र उत्प्रेरणा के तौर पर थी। नेहरूजी का आह्वान 'एक गांव, एक स्कूल, एक सहकारी समिति, एक पंचायत' — केवल एक नारा ही नहीं था, यह ग्रामीण समुदाय को जागरूक बनाने, उनमें प्रेरणा व उत्साह का संचार करने का एक जोरदार कार्यक्रम भी बन गया।

नेहरूजी के बाद कोई भी नेता उनकी व्यापक दूर-दृष्टि को और आगे नहीं बढ़ा पाया, इसे साकार करने के लिये कोई समग्र व्यावहारिक नीति नहीं बना पाया है। नेहरूजी के चले जाने के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भुला दिया गया और 'सामुदायिक' शब्द की जगह 'ग्रामीण' शब्द को लाकर रख दिया गया। अब इस कार्यक्रम को 'ग्रामीण विकास' कहा जाता है। इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ है कि अब विकास के केवल भौतिक पक्ष पर ही सारा जोर दिया जाता है, मानव विकास पर कोई ध्यान नहीं जाता। नेहरूजी की नीति यह थी कि ग्राम विकास कार्य में प्रत्येक समुदाय धन के रूप में अथवा अन्य तरीके से अधिकतम योगदान करेगा। लेकिन अब इस नीति का परित्याग कर दिया गया है और इसकी जगह तथाकथित 'केंद्र-प्रायोजित योजनाओं' ने ले ली है जिनमें पूरा अंशदान केंद्रीय अथवा राज्य सरकार ही करती है। अब समुदाय से किसी योगदान की आशा नहीं की जाती।

नेहरूजी के चले जाने के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भुला दिया गया और 'सामुदायिक' शब्द की जगह 'ग्रामीण' शब्द को लाकर रख दिया गया। अब इस कार्यक्रम को 'ग्रामीण विकास' कहा जाता है।

नेहरूजी की नीति के परित्याग का एक अन्य गंभीर परिणाम यह हुआ है कि पहले जहां योजनाएं व कार्यक्रम स्वयं ग्राम समुदाय द्वारा आरंभ किये जाते थे अब ये कार्यक्रम दिल्ली में या राज्यों की राजधानियों में तैयार किये जाते हैं। अब ये कार्यक्रम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं बनते। जाहिर है कि सरकारी स्तर पर बनने वाले इन ग्रामीण कार्यक्रमों का स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों अथवा स्थानीय आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं होता। इसलिये इन पर भारी खर्च के बावजूद इन कार्यक्रमों का कोई प्रभाव देखने में नहीं आया है जबकि सामुदायिक विकास के दौर में मामूली खर्च से भी आशातीत सफलता मिलती थी।

इन कार्यक्रमों का केवल स्वरूप ही नहीं बल्कि इनके कार्यान्वयन का तरीका भी बदल दिया गया है। नेहरूजी पूरे देश में घूम-घूम कर ग्रामीण जनता को स्वाधीनता के

फलस्वरूप मिली नयी राजनैतिक शक्ति के बारे में जागरूक बनाते थे, उन्हें बताते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के जरिए कृषि व उद्योग के क्षेत्र में खुशहाल, नए भारत के निर्माण के लिये उन्हें नयी शक्ति, नये अधिकार प्राप्त हुए हैं। लेकिन आज के नेता योजनाओं को स्वीकृति देने, बजट या खर्च का अनुमोदन करने और समय-समय पर रिपोर्टों पर नजर डाल देने से ही अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं। परिणाम यह है कि नेहरूजी ने जिन लोगों को ग्रामीण विकास का केंद्र बिन्दु बनाया था, वे अब इस बिन्दु से दूर खिसका दिये गये हैं।

भिन्न नीति

यह सोचकर दुख होता है कि हालांकि नेहरूजी 17 वर्ष तक सत्ता में रहे पर उनकी नीति, उनके दृष्टिकोण से देश की जनता में गरीबी दूर करने में कोई अधिक सफलता नहीं मिली। बल्कि हर योजना-अवधि में, साल दर साल, बेरोजगारों व गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ती गयी। यह देखकर नेहरूजी चिंतित हो उठे थे। उन्हें इस स्थिति को देखकर कष्ट होने लगा था। यह अफसोस की बात है कि वे यह अध्ययन करने के लिये अधिक समय तक जीवित नहीं रहे कि देश में बेरोजगारी, गरीबी व असमानता की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिये उनकी नीतियां, उनका दृष्टिकोण कितना सही था, कितना कारगर था। वे अगर कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वे जान पाते कि उनकी विफलता का कारण शायद यह था कि उन्होंने भारत के विकास के लिये जो रास्ता चुना, वह गांधीजी के सपनों से भिन्न था, उस मार्ग से भिन्न था, जिसे गांधीजी ने बहुत स्पष्ट और बड़े व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया था, उनका कहना था : "करने के लिये हमारे पास काम हो सकता है, इसे करने के लिये आदमी भी मिल सकते हैं और इस काम के लिये औजार भी उनके पास हो सकते हैं लेकिन जिस व्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी बनी रहती है वह मेरे विचार में एक दिन भी टिकने योग्य नहीं है।"

गांधीजी वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक विचार की दृष्टि से नेहरूजी से किसी भी तरह कम नहीं थे। लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे। गांधीजी मानते थे कि विकास का सबसे पहले लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिये। उनका यह विचार उनकी 'अंत्योदय' – अंतिम व्यक्ति तक – की धारणा को स्पष्ट करता है। उनकी मान्यता थी कि गरीबी, विषमता और बेरोजगारी पर हर दृष्टि से सशक्त प्रहार के लिये दो बातें आवश्यक हैं। पहली है सादगी अथवा उपभोग में नैतिकता : "जिसने समानता को अपने जीवन में उतार लिया है, वह अपनी जरूरतों को कम से कम रखेगा क्योंकि उसे देश में व्याप्त गरीबी का सदा ध्यान रहेगा।" दूसरी है प्रौद्योगिकी का सोच-समझकर चयन—नकल से बचते हुए देश की समस्याओं के अनुरूप चयन। "अगर मैं देश की जरूरत का सारा सामान तीन करोड़ लोगों की जगह तीस हजार लोगों की मदद से ही बना पाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी मगर इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि तीन करोड़ लोग बेकार न बैठें बेरोजगार न हों।"

अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिये गांधीजी ने राजनीतिक स्तर पर 'ग्राम गणराज्य' स्थापित करने तथा उनके आर्थिक विकास के लिये 'गांवों को स्वावलंबी' बनाने का सुझाव सामने रखा। उन्होंने किसी विस्तार संगठन, प्रखंड विकास कार्यालय अथवा किसी सरकार या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की। ये काम उनके विचार में ग्राम गणराज्यों के जिम्मे किये जाने थे।

गांवों को स्वावलंबी बनाने के उनके विचार के पीछे मंतव्य यह था कि उत्पादन और उपभोग, जहां तक हो सके, साथ-साथ चलें और ये स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग पर आधारित हों। गांधीजी चाहते थे कि नियोजन प्रक्रिया व आर्थिक प्रणाली का लक्ष्य हो आत्मनिर्भरता। इसके लिये वह इस बात पर जोर देते थे कि "हर गांव का पहला काम यह हो कि वह अपने लिये जरूरी अनाज और कपड़ा खुद पैदा करें। बाकी कल-कारखाने इस आर्थिक आधार को समर्थन देने की दृष्टि से लगाये जायेंगे। मैं यह परिकल्पना करता हूं कि बिजली, जहाज निर्माण, लोहा, मशीन निर्माण और अन्य उद्योग ग्रामोद्योगों के साथ-साथ चलेंगे। अब तक की औद्योगीकरण नीति से ग्रामोद्योग व ग्राम शिल्प को क्षति पहुंची है। भविष्य में औद्योगीकरण अब ग्रामीणों व उनके शिल्प के पूरक के रूप में होगा।"

गांव के भावी विकास कार्य की जटिलताओं को व्यावहारिक तौर पर जानने-समझने के लिये गांधीजी ने 1929 में गुजरात के खेड़ा जिले के मातर तालुका का

आर्थिक सर्वेक्षण कराया । इस सर्वेक्षण दल में सरदार पटेल भी शामिल थे और इसके नेता प्रो. जे.सी. कुमारप्पा थे । दल को भेजी गयी अपनी टिप्पणी में गांधीजी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुये कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण सबसे निचले स्तर से शुरू होना चाहिये । इसके लिए सबसे निचले स्तर की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिये और पूरे सोच-विचार के बाद उससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने चाहिये ताकि इन्हें कोई भी किसी भी तरह चुनौती न दे सके ।"

इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के आवरण पृष्ठ पर 'महाभारत' के निम्नलिखित अंश उद्धृत किये गये थे :

"क्या आपके राज्य में पर्याप्त अंतर पर
बड़े-बड़े तालाब खुदे हैं ताकि खेत
केवल वर्षा पर ही निर्भर न रहें ?
आपके राज्य में किसानों को अनाज की
जरूरत रहती है या बीज की ?"

सर्वेक्षण में कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों के योजनाबद्ध दोहन की आवश्यकता है । इसमें ये प्राथमिकतायें निश्चित की गयीं : जमीन का विस्तृत व वैज्ञानिक सर्वेक्षण; परती भूमि को खेती योग्य बनाना; जल वितरण प्रणाली में सुधार लाना अर्थात तालाबों की क्षमता बढ़ाना और कुओं के पानी का खारापन दूर करना; चरागाहों को सुधारना और चारा उत्पादन बढ़ाना; मिट्टी के तेल की जगह अरंडी के तेल के लैंप उपलब्ध कराना; मिल के कपड़े का उत्पादन । इन उपायों से उस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त रोजगार व आय की संभावना बन सकने की आशा की गयी ।

स्वाधीनता के थोड़े ही समय बाद गांधीजी की मृत्यु हो जाने से सारी स्थिति बदल गयी । स्वाधीन भारत गणराज्य की पुनर्गठित प्रणाली में 'ग्राम गणराज्य' का कोई स्थान नहीं रहा । उद्योग को गांवों का पूरक बनाने का गांधीजी का सपना खंडित हो गया । दूसरी ओर नेहरूजी का कहना था :

"वास्तविक शक्ति की असली परीक्षा यह है कि आप कितना इस्पात तैयार करते हैं, कितनी बिजली तैयार करते हैं और कितना उपयोग करते हैं ।"

इसमें संदेह नहीं कि नेहरूजी ने भारत को इस्पात, बिजली और अनेक महत्वपूर्ण आधुनिक उद्योग दिये ।

नेहरूजी ने लगभग सभी बड़े राज्यों में पंचायतों की स्थापना करायी । इस मामले में वह गांधीजी के विचारों के करीब आये । लेकिन पूरी तरह नहीं । उनकी आर्थिक विचारधारा में कोई खास परिवर्तन दिखलायी नहीं पड़ा – इस्पात, बिजली, उद्योग उनकी नीति का केंद्र बिन्दु बने रहे ।

लेकिन अपनी आधुनिक औद्योगिक दृष्टि के बावजूद नेहरूजी गांवों में गरीबी दूर नहीं कर पाये हालांकि वह इसके लिये कटिबद्ध थे । इस स्थिति ने नेहरूजी को परेशान व चिंतामग्न कर डाला । उन्होंने पांचवें दशक से अपनायी गयी नीतियों का विश्लेषण और उन्हें दुरूस्त करने के उपाय शुरू कर दिये थे । इसी विश्लेषण के बाद उन्होंने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाले दल की सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना के सुझाव का समर्थन किया ।

नेहरूजी ने लगभग सभी बड़े राज्यों में पंचायतों की स्थापना करायी । इस मामले में वह गांधीजी के विचारों के करीब आये । लेकिन पूरी तरह नहीं । उनकी आर्थिक विचारधारा में कोई खास परिवर्तन दिखलायी नहीं पड़ा – इस्पात, बिजली, उद्योग उनकी नीति का केंद्र बिन्दु बने रहे ।

नेहरूजी की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 'ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण, औद्योगिक प्रगति के शिलान्यास, जनता के सबसे निर्बल व उपेक्षित वर्ग के लिये अधिकतम अवसर सुनिश्चित करने और देश के सभी भागों में संतुलित विकास' की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य था । लेकिन औद्योगिक प्रगति की आधारशिला रखने को छोड़कर अन्य कोई सामाजिक – आर्थिक लक्ष्य नेहरूजी प्राप्त नहीं कर पाये । लेकिन अगर उनके बाद के नेता उनके द्वारा प्रशस्त लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को जारी रख लेते, उसे दृढ़ता प्रदान करते तो निचले स्तर से इस बात के लिये जबर्दस्त दबाव पड़ता कि आर्थिक नीतियों को दुरूस्त किया जाये और उन्हें निर्धन ग्रामीणों के लिये भरोसेमंद, अधिक लाभदायक बनाया जाये । नेहरूजी का यही लक्ष्य था, यही सपना था ।

अनुवाद : ओम प्रकाश दत्त,

पण्डित नेहरू ने गांवों के उत्थान को प्राथमिकता दी

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

वयोवृद्ध पत्रकार श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने इस सारगर्भित लेख में कहा है कि पण्डित नेहरू हालांकि अभिजात्य वातावरण में जन्मे-पले लेकिन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की देख-रेख में हुये उनके राजनीतिक प्रशिक्षण ने उन्हें देश के ग्रामीणों के आर्थिक विकास का मसीहा बना दिया। विद्वान लेखक के अनुसार प्रधानमंत्री की हैसियत से नेहरूजी की रीति-नीति पर इसी पृष्ठभूमि की गहरी छाप है। वे ग्रामीण विकास के प्रत्येक पहलू से कितनी गहराई से जुड़े हुये थे इसका स्पष्ट प्रमाण उनके शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन, भूमिहीनों में भूमि वितरण, सहकारिता, पंचायतों की पुनर्स्थापना वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण ढांचे को मजबूत बनाने के अनेक प्रयासों में देखने को मिलता है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जन्म तीर्थराज प्रयाग में जो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी था और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ही नहीं, सबसे आधुनिक नगर माना जाता था, हुआ था। जिस समय वे बालक ही थे उनके पिता इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे सम्पन्न वकीलों में गिने जाते थे, जिनका निवास स्थान आनंद भवन उन सुख-सुविधाओं से सुसज्जित था जो उस समय उत्तर प्रदेश के अंग्रेज गवर्नर या लाट साहब को भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके बाद वे ब्रिटेन के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गये वहां से बैरिस्टर होकर लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने चले गये। सवाल उठता है कि ऐसा नेता, जिसका गांव से कोई सम्बन्ध न रहा हो, जिसके पिता आगरा में जन्मे हों और दादा दिल्ली में, वो भारत के ग्रामीणों के आर्थिक विकास का मसीहा कैसे बन गया। इसका रहस्य है श्री जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक प्रशिक्षण। उनके पिता पण्डित मोतीलाल नेहरू जहां यह समझते थे कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन ही ठीक स्थान होगा वे यह भी जानते थे कि सार्वजनिक जीवन में अपना समय देने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह

भारत के गांवों को जानें, उनकी समस्याओं को पहचाने और उनके दुख-दर्द में शामिल हो। इसलिए पण्डित मोतीलाल नेहरू ने श्री जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक प्रशिक्षण का काम राजपण्डित श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के ऊपर सौंपा, जो नगर के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता तो थे ही, अड़ोस-पड़ोस के किसानों के केन्द्र भी हो गये थे। राजपण्डित श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने जवाहरलाल नेहरूजी को किसानों की समस्या की ओर ही मुख्य रूप से आकर्षित किया और इसके बाद जहां-जहां किसानों की दुर्दशा थी वहां के किसान पण्डित नेहरू के पास आने लगे। इस प्रकार इलाहाबाद में रहते हुए भी श्री जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और रायबरेली जैसे ज़िलों के किसानों के आधार स्तंभ भी बन गये। उन्होंने किसानों की समस्याएं ही नहीं सुनीं, वहां जाकर उनके कष्ट भी भोगे और ज़मींदारी प्रथा के विरोध के लिए कांग्रेस संगठन में जागृति उत्पन्न की। वर्ष 1920 में जब असहयोग आन्दोलन प्रारंभ ही नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू रायबरेली के ज़मींदारों से शोषित किसानों की दुर्दशा का समाचार सुनकर, वहां पर स्थानीय किसान आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए रायबरेली में मुंशीगंज जा रहे थे, उन्हें सई नदी के किनारे पर ही रोक दिया गया और नदी की दूसरी तरफ़ उपस्थित भारी जनसमूह को सम्बोधित करने का अवसर नहीं दिया गया। उस समय उपस्थित जनता को आतंकित करने के लिए जागीरदार की हवेली से गोली चली थी जिसका समाचार छापने पर दैनिक 'प्रताप' के सम्पादक अमर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी पर मुकदमा चला था और उन्हें सज़ा दी गयी थी, जो चीफ कोर्ट तक बहाल रही। जवाहरलाल नेहरू अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में ही किसानों के साथ और उन गांवों के साथ, जहां किसान रहते थे, जुड़ गये थे।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय देश में जितने कांग्रेसी नेता थे, उनमें ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वालें में सबसे अधिक आग्रह श्री जवाहरलाल नेहरू का था और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ज़मींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यही नहीं जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर सरकार बनाने का प्रश्न उठा और अनेक कांग्रेसी नेता इस पक्ष में थे कि वहां सम्मिलित सरकार बना दी जाये, श्री नेहरू का आग्रह था कि यह तभी हो सकता है जब मुस्लिम लीग, जिसमें बड़े-बड़े ज़मींदार नेता थे, यह स्वीकार करें की ज़मींदारी प्रथा समाप्त की जाये। मुस्लिम लीग को यह स्वीकार नहीं था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलाजुला मंत्रिमण्डल नहीं बन सका, परन्तु श्री नेहरू किसानों की मांग को लेकर किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री की हैसियत से रीति-नीति को देखने के लिए उनकी इस पृष्ठभूमि का वर्णन करना आवश्यक था। 14 अगस्त, 1947 को मध्य रात्रि को यानी संविधान सभा में अंग्रेजों के हाथ से सत्ता संभालने का जो प्रस्ताव श्री नेहरू ने उपस्थित किया था, उस पर उन्होंने यह कहा था – "हमारा भविष्य आराम करने का नहीं बल्कि हमने अभी तक जो वचन भरे हैं या जो आज भरने जा रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा करना जो दुखी हैं।" उसके बाद जब उन्होंने आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम प्रसारण किया तो कहा था-"भविष्य हमें संकेत कर रहा है कि हम किधर जायेंगे और हमारे क्या प्रयास होंगे। हम साधारण जन को स्वाधीनता और अवसर दिलायेंगे। भारत के किसानों और मज़दूरों की गरीबी, अशिक्षा और रोगों को समाप्त करने के लिए हम संघर्ष करेंगे।"

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किसानों की समस्या का हल ढूंढना भारत तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य हो गया। उनके समय में ही देश के सारे किसानों को भूमि पर स्वामित्व मिला और जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उनको आश्वासन मिला कि जब भूमि की हदबंदी की जायेगी तो सीमा से अधिक जो भूमि या धरती बचेगी वह उन लोगों को मिलेगी जिनके पास भूमि नहीं है।

पण्डित नेहरू समझते थे कि किसानों की स्थिति भू-स्वामी होने से ही नहीं बदल जायेगी। ज़रूरत है कृषि के विकास की, जिससे कि वह भूमि उपजाऊ होकर किसान की आवश्यकता पूरी कर सके और उसे दूसरों के समकक्ष खड़ा कर सकें। इसलिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी तो उसमें 23 अरब 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इनमें से 3 अरब 54 करोड़ रुपये कृषि और सामुदायिक विकास के लिए ही थे। 6 अरब 47 करोड़ रुपये सिंचाई तथा पन-बिजली योजनाओं के लिए और 49 करोड़ रुपये

ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना का लगभग 34 प्रतिशत धन विशुद्ध ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस योजना में सिंचाई और बिजली के लिए 29 प्रतिशत धन आबंटित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध तैयार किये गये, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा की काया-पलट कर दी। आज पंजाब और हरियाणा औद्योगीकरण के बिना भी देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में गिने जाते हैं। जिसका कारण वहां का कृषि विकास है। भाखड़ा परियोजना से 36 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हुई। यह काम सारे देश में हुआ, बंगाल और बिहार में, दामोदार घाटी परियोजना का कार्यान्वियन हुआ। मध्य प्रदेश में चम्बल योजना निकली, बिहार में कोसी, उत्तर प्रदेश में रेंड, आंध्रप्रदेश में नागार्जुन सागर और महाराष्ट्र में कोइना योजना शुरू हुई। जनवरी, 1953 में चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध का कार्य प्रारंभ हुआ और भी अनेकों योजनाएं बनी।

सिंचाई के बाद आवश्यकता होती है बीज निर्माण की और खाद की। अच्छे बीजों का निर्माण शुरू हुआ, खाद बनाने के लिए सिंदरी का महाकाय कारखाना बिहार में खड़ा हुआ और इन कार्यक्रमों से देहात की शक्ल बदलने लगी। जो काम प्रथम योजना में पूरा नहीं हो सका, वह द्वितीय योजना में पूरा हुआ।

यह कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी थी क्योंकि बड़े-बड़े इस्पात कारखाने की परिकल्पना उसमें की गयी थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रामीण विकास का पहली पंचवर्षीय योजना में जो काम शुरू हुआ था उसे छोड़ दिया गया, बल्कि उसे बढ़ाया गया। पहली योजना में छह कार्यक्रम ही ऐसे थे जिन पर 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक का खर्च था और 54 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की लागत थी। द्वितीय योजना में नयी 188 योजनाएं अतिरिक्त सिंचाई के लिए चालू की गयीं। जिनमें दस ऐसी थीं जिन पर 10 से 30 करोड़ रुपये के बीच व्यय होना था और 42 ऐसी थीं जिन पर 1 से 10 करोड़ के बीच का परिव्यय निर्धारित किया गया था। एक बात और भी थी कि पहली बार 358 नलकूपों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास और ग्रामीण विस्तार योजना नामक एक

पंडित नेहरू ने कहा था - "लोगों को यह आदत पड़ गयी है कि जब वे लोकतंत्र की बात करते हैं तो केवल ऊपर की ही बात सोचते हैं, नीचे की नहीं। ऊपर का लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसका आधार नीचे से न हो।"

कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 अक्तूबर 1954 को महात्मा गांधी की जन्म तिथि मनाने के उपलक्ष्य में 27388 गांवों में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गयी। उस वर्ष 167 मण्डलों में काम हुआ। वर्ष 1955-56 तक 152 ब्लाक बनाये गये और प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1 लाख 57 हजार 347 गांवों में सामुदायिक योजनाएं लागू की गयीं और राष्ट्रीय विस्तार के मण्डल बन चुके थे। यह योजना अब सारे देश में फैल गयी है और प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सेवक और एक ग्राम सेविका है, जिसके द्वारा कृषि, सिंचाई, पशुपालन, सफाई और लघु उद्योग के कार्यों को समन्वित किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में सामुदायिक विकास योजना 3 लाख 70 हजार गांवों में थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल में यानी अक्तूबर, 1963 तक यह योजना सारे देश में व्याप्त हो गयी। प्रथम दो योजनाकाल में इस मद पर 240 करोड़ रुपये व्यय हुए थे। तीसरी योजना में 296 करोड़ रुपये व्यय हुए।

आजकल पंचायती राज की बड़ी चर्चा है। लोक सभा ने पंचायती राज की स्थापना के लिए 64 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। लेकिन स्वाधीनता आन्दोलन में महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा बार-बार ज़ोर देने के बाद भी भारत का जो संविधान बना उसमें पंचायतों का कोई ज़िक्र नहीं था। इस पर महात्मा गांधी ने 21 दिसम्बर, 1947 को 'हरिजन' में एक टिप्पणी लिखी थी जो इस प्रकार थी-"प्रिंसीपल श्रीमन् नारायण ने लिखा है कि संविधान में जो परिकल्पना की गयी है उसमें ग्राम पंचायतों या विकेन्द्रीकरण का न उल्लेख है, न उसकी ओर दिशा-निर्देश है। यह निस्संदेह एक कमी है और यदि हम चाहते हैं कि हमारी आज़ादी में जनता की आवाज़ परिलक्षित हो तो इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति होगी, जनता का उतना ही भला होगा ।" कुछ समय बाद 30 जनवरी, 1948 को राष्ट्रपिता का बलिदान हो गया । 6 अगस्त, 1948 को दिल्ली में राज्यों के स्थानीय शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें बोलते हुए । पण्डित नेहरू ने कहा था । "लोगों को यह आदत पड़ गयी है कि जब वे लोकतंत्र की बात करते हैं तो केवल ऊपर की ही बात सोचते हैं, नीचे की नहीं । ऊपर का लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसका आधार नीचे से न हो ।"

हमारे संविधान में पंचायतों का उल्लेख क्यों नहीं आया, इसका एक कारण यह था । यद्यपि पण्डित नेहरू और सरदार पटेल जैसे व्यक्ति संविधान सभा की संचालन समिति से सम्बद्ध थे परन्तु उसकी मसौदा समिति में अधिकांश सदस्य वकील थे जो शहरों से सम्बद्ध थे और उसके संयोजक डा. भीमराव अम्बेडकर थे । संविधान सभा में 4 नवम्बर, 1948 के इस प्रारंभिक भाषण के बाद अनेक सदस्यों ने ग्राम पंचायतों का समर्थन किया । पं. नेहरू ने उन लोगों को समर्थन प्रदान किया जो चाहते थे कि पंचायतों का संविधान में उल्लेख हो और इस प्रकार संविधान में पंचायतों का तथा स्वशासन की इकाइयों का उल्लेख हो सका । इसके बाद कांग्रेस ने पंचायतों की समस्या की जांच के लिए और अभी तक हुई प्रगति का जायज़ा लेने के लिए 23 और 24 मई, 1954 को एक समिति नियुक्त की और 10 जुलाई 1954 को समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी । इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पंचायतों को मालगुज़ारी वसूल करने तथा कर लगाने का अधिकार दिया जाये । पण्डित नेहरू ने पंचायतों को और कारगर बनाने के लिए एक अध्ययन कराया जिसके परिणामस्वरूप श्री हर्ष देव मालवीय ने 'विलेज पंचायत इन इंडिया' नामक पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका स्वयं पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और कहा था कि 'हमारा भूतकाल का अध्ययन रोचक तो होता ही है, वर्तमान स्थितियों को समझने में भी सहायक होता है ।' तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार पंचायतों के ऊपर 28 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया । इन पंचायतों का उद्देश्य कृषि, छोटी सिंचाई, भू-संरक्षण, ग्रामीण वनों, पशुपालन, डेरी तथा सहकारिता का विकास करना, ग्रामोद्योग का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, देहाती पेयजल का प्रावधान करना और इस बात की व्यवस्था करना था कि हर सड़क को पड़ोसी सड़क या रेलवे स्टेशन से मिलाने के लिए एक सड़क हो । तीसरी योजना में यह प्रावधान भी किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपलब्ध जनशक्ति है उसको उचित काम देने के लिए कार्यक्रम बनाये जायें । आज जो जवाहर रोज़गार योजना चल रही है, उसकी यह पूर्वपीठिका थी । कृषि विस्तार के साथ-साथ पशुपालन, डेरी तथा मछलीपालन, गृह उद्योग और खेतिहर श्रमिकों के लिए अलग कार्यक्रम थे । साथ ही साथ बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं भी थीं, जिनके लिए 436 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस योजनाकाल में सड़कों का, रेलों का और बिजली का जो विकास हुआ उसे यद्यपि औद्योगीकरण के अन्तर्गत गिना जायेगा, परन्तु उससे गांव भी लाभान्वित हुए । उद्योगों से जो माल तैयार हुआ और जिस प्रकार हमारे देश में कृषि उपकरण ट्रैक्टर आदि तैयार होने लगे, उन्होंने भी गांवों का हुलिया बदल दिया । इस प्रकार पण्डित नेहरू ने अपनी ठेठ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा औद्योगिक विकास दोनों के ज़रिये ग्रामों के रूप परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित एक अन्य विषय था जिसमें पण्डित नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण है । यह है सहकारी आन्दोलन । कहने को तो भारतवर्ष में 1904 से सहकारी समितियां हैं परन्तु उनको मुख्यतया ऋण देने वाली समितियों के रूप में ही देखा जाता था और गांवों में तो वे अंग्रेज़ी सरकार के दमन की प्रतीक बन गयी थीं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर लिखा गया कि 'लोकतंत्र में योजनाबद्ध आर्थिक कार्यवाही के लिए सहकारिता पद्धति पर संगठन एक अपरिहार्य उपकरण है । प्रथम योजनाकाल में सहकारी समितियों की संख्या में 60 हज़ार की वृद्धि हुई । जून 1951 तक इन समितियों के पास कुल 90 करोड़ रुपये थे । पांच वर्ष बाद जमा रकम 138 करोड़ और चालू पूंजी 4 अरब 69 करोड़ रुपये हो गयी । पहली बार सहकारी समितियां ने माल खरीदने और बेचने का काम शुरू किया और योजनाकाल की समाप्ति के बाद 9 हज़ार ऐसी समितियां बन गयी थीं । चीनी मिलों को गन्ना देने के लिए गन्ना यूनियनें बनीं और यही काम कपास और मूंगफली की बिक्री के लिए किया गया । फिर सहकारी समितियों ने किसानों तक खाद और बीज पहुंचाने का काम आरंभ किया । नवम्बर, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद में

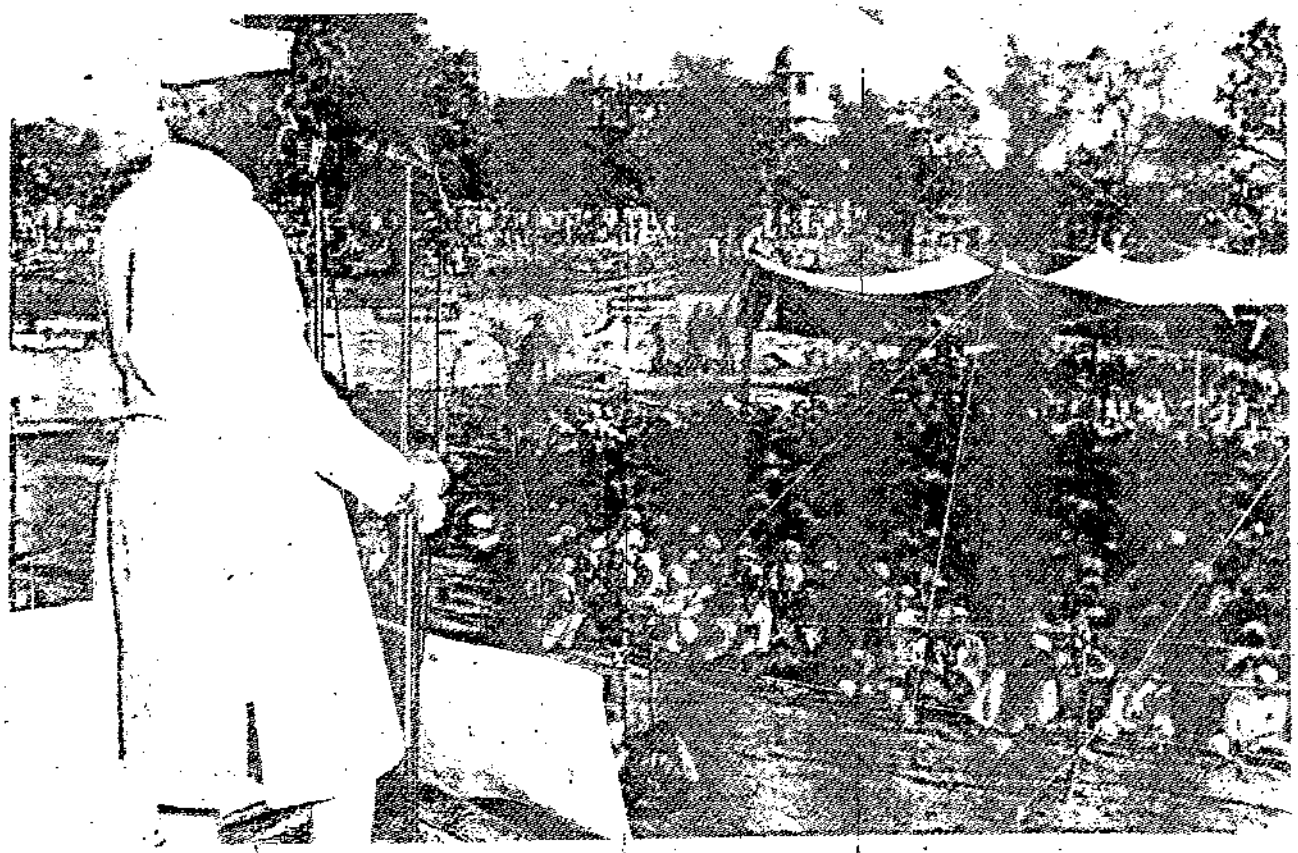

जवाहरलाल नेहरू ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित एक अन्य विषय था जिसमें पण्डित नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण है । यह है सहकारी आन्दोलन ।

श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया 'ग्राम समुदाय को प्राथमिक इकाई मानकर सहकारी समितियों का गठन किया जाये और ग्राम स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व और नेतृत्व ग्राम पंचायतों और ग्राम सहकारी समितियों पर छोड़ा जाये ।' द्वितीय योजना में लिखा गया कि 'लोकतांत्रिक आधार पर आर्थिक विकास की दिशा में अगणित प्रकार से सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है ।' श्री नेहरू ने 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में नागौर में ग्राम पंचायत कार्यक्रम का श्रीगणेश किया और नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पण्डित नेहरू ने सहकारी खेती के समर्थन में अपना प्रस्ताव रखा । कांग्रेस ने सहकारिता को ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण का आधार माना और उन्हीं के समय में ग्रामीण बुनकरों को भी साधन और सुविधाएं दी गयीं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण विकास के हर पहलू से कितने जुड़े हुए थे । उनके समय में ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, जागीरदारियां समाप्त हुईं, भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी, भूमिहीनों को भूमि दी गयी, ग्रामीण पंचायतों को गौरव प्रदान किया गया, सहकारी समितियों के लिए नये-नये कार्य क्षेत्र और साधन जुटाये गये तथा कृषि के विस्तार के लिए कृषि, सिंचाई, पशुपालन तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी ।

डी, 2/55 कालका नगर
नई दिल्ली 110003

जवाहरलाल नेहरू व गांवों का योजनाबद्ध विकास

सत्यवीर त्यागी

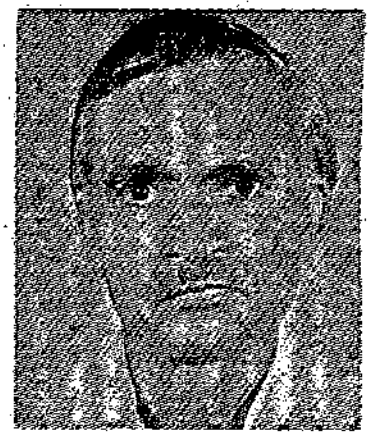

लेखक जो कि दैनिक हिन्दुस्तान के ब्यूरो प्रमुख हैं, ने अपने लेख में स्वतंत्रता के बाद नेहरूजी द्वारा देश में विद्यमान समस्याओं से निपटने के वृढ़ व सुस्पष्ट इरादे और उसके अनुरूप कार्यवाही पर प्रकाश डाला है। गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि समस्याओं से निपटने के लिए नेहरूजी ने आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया।

लेखक का मत है कि नेहरूजी आधुनिकता के प्रबल समर्थक होते हुए भी भारतीय संस्कृति की परम्पराओं और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे। वे समाजवाद के प्रति समर्पित थे तथा चाहते थे कि अमीर एवं गरीब के बीच की खाई सद्भावनापूर्ण ढंग से भरी जाये।

लेखक ने अपना लेख इस आशा के साथ समाप्त किया है कि नेहरू के सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रम को आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा जो महत्व दिया जा रहा है, उससे देश का भविष्य निश्चय ही और निखरेगा।

भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिकाल से गांव में ही बसता रहा है और यहां के लोगों का मुख्य पेशा खेती और हस्तशिल्प रहा है। भारत के गांवों की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ और खुशहाल रही। कुटीर उद्योग कृषि के पूरक थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान खुशहाली का यह नक्शा बदल गया। परम्परागत कुटीर उद्योग तबाह हो गए। विदेशी हुकूमत ने सिंचाई व कृषि की उन्नत तकनीकों की अवहेलना की जिससे कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया। औद्योगिक विकास न होने से भी खेती पर ही अधिकांश जनसंख्या की निर्भरता बढ़ी। कृषि इस अतिरिक्त भार को सम्भाल नहीं सकी। नतीजा यह हुआ कि गांव का आर्थिक-सामाजिक ढांचा चरमराने लगा और गांवों में बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकास की धारा अवरुद्ध हो जाने से गांवों में अशिक्षा, बीमारी और अभाव ने डेरा डाल लिया। देश आजाद हुआ तो हालात इस तरह गम्भीर थे।

गांधीजी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई के दौरान ही कांग्रेस ने गांवों की इस स्थिति का गहराई से अध्ययन कर, इस बड़ी समस्या से निपटने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। गांधीजी का दृढ़ मत था कि असली भारत गांव में है और गांवों के उत्थान के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्र भारत की बागडोर सम्भालते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और देश के विकास के सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं में गांवों की खुशहाली को पूरी तरजीह दी। जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि ग्रामीण विकास की समस्या का सीधा ताल्लुक देश की 80 प्रतिशत जनता से है। देश आजाद हुआ तब 82 प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे। अब कुल आबादी में गांवों

की आबादी का दस प्रतिशत घटा है पर चालीस साल के बाद अब भी 73 प्रतिशत लोग गांवों में ही रहते हैं। भारत व भारतीय समाज के बारे में अपनी सहज समझ और दूरदृष्टि से नेहरूजी ने यह बात अच्छी तरह आत्मसात कर ली थी कि गांवों में रहने वाली इतनी बड़ी आबादी की आशा-आकांक्षाओं की अवहेलना करके देश को मजबूत और खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। वे मानते थे कि इतनी बड़ी आबादी को विकास के लाभ से वंचित रखना मानव जाति के साथ अन्याय होगा।

नेहरूजी ने देश के लिए योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया। तीन पंचवर्षीय योजनाएं उनके जमाने में बनीं। हालांकि शुरू के दशक में संसाधनों की बेहद कमी थी और बिजली, इस्पात, सिंचाई, सड़क जैसे आधारभूत ढांचे के लिए ज्यादा धन जुटाने की अनिवार्यता थी। फिर भी इन तीनों योजनाओं में कृषि व ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान दिया गया।

आजादी के बाद सरकार ने देश के आर्थिक-सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए जो योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए उनमें गांवों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने पर पूरा जोर रहा। औद्योगिक विकास की रूपरेखा निर्धारित करते समय भी जवाहरलाल नेहरू ने मध्यम मार्ग अपनाया। वे यह मानते थे कि देश की आजादी की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योग तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन आधुनिकता से कायल होते हुए भी भारतीय संस्कृति और परम्परागत रहन-सहन और मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा और लगाव कायम रहा। अर्थव्यवस्था के बारे में भी उनका समन्वित व सन्तुलित दृष्टिकोण था। आर्थिक कार्यकलाप में निजी क्षेत्र की व्यापक भूमिका स्वीकार करते हुए वे सार्वजनिक क्षेत्र की निर्णायक भूमिका अच्छी तरह समझते थे कि देश के तेजी से विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा तैयार करना है उसका दायित्व सिर्फ निजी क्षेत्र के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है।

कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि जवाहरलाल ने गांधी का रास्ता छोड़कर कृषि व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की और आधुनिकता के अतिशय मोह में भारी उद्योगों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। ऐसा कहना जवाहरलाल के साथ ज्यादती और अन्याय है। उनका जन्म और शिक्षा-दीक्षा शहर में सम्पन्न परिवार में जरूर हुई थी पर भारत के गांव के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान गांवों और उनकी समस्याओं को उन्होंने गहराई से देखा-समझा था। गांव वालों में आजादी का अलख जगाने के लिए वे देहात के ऐसे दूर-दराज क्षेत्रों में भी जाते थे जहां तक सड़कें नहीं थीं। घोड़ा-तांगा और साइकिल की सवारी से भी उन्हें परहेज नहीं था। उन्होंने गांवों की दुर्व्यवस्था और वहां के लोगों की अभावग्रस्त जिन्दगी को नजदीकी से देखा। साथ ही उन्होंने देखा कि अभाव से ग्रस्त गांव के लोगों में अपने और अपने राष्ट्र के सम्मान-स्वाभिमान की रक्षा करने की अन्तर्निहित शक्ति है तभी से उनका यह दृढ़ विश्वास बन गया कि गांवों के विकास और गांवों में रहने वाली अस्सी प्रतिशत जनसंख्या की खुशहाली के बिना देश को समृद्ध और सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए देश के आजाद होने पर अपने भाषण में नेहरूजी ने देशवासियों से ऐसे नवनिर्माण में जुटने का आह्वान किया जिससे "हर भारतवासी को भरपूर अन्न और देश में हर गांव में झोपड़ी हस्तशिल्प के मधुर संगीत से गूंज उठेगी।"

नेहरूजी ने देश के लिए योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया। तीन पंचवर्षीय योजनाएं उनके जमाने में बनीं। हालांकि शुरू के दशक में संसाधनों की बेहद कमी थी और बिजली, इस्पात, सिंचाई, सड़क जैसे आधारभूत ढांचे के लिए ज्यादा धन जुटाने की अनिवार्यता थी। फिर भी इन तीनों योजनाओं में कृषि व ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र के लिए उत्तरोत्तर ज्यादा धन की व्यवस्था की गई। दरअसल नेहरूजी आजादी से पहले से ही योजना प्रक्रिया से जुड़ गए थे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के इक्यावनवें अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने पर सुभाषचन्द्र बोस ने जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जवाहरलाल को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने देश के विकास की जो रूपरेखा तैयार की उसमें भी ग्रामीण विकास और कृषि की उन्नति पर जोर दिया गया था।

जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में शुरू से ही खासकर पंचवर्षीय योजना बनाते समय से ही यह बात साफ थी कि हम उद्योगों का कितना ही विस्तार क्यों न कर लें गांवों में रहने वाली बड़ी जनसंख्या को उद्योगों में रोजगार देना सम्भव नहीं होगा। गांव में रहने वाली पूरी आबादी को सिर्फ कृषि पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारी उद्योगों के साथ ही कुटीर व लघु उद्योगों पर बराबर जोर दिया। 15 दिसम्बर 1952 को लोकसभा में अपने भाषण में नेहरूजी ने स्पष्ट किया कि भारी और कुटीर उद्योगों के बारे में विवाद बेमानी है। देश की आजादी की रक्षा और खुशहाली के लिए भारी उद्योग जरूरी हैं लेकिन देश के करोड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार देने और तत्काल उत्पादन बढ़ाने के लिए गांवों व कस्बों में कुटीर व लघु उद्योगों का जाल फैलाने की आवश्यकता है। वे कहते थे कि हमें योजना पर अमल में या विकास की प्रक्रिया में मानवीय पहलू को बराबर अपने सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा धन कमाना और ज्यादा उत्पादन ही न हो। हमारा अन्तिम लक्ष्य पूरी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और उन्हें बेहतर इन्सान बनाना होना चाहिए।

नेहरूजी ने समाजवाद को आर्थिक विकास का लक्ष्य माना। वे आर्थिक लोकतंत्र की बात करते थे। वे चाहते थे कि आर्थिककानून बनाकर दूर करें। कृषि के क्षेत्र में भी विषमता दूर करने के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ जेहाद छेड़ा और भूमि सुधार कानूनों पर प्रभावी ढंग से अमल करने पर लगातार बल दिया। उनके लिए योजनाओं का मतलब भी ऐसी क्रांति था जो आर्थिक-सामाजिक जीवन में बुनियादी बदलाव लाए। उनका दृढ़ विश्वास था कि कृषि की उन्नति और ग्रामीण विकास के बिना देश की तरक्की नामुमकिन है। इस बात को नेहरूजी ने संसद के भीतर और उसके बाहर हर सभा-सम्मेलन में बार-बार दोहराया ताकि विकास की प्राथमिकताएं तय करते समय किसी के दिमाग में कोई शक-सन्देह न रहे। उन्होंने कहा कि "हम कृषि तथा खाद्य उत्पादन से संबंधित सभी मामलों को पूरा महत्व देते हैं। अगर हमारी कृषि की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो उद्योगों का आधार भी मजबूत नहीं हो सकेगा। अगर खाद्य के मोर्चे पर दरार पड़ गई तो बाकी सारे मोर्चे लड़खड़ा जाएंगे।"

नेहरूजी का दिल गांवों की दुर्दशा और उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखकर द्रवित होता था और उनके दिमाग में बेचैनी होती थी। आजादी के बाद के कुछ सालों में अर्थव्यवस्था पर कई तरह के दबाव थे। आजादी के बाद हमें जो अर्थव्यवस्था मिली वह बिल्कुल खोखली थी। आर्थिक दबावों में ही देश ने विकास की राह पर कदम रखे। आधारभूत ढांचा तैयार करने में ही ज्यादा संसाधन खपने लगे और इन संसाधनों की खपत उसी मात्रा में वास्तविक उत्पादन में प्रतिफलित नहीं हो रही थी। नेहरूजी के आलोचकों ने इस आधार पर भारी उद्योगों और विशाल जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रति उनके आग्रह-भाव की आलोचना की। लेकिन नेहरूजी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाएं तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ को दृष्टि में रखकर बनाई जा रही हैं इसी नजरिए से बनाई जानी चाहिए। भारी उद्योगों में पूंजी-निवेश भी दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है, जो नितान्त जरूरी है। नेहरूजी ने भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना और नागार्जुन सागर जैसी विशाल बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का शुभारम्भ किया क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई और छोटे बड़े उद्योगों के लिए बिजली मुहैया करने को वह सबसे अहम समझते थे। वे कहते थे कि बिजली सबसे जरूरी और क्रांतिकारी उपादान है। बिजली दे दो तो बाकी सब चीजें गति पकड़ लेती हैं। वे चाहते थे कि गांव वाले खेती के उन्नत तरीके अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाएं। उनके लिए कृषि का महत्व इसलिए भी था क्योंकि कृषि से देश की जनता को खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है उद्योगों को कई तरह का कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। साथ ही वे चाहते थे कि गांवों की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा गांवों में ही स्थापित लघु व कुटीर उद्योगों में लगे ताकि गांव की पूरी आबादी का भार खेती-बाड़ी को न उठाना पड़े और गांवों से बेरोजगार लोगों के शहरों की ओर पलायन को भी रोका जा सके। गांवों में कुटीर उद्योगों का जाल फैलाना वे इसलिए भी चाहते थे क्योंकि उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि दीर्घकालिक आवश्यकता को मद्देनजर रखकर शुरू किए जा रहे भारी उद्योगों में न तो ज्यादा आबादी को रोजगार मिल पाएगा और न ही उनसे उत्पादन का तत्काल लाभ मिल सकेगा। वे चाहते थे कि गांवों में कुटीर उद्योगों में भी नई तकनीकें

अपनाई जाए और बिजली तथा नए यन्त्रों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जाए। नई दिल्ली में सितम्बर 1963 में 'विकसित अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण' पर एक गोष्ठी में उन्होंने कहा "गांधीजी जिस बात पर जोर देते थे उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि गांधीजी मशीनों के खिलाफ थे। गांधीजी आम आदमी की भलाई के सन्दर्भ में ही मशीनों की उपादेयता को आंकते थे। क्योंकि आम लोगों को तात्कालिक राहत लघु उद्योगों से मिलती है इसलिए उनका सबसे ज्यादा जोर इन्हीं पर था। यह सर्वथा उचित था।"

देश के नवनिर्माण और देहात के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू यह जरूरी मानते थे कि देशवासियों का दृष्टिकोण बदले। लोग समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझें। उन्हें यह देखकर झुंझलाहट होती थी कि हमारे यहां ऊंचे आदर्शों का बखान सबसे ज्यादा होता है पर उच्चादर्शों और वास्तविक स्थिति में हमारे यहां जितना फर्क है उतना दुनिया में और कहीं नहीं है। सभी देशवासी ईमानदारी से मेहनत करें तभी देश आगे बढ़ता है। वे कहा करते थे कि क्रांति से किसी पुराने शासन को तो बदला जा सकता है पर समूचे राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए तो सब देशवासियों को पसीना बहाना पड़ता है। वे सोवियत संघ, चीन और जर्मनी के लोगों का उदाहरण दिया करते थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर अपने देशों का नव-निर्माण किया। अपने देश में वे पंजाब के लोगों का अक्सर जिक्र करते थे जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार, समाज और अपने राज्य को खुशहाल बनाया। पंजाब में कोई भारी उद्योग नहीं पर पूरे राज्य में समृद्धि आई क्योंकि वहां के किसानों ने खेती में तरक्की की और छोटे उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया। पंजाब के चमत्कार से वे इतने प्रभावित हुए कि देहात में सार्वजनिक सभा से लेकर संसद और राष्ट्रीय विकास परिषद तक की बैठकों में उन्होंने अपने इस दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया कि कृषि ही विकास की कुंजी है। वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहते थे कि शासन तंत्र में कृषि व ग्रामीण विकास को पूरा महत्व दें। वे चाहते थे कि मुख्यमंत्री खुद कृषि और ग्रामीण विकास का काम सम्भालें।

गांवों में विकास और खुशहाली के अपने मन्सूबे को साकार देखने के लिए नेहरूजी ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित किया और गांवों के लोगों को विकास कार्यक्रमों में साझीदार बनाया। वे यह मानते थे कि विशाल जनसंख्या वाले इस देश में जनता की सक्रिय साझेदारी के बिना कोई सरकार विकास कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाएगी। वे सब कामों को अफसरशाही के ऊपर छोड़ने के खिलाफ थे। उन्होंने अफसरशाही और निचले स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की कोशिश की। हालांकि इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू किया। यह कार्यक्रम इलाके के लोगों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्र का समन्वित विकास करने का था। पंचायती राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को वे सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में आवश्यक मानते थे। वे कहते थे कि विकास को गांवों तक पहुंचाने का क्रांतिकारी काम गांवों के लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही पूरा होगा। उनका विश्वास था कि दिल्ली में क्या हो रहा है, उससे नहीं बल्कि साढ़े पांच लाख गांवों में क्या हालत है, उससे ही देश की प्रगति का आकलन किया जाएगा। उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्र की सही उन्नति ऊपर से थोपकर नहीं हो सकेगी। उन्नति लोगों की इच्छाशक्ति और उनके खुद के द्वारा संचालित संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रयासों से ही संभव है। सन् 1959 में गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान में पंचायती राज का श्रीगणेश करते हुए नेहरूजी ने कहा था, "लाखों गांवों के स्तर को उठाना कोई आसान काम नहीं है। इस क्षेत्र में धीमी प्रगति का कारण सरकार पर निर्भरता है। अधिकारी जरूरी हो सकता है क्योंकि वह विशेषज्ञ है। पर विकास तभी संभव है जब लोग स्वयं अपने हाथ में विकास की जिम्मेवारी लें और लोगों के हाथ में प्रभावी शक्ति हो।"

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि की ओर पूरा ध्यान दिए जाने, पंचायती राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर पूरा जोर देने से आजादी के बाद के 17-18 सालों में गांवों की स्थिति में फर्क आया। अंग्रेजी शासन के दौरान जो जड़ता की स्थिति थी वह बदली। कृषि उत्पादन बढ़ा। गांवों में स्कूल, डिस्पेंसरियां और सड़कें बनीं, बिजली पहुंची। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में संतोषजनक वृद्धि हुई। 1951 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये थी जो पहली योजना की समाप्ति पर 281 रुपये और दूसरी योजना की समाप्ति तक 331 रुपये हो गई। कृषि उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा। गांवों के लोगों के रहन-सहन में भी फर्क आया। आजादी के बाद के

पन्द्रह साल में गांवों में जितने स्कूल बने उतने पहले के पचास-सौ साल में भी नहीं बने थे।

लेकिन गांधीजी और नेहरूजी ने जिस तरह के सर्वांगीण ग्रामीण विकास की कल्पना की थी वह अभी तक नहीं हो सका है। नेहरूजी ने 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करते समय अत्यंत महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे। पर बेहतर कोशिश करने पर भी उनमें से ज्यादा लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। गांवों में स्वच्छ पानी और सफाई की उचित व्यवस्था करने में पूरी सफलता नहीं मिली। इसका उन्हें दुख था। सन् 1963 में एक गोष्ठी में उन्होंने कहा कि "मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि भारत में अब भी ऐसे इलाके हैं जहां पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अब तक के सारे प्रयासों के बावजूद हम यह नहीं कर पाए। एक घड़ा पानी लाने के लिए लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता है।" तब नेहरूजी ने कहा था कि गांवों में साफ पानी मुहैया करने के काम पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। बाद में इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई और ऐसी उम्मीद है कि 1991 तक सभी गांवों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सफाई और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में स्थिति अभी भी खराब है। 1981 तक एक प्रतिशत आबादी को भी सफाई की पर्याप्त सुविधा मयस्सर नहीं थी।

असल में नेहरूजी के जमाने में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी शुरूआत के कुछ सालों को छोड़कर बाद में ज्यादा जोर कृषि विस्तार कार्यक्रमों पर ही दिया जाने लगा। तात्कालिक और व्यक्तिगत लाभ को मद्देनजर रखकर गांव वालों ने इसे अधिक अन्न उपजाओं कार्यक्रम के रूप में ही सफल बनाया। गांवों के समग्र विकास और गांवों वालों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए जरूरी काम पिछड़ गए। पंचायतों में भी राजनीति का दबदबा हो गया और वे गांवों के विकास में उत्प्रेरक की

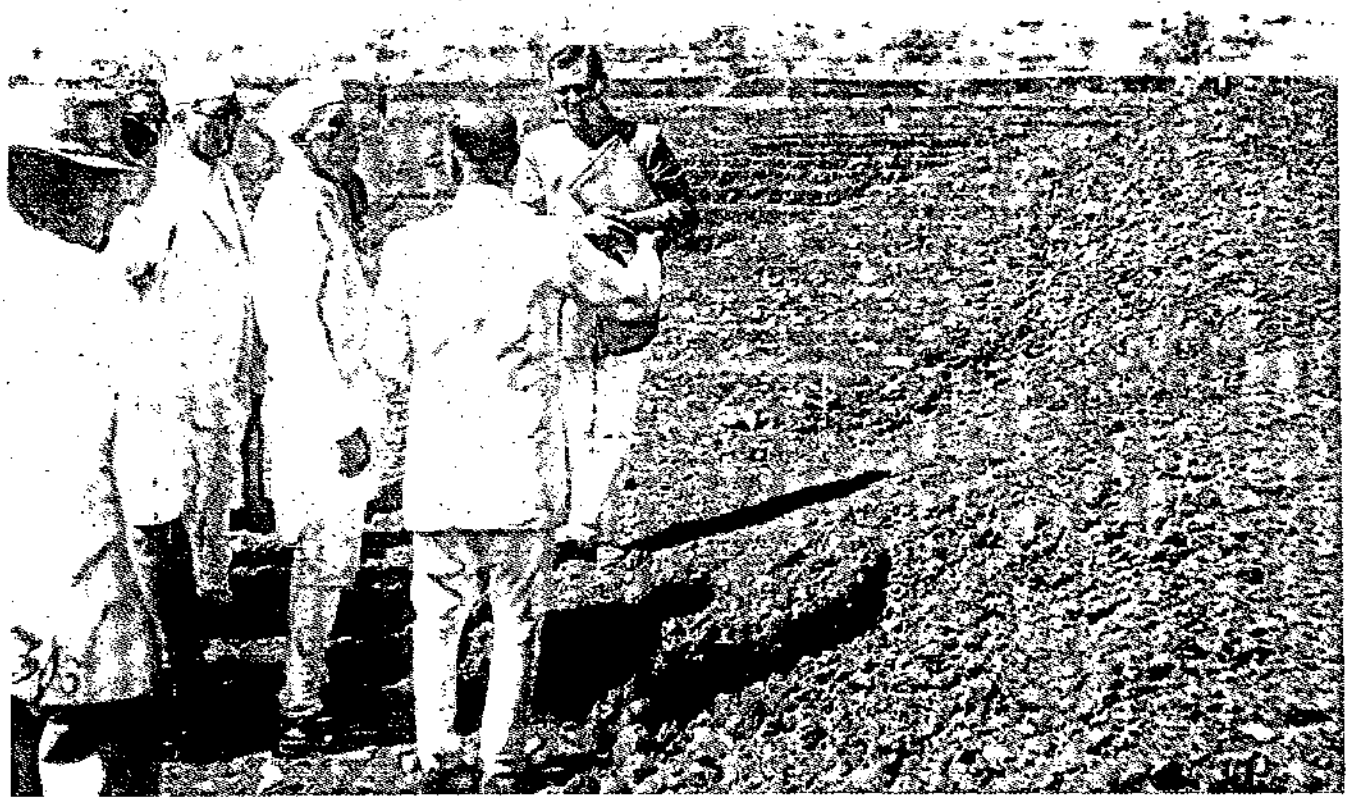

वह भूमिका न निभा पाई जिसकी उनसे अपेक्षा थी।

इसका बड़ा कारण शिक्षा की कमी और गांवों के लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव न आ पाना था। लोगों में खुद पहल करने और आगे बढ़ने का जब तक रुझान पैदा नहीं होगा पूरा समुदाय उन्नति नहीं कर सकता। नेहरूजी ने इसीलिए शुरू से ही लोगों को शिक्षित करने और उनका दृष्टिकोण बदलने पर जोर दिया था ताकि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को वे सरकारी न समझें। लोगों में खुद ही आगे बढ़ने की रुझान पैदा हो तभी बात बनती है। गांवों की अर्थव्यवस्था में ज्यादा रुपया झोंक देना या अच्छे कार्यक्रम बनाना ही जरूरी नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए यह भी जरूरी है कि गांवों के लोगों में विकास की तमन्ना भीतर से उभरे और वे उन कार्यक्रमों में पूरी तरह सक्रिय व सचेतन रहें।

नेहरूजी के बाद सरकार ने उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ग्रामीण विकास और गांवों में रोजगार उपलब्ध करने के अनेक कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर शुरू किया है। नेहरूजी के जमाने में संसाधनों की कमी थी। लेकिन सीमित संसाधनों से ही नेहरूजी ने ग्रामीण विकास की मजबूत बुनियाद देशभर में डाल दी थी। आज ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सरकार हर साल अरबों रुपया खर्च कर रही है। दर्जनों नए कार्यक्रम चल रहे हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज के इन कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन और इनकी सफलता के लिए आधारभूत ढांचा जवाहरलाल नेहरू ने ही तैयार किया था।

जवाहरलाल नेहरू ने 'आराम हराम है' का नारा दूसरों के लिए ही नहीं दिया था। वे खुद भी कभी चैन से नहीं बैठे। दिन-रात देश की चिन्ता और उसकी खुशहाली के लिए वे काम में मग्न रहते थे। जिन्दगी के आखिरी दिनों में भी उन्हें ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की चिंता थी। काफी काम इस दिशा में हुआ था। पर वे उतने से सन्तुष्ट नहीं

नेहरूजी ने इसीलिए शुरू से ही लोगों को शिक्षित करने और उनका दृष्टिकोण बदलने पर जोर दिया था ताकि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को वे सरकारी न समझें। लोगों में खुद ही आगे बढ़ने की रुझान पैदा हो तभी बात बनती है। गांवों की अर्थव्यवस्था में ज्यादा रुपया झोंक देना या अच्छे कार्यक्रम बनाना ही जरूरी नहीं है।

थे। उन्हें लगा कि मौजूदा नौकरशाही से गांवों का विकास नहीं हो पाएगा। गांवों के लिए पृथक प्रशासनिक कैडर की बात भी वे सोचते थे। अपने देहान्त से एक महीना पहले उन्होंने सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस.के. डे को आधी रात अपने घर बुलाया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज व्यवस्था की चिन्ता उनके दिमाग में थी। उन्होंने डे से पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी चल रही है। डे के यह कहने पर कि इसके सुदृढ़ होने में पांच साल और लगेंगे, नेहरूजी ने व्यग्रता के साथ कहा, "अब वक्त नहीं है। मेरे दोस्त, अब वक्त नहीं है।" उनके अवसान के बाद पंचायती राज व्यवस्था और जर्जर हुई। यह अच्छी बात है कि नेहरू जन्मशताब्दी वर्ष में उनके नाती राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सार्थकता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। और भी अच्छा हो कि इन कार्यक्रमों के अमल में पूरी सतर्कता बरती जाए और पिछली गलतियों से बचा जाए ताकि समग्र ग्रामीण विकास का जो सपना जवाहरलाल ने संजोया था वह पूरा हो।

डी-63 गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049

आदिवासी संस्कृति से पण्डितजी को गहरा प्यार था

डा.बी.एन. सहाय
संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण विकास)
योजना आयोग

आदिवासी विकास कार्य ग्रामीण विकास से कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के अधिकांश भागों में आदिवासी लोग उतने ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए निर्धन और अनपढ़ हैं जितने कि गांव के लोग। लेखक के अनुसार नेहरूजी को आदिवासी विकास की समस्याओं में गहरी रुचि थी और उन्होंने इन्हें हल करने के लिए पांच मूल सिद्धान्त तय किए। लेखक ने, जिसे देश के विभिन्न भागों में आदिवासी विकास कार्य से काफी समय तक जुड़े रहने का मौका मिला है, संक्षेप में इन सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए नेहरूजी के पांच सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में आदिवासी क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए रूप रेखा प्रस्तुत की है। लेखक का पक्का विश्वास है कि अब हम आदिवासी विकास के बारे में नेहरूजी के विचारों को अपनायें और उन पर चलें तो यह उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

हमारे देश में लगभग पांच करोड़ चालीस लाख आदिवासी हैं जो भारत की जनसंख्या का लगभग आठ प्रतिशत है। आमतौर पर इन लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, माहौल, अर्थव्यवस्था, धर्म, भाषा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा जातियां अन्य जातियों से अलग हैं। साथ ही इनमें ऊपर बताए गए मामलों में क्षेत्रीय असमानताएं और विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं और कई भाषाई ग्रुपों में बंटे हुए हैं। इनमें से अधिकांश दूरदराज के पहाड़ी इलाकों और जंगलों में रहते हैं और तकनीकी विकास के निचले स्तर पर हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने, बहुत ही निर्धन, अनपढ़ और अपनी अनेक जटिल समस्याओं के कारण सरकार उनकी ओर विशेष ध्यान दे रही है और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना अवधि के दौरान उनके विकास के लिए कारगर उपाय किए गए हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग आदिवासी के विकास के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें आदिवासी जीवन और संस्कृति की पूरी जानकारी हो जिससे वह सही और सबसे कारगर तरीका अपना सकें।

जैसा कि कहा गया है, हमारे देश के आदिवासी समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं। जो आदिवासी खाने-पीने का सामान इकट्ठा करके और शिकार करके अपना गुजारा करते हैं उनकी समस्याएं उन आदिवासियों से बिल्कुल अलग हैं जो झूम खेती कर रहे हैं। इसी तरह झूम खेती करने वाले आदिवासियों की समस्याएं उनसे अलग हैं जिन्होंने खेती को अच्छी तरह अपना लिया है। भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न विकास

योजनाओं को स्वीकार करने में समुदाय की तैयारी अलग-अलग होने के कारण उनकी समस्याएं भी विभिन्न हैं और उन्हें हल करने के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं। यह स्वाभाविक है कि समस्याएं अलग-अलग हैं तो उनको हल करने का कोई निश्चित या कड़ा रुख अपनाया नहीं जा सकता। यह दृष्टिकोण समस्याओं के अनुरूप बदलेगा और समाधान एक न होकर अनेक होंगे। अतः सफल कार्यकर्ता को उन आदिवासियों की समस्याओं को ध्यान से समझना होगा जिनके बीच वह काम कर रहा है। जब भी किसी आदिवासी समुदाय की समस्याओं को उसके सांस्कृतिक, सामाजिक ढांचे तथा आदिवासी जीवन में उसके महत्व को समझे बिना हल करने की कोशिश की गई तो सफलता आंशिक ही रही, क्योंकि इन्हीं कारणों से विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। साथ ही जब भी हमने सामाजिक, आर्थिक परिवेश को विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करके और उनका विश्लेषण करके विकास कार्य किया तो इससे विकास और परिवर्तन की गति काफी तेज हुई, इस सिलसिले में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया संदेश काफी सार्थक है।

नेहरूजी का दृष्टिकोण

नेहरूजी आदिवासी विकास की समस्याओं को बड़ी गहराई से देखते थे और आदिवासी जनजीवन और संस्कृति से उन्हें गहरा प्यार था। यह बात वेरियर एल्विन्स की 'ए फिलासफी फार नेफा' की प्रस्तावना में स्पष्ट है।

उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए पांच मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इन मूल सिद्धान्तों – आदिवासी विकास के पंचशील पर विचार करें। नेहरूजी ने कहा था, "हम आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में ढुलमुल नीति से या उनमें रुचि लेकर काम नहीं चला सकते। हमें इन क्षेत्रों में काम काज के सरकारीकरण या बाहर के लोगों को अधिक मात्रा में आदिवासी इलाके में भेजने से बचना चाहिए। हमें इन दो सीमाओं के बीच काम करना है। यहां विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किया जाना है– जैसे संचार व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा और खेती में सुधार। लेकिन ये विकास कार्य इन पांच मूल सिद्धान्तों के व्यापक दायरे में किया जाना चाहिए।"

1. लोगों का विकास उनकी सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए और हमें उन पर कोई भी बात थोपने से बचना चाहिए। हमें उनकी परंपरागत कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह इस सिद्धान्त के अनुसार हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उनके स्वरूप और प्राकृतिक विकास के विरुद्ध हो। साथ ही लोगों पर ऐसा कोई काम करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए जिससे उनकी कला, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचे।

2. आदिवासियों के भूमि तथा वन अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इस सिद्धान्त का लक्ष्य आदिवासी समुदायों को साहूकारों के शोषण से बचना और आदिवासी परिस्थितियों के अनुसार वन कानूनों में परिवर्तन करना है। हालांकि इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है। इन लोगों को साहूकारों के चंगुल से बचाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि ये लोग अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पैसा लेने इनके पास जाते हैं।

3. हमें प्रशासन और विकास का कार्य करने के लिए उन्हीं के लोगों को प्रशिक्षित करके टीम बनानी चाहिए। हालांकि बाहर के कुछ तकनीकी कर्मचारियों को रखना आवश्यक होगा लेकिन कम से कम शुरू में आदिवासी इलाके में अधिक संख्या में बाहरी लोगों को भेजने से बचना चाहिए। यह सिद्धान्त यह सोच कर निश्चित किया गया है कि अगर आदिवासी समुदाय के अधिकारी को उसके ही इलाके में तैनात किया जाता है तो उसे भाषा या लोगों का विश्वास प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वह

नेहरूजी आदिवासी विकास की समस्याओं को बड़ी गहराई से देखते थे और आदिवासी जनजीवन और संस्कृति से उन्हें गहरा प्यार था। यह बात वेरियर एल्विन्स की 'ए फिलासफी फार नेफा' की प्रस्तावना में स्पष्ट है।

उनके विचारों को, रीति-रिवाजों, आदतों आदि को आसानी से समझ सकेगा तथा उनके विकास के लिए सही योजनाएं तैयार कर सकेगा ताकि वह अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करेगा। इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव

मिला-जुला है। देखा गया है कि कुछ समझदार गैर-आदिवासी अधिकारी आदिवासी इलाकों में आदिवासी अफसरों से कहीं अधिक सफल और लोकप्रिय साबित हुए लेकिन उनकी सफलता का राज यह था कि वह अपने काम में निष्ठावान, सही और ठीक तरीके से काम करने वाले थे और आदिवासी जन-जीवन तथा संस्कृति से उन्हें लगाव था जबकि कुछ मामलों में आदिवासी अधिकारी बेमन से काम करते थे और उन्होंने अपने लोगों की समस्याएं न तो ठीक से समझी और न सही रवैया अपनाया। साथ ही सेवा की शर्तें कुछ इस प्रकार की हैं कि एक अच्छा आदिवासी अधिकारी अपने इलाके में ज्यादा समय नहीं रह सकता, क्योंकि उसका तबादला हो सकता है।

4. हमें इन इलाकों में न तो प्रशासन अधिक लादना चाहिए और न ही यहां बहुत-सी योजनाएं चलानी चाहिए। हमें उनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थानों से प्रतिस्पर्द्धा न करके उनके सहयोग से कार्य करना चाहिए। इस सिद्धान्त का निष्कर्ष यह है कि आदिवासी विकास की योजनाएं कम से कम शुरू में, बहुत ही आसान होनी चाहिए और कुछ निश्चित कार्यक्रमों को लिया जाना चाहिए जिनका लोगों की वास्तविक जरूरतों पर असर पड़े। यह ध्यान रखना होगा कि आदिवासी बहुत से विचार एक साथ नहीं अपना सकते। एक साथ कई योजनाएं चलाने या जल्दबाजी करने से सारा कार्यक्रम चौपट हो जाता है। कार्यक्रम का महत्व समझने के लिए आदिवासियों को समय दिया जाना चाहिए। साथ ही इस सिद्धान्त का अर्थ यह भी है कि कार्य उनकी परम्परागत संस्थाओं – जैसे पंचायतों, युवा वर्ग, इलाज करने वालों आदि से स्पर्द्धा न करके उनके सहयोग से किया जाना चाहिए। सही कहा गया है कि जब भी इन संस्थानों से मुकाबला करके काम करने की कोशिश की गई, मुंह की खानी पड़ी है।

5. परिणामों को आंकड़ों या खर्च किए गए धन से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि मानवीय पहलू के स्तर से परखा जाना चाहिए। इस सिद्धान्त के लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। परिणामों को आंकड़ों से आंकने वाले सभी यह बात अच्छी तरह समझते हैं। जब तक इस व्याधि का सही विश्लेषण न किया जाये और इस पर उचित ध्यान न दिया जाये, कोई ठोस परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब तक ऐसा न कहा जाए लक्ष्य पूरे न कर पाने के आतंक से प्रभावित निचले स्तर के अधिकारी अपनी प्रोमेशन आदि से वंचित रहना नहीं चाहेंगे।

पूरे विचार विमर्श का निष्कर्ष यह निकलता है कि आदिवासियों की सेवा करने के लिए जरूरी है कि निष्ठा से कार्य किया जाये और समझ का सही दृष्टिकोण अपनाया जाये। नेहरूजी ने यह भी सलाह दी "आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकारी को आदिवासी जनजीवन का अंग बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह उनकी झोपड़ियों में जा सके, उनसे बात कर सके, उनके साथ खा सके, धूम्रपान कर सके और अगर जरूरत हो तो उनके बीच रह सके। क्योंकि अपने आप को उनसे ऊंचा या अलग समझे बिना ही उनका विश्वास और आदर प्राप्त करके उन्हें सलाह दे सकता है।

ऊपर बताए गए अनुच्छेदों में नेहरूजी के पांच मूलभूत सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में लेखक को इन्हें मुरछू गांव में सैद्धांतिक रूप में परखने का अवसर मिला। लेखक बिहार में रांची के 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ओरांव आदिवासी कबीलों के गांव मुरछू में 1961 से 1968 के बीच कार्यरत था। हालांकि जिस तरह उसने अपने आप को समुदाय के साथ ढाल लिया और विकास कार्य को बढ़ावा दिया उसके कुछ ही समय में की गई प्रगति का उसने जायजा लिया है। संतोष का अनुभव किया। यह सही है कि वह कोई निश्चित आंकड़े प्राप्त करने की दिशा में सफल नहीं हो सका। उसने लोगों के रवैये में परिवर्तन लाने की कोशिश करके मानवीय व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जिससे प्रगति का चक्र वहां पर न लौटने पाए। लेकिन परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि एक गांव में काफी समय लगाया गया और एक गांव में हम इतना समय नहीं दे सकते। इसके उत्तर में उनका कहना है कि सभी गांवों को विकसित करने के साथ-साथ विकास दल को शुरू में कुछ गांवों को चुनना चाहिए और नेहरू द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों के अनुसार लोगों से सम्पर्क करना चाहिए। आमतौर पर किसी भी आदिवासी गांव का विस्तार 25 किलोमीटर तक होता है इसलिए इन चुने हुए गांवों से विचार फूट कर बाहर की ओर फैलेंगे। उसने इस बात पर बल दिया है कि आदिवासी विकास कार्य में लगे लोगों को इस काम के लिए तैनात किए जाने से पहले आदिवासी जनजीवन और संस्कृति की उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका सुझाव है

कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों तथा आदिवासी अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं से फायदा उठाया जा सकता है। आदिवासी विकास संबंधी प्रशिक्षण की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संस्थानों को साज सामान और उपकरणों से लैस किया जा सकता है। इस संबंध में प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना पहला कदम होगा।

मूल सिद्धान्त निश्चित करना

हालांकि स्थिति को सभी पहलुओं से समझे बिना समस्या का समाधान करना और इसे हल करने के सुझाव देना मुश्किल है लेकिन काम के दौरान अनुभव और नेहरूजी के पांच मूल सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए कुछ सिद्धान्त जरूर तय किए जा सकते हैं। इनमें निम्न शामिल हैं :—

1. किसी भी आदिवासी क्षेत्र में काम शुरू करने से पहले वहां के समुदाय के विभिन्न सामाजिक ग्रुपों का पता लगाना होगा और उनके तौर-तरीकों को समझना होगा, जिनमें उनके विभिन्न आर्थिक और सामाजिक संस्थान, रीति रिवाज आदि शामिल हैं।

2. कार्यकर्ता को जल्दी से जल्दी उनकी भाषा या बोली का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वे लोगों को नजदीक आ सके।

3. वैज्ञानिक तरीके और लोगों से जान पहचान बढ़ा कर उसे उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे नम्रता से पेश आना चाहिए और यदि वे मेहमाननवाजी करें तो खाने-पीने की चीजों को स्वीकार करना चाहिए। उनके रहन-सहन के तरीकों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इससे जान पहचान बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4. इन लोगों का विश्वास प्राप्त करने के बाद उनकी जरूरतों का अंदाजा प्राप्त करके लोगों के सहयोग से गांव की एक योजना तैयार की जा सकती है। जल्दबाजी से काम करना खराब होता है और आदिवासी क्षेत्रों में इससे हमेशा बचा जाना चाहिए। कार्यकर्ता को आहिस्ता-आहिस्ता तेजी लानी चाहिए जिसका अर्थ है कि समय की अनदेखी किए बिना उसे सतत् रहना है। ज्यों ही उचित अवसर मिले अपना वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करे। सफल कार्यकर्ता वही है जो इंतजार करता है, देखता है और समस्या को समझने के बाद वैज्ञानिक आधार पर इसका ध्यान से विश्लेषण करके स्वयं इसका समाधान खोजता है।

5. जहां तक संभव हो, एक साथ कई बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए। उनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ निश्चित कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

6. नए विचार लाते समय इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि परंपरागत सामाजिक संस्थानों से टकराव न करके उनके सहयोग से कार्य किया जाये। अगर आवश्यक हो तो लाभदायक संस्थानों को फिर सक्रिय करने की कोशिश करनी चाहिए।

7. काम के अनुसार उसके लिए सही नेता चुना जाना चाहिए। गलत या नकली नेताओं के चुनाव से कार्यक्रम तो नष्ट होगा ही, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। हालांकि सही नेता के चुनने में समय लग सकता है परन्तु इसके अलावा कोई चारा नहीं है।

8. नए विचारों को लाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे परंपरागत विचारों के खिलाफ न हों। अगर पुराने और नए विचारों में तालमेल न बिठाया गया तो इसे अपनाने की उम्मीद धरी रह जाएगी।

9. मानव और भौतिक साधनों को तभी सक्रिय बनाया जा सकता है जब कार्यक्रम लाभदायक हो और लोगों को अच्छा लगे। इस पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए।

10. अगर कार्यकर्ता का विचार है कि कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के लिए अच्छा है तो उसे बार-बार लोगों को समझा कर प्रेरित करना चाहिए।

11. जहां तक संभव हो, सर्वेक्षण और शोध कार्य सही

उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर यह उचित ही है कि हम इस बात का जायजा लें कि आदिवासी विकास के लिए नेहरूजी द्वारा बताए गए पांच मूल सिद्धान्तों को हम कितना आत्मसात कर पाए हैं। इससे हम आदिवासियों के विकास के लिए जो कि नेहरूजी को बहुत ही प्रिय था, पांच मूल सिद्धान्तों के आधार पर भविष्य का मार्ग भी निश्चित कर सकेंगे।

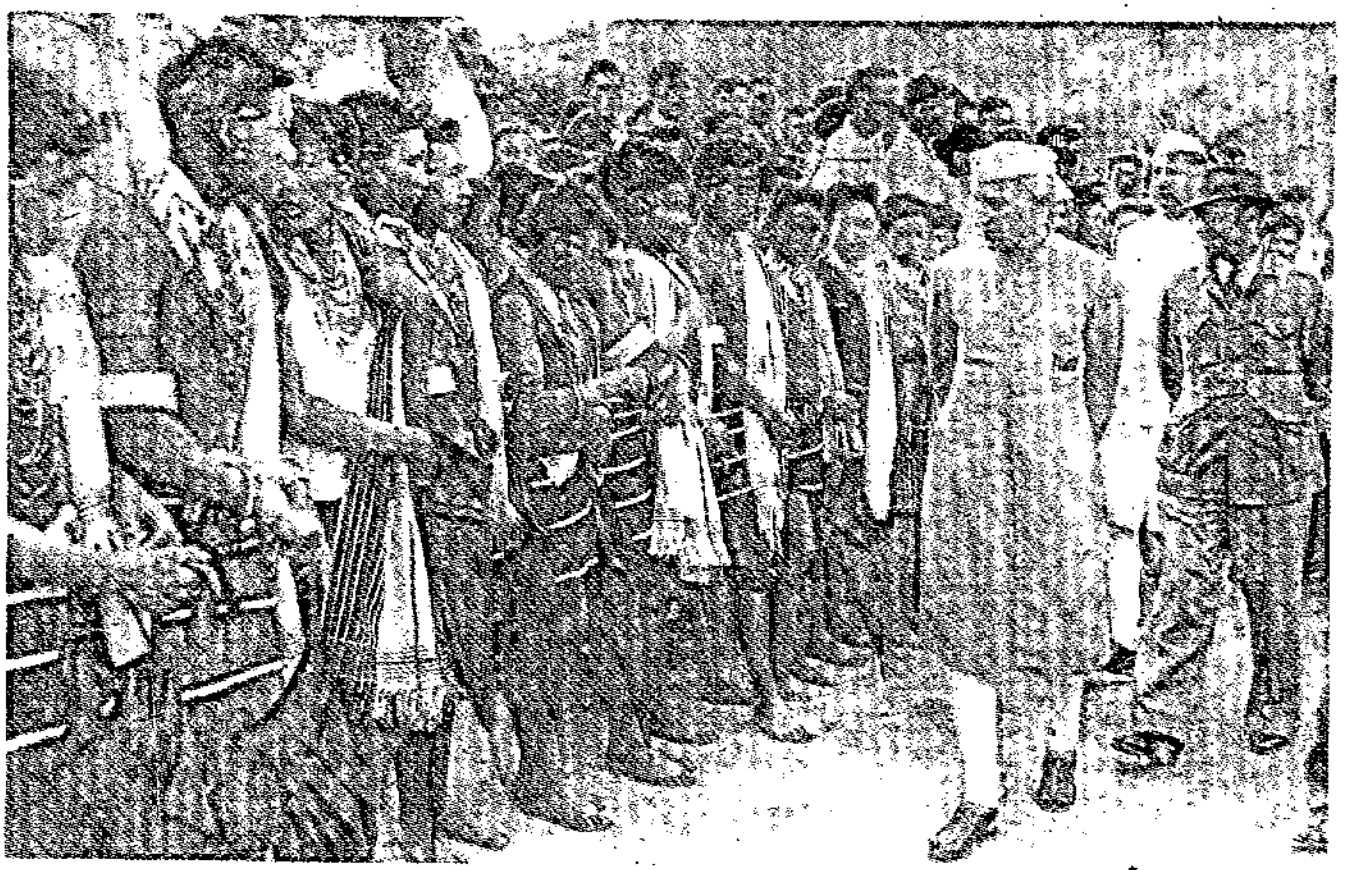

आदिवासियों के साथ नेहरूजी

ढंग से प्रशिक्षित खण्ड कर्मचारियों, आदिवासी विकास संस्थानों, राज्य आदिवासी विकास संस्थानों और विश्वविद्यालय के मानव विकास और समाज विज्ञान के विभाग द्वारा किए जाने चाहिए। इनके निष्कर्षों को उचित महत्व दिया जानना चाहिए और जहां तक व्यावहारिक हो लागू किया जाना चाहिए।

12. अंत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सफलता का राज कार्यकर्ता की निष्ठा पर निर्भर करता है। हालांकि यह काफी मुश्किल दिखाई पड़ता है लेकिन अगर कार्यकर्ता में आदिवासियों के प्रति सहानुभूति और सच्चा प्यार है तो यह समर्पण की भावना स्वयं उसमें निहित है।

उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर यह उचित ही है कि हम इस बात का जायजा लें कि आदिवासी विकास के लिए नेहरूजी द्वारा बताए गए पांच मूल सिद्धान्तों को हम कितना आत्मसात कर पाए हैं। इससे हम आदिवासियों के विकास के लिए जो कि नेहरूजी को बहुत ही प्रिय था, पांच मूल सिद्धान्तों के आधार पर भविष्य का मार्ग भी निश्चित कर सकेंगे।

इस महत्वपूर्ण वर्ष में हम नेहरूजी के शब्दों को दोहरायें "योजना बनाना, निर्देशन आयोजित करना और समवन्य करना आवश्यक है लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना और भी जरूरी है जिनसे नीचे से लगातार विकास संभव हो सके।" अगर हम आदिवासी विकास के लिए नेहरूजी के विचारों को ध्यान करके इन पर अमल कर सकें तो ये उन्हें सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अनुवाद : दिनेश कुमार जैन
बी.एम–5/डी.डी.ए फ्लेट, मुनीरका
नई दिल्ली-61

ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक: जवाहरलाल नेहरू

सुबह सिंह यादव

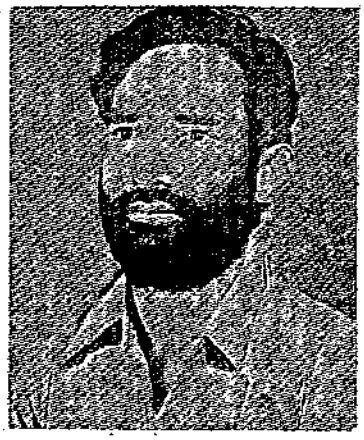

लेखक ने नेहरूजी की ग्रामीण विकास में आस्था की चर्चा करते हुए कहा है कि आज जो भी ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वे नेहरूजी द्वारा बनाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रभावित होते हैं। लेखक ने मृतप्राय पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारिता आन्दोलन को पुनर्जीवित करने का श्रेय नेहरूजी को देते हुए लिखा है कि नेहरूजी बड़े उद्योगों का समर्थन करते थे परन्तु उन्होंने कभी भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को नजरंदाज नहीं किया। नेहरूजी ग्रामीण विकास में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को जानते थे। वे कहते थे कि यदि गांवों के लोग साक्षर होंगे तो उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन होगा।

नेहरूजी की ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन में विशिष्ट रुचि थी। गांवों में रहने वाले निम्न आय वाले लोगों के जीवन स्तर को आत्मस्फूर्त बनाना उनका दूरगामी दृष्टिकोण था। ऐसा मूलतः उनके मानवीय संवेगों तथा विकास उन्मुख दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ। उत्पादन में वृद्धि तथा समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार करने हेतु नेहरूजी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के रचयिता थे। आज गरीबी उन्मूलन एवं त्वरित ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, वे न्यूनाधिक मात्रा में 1952 में उनके द्वारा आरम्भ किए गए उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्निग्ध एवं परिमार्जित स्वरूप हैं; जिसके अन्तर्गत गांवों में विकास व विकास सेवाओं का जाल बिछाया गया था और फलस्वरूप ग्रामीण जनता में जागृति उत्पन्न की गई तथा साठ के दशक के मध्य में कृषिगत क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन लागू किये गये।

ग्रामीण विकास के मूल उद्देश्य से प्रेरित होकर नेहरूजी ने अपनी आर्थिक नीति के विस्तृत ढांचे में मध्यम मार्ग को अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि ग्रामीण प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति विकास की समझौतावादी रणनीति में निहित है। शायद इसी तथ्य की सघनता के कारण उन्होंने विनियोग प्राथमिकताओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं दरिद्रता उन्मूलन को अपने कार्यक्रमों में आगे रखा तथा भारी उद्योगों की स्थापना के समान्तर लघु उद्योग और कृषि को भी सम्बल प्रदान किया और इनके पूरक के रूप में नदी घाटी योजनाओं को क्रियान्वित किया।

नेहरूजी ने अपने चिन्तन के विभिन्न सोपानों में ग्रामीण विकास को निम्नांकित प्रयासों द्वारा नये आयाम प्रदान किये:–

1. आर्थिक नियोजन – नेहरूजी भारतीय आर्थिक नियोजन के संस्थापक हैं। 1938 के अन्त में उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की और इसी समिति द्वारा सर्वप्रथम स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या पर भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित करने हेतु एक कारगर विकास व्यूहरचना का सुझाव दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में नेहरूजी की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका कार्य देश के भौतिक, पूंजीगत व मानवीय साधनों की जांच करना और इसके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण व सन्तुलित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना रखा गया था। नेहरूजी ने योजना के प्रथम 14 वर्षों में भारतीय नियोजन का मार्गदर्शन किया और प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माता बनें।

नेहरूजी सामुदायिक विकास परियोजनाओं को भारत की अगमगाती, जीवन से परिपूर्ण एवं प्रातैगिक चिनगारियां कहा करते थे जिसमें शक्ति, आशा व उत्साह की किरण फूटती है। इस सारगर्भित लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्तूबर, 1952 से 1955 तक चुनी हुई परियोजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य "जाति उन्मुख परम्परागत समाज को समाज उन्मुख समाज" में परिवर्तित करना था ताकि जाति की जगह समाज को ऊँचा स्थान मिले।

नेहरूजी युगीन नियोजन का सार यह था कि भारी उद्योगों का विकास घरेलू क्षेत्र में उपयोग वस्तुओं में विकास से सम्बद्ध हो और इसी धारणा के फलस्वरूप लघु उद्योग तथा कृषि को महत्व दिया गया, जो उपभोग वस्तुओं के प्रमुख स्रोत थे। 1977 के उतरार्द्ध तक भारतीय अर्थव्यवस्था नेहरूजी की उस नियोजन व्यूहरचना पर आधारित रही, जिसे लोक प्रिय रूप से 'विकास का नेहरू मॉडल' कहा जाता है। इस मॉडल ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। इसके मुख्य चार अवयव थे:–

1. कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो ताकि देश में विपुल मात्रा में सुरक्षित भण्ड़ारों के साथ-साथ खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इस संबंध में उनका कहना था "....कृषि उन्नति एवं प्रगति के बिना औद्योगिक प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती ....प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जब तक हम कृषि में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम उद्योगों में भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमें खाद्यान्नों का आयात करना है तो हम प्रगति के क्षेत्र में पिछड़ जायेंगे। हम खाद्यान्न व मशीनरी दोनों आयात नहीं कर सकते।"

2. आधारित संरचना का विकास-जिसके अन्तर्गत सिचाई, शक्ति, यातायात तथा संचार को उन्होंने प्रमुख रूप से निर्दिष्ट किया था।

3. ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान व तकनीक का योगदान जिससे परम्परागत व आधुनिकता के सम्मिश्रण से वे ग्रामीण भारत के भाग्य विधान को संवारना चाहते थे।

4. गरीबी उन्मूलन -नेहरूजी का मत था कि दुनिया में गरीबी-अमीरी को सर्वत्र खतरा है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन एवं असमानता को कम करके एक सामाजिक न्याययुक्त समाज का सोपान रचाया। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी को दूर करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्त्तव्य है और ग्रामीण भारत की बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार प्राप्त जनता की कठिनाईयों को कम करना हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। इसलिए उनके मत में "हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासी जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारी अधिकांश देशवासियों की भलाई व प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होने चाहिए।"

नेहरूजी का मत था कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का संबंध मूलतः अर्थव्यवस्था की संरचना या ढ़ाचे से है। वे कृषि क्षेत्र की छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार से भी विज्ञ थे। इसलिए उन्होंने कहा "बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से उनके नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और यह हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर पाते ...। परन्तु हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं काम की गारन्टी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हाथ से काम करने को बुरा नहीं

समझता।" नेहरूजी उपर्युक्त सांकेतिक तथा दूरदर्शी व्यूहरचना के अनुरूप आज हमारे देश में ग्रामीण विकास की मुख्य धारा में ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की गई है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

नेहरूजी सामुदायिक विकास परियोजनाओं को भारत की जगमगाती, जीवन से परिपूर्ण एवं प्रावैगिक चिनगारियां कहा करते थे जिसमें शक्ति, आशा व उत्साह की किरण फूटती है। इस सारगर्भित लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्तूबर, 1952 से 1955 तक चुनी हुई परियोजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य "जाति उन्मुख परम्परागत समाज को समाज उन्मुख समाज" में परिवर्तित करना था ताकि जाति की जगह समाज को ऊँचा स्थान मिले।

आरम्भ में 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था थी। एक से दो वर्ष की अवधि के बाद राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों में कुछ को सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ले लिया गया था और अप्रैल 1958 से सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अन्तर नहीं रहा। नेहरूजी के प्रयासों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम दो अवस्था में (प्रत्येक की अवधि 5 वर्ष) रखा गया। प्रथम अवस्था से पूर्व एक वर्ष की विस्तार पूर्व सेवा भी रखी गई थी जिसमें कृषि की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया था। प्रारम्भ का 55 परियोजनाओं में 300 गांव व लगभग 2 लाख व्यक्ति शामिल किये गये।

इस उदान्त कार्यक्रम के चार मुख्य उद्देश्य थे:— 1. ग्रामीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करना, 2. सहकारी ढंग से काम करने की आदत डालना, 3. उत्पादन में वृद्धि एवं 4. रोजगार में वृद्धि करना।

नेहरूजी इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलम्बी लोकतंत्र को गहराई से रोपित करना चाहते थे, अतः उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांवों में अनेक प्रकार का विस्तार, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि, सस्ते आवासीय मकानों का निर्माण, वृक्षारोपण, भूमि सुधार, सड़क निर्माण, समाज कल्याण आदि कार्यक्रमों में उत्पादन एवं सामाजिक कल्याण के जुड़वा उद्देश्यों पर बल दिया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5011 विकास खण्ड स्थापित किये गये जिसमें प्रत्येक में लगभग 100 गांव -एक लाख की जनसंख्या शामिल की गई। देश में 216051 ग्राम पंचायतें, 4521 पंचायत समितियां व 291 जिला परिषदें स्थापित की गईं। कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई और जिलों में कार्यक्रम जारी रखने के लिए जिला परिषदों की स्थापना की गई। खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों का निर्माण किया गया। इनमें जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का उद्देश्य यह था कि सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि मिलजुलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें। ग्राम स्तर पर एक ग्राम सेवक नियुक्त किया गया जिसको बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता के रूप में परियोजित किया गया।

बलवन्तराय मेहता समिति (1957) ने कार्यक्रम की सफलता हेतु लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जनता द्वारा योजना बनाने, सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा ग्राम विकास संघों में समन्वय स्थापित करने, कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाएं समाप्त करने, कृषि एवं ग्रामीण विकास उद्योगों को विकसित करने एवं कर्मचारियों का उचित ढंग से उपभोग करने का सुझाव दिया। इन सुझावों के आधार पर द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास की दो अवस्थाएं कर दी गईं (प्रथम 12 लाख रु. का व्यय व द्वितीय 5 लाख रु. का)। पंचायती राज की स्थापना की गई तथा खण्ड इकाई की योजनाओं पर जोर दिया गया।

पंचायती राज

नेहरू पंचायती राज के हिमायती थे और उन्होंने 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में दीपक प्रज्वलित करके लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारशिला रखी। उनका मत था कि पंचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। हम अब केवल शीर्ष स्तर के ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों से मिलकर संगठित करना है और इन कार्यों में उन लोगों को हिस्सेदार एवं सहभागी बनाना है। नेहरूजी ने 2 अक्तूबर, 1958 को स्थानीय संबंधी केन्द्रीय परिषद में कहा था "पंचायतें हमारे शासनतन्त्र की बुनियाद हैं। यदि यह बुनियाद ठोस व पुख्ता नहीं होती तो

ऊपरी ढाँचा कमजोर रहेगा"। नेहरूजी और श्री एस.के. डे के मस्तिष्क की अनिर्वचनीय लाकेतान्त्रिक उपज वाले इस पंचायती राज ने आज भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। पंचायती राज की महत्ता इस बात से स्पष्ट होती है कि वर्तमान सरकार ने 15 मई 1989 को संसद के पटल पर एक विधेयक प्रस्तुत किया।

यह निर्विवाद है कि नेहरूजी की इच्छानुसार पंचायती राज की स्थापना से कृषिगत उत्पादन को कुछ सीमा तक बढ़ावा मिला है व देश के कुछ भागों में पूँजीगत साधनों के निर्माण में ग्राम की श्रमशक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। सत्ता व शक्ति जनता के चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में पहुंचने से ग्रामीण जनता विकास के कार्यों में अधिक रुची लेती है। इससे विकास अधिक सुनिश्चित हुआ है। दूसरी ओर सरकार ने भी भूमि सुधारों को कार्यान्वित करके एवं साख का सुदृढ़ ढांचा तैयार करके विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करके व्यापक पैमाने पर पंचायती राज जैसे प्रयोग की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है।

विस्तार सेवा

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ ही अक्तूबर 1952 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना भी नेहरूजी के ग्रामीण विकास सम्यक विचारों का प्रतिबिम्ब है। इसकी स्थापना एक ऐसी द्विपक्षीय संचार प्रणाली के रूप में की गई थी जिसके द्वारा प्रयोगशालाओं व प्रक्षेत्रों की खोजों को उपभोक्ताओं-किसानों व अन्य उद्यमियों तक पहुंचाते हैं और दूसरी ओर उनकी समस्याओं को शोध केन्द्रों तक लाया जाता है। इस कार्यक्रम में विकास अधिकारी के निकट सहयोगी विस्तार अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ विस्तार अधिकारी रखे गये थे। इसी कारण कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, पंचायत आदि के लिए अलग-अलग विस्तार अधिकारियों का प्रावधान रखा गया। इनके अतिरिक्त औसतन 100 गांव वाले एक विकास खण्ड में 10 ग्राम सेवक भी कार्य करते हैं।

चूंकि नेहरूजी किसानों की समस्याओं का बारीकी से निराकरण चाहते थे, अतः एक ग्राम सेवक का कार्य कृषकों से बराबर सम्पर्क बनाये रखना, उन्हें नवीन उपयोगी खोजों की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को समझकर उचित हल निकालने के रूप में निर्धारित किया गया। आज गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा ग्राम्य जीवन ही से संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन में विस्तार सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शायद इसी कारण इन कार्यों की और बढ़ती हुई व्यस्तता के कारण ग्राम सेवक अपने मूल कार्य द्विपक्षीय संचार माध्यम के लिए कम समय निकाल पाता है।

सहकारी आन्दोलन

ग्रामीण विकास के संदर्भ में 'सहकारी आन्दोलन' को बढ़ावा देने के कारण कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे सहकारिता को जीवन का एक तरीका मानते थे और इसी के माध्यम से भूमि अपखण्डन की समस्या को हल करना चाहते थे। भारत में सहकारी आन्दोलन 1904 से चल रहा था जिसका प्रमुख उपयोग कृषकों को साख प्रदान करने के लिए किया गया। नेहरूजी इस आन्दोलन के मूल दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुये और उन्होंने इसको भारतीय जन जीवन की काया पलटने वाला मूल मन्त्र मान लिया।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (1954) की रिपोर्ट के बाद नेहरूजी के नेतृत्व में 1955 में सहकारी आन्दोलन को पुनः संगठित करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस आन्दोलन को पूरा समर्थन मिला। ग्रामीण साख की एक एकीकृत योजना बनाई गई जिसमें राज्य की साझेदारी, गैर साख समितियों का विकास, बड़े आकार की प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना, गोदामों का विस्तार, स्टेट बैंक का निर्माण एवं सहकारी प्रशिक्षण का समावेश किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि उपज विशेषकर दूध, शक्कर, कपास आदि के प्रसोधन व विपणन के क्षेत्र में वस्तुतः बहुत सफल एवं सुदृढ़ सहकारी संरचना देखने को मिली और अब उसी तरह खाद्य तेलों व फल आदि के क्षेत्र में सहकारी प्रसोधन एवं विपणन संगठित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

यह सत्य है कि नेहरूजी सहकारिता और विशेषकर सहकारी कृषि को जबरन लागू करना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वेच्छा से सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन करना उनका लक्ष्य था। कालान्तर में विशेषकर 1970 के दशक के बाद जब हम यह देखते हैं कि किन्हीं कारणों से सहकारी संयुक्त कृषि का प्रचार बहुत कम हो गया है, तो हमें नेहरूजी की नीति का महत्व स्वतः ही पता चल जाता है। यद्यपि आज हमें कृषिगत विकास की नीति में इस पर विशेष जोर प्रतीत नहीं होता, पर छोटे खेतों के लिए तथा

नये क्षेत्रों में भूमिहीनों को बसाने के लिए इनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कुटीर एवं लघु उद्योग

यद्यपि नेहरूजी तीव्र विकास हेतु बड़े उद्योगों को महत्व देते थे, तथापि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उन्होंने तीव्र औद्योगीकरण की प्रक्रिया में गांवों में कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर सुनिश्चित बल दिया। उनका विश्वास था कि ग्रामीण अर्थतन्त्र में आय बढ़ाने की दृष्टि से कृषि के सहायक उद्योग धन्धों का समुचित विकास करना आवश्यक है। आज उन्हीं के इस विचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निर्धनता निवारण की दृष्टि से इन उद्योगों का महत्व बढ़ गया है। नेहरूजी के अथक प्रयासों से 1948 में भारत में कुटीर उद्योग बोर्ड स्थापित कर दिया गया तथा समय पर्यन्त कुछ अन्य दस्तकारी बोर्डों और लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई।

योजना प्रक्रिया के आरम्भ में ही उन्होंने अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की। ग्रामीण विकास में कार्यरत अन्य अभिकरण के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग योजना बनाने, उसे विकसित करने, संगठित करने और स्थापना में सहायता देने के अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग की गतिविधियों के अन्तर्गत इन उद्योगों में लगे कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाने और उनमें सहकारिता की भावना पैदा करने का कार्य भी शामिल है। स्वयं नेहरूजी गांधीजी के खादी आश्रम के संस्थापक सदस्य थे। इसके अतिरिक्त उनके नेतृत्व में हाथकरघा बोर्ड, हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि सब गठन भी ग्रामोद्योग विकास व ग्रामीण बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी को कम करने के मुख्य उद्देश्य से की गई।

नेहरूजी की यह स्वीकारोक्ति कि भारतीय अर्थव्यवसथा में रोजगार, उत्पादन, मूल्य, उत्पादन कुशलता; कम पूंजी व अधिक श्रम की स्थिति में उपयुक्तता, आर्थिक शक्ति का समान वितरण, रोजगार की अधिक स्थिरता, सरल कार्यप्रणाली परम्परागत प्रतिभा एवं कला की रक्षा, सैनिक महत्व, औद्योगिक समस्याओं की कमी, उत्पादन की उत्तम किस्म, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात संवर्द्धन व देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहायक, बड़े पैमाने की इकाइयों के पूरक तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में परिप्रेक्ष्य में कुटीर व लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी कि 1950 के दशक में थी।

भूमि सुधार

भारत में कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए संस्थागत परिवर्तनों के अन्तर्गत नेहरूजी द्वारा आरम्भ किए गए भूमि सुधारों ने उन्हें ग्रामीण विकास चिन्तन में अमर बना दिया है। काश्तकारी सुधार, भू जोतों की सीमा-निर्धारण, चकबन्दी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में भूमि का वितरण आदि के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय का वातावरण तैयार किया। भूमि सुधारों से उन्होंने निर्धनता उन्मूलन के साथ-साथ कृषि के आधुनिकीकरण के लक्ष्य का भी मन्त्र फूंका।

नेहरूजी इस बात को बखूबी समझते थे कि जब तक भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक असमानता, वर्ग संघर्ष, अशिक्षा, मुकदमेबाजी जैसी बुराईयों से मुक्ति नहीं मिल सकती। साथ ही बिना भूमि सुधारों के औद्योगिक विकास भी संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी दृष्टि से उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम सारे देश में लागू कर दिए। उनके दिल में एक टीस थी कि देश के 30 करोड़ किसानों को किस प्रकार सामाजिक व आर्थिक ढांचे से निकालकर विकास के उन्मुक्त वातावरण में शरीक किया जाए। इसलिए कृषि के सामन्ती ढांचे के अन्तर्गत विद्यमान भूमि के मालिक और वास्तविक कृषक के बीच संघर्ष को समाप्त करने, छोटे-छोटे व बिखरे हुए खेतों (जो कृषि को अलाभप्रद बनाते हैं) की चकबन्दी करने हेतु उन्होंने भूमि सुधारों के उपयोग व प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म दिया। यह उल्लेखनीय है कि भू-सुधार की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के विवाद न्यायालय में भी गये। इसमें भी नेहरूजी ने व्यक्तिगत तौर पर मध्यस्थता करके इन्हें सुलझाने में मदद की। संस्थागत सुधारों को सहकारी साख समितियों, कृषि विपणन, कृषि में यन्त्रीकरण का उपयोग, सिंचाई व खाद कारखानों की स्थापना आदि से यथोचित सम्बल प्रदान करके नेहरूजी ने वस्तुतः अपनी अनूठी सूझबूझ का परिचय दिया। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भूमि सुधारों के साथ-साथ तकनीक सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना

चाहिए। इस प्रकार के समन्वित तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन, अधिक न्याय संगत व प्रगतिशीलता का महत्व उभरेगा। भूमि सुधार तकनीक परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि बनाते हैं तथा तकनीक परिवर्तन कृषि विकास दर को ऊँचा करने में सहायक होते हैं।

कृषि में क्रांति

नेहरूजी ने अपनी वैज्ञानिक सूझबूझ से देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा आधारभूत जरूरतों को उपलब्ध कराने हेतु कृषि क्षेत्र की ओर तुरन्त ध्यान दिया। उनका दृढ़ मत था कि बाकी सब कुछ रुक सकता है, लेकिन कृषि इन्तज़ार नहीं करती। 18 अप्रैल, 1948 को आकाशवाणी पर अपने एक संदेश में उन्होंने देशवासियों को कहा था कि "दरअसल एक भूखे इन्सान के लिए या एक बहुत गरीब मुल्क के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए।" आज हम हरित क्रांति का जो विकसित स्वरूप देख रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में नेहरू का "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, सिन्दरी का रासायनिक खाद कारखाना, मझौली सिंचाई परियोजनाएं, विज्ञान का गांवों की ओर प्रवाह इत्यादि से आप्लावित दर्शन निहित है। इस दर्शन को उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, कोसी, नागार्जुन सागर, गंडक, तुंगभद्रा, हीराकुण्ड, महाप्रभा जैसी विशालकाय सिंचाई परियोजनाओं से सींचकर स्वतन्त्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विश्व मानचित्र में एक सम्मानीय स्थान पर खड़ा किया।

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की भांति वे कृषि में भी तकनीक के पक्षधर थे और इसकी सहायता से उन्होंने विकास का आधुनिक ढांचा खड़ा किया। नेहरूजी का कहना था "विज्ञान और उसकी संतान टैक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की उन्नति ने हमारी दुनिया को बदल दिया है" 1948 में 'खेती' पत्रिका को भेजे गये एक संदेश में उन्होंने कहा था कि "वैज्ञानिक और विज्ञान के बीच नये आविष्कार तथा खेतों में उनके प्रयोग के बीच चिरकाल से एक भेद चला आया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों की सहायता से देश के प्रत्येक प्रान्त में अपने प्रयोगों के परिणाम पहुंचाने का यत्न करेगी। इस समय जब हमें

सामाजिक परिवर्तन के जनक के रूप में उन्होंने विश्व रंग मंच पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सम्पत्ति और आय की विषमता को कम करने के लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों के विस्तार को विशेष महत्व दिया और भूमि सुधारों को भी इस लक्ष्य से जोड़ा। आर्थिक विकास की आज जो ऊंची दर परिलक्षित हो रही है, जिसका लाभ ग्रामीण जनता को प्रचुर मात्रा में मिला है, उसके बीज भी नेहरूजी ने बोये थे।

अपने साधनों द्वारा इतना भोजन प्राप्त करना चाहिए जितना अधिक से अधिक संभव है, यह नितान्त आवश्यक है कि जनता तक आवश्यक अनुसन्धान पहुंचे और लोग दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें।" आज आवश्यकता इस बात की है कि नेहरूजी द्वारा आरम्भ की गई कृषि क्रांति की विरासत को हम मंजिल तक पहुंचायें।

साक्षरता (प्रौढ़ शिक्षा व स्त्री शिक्षा)

स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान नेहरूजी सार्वजनिक शिक्षा कार्य में भी सक्रिय रूप से संलग्न रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने साक्षरता को प्राथमिक शिक्षा के रूप में पंचायती राज से जोड़ा। वे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण चाहते थे और इसके साथ ही ग्रामीण विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा को इसके पूर्ण कलेवर के साथ प्रारम्भ करने के पक्ष में थे। उनके प्रयासों से देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संकल्पित उद्देश्यों को व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारियों का आह्वान किया गया। उनकी दृष्टि में प्रौढ़ शिक्षा 'आधुनिकता' और 'परम्परा' के समुचित समन्वय पर आधारित संभावनाओं के नये द्वार खोलने वाला कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत 'हर एक किसी को साक्षर बनाएं' की मौलिक भावना को उदारता के साथ असरदार एवं सार्थक बना सकें। उनका कहना था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता में युवावर्ग को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

स्त्री शिक्षा भी उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थी। वे चाहते थे कि स्त्री शिक्षा के माध्यम से गांवों का और तीव्र विकास हो। चूंकि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था

विख्यात वैज्ञानिकों से अनौपचारिक बात-चीत करते हुए नेहरूजी । बीच में हैं डा. सी.वी. रामन ।

के ढांचे के पारिवारिक जीवन में स्त्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः उसे साक्षर करने से ग्रामीण जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आयेगा और वह भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेगी ।

उपरोक्त कुछ बिन्दुओं के अतिरिक्त नेहरूजी ने प्रसारण को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्दिष्ट किया, प्रादेशिक असंतुलन को कम करने में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है । सामाजिक परिवर्तन के जनक के रूप में उन्होंने विश्व रंग मंच पर अपनी अभिष्ट छाप छोड़ी । सम्पत्ति और आय की विषमता को कम करने के लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों के विस्तार को विशेष महत्व दिया और भूमि सुधारों को भी इस लक्ष्य से जोड़ा । आर्थिक विकास की आज जो ऊंची दर परिलक्षित हो रही है, जिसका लाभ ग्रामीण जनता को प्रचुर मात्रा में मिला है, उसके बीज भी नेहरूजी ने बोये थे ।

निष्कर्ष

नेहरूजी ग्रामीण विकास के अग्रदूत, गरीबों के मसीहा, भारतीय जन जीवन के प्रतीक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रबल हामी, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रणेता व विकास योजनाओं के निर्माता थे । ग्रामीण भारत को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाना उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी । आर्थिक इतिहास की दुरभिसन्धि पर खड़े होकर उन्होंने औपनिवेशकता से त्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था को द्रुत विकास का जामा पहनाया । यद्यपि उनके ग्रामीण विकास संबंधी अथक प्रयत्नों को समुचित रूप में उजागर नहीं किया गया, तथापि यदि ग्रामीण विकास में उनकी अभिरुचि व अदम्य अभिलाषा का बारीकी से माप किया जाये तो वह तत्कालीन विकास की नाड़ियों के स्पन्दन से कहीं अधिक आगे के बिन्दु पर फड़क सकती है । आज नेहरूजी हमारे मध्य नहीं हैं, पर यदि ग्राम्य जीवन के विकासगत आइने से देखा जाये तो भारत की भावी पीढ़ियां सामान्य रूप से ग्रामीण समुदाय विशिष्ट रूप से उनका ऋणी रहेगा तथा उनके बताये हुए मार्ग पर चल कर ग्रामीण विकास का भावी मार्ग तय करेगा ।

आयोजना अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा
राजस्थान अंचल, जयपुर

ग्रामीण विकास में नेहरूजी का योगदान

डा. सी.एम. चौधरी

प्रस्तुत लेख में लेखक ने नेहरूजी द्वारा अपनाए गए ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि नेहरूजी ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया उसका उद्देश्य ग्रामीणों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान करना था।

लेखक का कहना है कि नेहरूजी ने सहकारी साख संस्थाओं का गठन करके ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधाओं का विस्तार किया। नेहरूजी भारतीय किसानों की दुर्दशा से परिचित थे। उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडियों का विस्तार किया। लेखक ने नेहरूजी को पंचायती राज का संस्थापक बताते हुए कहा है कि पंचायतों के माध्यम से नेहरूजी ने जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अपनाया।

आज समूचा राष्ट्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहा है। स्वर्गीय नेहरू ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद संभालकर देश का विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करने का अथक प्रयास किया। प्रस्तुत लेख में स्वर्गीय नेहरू का ग्रामीण विकास में योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

नेहरू के ग्रामीण विकास में योगदान का विवरण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत दिया जा सकता है।

सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम

विकास का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1952 को सम्पूर्ण देश के 55 केन्द्रों के 500 वर्ग मील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसंख्या पर ग्राम विकास का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम लागू किया गया। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम की परिधि में लाने का लक्ष्य 1963 में पूरा हुआ। योजना आयोग के अनुसार, "सामुदायिक विकास वह तरीका तथा ग्रामीण विस्तार वह एजेन्सी है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं ग्रामवासियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन को पूर्णरूपेण सुधारने की प्रक्रिया करना चाहता है।" स्वर्गीय नेहरू के शब्दों में सामुदायिक विकास परियोजनाएं सम्पूर्ण भारत में वे चमकीली, जीवन से परिपूर्ण एवं प्रावैगिक चिनगारियां हैं जिनसे शक्ति, आशा एवं उत्साह की किरणें प्रस्फुटित होती

हैं। ये विकास के ऐसे ज्योति स्तम्भ हैं जो घने अंधकार में तब तक प्रकाश फैलाते रहेंगे जब तक कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था आलोकित न हो उठे।"

सामुदायिक विकास एक बहुद्देशीय कार्यक्रम है, जो ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान से उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से प्रेरित है। इस कार्यक्रम से स्थानीय साहस, प्रयत्नों एवं प्रेरणाओं को महत्व दिया गया है तथा ग्रामीण विकास से समस्त पहलुओं कृषि एवं सम्बद्ध कार्य, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, सहकारी समितियां, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण प्रशिक्षण एवं समाज कल्याण, युवा एवं महिला कार्यक्रम, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, कुआं खुदाई कार्यक्रम तथा पौष्टिक अहार कार्यक्रम का समावेश किया गया है।

इस समय यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत समूचे देश के 5026 विकास खण्ड हैं जिससे लगभग 6 लाख गांव और 53 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। इसी कार्यक्रम के पूरक के रूप में 2 अक्तूबर 1963 में राष्ट्रीय विस्तार योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुखत: कृषि संबंधी तरीकों और प्रसार रीतियों की जानकारी का प्रसार किया जाता है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर नेहरू शासन काल में व्यय 42 करोड़ रुपये से बढ़कर 241 करोड़ रुपये हो गया। अत: हम कह सकते है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए जो कदम उठाये गये उनका श्रेय स्वर्गीय नेहरू को है।

नेहरूजी के शासन काल में इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक परिसम्पतियों का सृजन-स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य केन्द्र, युवा कल्याण केन्द्र आदि, ग्रामीण नेतृत्व एवं साहस का विकास, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी, सन्तुलित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन जैसी सफलताएं प्राप्त हुई हैं।

ग्रामीण उद्योगों का विकास

ग्रामीण उद्योगों में कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया है क्योंकि इनसे अधिक रोजगार के अवसर, कम पूंजी निवेश, स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, स्फीतिकारी दबावों पर रोक, मधुर औद्योगिक संबंध, मानवीय मूल्यों की रक्षा, कृषि पर जनभार में कमी, शीघ्र उत्पादन आदि लाभ प्राप्त होते हैं। नेहरू शासनकाल में घोषित औद्योगिक नीति, 1948 तथा औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के अन्तर्गत कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। इनके विकास के महत्व को अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार, राष्ट्रीय औद्योगिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर रोक के रूप में स्वीकार किया गया। लघु उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक बस्तियों का निर्माण इनके लिए सस्ती बिजली, सस्ती साख व्यवस्था उत्पादन विधियों में सुधार तथा करों में रियायतें जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। बड़े उद्योग के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा न हो, के लिए, भी तालमेल किया गया और इनकी आरक्षण सूची केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गई। योजना आयोग के अनुसार, "कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है और न इन्हें अलग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों को विकसित करने का उद्देश्य ग्रामीणों को काम करने के लिए अवसर देना, उनके जीवन स्तर और आय के स्तर को ऊंचा उठाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सन्तुलित एवं संगठित बनाना है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 में कहा गया था कि, "ये तुरन्त बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय आय के समान वितरण का अच्छा माध्यम प्रशस्त करते हैं तथा श्रम व पूंजी के एकीकरण का एक प्रभावपूर्ण ढंग प्रस्तुत करते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अनियोजित नगरीकरण से जन्म लेती हैं। छोटे-छोटे उत्पादन केन्द्र समूचे देश में बन जाने से स्वयं दूर हो जायेंगी।"

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए नेहरू शासन काल में निम्न समितियों की नियुक्ति की गई (1) अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल, 1954; (2) ग्रामीण व लघु उद्योग (कर्वे) समिति, 1955; (3) अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन आयोजना दल, 1963।

इन समितियों के अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित विभिन्न विशिष्ट संगठनों की

स्थापना की गई :– (1) कुटीर उद्योग बोर्ड, 1948; (2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, 1949; (3) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, 1952; (4) अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग, 1953; (5) नारियल जटा बोर्ड, 1954; (6) भारतीय दस्तकारी विकास निगम, 1958; (7) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, 1955 ।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर नेहरू शासन काल में व्यय 42 करोड़ रुपये से बढ़कर 241 करोड़ रुपये हो गया । अतः हम कह सकते है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए जो कदम उठाये गये उनका श्रेय स्वर्गीय नेहरू को है ।

ग्रामीण साख का विस्तार

महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है और इनका विकास करना राष्ट्र का विकास करना है । राष्ट्रपिता बापू के इस सपने को मूर्तरूप देने के लिए स्वर्गीय नेहरू ने अपने शासनकाल में ग्रामीण साख का विस्तार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1951 में श्री ए.डी.गोखाला की अध्यक्षता में गठित की गई थी । इस समिति का निष्कर्ष था, "सहकारिता विफल हुई है, पर उसे सफल होना है ।" इस समिति ने निम्न सिफारिशें दी थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर कार्यान्वित किया है–

(1) ग्रामीण साख की समन्वित योजना-इसके अन्तर्गत सहकारी आन्दोलन में सभी स्तरों पर सहभागिता, आर्थिक आधार सुदृढ़ करने तथा साख के साथ-साथ अन्य आर्थिक क्रियाओं जैसे-विपणन, कृषि विधायक आदि के मध्य पूर्ण समन्वय पर जोर दिया गया ।

(2) स्टेट बैंक की स्थापना – इस समिति ने सुझाव दिया कि ग्रामीण एवं सहकारी साख व्यवस्था के लिए स्टेट बैंक की स्थापना की जाये । इसके परिणामस्वरूप सन् 1955 में इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का स्थान स्टेट बैंक आफ इन्डिया ने लिया ।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम मण्डल के गठन का सुझाव दिया जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना की गई तथा राज्य स्तर पर राज्य भण्डारण निगम स्थापित किये गये हैं । इनके वित्त प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय गोदाम विकास निगम गठित किया गया ।

(4) ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु कोषों की स्थापना की गई । इनमें दो कोष रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत तथा तीसरा कोष खाद्य और कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित करने की सिफारिश की गई । राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष, 1956 से केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों को ऋण दिया जाता है जिससे कृषकों के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष, 1956 से राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन साख उपलब्ध की जाती है । यह साख अकाल, सूखा आदि के कारण कृषकों द्वारा ऋण न चुकाने के समय दी जाती है ।

(5) सहकारी साख संस्थाओं का गठन कर नेहरू के शासनकाल में कृषि साख के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया । इन संस्थाओं में प्राथमिक सहकारी समितियां, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक प्रमुख हैं । इन संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्र में जाल बिछाया गया । सहकारी आन्दोलन को एक जन-आन्दोलन का रूप देने का श्रेय स्वर्गीय नेहरू को ही है । योजना आयोग का विचार था कि "सहकारिता को आर्थिक नियोजन के एक साधन के रूप में, जिसमें प्रारम्भ में भावना, पारस्परिक लाभ और सामाजिक उद्देश्य तीनों का मिश्रण है, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग समझना चाहिए । चूंकि योजना का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को व्यक्तिवादी ढ़ांचे से समाज नियमित एवं सहकारिता पर आधारित ढ़ांचे में बदलता है, इसलिए उनकी सफलता को अन्य दृष्टियों के साथ-साथ इस दृष्टि से भी आंकना चाहिए कि वह किस सीमा तक सहकारी संगठनों के द्वारा पूरी की गई है ।"

अतः ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं का वर्तमान जाल जिससे अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, के विकास एवं विस्तार की पृष्ठभूमि में स्वर्गीय नेहरू की सूझ-बूझ थी ।

भूमि सुधार एवं कृषि विपणन

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पादन एवं

कृषकों की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि भूमि व्यवस्था उत्तम हो। डा. राधाकमल मुकर्जी का कथन, "भारतीय कृषकों का जीवन स्तर तब तक उन्नत नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि प्रणाली में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाये जिससे कृषकों को अधिक कुशल कृषि करने का अवसर मिले" युक्तिसंगत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में प्रचलित भूमि व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा तथा जमींदारी प्रथा के रूप में थी। इस प्रचलित भूमि व्यवस्था से कृषकों का शोषण होता था। सरकार एवं जनता में प्रत्यक्ष संबंध का अभाव, मुकदमेंबाजी, कृषि का पतन, आर्थिक जड़ता, सरकारी आय में स्थिरता, मध्यस्थों की संख्या में बढ़ोतरी, कृषकों में असन्तोष, नैतिक पतन आदि इस व्यवस्था के दोष थे। 1928 में ही भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में पं. नेहरू ने जमींदारी प्रथा के समापन का प्रस्ताव किया था। आजादी के पश्चात् 1948 में कृषि सुधार समिति और भूमि सुधार समिति ने यह सिफारिश की कि भूमि पर स्वामित्व किसान का होना चाहिए और जिन व्यक्तियों ने 6 वर्ष तक किसी भूमि पर खेती की है उन्हें उस भूमि का स्वामी मान लेना चाहिए। तदनुसार मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया।

देश के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में जमींदार, जागीरदार, बटाईदार व मध्यस्थों का बोलबाला था, अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा पारित अधिनियमों से मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा चुका है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों ने अधिनियम पारित कर भूमि अधिग्रहण की है। उसके बदले 670 करोड़ रुपये मुआवजा देना तय हुआ है।

काश्तकारी सुधार के अन्तर्गत लगान का नियमन, भूमि धारक की सुरक्षा, काश्तकारी का पुनर्ग्रहण, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, स्थाई सुधारों के लिए मुआवजे आदि कदम उठाये गये हैं। इससे काश्तकार में भूमि के प्रति लगाव बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कृषकों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर नेहरूजी ने ही प्रदान किया।

भारतीय किसान की दशा सुधारने हेतु केवल कृषि उत्पादन में ही वृद्धि करना आवश्यक नहीं है बल्कि इसके साथ ही उसकी उपज का उसे उचित मूल्य मिलना भी आवश्यक है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया के पश्चात् उस उत्पादित वस्तु को अन्तिम उपभोक्ता के हाथों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कृषि विपणन की प्रक्रिया कहा जाता है। कृषि उपज के विपणन के अन्तर्गत कृषि उपज का एकीकरण, संवारना, श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण, गोदामों में सुरक्षित रखना, वित्त प्रबंधन, मण्डी व विक्रय स्थान, विक्रय करना तथा जोखिम उठाना आदि सम्मिलित हैं। कृषक को मध्यस्थों के शोषण से मुक्त करने तथा उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नेहरू शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। नियमित मंडियों का विस्तार किया गया। प्रथम योजना में नियमित मंडियों की संख्या 255 थी जो वर्तमान में बढ़कर 5200 हो गई है। कृषि उपज का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन भी काश्तकार को ऊंची कीमत दिलाता है। श्रेणीकरण की अनेक इकाइयां स्थापित की गई हैं। 1 अप्रैल, 1958 से नाप-तौल की समूचे देश में एक ही मीट्रिक तोल प्रणाली चालू की गई है। कृषि उपज को माल गोदामों में सुरक्षित रखने हेतु केन्द्रीय गोदाम निगम, 1957 का गठन किया गया है तथा सभी राज्यों में राज्य गोदाम निगम स्थापित किये जा चुके हैं।

पंचायती राज के संस्थापक

बलवन्तराय मेहता समिति ने जनतान्त्रीय विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया था। मेहता समिति ने गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी, 1958 को जनतांत्रीय विकेन्द्रीकरण के संबंध में मेहता समिति की सिफारिश मानकर कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन, स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य संसाधनों तथा पंचायती राज का अनुकूलतम उपयोग, ग्रामीण निर्बल वर्ग की सहायता, ऐच्छिक संगठनों की स्थापना तथा ग्रामीण समुदाय में एकता एवं आत्म सहायता की भावना का विकास आदि लक्ष्य निर्धारित किये। भारत में पंचायती राज का शुभारम्भ 1959 में किया गया, जिसके प्रणेता नेहरू ही थे। आज सभी राज्यों में पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं का गठन कर ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास संभव हो रहा है, निम्नस्तरीय नियोजन के माध्यम से स्थानीय संभावनाओं का पता लग सकेगा और ग्रामीण

सहयोग से विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा।

नेहरूजी के नियोजन का दर्शन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त लोच पर आधारित था। सत्ता के हस्तान्तरण के लिए ही उन्होंने पंचायती राज जैसी प्रणाली को संस्थापित कर जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे देश की वर्तमान एवं भावी ग्रामीण जनता भूल नहीं सकती है। यह एक अदम्य राजनीतिक निर्णय था।

कृषक को मध्यस्थों के शोषण से मुक्त करने तथा उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नेहरू शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। नियमित मंडियों का विस्तार किया गया। प्रथम योजना में नियमित मंडियों की संख्या 255 थी जो वर्तमान में बढ़कर 5200 हो गई है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय नेहरू ने ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, सहकारी साख संस्थाओं का गठन, कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान, भूमि सुधार, ग्रामीण साख का विस्तार, कृषि विपणन, पंचायती राज आदि क्षेत्रों में नये आयाम संस्थापित किये जिनके कारण ही आज ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अधिक निकट आ गया है तथा जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण संस्थाओं के माध्यम से देश के शासन, नीति निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन का अभिन्न अंग बन गया है। नेहरू की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है।

1347, जय पथ
बरकत नगर
जयपुर-302015

गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास में पण्डित नेहरू का योगदान

डा. विश्वमित्र उपाध्याय

नेहरूजी आम जनता के सच्चे नेता थे क्योंकि देश की गरीब, पीड़ित और दुखी जनता को वे हमेशा ध्यान में रखते थे। स्वाधीनता से पहले उन्होंने देहात में जाकर वहां लोगों से मिलकर उनकी हालत को देखा-समझा और फिर देश की बागडोर हाथों पर आ जाने पर वे अपने दिमाग में बनाई उस तस्वीर को नहीं भूले। विद्वान लेखक का कहना है कि नेहरूजी को महात्मा गांधी अपना उत्तराधिकारी मानते थे और नेहरूजी ने उनके सपने को साकार कर दिखाया।

आजादी से चंद वर्ष पहले 5 अक्तूबर, 1945 को बापू ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था

"चिरंजीव जवाहरलाल,

कुछ समय से मैं आपको खत लिखने की सोच रहा था। मेरे सामने यह भी सवाल था कि मैं तुम्हें अंग्रेजी में लिखूं या हिन्दुस्तानी में। आखिर मैं हिन्दुस्तानी में ही लिख रहा हूं.... मेरे विचार में सन् 1908 में जो मैंने हिन्दू स्वराज्य में लिखा था, उसी राय पर मैं आज भी कायम हूं। हिन्दुस्तान आज या कल में आजाद हो जाएगा और हमें सच्ची आजादी चाहिए, तो हमें गांवों के झोपड़ों में रहना होगा न कि महलों में। मुझे किंचित संदेह नहीं है कि सत्य और अहिंसा के बगैर मानव जाति नष्ट हो जाएगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन से जुड़ी तमाम चीजों के लिए व्यक्ति का उन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि बगैर स्वतंत्रता के व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा नहीं की जा सकती। मैं जिस गांव की बात करता हूं वह मेरी परिकल्पना में है.... यद्यपि मैं अधिक समय जीना चाहता हूं। एक सौ पच्चीस सालों तक सेवा करना चाहता हूं। किन्तु आखिर मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं और तुम अपेक्षाकृत युवा हो। इसलिए मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी कहा और मैं समझता हूं कि कम से कम मेरा उत्तराधिकारी जानता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं....."

महात्मा गांधी ने पण्डित नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? क्योंकि वे जानते थे कि उनके सपने को केवल जवाहरलाल ही साकार कर सकते हैं। नेहरूजी समस्त भारत की उन्नति का सपना लेकर चलते थे और वे जानते थे कि भारतवर्ष तभी तरक्की कर सकता है, दुनिया में आगे बढ़ सकता है, जब यहां के गांवों की तरक्की

हो, गांवों का विकास हो, शिक्षा तथा विज्ञान की नई रोशनी भारत के गांव-गांव में पहुंचे।

ग्रामीण भारत का प्रथम दर्शन

सन् 1921 में देश में अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक तूफान उठ रहा था। गांधीजी का अहिंसक असहयोग-संदेश गांव-गांव में फैल रहा था। कांग्रेस के नेता देश भर का दौरा कर रहे थे। जवाहरलालजी ने भी गांवों का दौरा प्रारंभ किया। इसके पूर्व जब 1919 में गांधीजी के परामर्श पर वे खिलाफत आंदोलन से अलग रह गए थे तब पहली बार गांवों में जाकर उन्होंने भारत के दर्शन किए थे। उन्हें जीवन का नया रोमांचकारी अनुभव हुआ। पण्डित नेहरू ने स्वयं लिखा है, "ग्रामीणों की तकलीफों और उनकी कृतज्ञता को देखकर मैं शर्म और दुख से भर गया। मुझे अपनी आरामदेह जिन्दगी और हमारी उस शहरी राजनीति पर शर्म आई जो भारत की करोड़ों अर्द्धनग्न संतानों को कतई नजर-अंदाज करती है और भारत की इस भयंकर गरीबी पर दुख हुआ। मुझे भारत का नया चित्र उभरता दिखाई दिया जो नग्नता, भूख, शोषण और दैन्य से पूरित था। शहर से यदाकदा वहां जाने वाले हम लोगों पर उनकी दृढ़ आस्था देखकर मैंने एक नए उत्तरदायित्व का अनुभव किया। जिससे मैं कुछ भयभीत भी हुआ।" इसके बाद नेहरूजी ने भारत को मुख्यतः शोषित किसानों के रूप में ही देखा। 1921 में पुनः गांवों का दौरा करने का उन्हें अवसर मिला। इस यात्रा में उन्हें आम जनता के मन को गहराई से समझने और उसके अंदर पैठने की दृष्टि दी।

किसानों के निकट संपर्क में पण्डित नेहरू एक विचित्र संयोग से आए। मेरी कहानी 'मेरा निर्वासन और किसानों में भ्रमण' अध्याय में स्वयं उन्होंने उस घटना पर विस्तृत प्रकाश डाला है। बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जमींदार जोर-जुल्मों से किसानों से वसूली करते थे और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। किसानों का एक दल अपने दुख और मुसीबतों के प्रति नेताओं का ध्यान आकर्षित करने इलाहाबाद आया हुआ था। पण्डित नेहरू ने यह सुना तो वे उनके पास गए। उन लोगों से उनकी असहय हालत सुनी। किसान दल की प्रार्थना पर उनकी हालत स्वयं देखने-सुनने पण्डित नेहरू प्रतापगढ़ जाने को तैयार हो गए। कुछ साथियों सहित वे वहां पहुंचे और कुछ दिन सब लोग गांव में रहे। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरूजी ने लिखा है – "तीन दिन तक मैं गांवों में घूमता रहा और एक बार इलाहाबाद आकर फिर वापिस गया। हम गांव-गांव घूमे। किसानों के साथ खाते, उन्हीं के साथ उनके कच्चे झोपड़ों में रहते, घंटों उनसे बातचीत करते और कभी छोटी-बड़ी सभाओं में भाषण भी देते।

बड़े-बड़े मेलों के अवसर पर गंगा किनारे हजारों देहातियों को मैंने देखा और उनमें होम-रूल का प्रचार किया था। लेकिन उस समय मैं यह अच्छी तरह नहीं जानता था कि दरअसल वे क्या हैं और हिन्दुस्तान का जो चित्र मैंने अपने दिमाग में बना रखा है, उसमें हमेशा के लिए इस नंगी-भूखी जनता का स्थान बन गया है....।"

देश की बागडोर हाथों में आ जाने पर पण्डित नेहरू अपने दिमाग में बनाई उस तस्वीर को नहीं भूले। आम जनता का एक सच्चा नेता उसे भूलता भी कैसे? उसे अपने देश का, अपनी गरीब, पीड़ित और दुखी जनता का, जो सच्चे मायने में देश है, निर्माण करना था, उसके दुख-दर्द दूर करने थे। इसीलिए भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, कल्याणकारी शासन की नीति निर्धारित की गई। राजा-महाराजा जमींदार जो प्रजा और किसानों का शोषण करते थे, उनसे बेगार लेते और उनके श्रम का हिस्सा हड़पते थे, समाप्त किए गए। किसान

महात्मा गांधी ने पण्डित नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? क्योंकि वे जानते थे कि उनके सपने को केवल जवाहरलाल ही साकार कर सकते हैं। नेहरूजी समस्त भारत की उन्नति का सपना लेकर चलते थे और वे जानते थे कि भारतवर्ष तभी तरक्की कर सकता है, दुनिया में आगे बढ़ सकता है, जब यहां के गांवों की तरक्की हो, गांवों का विकास हो, शिक्षा तथा विज्ञान की नई रोशनी भारत के गांव-गांव में पहुंचे।

अपनी जमीन का स्वयं मालिक बना। किसानों को इतिहास में पहली बार इतना बड़ा स्वाभिमान और अधिकार मिला। अछूतों और आदिवासियों, पिछड़ी जातियों को समाज में मानवीय अधिकार मिले और उन्हें उनके विकास के लिए शासन का संरक्षण मिला। शासन ने जनता की भलाई के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश शुरू की जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिले तथा

हरेक को जीविका के उचित साधन प्राप्त करने के अधिकार हों। देश के समस्त भौतिक साधनों का इस प्रकार उपयोग हो जिसमें सभी लोगों का भला हो और देश का आर्थिक ढांचा ऐसा हो जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में न चले जाएं, जिससे अन्य लोगों को नुकसान हो।

देश के नव-निर्माण के लिए, संविधान के लागू होते ही, उन्होंने योजना आयोग की नियुक्ति की। वे स्वयं उसके अध्यक्ष बने। इसलिए नहीं कि वे प्रधानमंत्री थे वरन् इसलिए कि आम जनता की समृद्धि के रास्ते की एक स्पष्ट तस्वीर उनके दिमाग में थी। वे आम जनता की असली समस्याओं और उनके कष्टों के विषय में जानते थे।

पहली योजना में गांवों के पुनर्निमाण के लिए उन्होंने सामुदायिक योजनाओं को प्रारंभ करवाया जिनको गांवों की विशेष समस्याओं और नव-निर्माण के लिए खासतौर पर तैयार किया गया था। उन्होंने सामुदायिक योजना के बारे में कहा था – "सामुदायिक योजनाएं यदि ठीक ढंग से लागू की जाएं तो वे क्रांतिकारी सिद्ध होंगी। हमने पहले गांवों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब तक हम उनका विकास नहीं करेंगे, हम पिछड़े रहेंगे।"

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनका ध्यान फिर गांवों और खेतों की ओर विशेष आकर्षित हुआ। दूसरी योजना में अनाज की उपज बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सारी योजना अनाज की उपज पर निर्भर करती है। गांवों के लोगों का आर्थिक विकास और उपज बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना सामुदायिक और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का मुख्य अंग बन गया।

जनवरी, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने गांवों में, विकास खण्डों और जिलों में पंचायती राज स्थापित करने का निर्णय लिया। यहीं से पंचायती राज का इतिहास शुरू होता है।

पण्डित नेहरू गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये सहकारी खेती और भूमि सुधार कार्यक्रमों के पक्ष में थे। उनकी सरकार ने इन पर काफी जोर दिया। परिणामस्वरूप देश के राज्यों ने अपनी जरूरतों के अनुसार उन्हें लागू किया। सन् 1959 में हुए नागपुर कांग्रेस अधिवेश में भी खेती की समस्याओं पर अधिक विचार किया गया।

गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी राज्यों का विषय है पर पण्डित नेहरू इस विषय में बहुत चिंतित रहते थे। गांवों में शिक्षा प्रसार, गांवों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, गंदी बस्तियों की सफाई और बच्चों के पालन-पोषण के लिए वे सदा चिंतित रहते। तीसरी योजना में इन बातों पर विशेष जोर दिया गया। गांवों की तरक्की के लिए, उनमें बिजली पहुंचाने के लिए वे अपने साथियों से सदा आग्रह करते रहते थे। परिणामस्वरूप आज दो हजार की आबादी वाला ऐसा कोई गांव, शायद नहीं है, जहां बिजली न पहुंच गई हो। बल्कि तीन-चार सौ की आबादी वाले हजारों गांव भी बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। हरियाणा और केरल के शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई है।

खेती की तरक्की पर विशेष जोर देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था – "समाजवाद के मामले में हमें किसी दूसरे देश की नकल नहीं करनी है। यूरोप का समाजवाद औद्योगिक क्रांति का फल है किन्तु उससे कृषि उत्पादन पिछड़ गया। सोवियत संघ अब भी लाखों टन अनाज बाहर से खरीद रहा है। यहां भारत में भी पंजाब का सूबा सबसे समृद्ध है क्योंकि वहां उद्योग धन्धों की तरक्की के साथ खेती की भी तरक्की हुई है। इसलिए केवल औद्योगिक उन्नति से ही खुशहाली नहीं हो सकती। हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण यहां औसत आय तभी बढ़ेगी जब खेती का उत्पादन बढ़ेगा।"

कृषकों के विषय में उनकी राय थी – "मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि भारतीय किसान आधुनिक तरक्की को नहीं अपना सकते। भारत के किसान अन्य देशों के किसानों के भांति ही होशियार हैं। समस्या केवल यही है कि उन तक नये तौर-तरीकों को कैसे पहुंचाया जाएं।"

यह तो सभी जानते हैं कि पण्डित नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व काल में खेती की उन्नति के लिए, उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए कितना विशाल और बहुमुखी कार्य हुआ। सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय विशाल बांधों का निर्माण, खाद के कारखाने खड़े किये गये, कृषि में अनुसंधान कार्यों की प्रगति हुई और श्रेष्ठ किसानों को गौरवान्वित करने के लिए 'कृषि पण्डित' जैसी उपाधि दी जाने लगी। राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 'विजय

कलश' भेंट किये जाने शुरू हुए। इन सबका उद्देश्य केवल यही था कि भारतीय किसानों की हालत अच्छी हो, वे सुखी हों, उन्नति करें और देश को आगे ले जाने में सहयोग दें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजातंत्र पर जवाहरलालजी की प्रगाढ़ आस्था थी और सम्पूर्ण विश्व जानता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उनका यह अटल विश्वास था कि भारत के ग्रामों के उत्थान के लिये तीन बड़े खम्बे हैं – गांव की पंचायत, गांव का सहकारी संघ और गांव का स्कूल। ये क्रमशः राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक खंभ हैं। गांव देश की बुनियाद है यदि बुनियाद मजबूत हो जाये तो उत्थान अवश्य होगा चाहे ऊपर कितनी ही गड़बड़ क्यों न हो ?

पंचायती राज की स्थापना में वे बड़ी आस्था रखते थे और पुनर्गठित मध्य प्रदेश के जनवरी 1957 में आयोजित राज्य स्तरीय प्रथम पंचायत सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने ही किया था। इंदौर में हुये इस पंचायत सम्मेलन में ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों, जनपद पंचायतों, मंडल पंचायतों, के दस हजार से ऊपर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें हरिजनों और महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व देकर आमंत्रित किया गया था। अन्य राज्यों से प्रेक्षक भी आये थे। सम्मेलन की सजावट में ग्रामीण भावना, लोक रुचि तथा ग्राम्य परम्परा को देखकर नेहरूजी भी अत्यंत मुग्ध थे। सारा पंचायत ग्राम जैसे आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन का प्रतीक बन गया था।

2 अक्तूबर 1959 को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पण्डित नेहरू ने राजस्थान के नागौर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा – "हमारे देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे गांवों की तरक्की हो। यदि हमारे गांव तरक्की करते हैं तो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।"

आज से सात साल पहले हमने सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में यह महान आंदोलन शुरू किया था। इसे अब तक तीन लाख से अधिक गांवों में लागू किया जा चुका है। कुल मिला कर एक अच्छा काम किया गया है। लेकिन अभी हम उतना नहीं कर पाए हैं जितनी आशा करते थे। हमारी इस धीमी तरक्की का कारण यह है कि हम सरकारी मशीनरी पर अधिक भरोसा करते हैं। अफसर एक विशेषज्ञ होता है, वह हमारी मदद कर सकता है लेकिन विकास के काम को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब लोग उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि जिम्मेदारी जनता के हाथ में सौंप दी गई तो वह शायद उसे निभा नहीं पाएगी परन्तु जनता को हम केवल मौका देकर ही इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वह जिम्मेदारियों को उठाना सीखे।

इसलिए हमने फैसला किया है हर गांव में एक ग्राम पंचायत हो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार हों। साथ ही सहकारी समितियां हों जो हमारी आर्थिक तरक्की में मददगार साबित होंगी।

पण्डित नेहरू भविष्य द्रष्टा थे। स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र तथा समानता और न्याय पर आधारित समाज की रचना उनका सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने कहा था – "भविष्य हमें बुला रहा है। हम कहां जाएंगे और हमारा क्या प्रयत्न होगा ? हमारा प्रयत्न होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों और मजदूरों को स्वतंत्रता का अवसर देना, गरीबी, अज्ञान और रोग से लड़कर उनका अन्त करना, एक समृद्ध, जनसत्तात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना और ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं की रचना करना जिससे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को न्याय और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो सके।

हमारे सामने कठिन काम करने को हैं। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वैसा नहीं बना लेते तब तक हममें से किसी के लिए दम लेने का समय नहीं है। हम एक ऐसे बड़े देश के नागरिक हैं जो कि विशाल उन्नति की राह पर बढ़ रहा है और हमें उस ऊंचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन बनाना है।"

पण्डितजी कहा करते थे कि, "एकता के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ है और इसी एकता से हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आजादी की लड़ाई में हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग एक होकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। इसी एकता के कारण हमने आजादी हासिल की। अब हम आर्थिक उन्नति के लिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें तभी सफल होंगे, जब सब मिल कर काम करें।"

पण्डितजी कहा करते थे कि, "एकता के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ है और इसी एकता से हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आजादी की लड़ाई में हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग एक होकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। इसी एकता के कारण हमने आजादी हासिल की। अब हम आर्थिक उन्नति के लिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें तभी सफल होंगे, जब सब मिल कर काम करें।"

एकता, परिश्रम और बलिदान के बिना कोई कौम प्रगति नहीं कर सकती। समृद्ध नहीं बन सकती। पण्डित नेहरू ने कहा था कि, "कोई नई चीज पैदा करने के लिए परिश्रम करना होता है, तकलीफ उठानी होती है। बगैर कीमत दिए कोई अच्छी चीज नहीं मिलती। अच्छी चीज का अच्छा दाम देना पड़ता है। दाम से मतलब मेरा पैसा और रुपयों से नहीं है। असल दाम होता है आदमी का परिश्रम, आदमी का पसीना और कभी-कभी आदमी के आंसू। अच्छी चीजों के लिए वह दाम देना पड़ता है। कभी-कभी आदमी को अपना खून तक देना पड़ता है, तब समाज आगे बढ़ता है। जो कौम आगे बढ़ने की बड़ी कीमत देती है, वह बहुत बढ़ जाती है। रुपये पैसे की कीमत तो अदना चीज है वह फिजूल होती है। अपने परिश्रम से, अपने पसीने से, अपने आंसू और अपने खून से कौम आगे बढ़ती है, वे कौमें जिनमें दम होता है।"

साम्प्रदायिक सौहार्द्र और सद्भावना से ही देश मजबूत बनता है। उन्होंने कहा था कि "हमें एक मजबूत कौम चाहिए, दिलेर कौम चाहिए, ऐसी कौम चाहिए, जो एक-दूसरे से मिल कर, एक दूसरे को भाई-बहिन समझे।"

पण्डित नेहरू विज्ञान और टैक्नोलॉजी को देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। जानने, सीखने और जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रगति की पहली सीढ़ी है। वे मानते थे कि दुनिया के साथ चलने और आगे बढ़ने के लिए विज्ञान को अपनाने का अर्थ अपनी संस्कृति से विमुख होना नहीं है।

भारतीय किसानों को खेती के परम्परागत तरीकों से मोड़कर नए तौर-तरीके सिखाने के लिए पण्डित नेहरू बहुत उत्सुक रहते थे। "किसानों में जाता हूं तो सोचता हूं कि मैं किसान के दिमाग को कैसे बदलूं। यानी कुछ उसको ताजा कैसे करूं जिससे कुछ उसके दिमाग की खिड़कियां खुलें। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये तमाम बातें करनी होंगी।"

जीवन के लिए आवश्यक चीजों में से एक है – आवास। देश के लाखों-करोड़ों लोगों के लिए आरामदेह मकानों की जरूरत को उन्होंने समझा। उनके शब्दों में छिपी पीड़ा को सहज देखा जा सकता है – "करोड़ों लोगों के लिए महलों का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसकी भी कोई वजह नहीं कि, क्यों न करोड़ों लोग आरामदेह मकानों में रहकर सभ्यों जैसी जिन्दगी बिताएं।"

पण्डित नेहरू सिर्फ सपने ही नहीं देखते थे। वे भविष्य के भारत को सचमुच आकार दे रहे थे। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने नियोजन का रास्ता चुना। आर्थिक नियोजन की जो बुनियाद उन्होंने रखी, उससे आज का भारत तरक्की की नई-नई मंजिलों की ओर निरन्तर अग्रसर है।

बी-55, गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-11049

विकास में अत्यन्त बाधक तत्व रही है। अतः उन्होंने अवस्थापनागत उद्योगों के विकास पर अत्यन्त बल दिया। उनका विचार था कि विकास के लिये उन उद्योगों को विकसित करना आवश्यक है जो मशीनों का निर्माण करते हैं। यह विदित है कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और प्रदूषण है। इसके निदान के लिये आर्थिक प्रगति की दर तेज करना आवश्यक है जिसके लिये औद्योगिक विकास आवश्यक है। यह बात आज जितनी सार्थक सिद्ध हुयी कि ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े व्यवसाय कृषि को आधुनिक उद्योगों की सहायता के बिना बढ़ाना है तो उसके लिये औद्योगिक उत्पादनों यथा उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, परिवहन साधन आदि का बढ़ावा प्रयोग अनिवार्य है। आज की कृषि औद्योगिक उत्पादनों पर इस स्तर तक निर्भर है कि इनके अभाव में कृषि विकास के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। इस मूल परिकल्पना के अनुसार जो विकास की रूपरेखा अपनायी गयी उसके परिणामस्वरूप आज अब स्थापनागत सुविधाओं का जाल सुदूर गांवों तक फैलाया जा चुका है।

ग्रामीण विकास यह अपेक्षा करता है कि गांव की आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर विकास की योजना बनायी जाये। इसके लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम बनाने और निर्णय करने की सामर्थ्य स्थानीय लोगों में आये। यह पंचायती राज शासन व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है। पंचायतें भारतीय समाज की अटूट कड़ियां रही भी हैं। परन्तु ब्रिटिश शासन काल में इन्हें निष्क्रय बनाने का लगातार प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद संविधान की आकांक्षा के अनुसार नेहरूजी ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और सक्रिय बनाने का प्रयास किया। बलवंतराय मेहता समिति की संस्तुतियों के अनुरूप 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर, राजस्थान से पं. जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था का शुभारम्भ किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ढांचे से ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक और कारगर कदम था। परन्तु बाद के वर्षों में संसाधनों की कमी, जनाधार की कमी, चुनावों की अनिश्चितता और वैधानिक अधिकारों की कमी के कारण पंचायत संस्थाओं का निष्पादन स्तर आवश्यकता और अपेक्षा से कम था। पंचायतों की उपादेयता देखते हुये वर्तमान सरकार ने संविधान के 64वें, 65वें संशोधन द्वारा पंचायतों और नगरीय स्वायत्तशासी निकाय को अधिक अधिकार और साधन सम्पन्न बनाने तथा सक्रिय करने का प्रयास किया है। यह वास्तव में उस नींव को मजबूत करना है जिसे गांधीजी की प्रेरणा से नेहरूजी ने जमाया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र का सम्यक और आवश्यकता के अनुरूप विकास हो सके। नेहरूजी मानते थे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता आवश्यक है।' इसे मूर्त रूप देने के लिये 2 अक्तूबर, 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। जनता और सरकार की सहभागिता पर आधारित सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुये पं. नेहरू ने कहा था कि "सामुदायिक विकास परियोजनायें क्रान्तियुक्त अत्यन्त आवश्यक और गतिवान चिंगारियां हैं जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणें प्रवाहित होती हैं।" संयुक्त राष्ट्र तकनीकी मिशन ने इन कार्यक्रमों पर टिप्पणी की थी कि भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख, प्रयोगों में से हैं जिसके परिणामों में समस्त विश्व को रुचि है।

'नेहरूजी जानते थे कि गरीबी घटाने के लिये उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। कृषि उत्पादन समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का अति प्रमुख अंग है और कालान्तर में भी बना रहेगा। इसलिये उन्होंने कृषि उपज बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न किया। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाने, खेती की परंपरागत विधियों को छोड़ने और नवीन तकनीक अपनाने की बात लगातार कई बार दुहराई।

भूमि साधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकृति प्रदत्त सर्वप्रमुख परिसम्पत्ति है। ब्रिटिश शासन काल में मध्यस्थता युक्त जो भू-धारण प्रणाली बनायी वह कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन में बने रहने और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषक के शोषण का उपकरण बन गयी। स्वतंत्रता के तत्काल बाद पं. नेहरू ने इस संकल्पना पर जोर दिया कि भूमि व्यवस्था में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इस विचारधारा के अनुरूप अधिकांश राज्यों ने 1948-54 की अवधि में मध्यस्थ प्रथा समाप्त कर दी और कृषकों का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। पं. नेहरू समतावादी समाज की स्थापना के पोषक थे। इसी कारण उन्होंने लगातार

ग्रामीण विकास के प्रति नेहरू की नीति

डा. बद्री विशाल त्रिपाठी

नेहरूजी ग्रामीण भारत के विकास और उन्नयन के भारी पक्षधर थे और इसके पूरक के रूप में उन्होंने औद्योगीकरण को प्रश्रय दिया। लेखक का कहना है कि देश में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुविचारित नीति की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने नियोजित आर्थिक विकास प्रणाली का मार्ग चुना और इससे वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे।

राजनीतिक आजादी और आर्थिक आत्मनिर्भरता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख आयाम थे। इस महासमर के प्रथम पक्ष के लिये जिस स्तर पर महात्मा गांधी को याद किया जायेगा, द्वितीय पक्ष के लिये उतना ही पं. जवाहरलाल नेहरू को स्मरण किया जाता रहेगा। 1947 में देश को जो आर्थिक ढांचा मिला, वह अत्यन्त कमजोर और विसंगतिपूर्ण था। अर्थव्यवस्था निम्नस्तरीय संतुलन जाल में फंसी थी। निम्न आय स्तर, निम्न आय वृद्धि दर, ऊंची जन्म और मृत्यु दर व्यापक निरक्षरता, औद्योगिक पिछड़ापन आदि तत्कालीन सत्य थे। विरासत प्राप्त गरीबी, शोषण और पिछड़ेपन के लिये संघर्ष करना एक चुनौती थी। इन्हें किसी समय बिन्दु पर नहीं अपितु किसी समय अवधि में ही समाप्त किया जा सकता है जिसके लिये किसी तदर्थ नहीं अपितु सुविचारित लक्ष्य पोषित नीति की आवश्यकता थी। इसलिये पं. नेहरू ने आर्थिक विकास के लिये नियोजित विकास पद्धति का मार्ग अपनाया। उन्होंने योजना आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में आर्थिक विकास का जो प्रारूप अंगीकृत कराया आज भी अति सामान्य परिवर्तनों के साथ ओत-प्रोत है।

सामान्य अवलोकन यह संकेत करता है कि पं. नेहरू का झुकाव नगरीय विकास के प्रति अपेक्षाकृत अधिक था। ऐसा इसलिये भी लगता है कि उन्होंने भारी औद्योगीकरण पर बल दिया था। परन्तु नेहरूजी का उद्देश्य ग्रामीण भारत का विकास और उन्नयन करना था जिसके सहायक अवयव के रूप में उन्होंने औद्योगीकरण को भी प्रश्रय दिया। पं. नेहरू की वसीयत – जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म को हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर बिखेर दिया जाये, उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाये और उसी का अंग बन जाये – ग्रामीण भारत के प्रति उनके अप्रतिम लगाव की द्योतक है। आर्थिक प्रगति के लिये पं. नेहरू ने औद्योगिक विकास को आर्थिक नीति का आधार बनाया। अवस्थापनागत सुविधाओं की कमी ग्रामीण और औद्योगिक

कारण फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में होने वाली वृद्धि रही है। कृषि उत्पादिता पर अधिक जोर न होने के कारण कृषि क्षेत्र का संकट लगातार गहराता गया। खाद्यान्नों के संदर्भ में भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती गयी। इस कारण 1966 की खरीफ फसल से कृषि की नवीन प्राविधि को प्रोत्साहित किया गया परन्तु यह सघन कृषि प्रणाली भी नेहरू द्वारा चलाये गये 'सघन कृषि जिला कार्यक्रम' और 'सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' की नींव पर ही टिकी और विकसित हुई। यह स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास देश की कृषि प्रणाली के विकास का एक सहायक घटक है। इसलिये उनकी विचारधारा के अनुसार एक लम्बी अवधि तक देश की विकास युक्ति का मूल तत्व यह था कि भारी आधारभूत तथा मशीन निर्माण उद्योगों में अधिक विनियोग किया जाये। उनका विचार था कि विनियोग की अधिक मात्रा को मशीन निर्माण उद्योगों में लगाने से अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्त विकास की अवस्था में आ सकती है। इस विकास युक्ति का परिणाम यह हुआ कि आगामी विकास के लिये अवस्थापनागत सुविधायें निर्मित हुयीं जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में विविधता आयी और समाज कल्याण की गतिविधियों को बल मिला। मशीन निर्माण उद्योगों और अवस्थापनागत सुविधाओं के प्रसार के कारण ग्राम और लघु उद्योगों को पुनः गति मिली जो भारत की अतीत से रीढ़ रहे हैं। इन सुविधाओं के कारण ग्राम और लघु उद्योगों विशेषकर आधुनिक लघु उद्योगों में उत्पादन स्वरोजगार बढ़ा और इनमें उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ा। इनकी संरचना में युग की अपेक्षानुसार नवीन वस्तुएं जुड़ीं। आज देश के कुल निर्यात व्यापार में लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन का अंशदान लगभग 33 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को समर्थ बनाना उनकी सर्व प्रमुख सहायता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार उनमें सामर्थ्य लाता है। नेहरूजी ग्रामीण क्षेत्र में इन दोनों सेवाओं को सीमान्त क्षेत्रों तक पहुंचाने के पोषक थे। इस प्रवृत्ति को लगातार बल मिलता गया जिसके परिणामस्वरूप सुदूर गांवों तक आधुनिक विकास अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और विद्यालयों का जाल बिछाया जा चुका है। परिणामतः संक्रामक प्राणघातक बीमारियों के कहर बीते दिनों की बात हो गयी है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सुविधाओं के प्रसार ने ग्रामीण जनमानस को अधिक प्रगतिशील बना दिया है। ग्रामीण

नेहरूजी ने जहां रासायनिक उर्वरक के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया वहीं उन्होंने बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की भी नींव रखी। भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, और रिहंद जैसी बड़ी परियोजनाओं का आरंभ पण्डित नेहरू के प्रयास से हुआ।

क्षेत्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैज्ञानिक संसाधनों और प्रयोगशालाओं से प्राप्त परिणामों को अंगीकृत करने में वे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लोगों से भी आगे हैं।

यह सुनिश्चित है कि नेहरूजी प्रत्यक्ष और परोक्ष माध्यमों से ग्रामीण विकास के प्रति तत्पर थे। ग्रामीण विकास के लिये चलाये गये प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना से भी ग्रामीण गतिविधियों को आधुनिक बनाने में सहायता मिली है। नेहरू महलनोविस माडल जिसमें भारी एवं मूल उद्योगों के साथ विकास की अवधारणा को वरीयता दी गयी, जिसमें उत्पादन और उत्पादिता वृद्धि को गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण का आधार माना गया जिसमें यह माना गया कि उत्पादन और उत्पादिता वृद्धि के लाभ सबको मिलेंगे परिणामस्वरूप अवश्य ही अवरुद्ध और पराश्रित अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ और अर्थव्यवस्था आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हुयी परन्तु विकास प्रयासों के घनात्मक परिणामों का असमान वितरण होने के कारण वितरणात्मक न्याय की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिली जो नियोजित विकास प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। वस्तुतः नेहरू युग तक अंतर्निहित अवधारणा यह थी कि वितरणात्मक न्याय के लिये इन्तजार करना श्रेयस्कर है। परन्तु चतुर्थ योजना आरंभ के समय तक इस तथ्य पर सहमति हुयी कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में कोई अंतर्विरोध नहीं है। चतुर्थ योजना में यह कहा गया कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यह दृष्टिकोण नेहरू युग जो 1964 में उनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहा, एक परिवर्तन का सूचक है। 1969 से ग्रामीण गरीबों के विकासार्थ लगातार कई प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना आदि ग्रामीण गरीबों के सहायतार्थ चलाये जा रहे मुख्य कार्यक्रम हैं। □

सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया। इसी कारण उन्होंने भूमि व्यवस्था में विद्यमान असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया और जोत सीमाबन्दी कानून लागू किया गया। विकास के साथ सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा करना अति आवश्यक है। अतएव भू-धारण प्रणाली में कृषि जोत के स्वामित्व में समानता लाने और भूमिहीन श्रमिकों में अतिरिक्त भूमि वितरित करने के लिये जोत सीमाबन्दी कानून का समर्थन किया। जोत सीमाबन्दी की उपादेयता देखते हुये इसे अब अधिक प्रभावी बनाया गया है तथा जोत सीमाबन्दी की इकाई व्यक्ति को न मानकर परिवार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक न्याय के साथ विकास की दिशा में इस प्रयास पर जिसका सूत्रपात पंडित नेहरू के कार्यकाल में हुआ था, अधिक सघनता से अमल करने की आवश्यकता है।

नेहरूजी जानते थे कि गरीबी घटाने के लिये उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। कृषि उत्पादन समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का अति प्रमुख अंग है और कालान्तर में भी बना रहेगा। इसलिये उन्होंने कृषि उपज बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न किया। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाने, खेती की परंपरागत विधियों को छोड़ने और नवीन तकनीक अपनाने की बात लगातार कई बार दुहराई।

साथ-साथ कृषकों को वैज्ञानिक कृषि निवेशों की आपूर्ति के भी प्रयास किये। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसकी व्यावहारिक परिणति का परिणाम यह हुआ कि आज भारत देश लगभग 75 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न पूर्ति कर सकने और साथ-साथ अतिरिक्त सृजित कर सकने की स्थिति में आ गया है। 1987-88 का सूखा देश के अभिलिखित सूखों में अति गंभीर प्रकृति का रहा है। उस वर्ष लगभग 132 मिलियन टन का उत्पादन होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस वर्ष 17.0 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न उपज की संभावना है। औद्योगिक उत्पादनों का कृषि क्षेत्र लगातार प्रयोग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र का परंपरागत स्वरूप बदल गया है। जैव अभियान्त्रिकी की सर्वश्रेष्ठ खोज अधिक उपजाऊ किस्म के जादुई बीजों ने तो फसल प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। कृषि क्षेत्र ने अब मात्र जीवन निर्वाह का व्यवसाय न रहकर लाभकारी व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है।

इन कृषिगत उपलब्धियों के पीछे वह ठोस वैज्ञानिक नींव और दृष्टि रही है जिसे पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। कृषि विश्वविद्यालय, नदी घाटी परियोजनाएं, उर्वरक कारखाने, प्रयोगशालायें स्थापित करने और कृषि क्षेत्र के लिये अनुसंधान की सुविधा विकसित करने में पण्डित नेहरू ने विशेष रुचि प्रदर्शित की थी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में पंतनगर में खोला गया था। 17 नवम्बर 1960 को इसके उद्घाटन भाषण में पण्डित नेहरू ने कहा था कि यह विश्वविद्यालय तो किसानों के घर जैसा होना चाहिये। जहां से वे समस्त वांछित सुविधायें प्राप्त कर सकें। कृषि विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालओं की यह कड़ी बढ़ती गयी और आज हमारे पास कृषि विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और कृषि प्रविधि विशेषज्ञों की एक समर्थ श्रृंखला विद्यमान है। रासायनिक उर्वरक कृषि विकास के लिये एक आवश्यक निवेश है। रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना सिन्दरी में नेहरूजी के प्रयास से खुला था। नियोजन आरंभ के समय देश रासायनिक उर्वरकों का प्रति हैक्टेयर उपयोग 5 किलोग्राम से भी कम था। रासायनिक उर्वरकों का प्रति हैक्टेयर उपयोग अब बढ़कर लगभग 40 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गया है। नेहरूजी ने जहां रासायनिक उर्वरक के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया वहीं उन्होंने बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की भी नींव रखी। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, और रिहंद जैसी बड़ी परियोजनाओं का आरंभ पण्डित नेहरू के प्रयास से हुआ। ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली पहुंचाने का उन्होंने भागीरथ प्रयास किया जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों का निष्पादन सरल हुआ। इसके परिणामस्वरूप सिंचन क्षमता जो 1950-51 में 22.6 मिलियन हैक्टेयर थी, 1984-85 में बढ़कर लगभग 68.0 मिलियन हैक्टेयर हो गयी। सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण बंजर अथवा कम उपजाऊ भूमियों को भी लाभदायक फसलों के अंतर्गत लाया गया, और मानसून पर निर्भरता कम हुई। इसी प्रकार कीटनाशक दवाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों और वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेत तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया था उसकी गति लगातार बढ़ती गयी।

नेहरूजी यद्यपि चाहते यही थे कि भारतीय कृषि भी अन्य उन्नत देशों की कृषि प्रणाली के अनुरूप प्रति भूमि इकाई अधिक उत्पादन देने वाली बने परन्तु 1964, जब उनकी मृत्यु हुयी, तक कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख

पण्डित नेहरू और किसान

रामजी प्रसाद सिंह

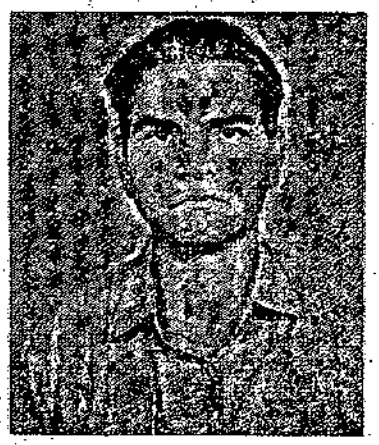

नेहरूजी ने स्वीकार किया है कि प्रारम्भ से उनका राजनीतिक दृष्टिकोण बुर्जुआ था परन्तु महात्मा गांधी के सम्पर्क में आने से उन्हें किसानों और मजदूरों के बीच काम करने की प्रेरणा मिली। नेहरूजी ने उस समय के जमींदारों द्वारा किसानों से नाजायज वसूली का जबरदस्त विरोध किया। उनके ही प्रयासों द्वारा कांग्रेस किसानों के हितों की संरक्षक बनी।

लेखक की मान्यता है कि स्वतन्त्र भारत के सामने कई समस्याएं विकराल रूप लिए खड़ी थीं। इन विपरीत परिस्थितियों में नेहरूजी ने बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण, भारी उद्योगों की स्थापना, तेल कुंओं की खुदाई, बांधों के निर्माण, पंचायती राज व्यवस्था की पुनर्स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं और सहकारिता आन्दोलन अपना कर ग्रामीण विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, अपने समय के धनकुबेर मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा इंगलैण्ड में हुई थी। मोतीलालजी अपने इकलौते पुत्र को, जन-जीवन से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अपने देश को अच्छी तरह जानने-समझने के लिए, जवाहरलालजी 1912 में विलायत से बार-एट-लॉ करके लौटने के थोड़े ही दिन बाद, गांवों और कृषकों की सेवा में जुट गये।

उन्हें इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के खेड़ा (गुजरात) और चम्पारण (बिहार) के सत्याग्रह से मिली थी। इसके पूर्व की आपकी राजनीति, बल्कि सम्पूर्ण कांग्रेस की राजनीति मध्य वर्ग की आशा आकांक्षाओं तक सीमित थी। पण्डितजी ने अपनी आत्मकथा में स्वयं स्वीकार किया है कि 1920 तक खेत, खलिहान और कारखानों में काम करने वालों व जनता की हालत से वे कतई अवगत नहीं थे। उनका राजनीतिक विचार बुर्जुआ वर्ग का था। लेकिन जैसे ही उनको दुर्दशा की जानकारी हुई, वे उनके निवारण के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुट गये। स्वतंत्र भारत का प्रथम लक्ष्य होगा गरीबी का समूल निवारण जो उन्होंने तय कर लिया था।

वास्तव में, पण्डितजी सन् 1920 की कांग्रेस से क्षुब्ध थे उन्हें इस बात की व्यग्रता थी कि कांग्रेस मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों की संस्था न रहकर, जनसाधारण का एक आन्दोलन बन जाए। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। सभी इसके सहभागी हों। इसके लिए उन्होंने किसानों और मजदूरों के बीच काम करने का निश्चय किया।

लेकिन इस क्षेत्र में शीघ्र पदार्पण का मौका स्वयं अंग्रेजों ने, उन्हें मई 1920 में मसूरी से निष्कासित करके दिया। वे वहां माता स्वरूप रानी और धर्मपत्नी कमला नेहरू को स्वास्थ्य लाभ के लिए ले गये थे। वहां उन दिनों भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच, अफगान युद्ध के बाद समझौता वार्ता चल रही थी। अंग्रेजों को पण्डितजी पर शक हुआ कि वे अफगान प्रतिनिधि-मंडल से अपना सम्पर्क बनाये हुए हैं।

पण्डितजी ने अपने पूज्य पिता की सलाह मानकर निष्कासनादेश स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद लौटने पर उन्हें खबर मिली कि प्रतापगढ़ के 200 किसान, जमींदारों के जुल्म से राजनीतीज्ञों को अवगत कराने के लिए त्रिवेणी के पास यमुना किनारे धरने पर हैं। पण्डितजी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और उनकी करुण कहानी सुनी। उसके बाद गांवों में जाकर स्वयं स्थिति का अध्ययन किया तो पता चला कि किसानों से लगभग पचास तरह के नाजायज चंदे वसूल किये जाते हैं। जमींदार के घर में शादी हो, उनका लड़का विलायत पढ़ने गया हो, चाहे उन्होंने लाट-साहब को पार्टी दी हो, सबके लिए किसानों से जबरन वसूली की जाती थी। किसानों से कार खरीदने के लिए 'मोटरोना' और हाथी खरीदने के लिए 'हथियौना' लिया जाता था। इस तरह की नाजायज वसूली में पुलिस भी जमींदारों का साथ देती थी। किसानों में इसके लिए रोष था, कई स्थानों पर उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलन्द कर रखा था। परन्तु पण्डितजी के अनुसार शहरी बुद्धिजीवियों को न तो उसकी खबर थी, न अखबारों को, न ही कांग्रेस संगठन को उससे कोई वास्ता था।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। लेकिन असहयोग आन्दोलन, जेल-यात्रा, कांग्रेस संगठन के महामंत्री एवं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा आदि में व्यस्त होने के कारण उन्हें किसान-आन्दोलन को प्रत्यक्ष नेतृत्व देने का मौका नहीं मिला। परन्तु गांधीजी के सान्निध्य में जनसाधारण के साथ दिनोदिन उनका संबंध बढ़ता गया। धीरे-धीरे किसान-मजदूर स्वयं कांग्रेस आन्दोलन में शामिल हो गये और कांग्रेस किसानों के हितों की संरक्षिका बन गयी।

लाहौर कांग्रेस (1929) में अध्यक्षीय भाषण में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वाधीनता की शपथ दिलाने के पूर्व घोषणा की : सबसे बड़ी समस्या खेत मजदूरों और किसानों की है, उनके प्रति केवल शुभकामना व्यक्त करना काफी नहीं है। जो कारखाने मजदूरों की भूख नहीं मिटा सकते, उन्हें बंद होना पड़ेगा, इसी तरह जो जमींदार किसानों/खेत-मजदूरों का पेट नहीं भर सकता, उसे जाना पड़ेगा। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी, उनका जीवन स्तर उन्नत करना होगा। उद्योगों को मजदूरों की सहकारी समितियों को सौंपे जाने चाहिए तथा जमीन पर किसानों को मालिकी हक मिलना चाहिए।

उसी क्रम में उन्होंने अपने को लोकतांत्रिक, समाजवादी घोषित किया और उसके बाद अपना सम्पूर्ण जीवन लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना में लगा दिया। इसमें भी 1931 में सारा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश विशेषकर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली और लखनऊ के किसानों के बीच काम किया। इस बीच किसानों पर जुल्म के निवारण के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को

15 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पण्डित नेहरू ने सांसदों को गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता मिटाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों की आंखों में आंसुओं की धार पलती रहेगी, हमारी साधना अधूरी रहेगी। आराम हराम होगा।

दर्जनों पत्र भेजे। वायसराय को स्मरण-पत्र देकर 50 प्रतिशत लगान की माफी की मांग की। बकायों की वसूली बंद करायी, जमींदारों के जुल्म में साथ देने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमे करवाये, जमीन की बेदखली रुकवाने में सफलता प्राप्त की।

पण्डित नेहरू गांधीजी के इस विचार से सहमत थे कि जब तक किसानों की मुक्ति नहीं होगी, गांव स्वावलम्बी नहीं होंगे और जब तक गांवों में खुशहाली नहीं आयेगी, औद्योगिक आधारशिला तैयार नहीं होगी।

अतः पण्डितजी ने समाजवाद की अपनी घोषित नीति के अनुरूप भूमि-सुधार के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया। 1933 में कांग्रेस के अन्तर्गत संस्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने जबर्दस्त हिमायत की, यद्यपि स्वयं उसका सदस्य नहीं बने।

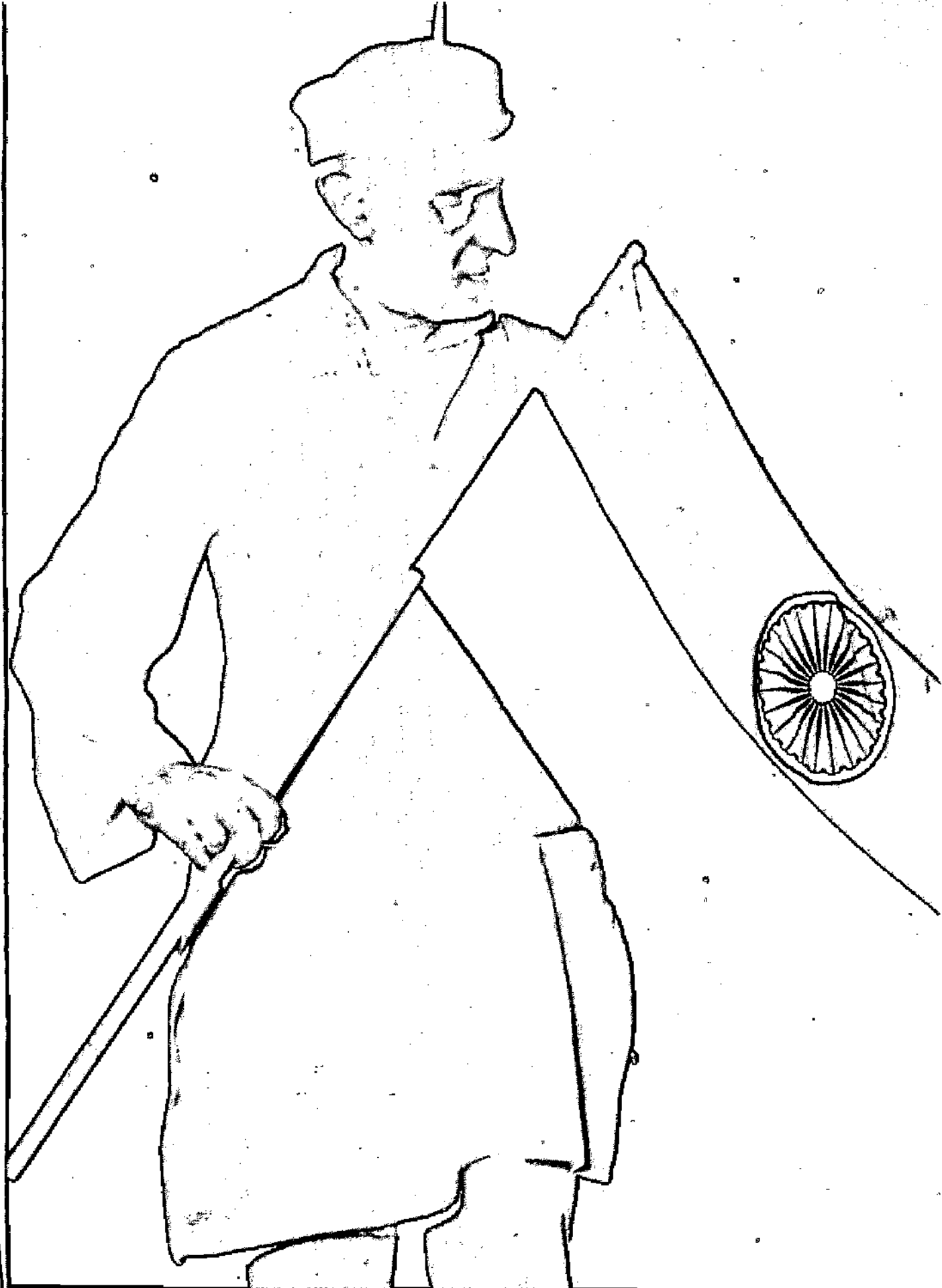

संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान करते हुए, 22 जुलाई 1947

15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नेहरूजी

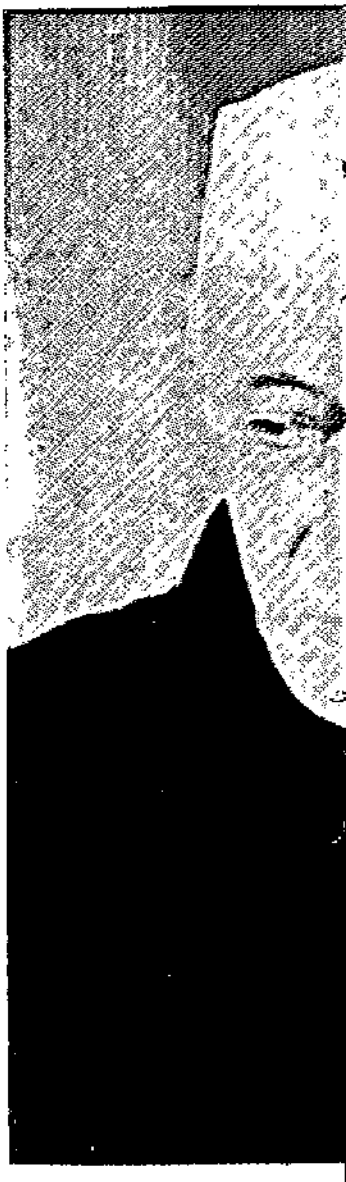

नेहरूजी डा. होमी भाभा के साथ

भारतीय गणतन्त्र के संविधान पर हस्ताक्षर करते ह

चरखा कातते हुए

गाँधीजी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद इलाहबाद में संगम पर

सन् 1936 में कांग्रेस का पुनः अध्यक्ष पद संभालने के बाद पण्डितजी ने अपनी विचार-धारा के अनुकूल, सरदार पटेल की असहमति के बावजूद कांग्रेस समाजवादी दल के तीन महारथि–आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्द्धन को पहले-पहल कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया।

फलतः कांग्रेस केवल राजनीतिक आन्दोलनकारियों की संस्था नहीं रही, यह देश के सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन के लिए आन्दोलन वाला एक शक्तिशाली संगठन बन गया। फलतः 1931 के करांची कांग्रेस में स्वीकृत स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति की रूपरेखा पूर्ण तरह उजागर हुई। देश में किसान-मजदूरों का संगठन बढ़ने लगा। जमींदारी-प्रथा का उन्मूलन कर जमीन जोतने वाले को मालिकाना हक दिलाने का कार्यक्रम तय हो गया। मूल उद्योगों और सेवाओं, विशेषकर खनिज सम्पदा, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों को सरकारी क्षेत्र में रखे जाने के कार्यक्रम को संपुष्ट कर दिया गया। गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पण्डित नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गयी। इसमें बड़े जमींदारों, रजवाड़ों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, किसान-मजदूर संगठनों के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस समिति ने स्वदेशी और स्वावलम्बन के आधार पर शोषण-विहीन समाज की रचना का लक्ष्य बनाया। किन्तु यह अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध में भारत को शामिल करने के प्रश्न पर अंग्रेजों से बातचीत टूट गयी। राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, द्वितीय महायुद्ध का विस्तार भारतीय सीमा तक हो गया और 1942 में कांग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित करने के कारण इसके सभी नेता बंद कर दिये गये।

फिर भी, शोषण-विहीन समाज की रचना का लक्ष्य स्थिर हो चुका था। अतः 1946 में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष और स्वराज के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालते ही, पण्डितजी ने सभी राज्य सरकारों को जमींदारी, ताल्लुकेदारी, कुलकर्णी वतन, मेहबासी, जागीरदारी, विस्वेदारी आदि की प्रथा समाप्त कर जमीन पर जोतने वालों को मालिकाना हक दिलाने का निर्देश दिया।

15 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पण्डित नेहरू ने सांसदों को गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता मिटाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों की आंखों में आंसुओं की धार पलती रहेगी, हमारी साधना अधूरी रहेगी। आराम हराम होगा।

ग्राम स्वराज और देश के 80 प्रतिशत कृषकों की मुक्ति के लिए तरह-तरह की जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अत्यंत क्रांतिकारी कदम था। इसमें अनेक बाधायें आयीं, परन्तु पण्डितजी ने उनका डटकर मुकाबला किया।

सबसे पहले बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया, परन्तु पटना उच्च-न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दिया। उस समय संविधान पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ था, परन्तु पण्डितजी ने बिहार और अन्य राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया। उसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद-31-ख जोड़ कर उन कानूनों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे कर दिया। फलतः जमीन जोतने वालों और सरकार के बीच के सभी बिचौलिये समाप्त हो गये। जमीनों पर किसानों का स्वामित्व कायम हो गया और अत्यन्त घृणित सामंतवादी व्यवस्था गांवों से काफूर हो गयी। शांतिपूर्ण क्रान्ति की दिशा में यह पहला प्रयोग काफी सफल सिद्ध हुआ। किसानों को जहां उनकी उपज का केवल 55 प्रतिशत भाग मिलता था, अब शतप्रतिशत प्राप्त होने लगा।

दो तीन वर्ष के अन्दर भूमि-सुधार के कानूनों पर फिर से ग्रहण लगने लगा। अनुचित मुआवजे के आधार पर उन कानूनों को असंवैधानिक करार दिया गया। इसके निराकरण के लिए पण्डित नेहरू ने चौथा संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया। बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए संविधान में (अनुच्छेद 23) पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी थी।

चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भूमि सीमा कानूनों को भी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कर दिया गया और आर्थिक विषमता समाप्त करने के उद्देश्य से बनाये गये अन्य अधिनियमों (चाहे केन्द्र के हों या राज्यों के) की सुरक्षा की भी गुंजाइश रखी गयी।

देश विभाजन के कारण, उस समय पण्डितजी के समक्ष अनेक विकट समस्यायें मुंह बायें खड़ी थीं।

साम्प्रदायिकता की लहर कायम थी, सचिवालयों में वरिष्ठ अधिकारियों का अभाव था, क्योंकि उच्च-पदों पर आसीन अंग्रेज अधिकारी स्वदेश लौट गये थे। शासन-व्यवस्था का भार मुट्ठी भर देसी अधिकारियों पर आ गया था, जिन्हें अनुभव प्राप्त करने का अवसर अंग्रेजों ने नहीं दिया था। खाद्य समस्या विकट थी। अनाज, तेल, उर्वरक आदि भारी मात्रा में विदेश से मंगवाना पड़ता था। कपड़ों की मांग भी पूरी नहीं हो रही थी। सारे उद्योग विदेशी कच्चे माल और कल-पुर्जों पर आधारित थे। विदेशी-मुद्रा की अपार कमी थी। अनुभवी मंत्रियों का भी अभाव था। सेना को भी सुसज्जित करना था।

इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पण्डितजी ने आर्थिक एवं सामाजिक विषमता मिटाने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कराया। अर्थव्यवस्था की चोटी सरकारी हाथों में रखने के उद्देश्य से भारी उद्योगों की प्रबल विरोध के बावजूद स्थापना करवाई। एक-के-बाद दूसरे इस्पात कारखानों की नींव डाली। तेल और प्राकृतिक गैस की खोज (समुद्र में भी) के लिए आयोग की स्थापना करायी और तेल कूपों की खुदाई के लिए सोवियत संघ की सहायता ली। सिन्दरी (बिहार) में उर्वरक का और रांची में भारी यंत्रों का विराट कारखाना स्थापित कराया।

गांवों को पानी और बिजली देने तथा बाढ़ से रक्षा के लिए अनेक वृहद् और बहुद्देश्यीय परियोजनाओं का सूत्रपात किया। योजना स्थलों को 'नया तीर्थ स्थान' घोषित किया। कोसी और गंडक योजनायें लागू करायीं। दामोदर घाटी निगम बनवाया। पंजाब में कुतुब मीनार से भी ऊंचा भाखड़ा बांध बनवाया। यह दुनिया का दूसरा बांध था। प्रायः सभी राज्यों में उदवाही नलकूप (लिफ्ट इरिगेशन) प्रणाली शुरू करवाई। बिजली उत्पादक संयंत्र बनाने वाले विशालकाय कारखानों की स्थापना, भोपाल, हरिद्वार, तिरुचि और मद्रास में करायी। परमाणु बिजली घरों की स्थापना करायी।

यहीं तक नहीं, पण्डितजी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए सभी गांवों में ग्राम-पंचायतों की स्थापना करायी और उन्हें स्वायत शासन की एक सफल इकाई के रूप में विकसित करने की प्रेरणा दी।

उन्होंने वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया ताकि खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, गांव खुशहाल हों और औद्योगिक विकास का धरातल मजबूत हो। 1929 की अपनी शपथ के अनुसार उन्होंने सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून, बटाईदारी कानून आदि बनवाया ताकि खेत-मजदूरों को राहत मिले।

वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने तथा ग्राम-विकास तेज करने के लिए पण्डितजी ने सामुदायिक विकास योजना शुरू करायी। इसके माध्यम से किसानों को उन्नत बीज और खाद सुलभ कराया। किसानों को वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक या दो जन-सेवकों की नियुक्ति करायी। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दिलवायी।

कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनेक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करायी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को विश्व के एक अनुपम अनुसंधान केन्द्र के रूप में उभरने का मौका दिया। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए जापानी ढंग की खेती शुरू करवाई और गेहूं उत्पादकों के लिए मैक्सिको से गेहूं का उन्नत बीज मंगाकर उसे भारत में विकसित कराया। सामाजिक-आर्थिक विकास के अपने सपनों और संविधान द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपनी अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग की स्थापना करायी और उसे इतना अधिकार दिलाया कि लोग उसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा देने लगे थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में पण्डितजी ने कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाई और योजनाओं के कार्यान्वयन में जन-सहयोग जुटाने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना करायी। स्वयं उसके अध्यक्ष बने।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पण्डित नेहरू ने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में संतुलन बैठाने, धन का केन्द्रण घटाने, निजी मुनाफे पर नियंत्रण लगाने और सामाजिक लाभ की योजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया। फलतः इस योजना में भी कृषि विकास की प्राथमिकता कायम रही।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का धरातल मजबूत करने का लक्ष्य बनाया गया, फिर भी कृषि और लघु-उद्योगों को बढ़ावा देने वाले वृहद उद्योगों को ही

प्राथमिकता दी गयी । चौथी योजना काल में नेहरूजी ने स्वावलम्बन और जन साधारण की दैनिक जरूरत की चीजों और सेवाओं की वृद्धि पर जोर दिया । कृषि-विकास की दर पांच प्रतिशत और औद्योगिक विकास की दर 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य बनाया, जो चीनी आक्रमण के समय उभरी राष्ट्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए जरूरी था ।

पण्डितजी को भली-भांति ज्ञात था कि विकास की योजनाओं का लाभ सीमान्त किसानों, बटाइदारों और खेत मजदूरों को नहीं मिला है । अतः पण्डितजी ने छोटे और मध्यम किसानों के लिए सहकारी खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया । इसके कारण करीब साढ़े 5 लाख गांवों में 40 लाख कृषक-सहकारी समितियां बनाई गयीं । किन्तु इसका कांग्रेस के एक वर्ग ने जोरदार विरोध किया । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और स्वामी सहजानन्द सरस्वती जैसे वैज्ञानिक खेती के संरक्षकों के असामयिक निधन से इस क्षेत्र में पण्डितजी अकेले पड़ गये । राजगोपालाचारी, कन्हैयालाल मानिक लाल मुन्शी आदि चोटी के नेताओं ने इस प्रश्न पर कांग्रेस छोड़ कर 'स्वतंत्र पार्टी' बना ली । दूसरी ओर चीनी आक्रमण हो गया । इसके फलस्वरूप किसानों के सहकारी आन्दोलन को गहरा धक्का लगा ।

यह कृषि विकास एवं ग्राम-विकास के हित में अत्यंत अशुभ सिद्ध हुआ । फिर भी देश के योजनाबद्ध विकास के लिए पण्डित नेहरू प्रतिबद्ध थे । इसके लिए उन्होंने सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से विकास की योजनाओं का संदेश ग्राम-वासियों के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रबन्ध जारी रखा । पण्डितजी अक्सर जंगलों और पहाड़ों में स्थित सुदूर गांवों का दौरा करते थे, ग्रामीणों की सभाओं में योजनाओं के लक्ष्यों और कार्यक्रमों पर घंटों भाषण करते थे । संदेश जनता तक पहुंच जाये इसके लिए स्थानीय नेताओं की सहायता से स्थानीय भाषाओं और बोलियों के शब्द और उच्चारण उधार लेकर इस्तेमाल करते थे ।

ग्रामीणों को सचमुच पण्डितजी जैसा अनोखा जननायक शायद ही कहीं प्राप्त हुआ होगा, जो कभी आदिवासियों की वेष-भूषा में नाचते पाये जाते थे और कभी किसानों के साथ स्वर में स्वर मिला कर गीत गाते देखे जाते थे ।

आप लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण क्रांति के मसीहा थे । समाजवादी होते हुए भी उन्होंने न तो जमींदारों को तंग किया, न राजा महाराजाओं के विरुद्ध सैनिक इस्तेमाल किये, न पूंजीपतियों को हटाया । उनकी पूंजी को बैंक और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त कर नियंत्रित किया । औद्योगिक नीति बनायी । एकाधिकारी घटनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए न्यायिक आयोग बनाया । जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, किन्तु जोतने वालों को मालिकी हक दिलाने में सफलता प्राप्त की ।

पण्डितजी अक्सर जंगलों और पहाड़ों में स्थित सुदूर गांवों का दौरा करते थे, ग्रामीणों की सभाओं में योजनाओं के लक्ष्यों और कार्यक्रमों पर घंटों भाषण करते थे । संदेश जनता तक पहुंच जाये इसके लिए स्थानीय नेताओं की सहायता से स्थानीय भाषाओं और बोलियों के शब्द और उच्चारण उधार लेकर इस्तेमाल करते थे ।

भ्रष्टाचार के कारण विकास का पूरा लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है, इस तथ्य से पण्डितजी अवगत थे । उनकी आत्मकथा इसकी पुष्टि करती है । इसीलिए उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम भी व्यापक रूप से चलाया था । इसके लिए अनेक जांच आयोगों की स्थापना की । कामराज योजना भी शांतिपूर्ण क्रांति का एक अंग थी ।

लक्ष्य अभी बाकी है – पण्डित जवाहरलाल नेहरू इसके बारे में आश्वस्त थे । इसीलिए उन्होंने कहा था 'आराम हराम है ।' 'बिस्तरे पर जाने के पहले मुझे लम्बा सफर तय करना है' – यह पट्टिका सदैव उनके सिरहाने रहती थी ।

पण्डितजी का प्रेरक जीवन-चरित्र, दुनिया के दलितों-शोषितों और शांति के उपासकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा ।

बी-2, बी-285 जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

नेहरूजी का स्वप्न-ग्रामीण विद्युतीकरण

सुरेन्द्र द्विवेदी

प्रस्तुत लेख में लेखक ने नेहरूजी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा है कि आज देश को स्वतंत्र हुए 42 वर्ष बीत चुके हैं तथा नेहरूजी द्वारा अपनाई गई नीतियां और कार्यक्रम आज भी स्वीकार्य हैं। लेखक का कहना है कि नेहरूजी गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण में आस्था रखते थे क्योंकि वे मानते थे कि बिजली से कृषि के साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। आज नेहरू शताब्दी वर्ष में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए इनके नाम से ही 'जवाहर रोजगार योजना' शुरू की जा रही है जोकि हमारी सरकार का सद्प्रयास है।

"देश की 80 प्रतिशत से अधिक की आबादी गांवों में रहती है, भारत गरीब है क्योंकि इसके गांव गरीब हैं। गांवों के सम्पन्न होने से देश धनी हो जायेगा। अतः भारत की मुख्य समस्या गांवों की गरीबी है। उसके लिए हर गांव में पंचायत, स्कूल तथा सहकारी संस्थायें हों। पंचायत गांव को प्रशासनिक ढांचा प्रदान करेगी जबकि सहकारी संस्था उसके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी।"

ये शब्द भारत के स्वपन्न दृष्टा, निर्माता एवं प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के हैं जो उन्होंने आज से चार दशक पूर्व प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के समय कहे थे। पं. नेहरू का यह सार्थक कथन देश की मूलभूत आर्थिक एवं विकास की समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में निरूपित करता है। उनका यह स्वप्न और दार्शनिक चिन्तन आज भी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के मामले में प्रेरक तत्व के रूप में मौजूद है।

यदि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता थे तथा राष्ट्रपिता के रूप में गौरवान्वित हुये तो सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के वर्तमान एकाग्र स्वरूप को प्रदान किया। परन्तु पण्डित नेहरू वास्तविक अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं जिन्होंने देश के विकास का नक्शा तैयार किया और करोड़ों गरीब देशवासियों के फायदे के लिये नयी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया। पिछले 42 वर्षों में यह बात साफ हो गयी है कि पण्डित नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में जिन नीतियों और कार्यक्रमों का अवलम्बन किया वे आज भी थोड़े बहुत फेरबदल के बाद स्वीकार्य हैं और उन्हें आगे बढ़ाया गया है।

पं. नेहरू ने एक चिन्तन प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता के प्रारम्भिक 18 वर्षों तक देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुत्थान की कमान सम्भाली और उन्होंने देश के व्यापक हित और आम जनता के कल्याण के लिये योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा मिली जुली अर्थ व्यवस्था के द्वारा औद्योगिक एवं तकनीकी विकास की आधारशिला रखी। देश के औद्योगिक विकास के लिये उन्होंने जहां बड़े आधारभूत उद्योगों, बिजली घरों, तेलशोधक कारखानों तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरूआत की वहां कृषि ग्रामीण विकास एवं गरीब जनता

उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई। उनका कहना था देश की सेवा का अर्थ है उन लाखों भूखे नंगों की सेवा करना जो गरीबी, अशिक्षा एवं बीमारी से पीड़ित हैं। जब तक उनकी आंखों में आंसू हैं तब तक यह काम अधूरा रहेगा।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और उनका कार्यान्वयन पण्डित नेहरू की देखरेख में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत के विभाजन के जर्जरित देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास की दिशा निर्धारित करने का दायित्व पं. नेहरू के ही कंधों पर ही था। आर्थिक साधन सीमित थे, उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाना था जिससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ गांव की आम जनता की हालत सुधारी जा सके। उनका कहना था कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिये यथाशीघ्र औद्योगिक विकास होना जरूरी है परन्तु इन छोटे, बड़े और मझौले उद्योगों में देश की कुल आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा ही काम पा सकता है। इसके बाद भी करोड़ों लोगों को खेती पर निर्भर रहना होगा। इन लोगों को खेती के अलावा कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों में काम दिलाना जरूरी होगा। यह अवश्य है कि हम पंचवर्षीय योजना में उद्योग को महत्ता दे रहे हैं, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में कृषि खाद्यान्न तथा खेती से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि यदि खेती का आधार मजबूत नहीं होगा तो औद्योगीकरण की नींव भी कमज़ोर रह जायेगी।

यदि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता थे तथा राष्ट्रपिता के रूप में गौरवान्वित हुए तो सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के वर्तमान एकाग्र स्वरूप को प्रदान किया। परन्तु पण्डित नेहरू वास्तविक अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं जिन्होंने देश के विकास का नक्शा तैयार किया और करोड़ों गरीब देशवासियों के फायदे के लिये नयी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया।

पण्डित नेहरू यद्यपि रूसी क्रान्ति और उसके परिणामों से प्रभावित थे परन्तु उन्होंने योजनाबद्ध आर्थिक विकास की उस प्रक्रिया को स्वीकार किया जिसमें आम जनता की भागीदारी हो। उनकी यह मान्यता थी कि जिन मामलों का सम्बन्ध आम जनता से और जिनका असर उनके जीवन पर पड़ता हो उसका निर्धारण और निष्पादन उसके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। वे इस मामले में बहुत लोकतांत्रिक थे। उनकी इसी परिकल्पना से ही गांव पंचायत प्रणाली तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का जन्म हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में गांवों की ओर कदम बढ़ाये थे। समन्वित ग्रामीण विकास की दिशा में यह कार्यक्रम सन् 1952 में विधिवत शुरू किया गया। इसकी शुरूआत के साथ ही ग्रामीण विकास का एक नया युग शुरू हुआ जिसमें ग्रामवासियों को भागीदार बनाया गया। इस योजना के तहत ब्लाक (खण्ड) स्तर पर सामुदायिक विकास परियोजनायें शुरू की गईं और ब्लाक प्रशासनिक एवं विकास की एक इकाई के रूप में स्थापित किये गये। ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी तथा ग्रामसेवकों की तैनाती की गई। खण्ड स्तर के अधिकारियों को सहयोग देने के लिये गैर सरकारी सलाहकार समितियों का गठन किया गया। जिला स्तर पर भी इसी प्रकार मशीनरी की रचना की गई जो जिला परिषदों के नाम से जानी गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया कि आम ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिये गांव स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से गठित पंचायतों की स्थापना की जाये, जो स्थानीय स्वशासन की इकाई बनने के अलावा विकास का प्रभावी माध्यम बन सकें। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त बलवन्तराय मेहता समिति ने नवम्बर 1957 में अपनी रिपोर्ट में गांव स्तर पर चुनी हुई पंचायत गठित करने, ब्लाक स्तर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों के गठन की सिफारिश की थी। पं. नेहरू ने दो अक्तूबर 1959 को राजस्थान के नागौर कस्बे में इस सिलसिले के एक राष्ट्रीय रैली का उद्घाटन किया था।

उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि नये भारत के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना एक युगांतरकारी एवं ऐतिहासिक घटना है, जिससे गांवों की तस्वीर बदल सकेगी।

मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने तत्सम्बन्धी कानून पारित किये और अगले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। केन्द्रीय संवैधानिक

व्यवस्था के अभाव में विभिन्न रूपों में पंचायती राज प्रणाली सामने आई। उसके अधिकारों एवं ढांचे में एकरूपता का अभाव पाया गया। अब इसी पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने उसे संवैधानिक आधार देने का फैसला किया है। जिसका आम तौर से स्वागत किया गया है।

पण्डित नेहरू सामाजवादी समाज की स्थापना के उत्प्रेरक थे जिसमें समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिले तथा ऊंचे-नीचे तथा छोटे-बड़े का भेदभाव समाप्त हो। उनके इस विचार की झलक तीनों पंचवर्षीय योजना में मिलती है। इस दिशा में दूसरी योजना के दौरान भूमि सुधार पर बल दिया गया और राज्य सरकारों से भूमि सुधारों के बारे में एक समान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। पण्डित नेहरू ने स्वयं इसमें गहरी रुचि दिखाई और उनके सुविचारित आग्रह के कारण सरकारों ने इसे राष्ट्रीय योजना में स्वीकार किया। इसका परिणाम यह था राज्य में जमींदारी व्यवस्था समाप्त की गई। कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, जोतों की चकबंदी कराने तथा भूमिहीनों एवं खेतिहर मजदूरों के बीच इस बची कृषि भूमि को वितरित करने सम्बंधी अनेक कानून पारित एवं लागू किये गये।

पण्डित नेहरू का विचार था कि गांवों में बिजली पहुंचाने से विकास का रास्ता खुलेगा तथा इन क्षेत्रों में कृषि के साथ ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की बढ़ावा मिल सकेगा। गांवों में बिजली पहुंचाने से बुनाई, लकड़ी का काम, पोटरी, धातु, कारीगरी, पावर लूम जैसे उद्योगों का काफी विकास हुआ है। इसके साथ ही आटा मिलों, शीतगृहों के निर्माण को बल मिला है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में खुशहाली लाने के लिये सिंचाई के साधनों तथा सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी था। प्रथम योजना के साथ कुल 2.26 करोड़ हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। जबकि देश में 11.5 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होती थी, सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये प्रथम योजना के 456 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 541 करोड़ रुपये और तीसरी योजना के 1024 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इस दौरान भाखड़ा नंगल, राजस्थान नहर, रामगंगा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, व्यास परियोजना और राणाप्रताप सागर जैसी बड़ी एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर काम किया गया और पूरा किया गया। इसके अलावा अनेक छोटी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई।

इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ-साथ देश में बिजली उत्पादन बढ़ा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलने के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता के समय देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 1400 मेगावाट थी जो मार्च 1989 के अन्त तक बढ़कर 59 हजार मेगावाट हो गई है। प्रथम योजना के समय कुल 3061 गांवों को बिजली प्राप्त थी। परन्तु दूसरी योजना के अन्त तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या 21750 हो गई जो करीब सात गुनी बैठती है। तीसरी योजना (1961-66) के अन्त तक देश के करीब कुल 6 लाख गांवों में से 45 हजार से अधिक गांवों को बिजली दी गई तथा सिंचाई के लिये पांच लाख से अधिक पम्पसैटों को बिजली दी गई जबकि स्वतंत्रता के बाद इनकी संख्या कुछ हजारों में ही थी।

पण्डित नेहरू का विचार था कि गांवों में बिजली पहुंचाने से विकास का रास्ता खुलेगा तथा इन क्षेत्रों में कृषि के साथ ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की बढ़ावा मिल सकेगा। गांवों में बिजली पहुंचाने से बुनाई, लकड़ी का काम, पोटरी, धातु, कारीगरी, पावर लूम जैसे उद्योगों का काफी विकास हुआ है। इसके साथ ही आटा मिलों, शीतगृहों के निर्माण को बल मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करना एक बहुत बड़ा काम है। इसकी शुरूआत पं. नेहरू ने चार दशक पूर्व की थी। आज भी इन इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर उनके शताब्दी वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई है जिस पर 2600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 60 करोड़ ग्रामीण आबादी में 18 करोड़ अर्थात 30 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जबकि प्रारम्भिक वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग आधी थी। इन लोगों को इस योजना के तहत लाभप्रद काम दिया जा रहा है।

8, कनाट लेन, नई दिल्ली-1

महात्मा गांधी, नेहरू और ग्रामीण भारत

रफीक शास्त्री

देश की आजादी के संग्राम में दो महान हस्तियों ने भी भाग लिया था – गांधीजी एवं नेहरूजी। लेखक का कहना है कि नेहरू कभी-कभी गांधी के साथ सहमत नहीं होते थे परन्तु उनकी कोशिश यह रहती थी कि गांधीजी के मन को ठेस न पहुंचे। लेखक का मत है कि हालांकि गांधीजी की प्रेरणा से नेहरूजी देश की आजादी की लड़ाई और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हुए, पर गांधीजी की विचारधारा के विपरीत वे विज्ञान, टैक्नोलाजी और वैज्ञानिक पद्धति को महत्व देते थे। परन्तु वे दस्तकारी और कुटीर उद्योगों के अस्तित्व को भी बरकरार रखना चाहते थे।

1933 में गांधीजी ने यरवदा जेल में 21 दिन का व्रत रखने का फैसला किया। पण्डित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों उत्तर प्रदेश की जेल में थे। महात्मा गांधीजी ने उन्हें पत्र लिखकर इस बारे में उनकी राय पूछी थी। पण्डितजी ने, जो इस प्रकार के व्रत रखने को बहुत पसन्द नहीं करते थे अपनी आत्म-कथा में उस वक्त की अपनी मानसिक उलझनों का जिक्र इन शब्दों में किया:-

"एक ओर मैं उनके कार्य को पसन्द नहीं करता था और दूसरी ओर उन्हें किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाने की भी मेरी इच्छा बहुत बलवती थी। मैं इस द्वन्द्व में पड़ा हुआ था....ऐसी स्थिति में मुझे चाहिए कि मुझसे जितना बन सके उनको प्रसन्न रख सकूं।"

दो महान हस्तियां

आजादी की लड़ाई की ये दो महान हस्तियां देश की गुलामी से निजात दिलाने और आजाद हिन्दुस्तान के निर्माण का अपने-अपने तौर पर नक्शा बना रहीं थीं। लक्ष्यों की समानता के बावजूद उनमें अक्सर मदभेद भी उभरते रहते थे।मगर पण्डितजी को यह बात गवारा नहीं थी कि वे गांधीजी के मन को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाएं और गांधीजी भी सदैव पण्डितजी पर अपना स्नेह न्यौछावर करते रहते थे।

गांधीजी के बारे में एक और उदाहरण देखिए "यह साफ जाहिर था कि जीवन, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोणों में काफी अन्तर था। लेकिन मैं उनका कृतज्ञ हूं कि उनसे जहां तक बना, उन्होंने उदारतापूर्वक मेरे दृष्टिकोण के अधिक-से-अधिक निकट आने की कोशिश की ... वे मध्यकालीन कैथोलिक संतों के ढंग के आदमी हैं। लेकिन साथ ही वे एक व्यावहारिक नेता भी हैं। हिन्दुस्तान के किसानों की नब्ज हमेशा उनके हाथ

में रहती है। संकट काल में वह किस दिशा में मुड़ जायेंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन दिशा कोई भी हो उनका परिणाम जबरदस्त होगा। संभव है कि हमारे विचार से वे गलत रास्ते पर जायें, लेकिन हमेशा यह रास्ता सीधा ही होगा।"

गांधीजी के बारे में पण्डित नेहरू ने यह आकलन अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत किया है, जबकि आजादी की लड़ाई के बीच कई तरह के उतार-चढ़ाव आ चुके हैं।

पण्डित नेहरू : वैचारिक पृष्ठभूमि

पण्डित नेहरू पर सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में अपने युग की सभी प्रमुख

पण्डितजी को भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व था मगर वह काल चक्र को पीछे की ओर लौटने की बात को हिमाकत ही मानते थे कि बराबर पीछे मुड़-मुड़ कर देखने से आगे बढ़ने में रुकावट आती है। इससे हमारी गर्दन टेढ़ी भी हो सकती है। हमें आज के युग पर प्राचीन को हावी नहीं होने देना है। हमें बहुत-सी पुरानी चीजों को काटना-छांटना होगा, जो पहले कभी उपयोगी रही हों तो रही हों मगर जो अब अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं।

विचारधाराओं का असर पड़ा था। विचारों में वे कालमार्क्स के साम्यवादी सिद्धान्तों से प्रभावित थे और महात्मा गांधी की व्यावहारिक बुद्धिमता पर उनका अटूट विश्वास था। मगर इन सबके ऊपर पश्चिमी देशों की लिबरल विचारधारा भी उन पर छायी रही। पण्डित नेहरू सारे जीवन इनके बीच समन्वय और समझौता करके चलते रहे। आत्मकथा के लेखक के रूप में उन पर मार्क्सवादी विचारधारा की छाप सबसे ज्यादा स्पष्ट है। यद्यपि यहां भी वे अन्धभक्त नहीं हैं। भारतीय राजनीति के बारे में उस जमाने के भारतीय कम्युनिस्टों के आकलन की वह खूब खिल्ली भी उड़ाते हैं। जगबीती "ग्लिंपसज़ आफ वर्ल्ड हिस्ट्री' में मार्क्सवाद के प्रति उतना आकर्षण नहीं दिखाई देता। इस बीच यूरोप की घटनाओं में उनके सामने कुछ नये निष्कर्ष प्रस्तुत किये। मगर देश और काल के वैज्ञानिक विश्लेषण का मार्क्सवादी सिद्धान्त उन्होंने नहीं छोड़ा। 'भारत की खोज' में वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दार्शनिकता को भी स्वीकार करने लगे। कई प्रकार के मतभेद के बावजूद यह आवाज महात्मा गांधी की आवाज से मिलने लगती है। लोकतांत्रिक समाजवाद में उनकी आस्था गहरी होने लगती है।

अपने घर के वातावरण, इंगलैंड में रहते हुए भारत की आजादी की लड़ाई के प्रति गहरे आकर्षण और महात्मा गांधी की प्रेरणा से पण्डितजी सार्वजनिक जीवन में उतरे थे। भारतीय समाज की कायाकल्प करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसे बहुत से लोग थे, जो साम्राज्यवाद के विरूद्ध इस संघर्ष को प्राचीन भारत के गौरव की प्राप्ति का एक साधन बनाना चाहते थे। कुछ लोगों ने प्राचीन संस्कृति की ओर लौटने को अपना धार्मिक कर्तव्य मान लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई को इसी रूप में ले रहे थे।

पण्डितजी को भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व था मगर वह काल चक्र को पीछे की ओर लौटने की बात को हिमाकत ही मानते थे कि बराबर पीछे मुड़-मुड़ कर देखने से आगे बढ़ने में रुकावट आती है। इससे हमारी गर्दन टेढ़ी भी हो सकती है। हमें आज के युग पर प्राचीन को हावी नहीं होने देना है। हमें बहुत-सी पुरानी चीजों को काटना-छांटना होगा, जो पहले कभी उपयोगी रही हों तो रही हों मगर जो अब अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं।

अहा ! ग्राम जीवन

इस शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रामीण जीवन के प्रति विचित्र आकर्षण का वातावरण दिखाई देता है जिसकी अभिव्यक्ति मैथलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों से बहुत सहज भाव से हो जाती है -

अहा ! ग्राम जीवन भी क्या है
क्यों न किसी का जी चाहे

गांव की इस रुमानी छाया के पीछे वहां की असली जिंदगी कितनी भिन्न थी। गांव की शांति और सादगी के प्रति पण्डितजी को भी बहुत आकर्षण रहा है। धरती के निकट रहने को वे सुख शान्ति के लिए जरूरी मानते थे। मगर गांव के शान्त जीवन के पीछे कितना दुखदर्द है उसका भी उन्हें अच्छी तरह के अहसास था। गांधीजी के असहयोग आन्दोलन में वे जी जान से लग चुके थे। भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता को अपने जीवन

का लक्ष्य बना चुके थे। हिन्दुस्तान के किसानों से भी उनका सम्पर्क हुआ था, जिनकी स्थिति अंग्रेजी शासन काल में दिन-पर-दिन गिरती हुई अत्यन्त शोचनीय अवस्था में पहुंच गई थी। उन दिनों एक अनपढ़ देहाती लीडर रामचन्द्र ने अवध के कुछ जिलों में किसानों को संगठित करके उन्हें शासन और जमींदारी के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार किया था। इनमें से कुछ लोग पण्डित नेहरू और उनके साथियों को बुलाकर ले गये ताकि वे अपनी आंखों से किसानों की दुर्दशा देख लें। देहात के इस दौरे ने पण्डित नेहरू के विचारों पर इतनी गहरी छाप डाली कि उनकी कायाकल्प हो गई। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि –

"गरीब किसानों ने हम पर प्रेम न्यौछावर किया। मानो कि हम उनके लिए सुख का कोई संदेश लेकर आये हैं। उनकी मुसीबतों और अथाह प्रेम को देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। शर्म तो मुझे अपनी विलासिता की जिंदगी और शहरों की तुच्छ राजनीति पर आती थी जो देश के इन अर्द्ध-नग्न लोगों को नहीं देखती थी। दुःख इसलिए था कि हिन्दुस्तान की गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर दिल फटा जाता था। मेरी आंखों के सामने देश की एक नई तस्वीर फिरने लगी। उन लोगों को हम पर जो दूर के शहर से आये थे असाधारण भरोसा था। उसे देख-देखकर मुझे घबराहट होती थी। ऐसी नई जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता था जिससे मैं कांप-कांप जाता था।

यह जून का महीना था, जब भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैं धूप में निकलने का आदी नहीं था। जब से इंगलैंड से वापस आया था ज्यादातर गर्मीयां पहाड़ों पर गुजारता था। अब चिलचिलाती धूप में घूमता। सिर पर हैट नहीं होता। सिर पर एक छोटी तौलिया लपेटे रहता था। मैं दूसरी चिंताओं में ऐसा खोया कि गर्मी की तपश का एहसास भी नहीं रह गया।"

पण्डितजी के जीवन के इस नये अनुभव और उनकी मनोदशा पर टिप्पणी करते हुए डा. एस. गोपाल लिखते हैं कि पण्डित नेहरू किसानों की बेचैनी को राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर मोड़ देना चाहते थे, मगर उस वक्त स्वयं नेहरूजी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी समस्याओं का पूरी तरह आकलन नहीं किया था। पण्डितजी को ग्रामीण भारत को समझने का एक मौका और भी बड़े पैमाने पर देश भ्रमण के दौरान मिला। 1936 के बाद की चुनावी सरगर्मियों ने उन्हें मौका दिया। उन्होंने देश भर का तुफानी दौरा किया। उत्तर प्रदेश के किसानों की जो हालत उन्होंने अब तक देखी थी देश के अन्य भागों में उससे भी ज्यादा खराब स्थिति पाई।

गांधीजी का ग्राम स्वराज्य

महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के बीच से ही रचनात्मक कार्यों की एक नई राह निकाल चुके थे। धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से कुछ अलग होकर वह ग्राम स्वराज्य का अपना प्रयोग कर रहे थे। इस ग्राम स्वराज्य के बारे में गांधीजी लिखते हैं कि वह एक पूर्ण गणतंत्र है, जो जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर करेगा। गांव को सबसे पहले उसकी चिन्ता होगी कि वह अपने खाने के लिए अनाज और कपड़ों के लिए कपास उगाये, पशुओं के चरने की शामलात भूमि होगी और बच्चों के खेलने का मैदान होगा। यदि कुछ भूमि बच गई तो उस पर नकदी फसल उगाई जायेगी। गांवों में रंगमंच, स्कूल और चौपाल होगी। गांव का इंतजाम पंचायत के हाथ में होगा, जिसे गांव वाले हर साल चुनेंगे। पंचायतों को मुकदमें की सुनवाई का भी अधिकार होगा।

ये ग्राम पंचायतें उस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की अलग-अलग कड़िया थीं जो गांधीजी निकट भविष्य में हिन्दुस्तान में स्थापित करना चाहते थे। इन कड़ियों को एक-दूसरे से मिला कर राज्य और केन्द्र की श्रृंखला में जोड़ने पर अभी उन्होंने विचार नहीं किया था। वह हर व्यावहारिक समस्या पर उसी वक्त विचार करते थे जब उसे सचमुच हल करने का वक्त आता था। इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए 'वे आफ गांधी एंड नेहरू' में डा. आबिद हुसैन लिखते हैं कि उधर हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय हुकूमत का संविधान बनने का वक्त आया, उधर देश में साम्प्रदायिक उपद्रवों की आग भड़क उठी। महात्माजी ने इस आग को बुझाने में अपना सारा समय और शक्ति लगा दी और अपनी जान तक की आहुति दे दी। उस वक्त उन्हें ग्राम स्वराज्य की अपनी कल्पना में रंग भरने का अवसर नहीं मिला। भारत के संविधान के बारे में उन्हें सोचने का मौका मिलता तो वह शायद केन्द्र और राज्यों के अधिकारों को इस प्रकार सीमित बनाने की बात करते जिससे कि ग्राम पंचायतों के लिए पूरी गुंजाइश निकल आती।

ग्राम स्वराज्य की यह कल्पना गांधीजी के आध्यात्मिक

और सर्वोदय समाज के आदर्शों के अनुरूप थी, जिसमें शासन को वह नैतिक शक्ति के अधीन देखना चाहते थे। वह आजादी की लड़ाई के दौरान गांवों में एक नई जान डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चरखे, खादी, जातियों की ऊंच-नीच और छुआछूत की समाप्ति कार्यक्रम शुरू कर दिया था। राजनीतिक कार्यों को उन्होंने पण्डित नेहरू और अन्य नेताओं के ऊपर ही मुख्य रूप से छोड़ दिया था। मगर इसका यह मतलब नहीं था कि वे कांग्रेस से अलग हो गये। इस स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलबत्ता दो वर्गों में बढ़ते दिखाई देते हैं। कुछ गांधीजी के आश्रमों या गांव-गांव फैलकर उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। कुछ का ज्यादा समय राजनीतिक कार्यों में लगता था। ये राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी बीच-बीच में गांधीजी के आश्रमों में जाते या गांव और शहरों में रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाते रहते थे। गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता भी सत्याग्रह और गिरफ्तारियों का राजनीतिक आन्दोलन छिड़ने पर उनमें शामिल होते रहते थे।

मशीन और बड़े उद्योग

गांधीजी हिन्दुस्तान, एशिया तथा अफ्रीका देशों की गुलामी को पश्चिमी जगत में मशीनों के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल से जन्मी विलासिता और भोग के जीवन का परिणाम मानते थे। उन्होंने समाज की जो कल्पना की थी उसमें मशीनों की स्थिति गौण थी। गांधीजी अगस्त, 1936 में हरिजन में लिखते हैं कि – "अगर गांव मिट गया तो हिन्दुस्तान ही मिट जायेगा। दुनिया के सामने उसे जो आदर्श पेश करना है वो समाप्त हो जायेगा। गांवों में नये सिरे से जान तभी पड़ सकती है जब गांवों का शोषण बन्द हो। बड़े उद्योग धन्धों का प्रचलन होने से गांव वालों का खुला या छिपा शोषण होगा। इससे प्रतियोगिता और सामान की खपत का सवाल पैदा हो जायेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गांव आत्म निर्भर हों और उत्पादन केवल उपयोग के लिए हो। अगर गांवों की अर्थव्यवस्था का यह स्वरूप बना रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि वहां कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल हो।"

वे सिलाई की मशीन के हिमायत करते नजर आते हैं जो सिंगर ने अपनी पत्नी की मुशक्कत को कम करने की प्रेरणा से बनाई थी। ऐसी मशीनों को बनवाने के लिए वे समाज की निगरानी में सीमित स्तर पर बड़े उद्योगों की स्थापना के भी पक्षधर थे। मगर बुनियादी बात यही थी कि उद्योग और मशीनें उनके सपने के ग्राम स्वराज्य को बनाने में मदद दें।

नेहरूजी और ग्रामीण भारत

गांधीजी के इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में अब जरा पण्डित नेहरू और उनके जैसा विचार रखने वालों के दृष्टिकोण का भी अवलोकन करते चलें। उस वक्त जवाहरलाल और आधुनिक शिक्षा प्राप्त बहुत-से कांग्रेसियों का गांधीजी से एक महत्वपूर्ण मामले में मतभेद था। पण्डितजी लिखते हैं कि "हम में से बहुत कम लोग ऐसे थे जो मशीनों के इस्तेमाल और नई सभ्यता के बारे में गांधीजी के रूढ़िवादी विचारों से सहमत हों।" पण्डितजी के सामने एक द्वन्द्व था। एक तरफ गांधीजी के कुछ विचारों के प्रति उनमें असंतोष था तो दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा की भावना और आकर्षण उनमें बढ़ता जाता था।

पण्डितजी विज्ञान, टैक्नोलॉजी और वैज्ञानिक पद्धति को बहुत महत्व देते थे। गांव से गरीबी दूर करने के लिए विज्ञान और टैक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने के पक्ष में थे। वो मानते थे कि आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज्य की कल्पना बहुत व्यावहारिक नहीं है। इसमें लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा रह जायेगा। यह व्यवस्था आबादी के बढ़ते बोझ को संभाल भी नहीं पायेगी। हाथ की कताई और बुनाई व्यक्तिवादी उत्पादन का प्रतीक है। नये औद्योगिक युग से उनका तालमेल बिठाना मुश्किल था। इससे गांव और समाज की आर्थिक समस्यायें हल नहीं की जा सकतीं। मगर पण्डितजी ने आजादी की लड़ाई के एक हथियार के रूप में इन्हें स्वीकार भी कर लिया था।

पण्डितजी का विचार था कि ग्रामीण भारत की समस्यायें समाजवादी व्यवस्था में ही हल हो सकती हैं, जिसमें विज्ञान, टैक्नोलॉजी, मशीनों तथा उद्योगों का अपना विशेष महत्व होता है। उनका यह विश्वास दिन-प्रतिदिन पक्का होता गया कि गांव की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का हल ग्रामोन्मुखी बन कर नहीं ढूंढा जा सकता। कृषि के तेज विकास के लिए भी वे औद्योगिक विकास को जरूरी समझते थे। 1938 में उनकी अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति में वह देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समाजवादी स्वरूप देने की बात तो नहीं मनवा सके,

मगर देश की प्रगति के लिए उद्योग धन्धों के विकास की बात मान ली गई थी। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण के साथ समाजवादी व्यवस्था की छाप कुछ ज्यादा गहरी नजर आती है। पण्डितजी भी मशीनों के मनमाने उपयोग के खिलाफ हैं। इस बारे में गांधीजी और पण्डितजी के विचारों में केवल मात्रा का अन्तर है। गांधीजी अहिंसा, शान्ति और अपरिग्रह का सिद्धान्त उनको गांव के सादा जीवन की ओर आकर्षित करता है। वह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में गांवों का विकास देखना चाहते हैं। पण्डितजी को गांव की शांति और सादगी के पीछे छुपी हुई मुफलिसी परेशान करती है। वह किसी सैद्धांतिक विवाद में पड़े बिना विशुद्ध भौतिक कारण से गांव का जल्दी से जल्दी विकास करने के पक्ष में दिखाई देते हैं। उनके सामने हर वक्त यह बात रहती है कि ग्रामीण इलाकों का भौतिक और सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाया जाये। शहरों और गांवों में रहने वालों को जहां तक संभव हो सके, समान सुविधाएं मिलें। इसके लिए वे कुटीर और ग्रामीण उद्योग के महत्व को कम करके नहीं आंकते। गांधीजी के कुटीर उद्योगों के विचार का वह कुछ शर्तों के साथ समर्थन करते हैं। वे चाहते हैं कि गांव के स्तर पर जो छोटे और कुटीर उद्योग लगे हैं, उनमें छोटी-छोटी मशीनों से भी काम लिया जाये और छोटे उद्योगों का प्रसार सहकारिता के आधार पर हो।

'भारत की खोज' में पण्डितजी लिखते हैं कि "जहां तक जीवन की सुविधाओं का प्रश्न है देहात और शहर को कम ज्यादा एक ही स्तर पर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को ऊंचा उठाने में ग्रामीण उद्योगों का विकास भी शामिल है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने का जो आंदोलन गांधीजी के सहयोग से शुरू हुआ है, उसमें हाथ के काम के अलावा छोटी-छोटी मशीनों से काम लिया जाना चाहिए था और ग्रामीण उद्योगों को शुरू से ही सहकारी आधार पर चलाना चाहिए।"

पण्डितजी लिखते हैं कि "घरेलू दस्तकारी और कुटीर उद्योगों के कट्टर हिमायती भी मानते हैं कि बड़े उद्योग किसी न किसी हद तक जरूरी हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि किस पर कितना जोर दिया जाए और उनमें समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। आज इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि देश राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि वह औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं हो जाता। इसके बिना आम गरीबी को दूर करना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना असंभव है। यदि टैक्नोलॉजी की मांग भारी मशीनों की है तो हमें भारी मशीनों को उसकी सारी पाबन्दियों के साथ अंगीकार करना होगा। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त जहां तक अनुमति दे, छोटे उद्योगों का प्रचलन किया जा सकता है।"

वैज्ञानिक प्रगति का लाभ खेत खलिहानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विस्तार कार्यक्रम और सामुदायिक विकास प्रखंडों की परियोजना शुरू की गई। पण्डितजी इनके सहारे गांवों में कृषि और कुटीर उद्योगों के प्रसार का आधारभूत ढांचा खड़ा करना और अनाज के लिए पराये देशों का मुंह देखने वाले इस देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना चाहते थे।

खेती में पण्डितजी ट्रैक्टरों, ट्यूबवैलों, रासायनिक खादों तथा मशीनी औजार के इस्तेमाल के हिमायती थे। गांधीजी इसके मुकाबले हाथ की शक्ति और हरी खाद के उपयोग के पक्षधर थे। गांधीजी के ग्राम स्वराज्य में सबके मिल जुलकर काम करने की कल्पना थी। पण्डितजी गांव का विकास सहकारिता आन्दोलन के आधार पर करना चाहते थे।

आजादी मिलने पर संसदीय लोकतंत्र पर आधारित समाजवादोन्मुख कल्याण राज्य की स्थापना करने वाला संविधान बना। पण्डितजी 'एक व्यक्ति एक वोट' की व्यवस्था को बहुत क्रांतिकारी कदम मानते थे। वे सोचते थे कि इससे बहुत-सी राजनीतिक कुरीतियों का खातमा हो सकता है। उनका मानना था कि सभी वर्गों की राजनीतिक बराबरी से जात-पात के भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। जमींदारी का उन्मूलन किया गया, जो दूसरा बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मगर गांव के बड़े किसान इससे मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामन्ती व्यवस्था जैसी पकड़ दूसरे रूप में सामने आने लगी। इस पकड़ को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार भी बहुत ढीला नहीं कर सका। मगर इन सबके होते हुए भी सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में गांवों की विकास की योजना बनी। बड़े-बड़े बांधों से बिजली और सिंचाई की नहरों की व्यवस्था,

इस्पात, उर्वरक, कीटनाशक और ट्रैक्टरों के कारखानों का जाल फैला। मगर ग्रामीण जीवन को समग्र रूप से प्रभावित करने वाला एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया। वैज्ञानिक प्रगति का लाभ खेत खलिहानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विस्तार कार्यक्रम और सामुदायिक विकास प्रखंडों की परियोजना शुरू की गई। पण्डितजी इनके सहारे गांवों में कृषि और कुटीर उद्योगों के प्रसार का आधारभूत ढांचा खड़ा करना और अनाज के लिए पराये देशों का मुंह देखने वाले इस देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना चाहते थे।

जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों के पूरी तरह लागू नहीं हो पाने से ग्रामीण जीवन में विषमता की स्थिति बढ़ रही थी। पण्डित नेहरू ने इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से 1962 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि का प्रस्ताव पास करा लिया। मगर सहकारी कृषि के इस विचार का पार्टी के अन्दर और विशेष रूप से बड़े किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसान लाबी ने जम कर विरोध किया और यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

सामुदायिक विकास परियोजना की सफलता के लिए पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी था। पंचायतों के नाम पर अगर गांवों में कोई ढांचा बना हुआ था तो उसमें प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व था। जहां नई पंचायतें बनी वहां भी यही वर्ग उन पर हावी रहा। सहकारी समितियों पर भी यही लोग छाये रहे। इससे विकास का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल पाया। पण्डितजी के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम से भारत के गांव बदले, उनका रंग रूप बदला, बाद में हरित क्रांति भी आयी। मगर इस परिवर्तन का फायदा किसे मिला? सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा अन्य सुविधाओं का सबसे ज्यादा लाभ गांव के छोटे से प्रभावशाली वर्ग ने ही ज्यादा उठाया। छठे और सातवें दशक में इसके कारण गांव में एक नया खुशहाल वर्ग पैदा हुआ और ज्यादातर लोग गरीबी और बेकारी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल सके। मगर यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है। और इसे हल करने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं।

8 बी, जोगाबाई
जामिया नगर
नई दिल्ली–110025

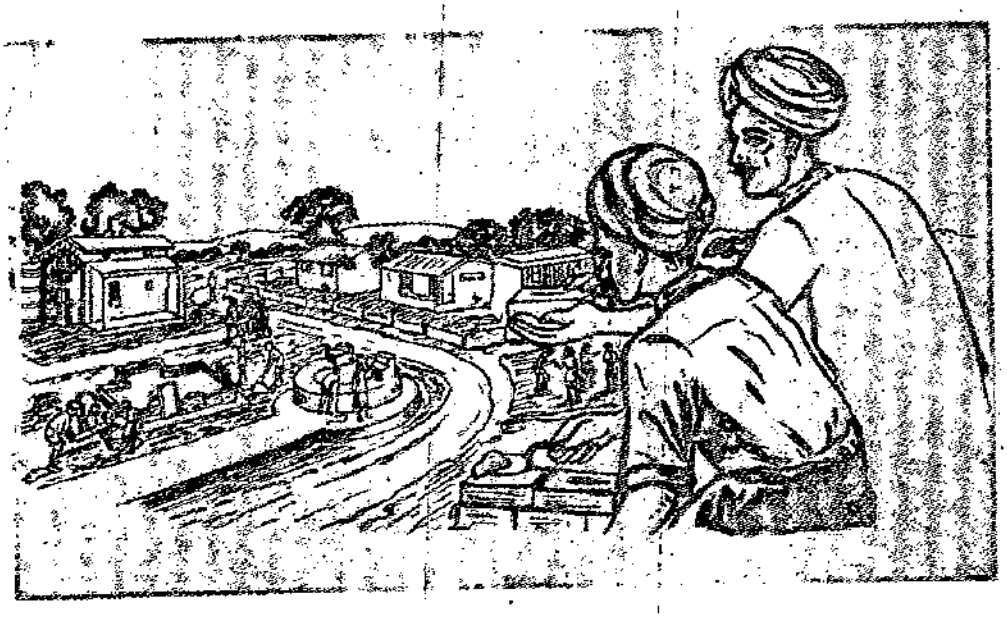

ग्रामीण पुनरूत्थान और मानव-संसाधन : नेहरूजी की अवधारणा

डा. मालकम एस. आदिशेषैया

प्रस्तुत निबंध में लेखक ने सिद्ध किया है कि किसी दूसरे नेता की अपेक्षा पं. जवाहरलाल नेहरू भारतीय ग्रामीण जनता की गरीबी, तकलीफें और शोषण के प्रति अंतर्दृष्टि रखते थे और समग्र ग्रामीण विकास के प्रति उनका रुझान स्पष्ट था। ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम बनाये, जिसका आधार मानवीय संसाधनों का उपयोग था। उनके इन कार्यक्रमों में दो क्रान्तिकारी कदम थे, प्रथम-सामुदायिक विकास की योजना, और द्वितीय-पंचायती राज व्यवस्था। नेहरूजी के नेतृत्वकाल में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इन दोनों कार्यक्रमों को कैसे लागू किया गया, इस बात को डा. आदिशेषैया ने प्रमाणों द्वारा इस निबंध में स्थापित किया है।

पं. जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व समग्रतः मानवीय संवेदनाओं से भरपूर था। उनका जन्म 30 करोड़ की आबादी वाले देश में हुआ था और उन्हें हमेशा इस बात का अहसास रहता था कि वे उनमें से एक हैं। वे समृद्धि के बीच पैदा हुए थे, जो उन्हें गरीबी में पलने वाले सभी स्त्री-पुरुष-बच्चे यानी देश की विशाल जनता से दूर रखने वाली चीज़ थी। सक्रियता से भरे हुए माहौल में उनका जन्म हुआ था और उन्हें अपने ही वातावरण के विकास के लिए उस सक्रियता के उपयोग की शिक्षा भी मिली थी। मनुष्य की क्षमता और शक्ति में उनका अपरिमित विश्वास था और वे इस बात को गहराई से जानते थे कि मनुष्य ही अपने साम्राज्य का निर्माता और सर्जक है।

मुझे सन् 1954 का वह दिन अब भी याद आता है जब यूनेस्को के तकनीकी सहायकों के सह-महानिदेशक की हैसियत से मैं भारत के विकास कार्यक्रमों के 1 लाख डॉलर की रकम लेकर नेहरूजी से मिला और उनसे पूछा कि इन रुपयों का क्या किया जाये? नेहरूजी ने मुझे उस सहायता के लिए धन्यवाद दिया और कहा, "हमारी संपत्ति हमारी जनता है। अगर यूनेस्को अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा हमारी जनता को जागृत करने का काम करे तो हमें किसी और चीज की जरूरत न होगी। इस काम के लिए हमारे पास 40 करोड़ मस्तिष्क और हृदय हैं, 80 करोड़ हाथ-पैर हैं जो अपनी जरूरत के अनुसार सड़कें बनायेंगे, रेल बनायेंगे, स्कूल-अस्पताल और भवनों का निर्माण करेंगे, अनाज पैदा करेंगे, कपड़े बुनेंगे।"

नेहरूजी के लिए सारे अस्तित्व के केन्द्र में मनुष्य था,

और यह श्रेय उन्हें ही है कि उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप उस मानव अस्तित्व को स्थापित किया। यह भारतीय मनुष्य ज्यादातर भारत के गांवों में रहता है। अपने शहरी रहन-सहन, शहरी मित्रों और सहयोगियों (जो इलाहाबाद, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कराची, लाहौर जैसे शहरों में थे) के बावजूद नेहरूजी अपने शिक्षक और मित्र गांधीजी की तरह यह जानते थे कि भारत अपने गांवों में ही बसा हुआ है। गांव की जनता की गरीबी और तकलीफों से वे अच्छी तरह वाकिफ थे और इसीलिए जोर देकर गांवों के विकास की बात करते थे। इस संबंध में उनके ये शब्द स्मरणीय हैं – "भारत राष्ट्र की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो तकलीफों से घिरे हुए हैं; इस सेवा का अर्थ है गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और असमानता का उन्मूलन।" इसी के साथ वे आगे जोड़ते हैं, "हमारा काम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम अपनी जनता को तकलीफों से छुटकारा नहीं दिला लेते, जब तक उनके आंसू नहीं सूख जाते।"

आधारभूमि : पंचायत

अपने इस आवश्यक और महत्वपूर्ण अभियान के लिए नेहरूजी ने जो आधारभूमि चुनी वह थी गांवों की पंचायत व्यवस्था जिसे वे भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था मूलभूत आधार मानते थे। उनके अनुसार इस पंचायत व्यवस्था का अर्थ है – राजनीतिक दृष्टि से सभी को मताधिकार, आर्थिक दृष्टि से सभी को काम करने और अर्थोपार्जन करने का समान अवसर। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में सभी समान होंगे, स्त्री और पुरुष में, ऊंच-नीच में कोई भेदभाव न रहेगा। ग्रामीण और राष्ट्रीय विकास के लिए किये जा रहे हमारे प्रयत्न पंचायत व्यवस्था का आधार लेकर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं।

आजादी पाने के दस साल बाद उन्होंने नागौर-राजस्थान में वक्तव्य दिया, "देश का विकास गांवों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हमारे गांव का विकास होता है तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।" और इसी के साथ भविष्य के बारे में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप लोग अपने निश्चय से पीछे हटे और आपसी दंगों या छोटे-मोटे झगड़ों में ही फंसे रहे तो आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।"

अखण्ड विभाजित कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्काल प्रधानमंत्री के रूप में नेहरूजी ने ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग प्रखण्डों के अनुसार कई कार्यक्रम आरम्भ किये। इस योजना में कृषि विकास को प्रमुखता दी गयी। सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए कुंओं की मरम्मत, खुदाई, खेती के लिए बीज और खाद का वितरण और ग्रामीण संस्थाओं का आरंभ इस कार्यक्रम के अंग थे। इसी के साथ गांवों में अस्पताल और प्राइमरी स्कूल भी खोलने की योजना थी।

नेहरूजी के लिए सारे अस्तित्व के केन्द्र में मनुष्य था और यह श्रेय उन्हें ही है कि उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप उस मानव अस्तित्व को स्थापित किया। यह भारतीय मनुष्य ज्यादातर भारत के गांवों में रहता है। अपने शहरी रहन-सहन, शहरी मित्रों और सहयोगियों (जो इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कराची, लाहौर जैसे शहरों में थे) के बावजूद नेहरूजी अपने शिक्षक और मित्र गांधीजी की तरह यह जानते थे कि भारत अपने गांवों में बसा हुआ है।

ये सभी कार्यक्रम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना के तहत बनाये गये थे। लेकिन आरंभिक दौर में ही उन्हें महसूस हुआ कि इनसे संबद्ध सरकारी विभाग अपने-अपने खास नजरिये से गांवों की समस्या का आकलन करता है और उन्हें भ्रमित कर देता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस विकास कार्यक्रम को लागू करना चाहती है तो क्या दिक्कतें आती हैं। क्योंकि किसान का जीवन सरकारी विभागों की तरह टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं होता कि वह बीज, खाद और पानी के लिए कृषि मंत्रालय का मोहताज हो या स्वास्थ्य समस्याओं का निदान स्वास्थ्य मंत्रालय में खोजे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय का दरवाजा खटखटाये। तदर्थ प्रखण्डों में विभाजित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ये समस्याएं उनकी चिन्ता का कारण बन गयीं, जिनका उन्हें सामना करना था।

नेहरूजी की दूसरी चिन्ता यह थी कि ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण जनता के लिए सरकारी कार्यक्रम थे जिसमें उनकी

कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इस बात से उन्हें यह सबक मिला कि जन-जीवन के विकास के लिए किया गया कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक ग्रामीण किसान उसमें सहयोग न करें, हिस्सा न लें।

सामुदायिक विकास

पं. नेहरू के व्यक्तित्व में व्यापकता थी। अपने देश की जनता और उसकी शक्ति में पूरा विश्वास रखते हुए वे कभी मौका पड़ने पर लोगों से सलाह मांगते और उसे गौर से सुनते थे और परामर्श के मामले कभी भारतीय या विदेशी परामर्शदाता के बीच उन्होंने कोई फर्क नहीं किया। उदाहरण के लिए तकनीकी मामलों में (जैसे स्टील और बड़े उद्योग) और कुछ सामाजिक समस्याओं (जैसे ग्रामीण विकास के लिए उपदेश मशीनें) के सिलसिले में विदेशी विशेषज्ञों की सलाह लेते थे। इसी क्रम में फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख एडनस्गिंजर से उनके अच्छे सम्बन्ध बने। मिस्टर एडनस्गिंजर ने भारतीय विकास के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बैठाई, जो इस समस्या का निदान खोजे, परामर्श दे।

आजादी के लगभग पांच वर्ष बाद सन् 1952 में सामुदायिक विकास और ग्रामीण विस्तार की समस्याएं एक साथ पैदा हुई। सामुदायिक विकास एक पद्धति थी, और ग्रामीण विस्तार की समस्याएं एक साथ पैदा हुई। सामुदायिक विकास एक पद्धति थी, और ग्रामीण विस्तार एक माध्यम संस्था थी जिसके जरिये गांवों के सामाजिक और आर्थिक रुपान्तरण को प्रभावित किया जा सकता था। इस नये कार्यक्रम के साथ नेहरू ने तीन मुद्दें निश्चित किये-प्रथम — सरकार के अलग-अलग विभाग गांवों में एक टीम की तरह काम करेंगे। द्वितीय-ग्रामीणों का सहयोग और स्वयं सहायता एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। तृतीय-अविकसित ग्रामीण परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

पहली पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को प्रथम परीक्षण के तौर पर लागू किया गया। उद्देश्य की सिद्धि के लिए चुने हुए निश्चित तरीके अपनाये गये। इसके अंतर्गत 1200 प्रखण्डों में 123000 गांव की अंर्तयुक्त किया गया जिसमें 80 लाख की ग्रामीण आबादी शामिल थी। लेकिन इस योजना के खत्म होते-होते नेहरूजी दो महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर चिन्तित हो गये। पहली तो यह थी कि इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों का ध्यान आर्थिक उपलब्धियों पर केन्द्रित था। इन उद्देश्यों के साथ-साथ कुछ उपलब्धियां भी थी जैसे सामान्य सिंचाई के कुछ काम हुए, रासायनिक खाद और विकसित बीजों की काफी मांग बढ़ी, 14000 नये स्कूलों का निर्माण किया गया,प्रौढ़ शिक्षा के 35000 नये केन्द्र खुले, 4068 मील की पक्की सड़कों का और 2800 मील की कच्ची सड़कें बनायी गयीं, गांवों में 8000 शौचालय बनाये गये। लेकिन संसद और सरकार का ध्यान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित था न कि कार्यक्रमों के उद्देश्य की गंभीरता के प्रति। नेहरूजी के लिए दूसरी समस्या उन विशेषज्ञों के दोहरे दायित्व नियंत्रण की थी, जो अलग-अलग कामों से जुड़े थे और जिन्हें एक साथ ही प्रखण्ड विकास अधिकारियों और जिला स्तर पर विभागीय तकनीकी अधिकारियों से अपने काम के सिलसिले में संपर्क करना होता था। अगली योजना में विकास की सीमाओं को ज्यादा गंभीरता से लिया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया। इसमें 3800 नये विकास प्रखण्ड स्थापित किये गये जिनमें से 1120 को सामुदायिक विकास प्रखण्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह पूरा कार्यक्रम कुछ निश्चित लक्ष्य के लिए स्थिर किया गया — (क) कृषि उत्पादन, (ख) ग्रामीण लघु उद्योग, (ग) सहकारी कार्य और सहकारी खेती, (घ) कमजोर ग्रामीण प्रभागों के लिए विशेष कार्यक्रम, छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और किरायेदारों, जनजातियों और स्त्रियों के लिए, (ङ) भूमि की हदबन्दी (च) ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी वहन करने के लिए पंचायतों का विकास। कार्यक्रम और योजना की इस पृष्ठभूमि में नेहरूजी का विश्वास था कि इस योजना के सुचारू रूप से लागू होने पर ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज

विकास योजना के इस वर्षीय प्रयोग के बाद नेहरूजी ने इसकी तीन विशेष बातों पर ध्यान दिया।

प्रथम — सामुदायिक योजनाओं और विकास योजनाओं को परस्पर संयुक्त करके उसे एक साथ सामुदायिक विकास योजना का रूप दिया जाये।

द्वितीय — इस योजना को क्रमशः जिला-स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए। प्रखण्ड इस योजना की एक इकाई बनें। जिला, प्रखण्ड और गांव इस योजना को पूर्ण करने

का संयुक्त माध्यम बनाये जायें तभी विकास तीव्रगति से हो सकेगा और

तृतीय – जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और उनका विश्वास था कि पूरे देश में ग्रामीण जनता के विकास के लिए पंचायती राज प्रणाली सर्वोत्तम है। उनके विचार में इस संस्था में चुने हुए लोगों द्वारा सामुदायिक विकास और ग्रामीण विस्तार की योजना प्रखण्ड और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जा सकती है। पंचायतें और जिला परिषदें समन्वित रूप से स्थानीय जन शक्तियों और उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करते हुए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विकास का लक्ष्य पूरा कर सकती हैं।

सामुदायिक विकास की एक आरंभिक समस्या का निदान इसमें मिल जाता है। ग्राम-प्रखण्डों को विकास के परिक्षेत्र में लेकर यह पूरी योजना पांच-पांच वर्षों के तीन चरणों में विभाजित की गयी है। नेहरूजी ने पंचायती राज प्रणाली को सामुदायिक विकास योजना का प्रमुख माध्यम और उसमें आवश्यक सुधार करने वाली संस्था के रूप में स्वीकार किया जो ग्रामीणजनों की सहकारी आत्मनिर्भरता की भावना का विकास भी कर सकती है।

जनवरी 1958 में नेहरूजी ने इस योजना से संबंधित बलवंतराय मेहता कमेटी का अध्ययनपरक रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेजी। इस आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में विभिन्न राज्यों की स्थानीय स्थितियों के अनुसार प्रशासन और योजना – निर्माण में परिवर्तन की संभावना को स्वीकृति दी गयी। जिन राज्यों ने नेहरूजी की योजना तत्काल स्वीकार की उनका अब तक पर्याप्त विकास हो चुका है। नेहरूजी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत, आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., ट्राइसेम, डी.पी.ए.पी., डवाकरा और सर्वाधिक नवीन जवाहर रोजगार योजना इस बात का प्रमाण हैं कि एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के प्रति उनकी संवेदना कितनी गहरी थी।

नेहरू की दूसरी चिन्ता यह थी कि ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण जनता के लिए सरकारी कार्यक्रम थे जिसमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इस बात से उन्हें यह सबक मिला कि जन-जीवन के विकास के लिए किया गया कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक ग्रामीण किसान उसमें सहयोग न करें, हिस्सा न लें।

स्वप्न और स्वप्न दृष्टा

नेहरूजी के ये स्वप्न मुझे वापस अपने देश खींच लाये जब यूनेस्को ने नेहरूजी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस समय यूनेस्को की कार्य समिति का सत्र चल रहा था उसी बीच उनका निधन हो गया। यूनेस्को के इतिहास का वह संभवतः सबसे विरल क्षण था जब कार्य समिति के सभी 30 सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनमें से सभी व्यक्तिगत रूप से नेहरूजी से जुड़े हुये थे और उनकी मानवीय भावनाओं के प्रति श्रद्धावनत थे। यूनेस्को के महानिदेशक श्रीयुत् रेनेमाहेयू ने अपने वक्तव्य में यूनेस्को से नेहरूजी के संबंध की चर्चा करते हुए कहा कि "नेहरूजी की वजह से ही हमारी कार्य समिति को भारत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। (उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि) आज नेहरूजी के निधन से शोकाकुल विश्व का शोक वस्तुतः यूनेस्को का शोक है और इसीलिए यूनेस्को उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।"

"नेहरूजी के निधन से व्याप्त शून्य की चर्चा सभी करेंगे। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि नेहरूजी ने मनुष्यों के हृदय में अपना स्थान बनाया था। दूसरे लोग उनकी गरिमा और शासन प्रमुख पार्टी के नेता के रूप में उनका गुणगान करेंगे, लेकिन हम सत्य के प्रति उनकी निष्ठा और मनुष्य के प्रति उनके समर्पण को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके निधन से उनके अपने देश में शक्ति सन्तुलन की स्थितियां एशिया और विश्व में उसका प्रभाव आदि तथ्यों के बारे में लोग बातें करेंगे। लेकिन हम अपनी ओर से कहेंगे कि मानवता का एक मार्गदर्शक नहीं रहा जो इस दिशाभ्रान्त अंधकार भरे विश्व को रोशनी दे रहा था। उस व्यक्तित्व की वह निश्छल मुस्कान, उन आंखों का तेज, लाल गुलाब की ताज़गी, – यह सब कुछ खो गया है। वह ज्योति जो पूरब में जली थी, बुझ गयी है। वह ज्योति जिसने लाखों-करोड़ों लोगों के अंधकार भरे जीवन को आलोकित किया, जिसने मानव और मानवीयता का विवेक जागृत किया, उसे हमारी शत्-शत् श्रद्धांजलि।"

अनुवाद – डा. राज राजेन्द्र उपाध्याय
एन–40, A लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092

पण्डित नेहरू और ग्रामीण विकास

कृष्ण कांत

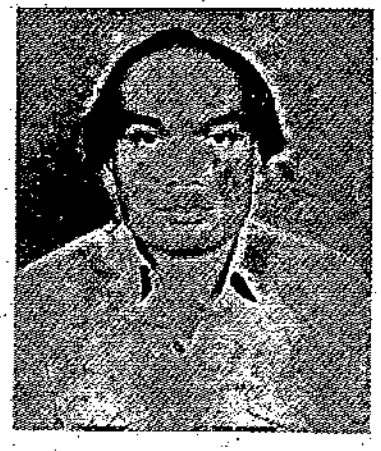

आजादी के समय हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। खेती के अवैज्ञानिक तरीके और संसाधनों के अभाव के कारण भारतीय किसान भरपूर फसल पैदा नहीं कर पाते थे। पण्डित नेहरू ने देश में कृषि को बढ़ावा देने के कई प्रयास किये। एक ओर उन्होंने भूमि सुधार और चकबन्दी जैसी व्यवस्था के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़ी पहल की तो दूसरी ओर किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के रूप में वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देने की संस्थाएं कायम कीं। उनकी पहल का ही नतीजा है कि आज हमारा देश अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इसका निर्यात करने की भी स्थिति में है।

आधुनिक भारत के निर्माता पण्डित जवाहरलाल नेहरू विलक्षण प्रतिभा के धनी राजनेता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश के दीर्घकालीन संघर्ष के दौरान जनता के दुख-दैन्य से उनका साक्षात्कार हुआ। स्वाधीनता की आकांक्षा के जन-स्पंदन को उन्होंने बखूबी समझा और 15 अगस्त 1947 को जब देश का उसकी नियति से अभिसार हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छाओं के अनुरूप ही उन्होंने प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की आंख का आंसू पोंछ डालने का संकल्प लिया। पण्डित नेहरू को इस बात की स्पष्ट प्रतीति थी कि भारतमाता ग्रामवासिनी है और जब तक ग्रामीण जीवन की समस्त विसंगतियों और विडम्बनाओं को दूर नहीं किया जाता तथा कोटि-कोटि ग्रामवासियों को उनके दारूण दैन्य से मुक्ति नहीं दिलाई जाती हमारी स्वतंत्रता निरर्थक रहेगी। इसीलिए उन्होंने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को उसकी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ा और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही उनके नेतृत्व में ग्रामवासियों को गरीबी रेखा के नीचे से उबार कर उनके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का सिलसिला शुरू हुआ।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू यह भी भली प्रकार जानते थे कि भारत जैसे विशाल देश की समस्याओं का समाधान केवल नियोजित विकास के जरिए ही ढूंढ़ा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में आयोजना का तत्व समाविष्ट किया। वास्तव में स्वाधीन भारत का प्रधान मंत्री बनने के काफी पहले से ही पण्डित नेहरू एक प्रखर नीतिकार थे। वे जानते थे कि समाजवाद के सिवाय भारत की प्रगति का अन्य कोई रास्ता नहीं हो सकता और इसीलिए उन्होंने एक समतामूलक समाज की संरचना के लिए समाजवाद का मार्ग चुना। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, "मैं आश्वस्त हूं कि विश्व की समस्याओं तथा भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद से ही संभव है। देश की

निर्धनता, बेरोजगारी और भारतीय जनता की परतंत्रता और उनकी दारुण दशा को सुधारने के लिए समाजवाद के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है।"

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1947-48 में कार्यरत कांग्रेस की आर्थिक कार्यक्रम समिति ने एक स्थायी योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने उसके अनुरूप जनवरी 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और मार्च 1950 में वित्त मंत्री ने संसद में आयोग के गठन की घोषणा की। इस प्रकार मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना से लेकर मई 1964 में अपने निधन तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू ही योजना आयोग के अध्यक्ष रहे तथा उनके कार्यकाल में तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर काम हुआ। नियोजित विकास के लिए इन योजनाओं के माध्यम से आधुनिक भारत की आधारशिला रखी गई।

पण्डित नेहरू ने मार्च 1954 में कहा था, "सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के जरिए हम जड़ों से एक नए भारत के सृजन में संलग्न हैं। इससे महत्वपूर्ण तथा खुशगवार और कोई कार्य नहीं हो सकता। हम एक नई शांतिपूर्ण क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं।"

पण्डित नेहरू आयोजना को विकास के समन्वित दृष्टिकोण का मूलाधार मानते थे। मई 1956 में लोक सभा में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा था, "आयोजना का अभीष्ट सभी उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करना है और इसमें जनशक्ति और वित्तीय साधन भी शामिल हैं। यदि हम औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर होना चाहतें हैं तो हमें इसकी शुरूआत भारी और मूलभूत उद्योगों की स्थापना के साथ ही करनी होगी। हमें लोहे और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहिए। हमें उन मशीनों को भी बनाना चाहिए जिनसे मशीनें बनाई जाती हैं। इनका उत्पादन करके ही हम स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं तथा इन्हें प्राप्त कर हम तेज गति से मनचाही प्रगति कर सकते हैं।"

इन्हीं मान्यताओं के चलते पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में विकास की आधारभूत संरचना के लिए बड़े कल-कारखानों तथा परियोजनाओं का ढांचा खड़ा किया और इन्हें नए भारत के नए मंदिरों की संज्ञा दी। स्वाधीन भारत के विकास के लिए पण्डित नेहरू का यह विशिष्ट अवदान है कि उन्होंने अपने विवेक से औद्योगीकरण का आधारभूत ढांचा खड़ा किया तथा प्रगति के उपादान जुटाए। इस प्रकार उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक असंतुलन को दूर कर समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। वे कृषि विकास को औद्योगीकरण का अनुपूरक मानते थे तथा इनके बीच अन्योन्याश्रित संबंधों को स्वीकार करते थे।

यही कारण था कि देश में खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए स्वतंत्रता के प्रथम विहान के साथ ही 'अधिक अन्न उपजाओ' जैसे महत्त्वकांक्षी अभियान की शुरूआत की गई और किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के उपादान मुहैया किए गए। इस अभियान के कुछ सुखद परिणाम भी सामने आए लेकिन इसे व्यवस्थित और नियोजित रूप में नहीं शुरू किया गया अतएव इसकी फलश्रुति भी बिखरी-बिखरी रही। इस अभियान की संचालन समिति ने कार्यक्रम की समीक्षा के बाद भारत सरकार से कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां कीं जिन्हें स्वीकार कर ग्रामीण भारत के स्वरूप में एक दूरगामी परिवर्तन लाया जा सका।

इस समिति ने एक राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन शुरू करने की सिफारिश की जो सात-आठ वर्षों की अवधि में पूरे देश में फैल जाए। इसने कार्यक्रम कार्यन्वयन के सभी स्तरों पर सरकारी तथा गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से एक आंदोलन के सूत्रपात की सिफारिश की। इन्हीं सिफारिशों के तहत राज्य सरकारों के परामर्श से मई 1952 में स्वाधीन भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना — सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसे 2 अक्तूबर 1952 को पूरे देश में फैले पचपन परियोजना क्षेत्रों में पहले शुरू किया गया तथा बाद में दो अन्य किस्तों में 1953 में इसे और भी विस्तृत किया गया।

सामुदायिक विकास परियोजना में तीन वर्षों के भीतर-भीतर चयनित क्षेत्रों में गहन विकास कार्यक्रम का प्रावधान था लेकिन ग्रामीण विकास एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति तथा योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1953 के प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल

एक्सटेंशन सर्विस) प्रारंभ की। इसके तहत ग्रामीण जनसंख्या के एक चौथाई भाग के 1,20,000 गांवों को पहली योजनावधि में शामिल किया गया। यह सेवा 2 अक्तूबर 1953 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ठीक एक वर्ष बाद लागू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लक्ष्य समान ही थे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक स्थायी संगठन के रूप में स्थापित किया गया तथा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सरकारी विभागों का सहयोग प्राप्त कर इनके समवते प्रयासों से ग्रामीण भारत के उन्नयन और विकास का काम शुरू किया गया। योजनाकारों ने तब तक के अनुभव से यह महसूस किया कि ग्रामीण जीवन के प्रत्येक आर्थिक पक्ष एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसलिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई।

नए कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को भी विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। नए कार्यक्रम के जरिए मानव गरिमा का महत्व स्वीकार करते हुए ग्रामीण जीवन के आंगन में सुख और समृद्धि लाने का भागीरथ प्रयास किया गया। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का एक प्रयास था। पण्डित नेहरू ने मार्च 1954 में कहा था, "सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के जरिए हम जड़ों से एक नए भारत के सृजन में संलग्न हैं। इससे महत्वपूर्ण तथा खुशगवार और कोई कार्य नहीं हो सकता। हम एक नई शांतिपूर्ण क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं।"

बाद में अक्तूबर 1955 में उन्होंने कहा, "हम कह सकते हैं कि इन कार्यक्रमों से पहली बार हमने ग्रामीण समस्याओं को यथार्थपरक दृष्टि से हल करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि ग्रामीण लोगों को ही विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए और इससे उनमें एक नया उत्साह पैदा हुआ है। उनकी आंखो में चमक बढ़ी है। हमने प्रगति का यह संदेश अपने विशाल देश के हर गांव तक ले जाने का निर्णय किया है।"

पण्डित नेहरू सामुदायिक विकास योजना को विकास की प्रेरक शक्ति मानते थे। पहली पंचवर्षीय योजना में इसके अनुकूल परिणाम सामने आए। कृषि उत्पादन में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास 40 प्रतिशत बढ़ा। दस लाख 60 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई तथा बिजली उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली योजना के अंत तक कृषि उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर था लेकिन बाद की योजनाओं के दौरान मानसून की वर्षा के अभाव में भयंकर सूखे की स्थितियों का सामना करना पड़ा। एक नीतिकार के रूप में पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भारत को यह विशिष्ट योगदान है कि उन्होंने विकास का आधारभूत ढांचा तैयार किया तथा औद्योगिक प्रगति की बुनियाद रखी जिस पर आगे चल कर भारत आज दुनिया की बिरादरी में अपना विशिष्ट स्थान बना सका है।

इस प्रकार पण्डित नेहरू ने लोकतंत्र को समाजवाद के साथ सन्निविष्ट कर एक नए राजनीतिक दर्शन को भारत में प्रतिस्थापित किया तथा राष्ट्रनिर्माण के लिए यह उनका सर्वथा अप्रतिम योगदान था। उन्होंने लोकतंत्र इसलिए अपनाया क्योंकि इस व्यवस्था में ही मानव तथा समाज का उन्मुक्त विकास संभव हो सकता है। उन्होंने लोकतंत्र को एक समतामूलक समाज की स्थापना का सर्वोत्कृष्ट माध्यम माना। संसदीय प्रणाली की सरकार को वह विकासशील समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढने का सबसे अच्छा माध्यम मानते थे तथा मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति में विकास के पक्षधर थे।

सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था में तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील ऐसे समाज की स्थापना के लिए जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर सुलभ हों, पण्डित नेहरू ने नियोजित विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। योजना की सफलता का उनका मापदंड यह था कि इससे जनसंख्या उन लाखों लोगों में से कितने लोगों का हम विकास कर पाए जो घोर विपन्नता की स्थितियों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी दूर करना योजनाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और इससे कोटि-कोटि जनता का विकास सुनिश्चित किया जा सका।

पण्डित नेहरू किसानों की दशा सुधारने के लिए सहकारिता आंदोलन को भी प्रगति का प्रमुख उपादान मानते थे। वे चाहते थे कि यह आंदोलन पूरे देश में फैले तथा हमारा समग्र किसान समुदाय इससे लाभान्वित हो। वे मानते थे कि हमारी विशिष्ट परिस्थितियों में पंचायती राज

और सहकारिता आंदोलन के जरिए ग्रामीण जीवन और ग्रामवासियों के रहन-सहन में व्यापक सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, "हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज तथा समाजोन्मुख अर्थव्यवस्था की स्थापना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा तथा प्रचुरता की अर्थव्यवस्था को लागू करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समानता से वितरण हो तथा कुछ लोगों अथवा वर्गों तक विकास का लाभ सीमित न रहे। इसलिए अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली हर गतिविधि का हम स्वागत करेंगे बशर्ते कि इससे हम समाजवादी समाज की स्थापना के अपने मूल ध्येय से विचलित नहीं हों।"

पण्डित नेहरू ने लोकतंत्र को समाजवाद के साथ सन्निविष्ट कर एक नए राजनीतिक दर्शन को भारत में प्रतिस्थापित किया तथा राष्ट्रनिर्माण के लिए यह उनका सर्वथा अप्रतिम योगदान था। उन्होंने लोकतंत्र इसलिए अपनाया क्योंकि इस व्यवस्था में ही मानव तथा समाज का उन्मुक्त विकास संभव हो सकता है।

सहकारिता आंदोलन के बारे में पण्डित नेहरू ने 15 अप्रैल 1959 को मदुरै में एक भाषण में कहा था, "भारत में किसान बहुत कमजोर है। वह तभी आगे बढ़ सकता है जब तक सहकारिता के माध्यम से दूसरों से जुड़े। किसान लोग सहकारी समितियां बना कर कर्ज पाने, बीज, खेती के औजार, खाद वगैरह पाने और अपनी उपज की बिक्री के इंतजाम का काम अपने साधनों को एकजुट करने के बाद ही कर सकते हैं। सहकारी समिति साहूकार और बिचौलियों को हटा देती है। यही वजह है कि पूरे विश्व में किसान ने अपने आपको सहकारी समितियों के जरिए संगठित किया है।"

पंचायत के बारे में भी उनके विचार स्पष्ट थे। "प्रजातंत्र की जड़ पंचायत है। प्रजातंत्र ऊपर से नहीं थोपा जा सकता। वह नीचे के स्तर से ऊपर उठता है। पंचायतों के आधार पर ही अब भारत का नक्शा बदलता जा रहा है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हर गांव में ज्यादा अधिकारों के साथ एक ग्राम पंचायत हो और उसके साथ ही सहकारिता समिति भी जो वहां के आर्थिक मामलों में मदद करे। हमें पंचायतों को अधिक अधिकार देने होंगे जिससे कि ग्रामवासी सच्चे सुराज का अनुभव अपने ही गांव में कर सकें।"

दुर्भाग्यवश, उनके जीवनकाल में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम गति नहीं पकड़ सका लेकिन आज उन्हें अधिकार सौंपने की जो बात की जा रही है, उसके बीज उन्होंने ही बोए थे। चारेक दशक के अनन्तर ग्रामीण भारत की समृद्धि और गांवों में आई खुशहाली पण्डित नेहरू की परिकल्पना की ही फलश्रुति है। आज का भारत उनकी ही विरासत है, उनके ही विलक्षण आधुनिकताबोध का साकार स्वरूप है। पण्डित नेहरू के निधन के एक-चौथाई शताब्दी बाद उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए इतिहास इस तथ्य को नहीं भूलेगा कि नए भारत के निर्माण की आधारशिला उन्होंने ही रखी थी तथा देश को एक ऐसा दिशाबोध प्रदान किया जिस पर चलते हुए बाद के वर्षों में हमने प्रगति के अनेक सोपान पार किए।

4, संसद मार्ग
पी.टी.आई.भवन
नई दिल्ली-110001

राजस्थान में पण्डित नेहरू

बलवन्त सिंह हाड़ा

प्रस्तुत लेख में लेखक ने नेहरूजी की राजस्थान और यहां के लोगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़ी भावुकता से याद ताजा की है। लेखक के अनुसार नेहरूजी का राजस्थान से विशेष लगाव रहा और वे इस प्रदेश को भारत का दिल मानते थे। चम्बल परियोजना राज्य को नेहरूजी की पहली बड़ी भेंट थी। नेहरूजी का दृढ़ विचार था कि राज्य के लोगों में लोकतन्त्र मजबूत बनाने की बड़ी क्षमता है और उन्होंने पंचायती राज प्रणाली की शुरूआत इसी राज्य से करा कर अपने इस विचार का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया।

राजस्थान में पण्डित जवाहर लाल नेहरू की पहली यात्रा उनके पिता पण्डित मोतीलाल नेहरू के साथ सन् 1929 में हुई। इसकी पुष्टि पुष्कर के एक पन्डे की बही में हुए उनके हस्ताक्षरों से होती है। सन् 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन के समय जयपुर प्रजामण्डल में फूट पड़ गई, कुछ नेताओं ने 'आजाद मोर्चा' नामी अलग संस्था कायम कर ली थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू जयपुर आये और नेताओं में समझौता कराया, उनकी पुत्री इन्दिरा गांधी भी उस समय उनके साथ आई थीं।

नेहरू परिवार का सम्बन्ध राजस्थान से पीढ़ियों से जुड़ा है। यह रहस्य झुंझनू के वरिष्ठतम पत्रकार एवं साहित्य सेवी स्वर्गीय पण्डित झाबरमल्ल शर्मा से श्री नन्दकिशोर पारीक ने रेकार्ड प्राप्त कर किया। इसे सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर ने छोटी पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करवाया था। नेहरू परिवार की प्रतिबद्धता राजस्थान से सन् 1862-63 से प्रारम्भ होती है।

भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पण्डित नेहरू पहली बार राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया स्वरूप संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर आये और राज प्रमुख महाराणा श्री भोपाल सिंहजी को महाराज प्रमुख पद की एवं महारावं कोटा को उप राज प्रमुख की शपथ दिलाई। पण्डितजी ने इस अवसर पर राजस्थान के गौरवमय अतीत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की तथा महाराजा साहब उदयपुर को धन्यवाद दिया, जिन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता पर एकता के लिए इस महान आयोजन का अवसर दिया। इस संघ का पहला मन्त्रिमंडल

मेवाड़ के जन नेता सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बना। यह एकीकरण पल्लवित होकर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा बुधवार सम्वत् 2006 (30 मार्च 1949) को 10 बजकर 40 मिनट पर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों से जयपुर के ऐतिहासिक दरबार आम के प्रांगण में राजस्थान प्रान्त के रूप में विकसित हुआ था। सरदार पटेल ने, राज प्रमुख महाराज जयपुर, उप राज प्रमुख महाराव कोटा तथा मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री को भारत तथा राजस्थान प्रान्त के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई थी।

भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू कई बार राजस्थान आये थे, जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित एलबर्ट हाल की आलीशान इमारत के झरोखे से गणेशगढ़ और नाहरगढ़ की सुन्दर पहाड़ियों को देखते हुए विशाल जन समुदाय को सम्बोधित करते-करते भाव विभोर हो जाते थे। 30 मार्च 1954 को राजस्थान स्थापना की पांचवीं

राजस्थान को भारत का दिल वे मानते थे, नक्शे में भी देखें तो राजस्थान भारत के मध्य हृदय-सा ही नजर आता है, यहां का इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है, नेहरू मानते थे कि राजस्थान के लोगों में लोकतंत्र को उठाने की क्षमता है। यह काम बड़ा है, ऐतिहासिक लक्ष्य है, यहां पहले दो चीज थीं, राजा और प्रजा लेकिन अब प्रजा ही राजा बन गई है।

वर्षगांठ पर उसी एलबर्ट हाल के झरोखे में वे भाषण देने पधारे थे, रंग बिरंगे परिधान में रामनिवास बाग में एकत्रित हुए जन समुदाय को कहा था, "आप लोगों की यह रंग बिरंगी भीड़ – ये रंग हमारे हिन्दुस्तान में ही हैं और वहां विलायतों में तो रंग के नाम पर काला रंग ही व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि आप खुशहाली से इन रंगों को कायम रखें।"

राजस्थान से पांच सौ किसानों का जत्था 15 नवम्बर से 22 दिसम्बर 1958 तक एक रेलगाड़ी से जब भारत दर्शन के अवसर पर त्रिमूर्ति भवन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल से अपनी रंग बिरंगी राजस्थानी वेशभूषा में मिला तो नेहरूजी लोगों के गले से लिपट गये। उस समय दल के 70 वर्षीय किसान नेता जैसाजी ने राजस्थानी चूंदड़ी का साफा 'पहरावणी' को रूप में नेहरू के अपने हाथ से बांधा, साथ गई सत्तर महिलाओं ने 'बंधावें' लोक गीतों में गाये। लोक नेता नेहरू का रोम-रोम थिरक उठा था। कृषक नेता जैसाजी ने मारवाड़ के मतीरे, सुखाई सब्जियां, सांगरी, कैर कुमठिया और काचरी उपहार में भेंट की जिसे स्नेह से स्वीकार कर उन्होंने अपने निवास पर भेज दिया था। भारत दर्शन के एक कृषक श्री भंवरलाल गोलीमार ने उन क्षणों को अपनी लोक भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया है:–

"पण्डितजी के भवन बाग में, सभी यात्री पहुंचे जाये।
ऐक राजस्थानी साफा सिर पर, नेहरूजी के दिया बंधाय।।
बंधा शीश पर साफा नेहरू, मिलिया आप भुजा पसार।
इतनी खुशी हुई सबला के, मानों बिन भोजन आयो आधार।।
बुला भवन में पण्डित नेहरू, सब भाया को राख्यो मान।
जुग-जुग जीओ पण्डित नेहरू, जब तक है धरती-आसमान।।

भारत के कोटि-कोटि लोगों को आजादी दिलाने वाला नेहरू चित्तौड़ के गाड़िया लुहारों को कैसे भूल सकता था। चित्तौड़ पर अपना पुनः आधिपत्य होने तक वापस न लौटने का संकल्प लिए बैल गाड़ियों में ही अपना पीढ़ियों से जीवन यापन करने वाले गाड़िया लुहार गांव-गांव रोजी-रोटी की तलाश में सड़कों के किनारे लोहे के औजार बनाते पंक्तियों में पड़ाव डाले नेहरू को जब दिखाई दिए तो नेहरू ने कहा अब चित्तौड़ किसी के आधीन नहीं, गाड़िया लुहारों को चित्तौड़ लौट जाना चाहिए। अब उनका उस चित्तौड़ पर पूरा अधिकार है। उन्होंने माणिकलाल वर्मा को अखिल भारतीय गाड़िया लुहार सम्मेलन का चित्तौड़ में समारोह करने हेतु संयोजक नियुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1955 में अपनी टेक पर अड़े गाड़िया लुहारों को ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग में जो भारत के कोने-कोने में फैले हुए थे, आमंत्रण दिया। सभी गाड़िया लुहारों को गुलाबी रंग का साफा बंधवाया गया। सारा वातावरण गुलाबी हो गया था। नेहरूजी ने सभी का चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत किया, उनके उद्योग धन्धों व सहायता निवास की व्यवस्था की घोषणा भी की गई।

राजस्थान को भारत का दिल वे मानते थे, नक्शे में भी देखें तो राजस्थान भारत के मध्य हृदय-सा ही नजर आता है, यहां का इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है, नेहरू मानते थे कि राजस्थान के लोगों में लोकतंत्र को उठाने की क्षमता है। यह काम बड़ा है, ऐतिहासिक लक्ष्य है. यहां पहले दो

चीज थीं, राजा और प्रजा लेकिन अब प्रजा ही राजा बन गई है।

2 अक्तूबर 1959 को नागौर के मेला मैदान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मंगलदीप जला कर भारत में सबसे पहले पंचायती राज का श्रीगणेश राजस्थान से किया था। पण्डितजी ने उस अवसर पर कहा था:— "आज महात्माजी के जन्म दिन पर आपने जनतंत्र को यहां फैलाया अब समय आया है कि विकास योजना का, ब्लाक वगैरह का काम आपके कन्धों पर रखा जाये। आप बोझ को उठायें और उसी के साथ अपनी आमदनी भी बढ़ायें। आपका अधिकार है क्योंकि जो आप आमदनी बढ़ायेंगे तो आप खुद खर्चेंगे अपने गांव की तरक्की में, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई में। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो नक्शा बना है, इस काम को आप जोरों से चलायें, बड़ी भारी जिम्मेदारी आपने ली है। आपकी हालत अधिक अच्छी होती है और उसके साथ सबसे बड़ी बात आपकी शक्ति बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, सिर ऊंचा होता है और इस तरह से और भी तरक्की होती है तो आप सब जमा हुए, जमा हो के आप इन सब बातों पर विचार करेंगे। मेरा आशीर्वाद तो जरूर है आपको और बधाई है, और मुझे विश्वास है इस कदम से राजस्थान को लाभ होगा, याद रखें कि यह ऐतिहासिक कदम है।" 2 अक्तूबर 1959 का दिन पंचायती राज के इतिहास में न केवल राजस्थान में बल्कि भारत में भी एक स्वर्णिम अध्याय की शुरूआत था। प्राचीन भारत की जन कल्याणकारी ग्राम परिषदों के गौरवपूर्ण आदर्शों एवं स्वतंत्र भारत की जनोन्मुख संकल्पनाओं को लेकर एक लम्बे समय से जो चिंतन, मनन एवं विचार विमर्श चल रहा था, उसे मूर्त रूप देने की दिशा में राजस्थान में नागौर की पहल निश्चय ही एक अभूतपूर्व कदम था। इस कदम ने पंचायती राज की दिशा में भारत की अगुवाई की, राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक प्रान्तों ने भी अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जिससे बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का अनूठा अवसर सुलभ हुआ।

जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, देश आजाद होने के बाद सम्पन्न व कल्याणकारी राज्य बनाने का कार्य उन्होंने अपने हाथों में 17 वर्ष तक रखा, तीन पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, देश ने कृषि, सिंचाई, उद्योग आदि में भरपूर उन्नति की। राजस्थान को उनकी पहली बड़ी भारी देन चम्बल परियोजना थी। उसके अन्तर्गत राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की सांझेदारी में चौरासी गढ़ दुर्ग पर गांधीसागर बांध बनाया जिसका कार्य 1953-54 से प्रारम्भ हुआ जो सन् 1961 में पूर्ण हुआ। नेहरूजी ने बटन दबाकर इस बांध के बिजली घर को चालू किया जिससे राजस्थान को 40000 किलोवाट बिजली मिल रही है। कोटा बेराज से सिंचाई प्रथम चरण में ही सम्पन्न हुई जिसकी दायीं और बायीं नहर से सन् 1964 में 144 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होने लगी थी। राणा प्रताप सागर बांध से 90000 किलोवाट बिजली एवं 3 लाख एकड़ में सिंचाई वाली योजना का कार्य भी नेहरू के कार्यकाल में सम्पन्न हुआ। कोटा बांध (जवाहर सागर) का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था।

राजस्थान नहर परियोजना भारत के विशाल रेगिस्तान के लम्बे-चौड़े क्षेत्र को कृषि, उद्योग व वाणिज्य के साथ पेयजल भी उपलब्ध कराने वाली योजना का शुभारम्भ भी 8 जून 1958 से नेहरू के कार्यकाल में ही हुआ, पंजाब की रावी व व्यास नदियों के जल को हरिके बैरज बांध द्वारा 426 मील लम्बी नहर की योजना आज पूर्ण होने जा रही है जिसको इन्दिरा गांधी नहर नाम दिया गया है वास्तव में मानव श्रम रेगिस्तान में आई यह दूसरी गंगा है। राज्य का खनिज उद्योग उनके कार्यकाल में निरन्तर प्रगति करता रहा। सभी क्षेत्रों में राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ रहा था। 27 मई, 1964 को दोपहर के दो बजकर दस मिनट पर भारत के प्रिय नेता प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निधन से सारा राज्य शोक में डूब गया था। हजारों राजस्थानी अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने दिल्ली की ओर चल पड़े थे।

स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, "40 वर्ष पूर्व जब हम जवान थे, एक स्वयं सेवक के नाते कहा करते थे कि जिस दिन लाल किले पर हमारी आजादी का झन्डा फहरायेगा उस दिन हमारी आजादी पक्की होगी। हमने यह भावना अपने उस बहादुर नेता से पायी थी जिसका नाम हम कभी भूल नहीं सकते - जवाहरलालजी हमारे देश की आजादी के बड़े से बड़े सिपहसालारों में थे जिन्होंने हमारे देश में आजादी आने के बाद 17 वर्ष दिन रात एक कर आजादी को बनाये रखा और उसे मजबूत बनाया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी गम्भीर आवाज हमें और

आपको आगे ले जाने वाली आवाज मौन है, लेकिन वह देश के लिए इतना कर गये, बड़ी पूंजी छोड़ गये जिसको हमें बड़ी जिम्मेदारी से निभाना है।"

सारे देश ने ही नहीं विश्व में शांतिदूत को याद किया गया, जगह-जगह श्रद्धांजलियां दी गईं। राजस्थान के निवासियों ने 27 तारीख को नेहरू स्मृति दिवस के रूप में प्रतिमास प्रदेश के छोटे बड़े ग्राम कस्बों में मनाने का संकल्प लिया, उसके अंतर्गत प्रदर्शनियां, कवि सम्मेलन, मुशायरे, निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगीं। प्रदेश में अपने प्रिय नेता की याद में नगरों, कस्बों, सड़कों के चौराहों, पार्कों पर पं. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाएं लगाई गईं।

'श्री नेहरू और उनका योगदान' विषयक संगोष्ठियां आयोजित की गयी थीं। महात्मा गांधी ने सन् 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू के लिए सच कहा था-"बहादुरी में कोई उनसे बढ़कर नहीं हो सकता और देश प्रेम में उनके आगे कौन जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वे

उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा दाह संस्कार कर दिया जाये और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में प्रवाह किया जाये। उसमें से मुठ्ठी भर भस्म गंगा में डाली जाये बाकी हिस्से को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाये।

जल्दबाज और अधीर हैं। यह तो इस समय एक विशिष्ट गुण है। फिर जहां उनमें एक वीर योद्धा की तेजी और अधीरता है वहां एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। निःसन्देह वह परिस्थिति से बहुत आगे की बात सोचने वाले उग्रवादी हैं - वह स्फटिक मणि की भांति पवित्र हैं। उनकी सत्यशीलता सन्देह के परे है। वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।"

उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा दाह संस्कार कर दिया जाये और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में प्रवाह किया जाये। उसमें से मुठ्ठी भर भस्म गंगा में डाली जाये बाकी हिस्से को हवाई जहाज से ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाये। राजस्थान को भी उस भस्मी का हिस्सा मिला जो 2 जून, 1964 को जयपुर पहुंचा था। रामनिवास बाग में एलबर्ट हाल बरामदे में भस्मी कलश पांच दिन तक रखा रहा, जिस पर राजस्थान के निवासियों ने अपने प्रिय नेता पर श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मन मसोस लिया।

इसी एलबर्ट हाल पर अनेक बार नेहरू को हंसते, बोलते, भाषण देते जिस जनता ने देखा था वह इसी भस्मी कलश पर श्रद्धा सुमन लेकर दर्शन को उमड़ पड़े थे। यह भस्मी पुष्कर के पवित्र सरोवर में प्रवाहित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रदेश में जाह-जगह दस लाख की लागत से 75 बाल उद्यान बनवाये गये। कोटा बांध का नाम जवाहर सागर बांध रखा गया, जयपुर के मुख्य हवाई मार्ग का नाम जवाहर नेहरू मार्ग रखा गया। झालावाड़ में नई कालोनी का नाम जवाहर कालोनी नेहरू की स्मृति में रखा गया। पूरे प्रदेश में अनेक स्मृतियां जवाहर लाल नेहरू की याद में बनी हुई हैं। राजस्थान के कवि भगवती व्यास ने अपनी कविता में कहा :-

"तुम अमर हो जब तलक, यह भाखड़ा चम्ब।
तुम अमर हो जब तलक, है गंग में जल।
आदमी मरता नहीं है, आदमी की देह मरती है।

पंचायत प्रसार अधिकारी
खाल की हवेली, झालावाड़
(राजस्थान) 326001

ग्रामीण विकास और नेहरूजी

धर्मेन्द्र त्यागी

नेहरूजी अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के साथ ही गांवों से भी जुड़ते चले गये। उन्होंने गांवों को करीब से देखा और उनकी दुर्दशा ने उन्हें उद्वेलित किया। लेखक का कहना है कि कांग्रेस अधिवेशनों तथा अन्यत्र उनके भाषणों पर नजर डालने से सिद्ध हो जाता है कि वे गांवों व ग्रामीणों के दुख-दर्द को गंभीरता से समझते थे। लेखक आगे लिखता है कि नेहरूजी पूरे जीवन में ग्रामीण विकास के लिये समर्पित सैनिक की भांति निष्ठापूर्वक कार्यरत रहे, उन्होंने गांवों के भविष्य को ऐतिहासिक दिशाएं प्रदान कीं और ग्रामीणों में आत्म-गौरव का मंत्र फूंका।

यह जवाहरलाल है। कहते हैं इसके कपड़े पेरिस से धुलकर आया करते थे और यह राजकुमारों का जीवन जीता था। लेकिन जबसे इसके सिर पर गांधीजी की छड़ी फिरी है, यह पक्का साधू हो गया है। अब यह खद्दर के कपड़े पहनता है और देश में अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिये गांव-गांव घूमता है। अब इसका सारा रहन-सहन और पहनावा बदल गया है।" सन् 1928 में मुजफ्फरनगर शहर में (जो अब उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से सर्वाधिक सम्पन्न जिला है) सम्पन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन में यह शब्द उस समय के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री सुन्दरलाल ने कहे थे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुन्दरलालजी ने ही की थी। नेहरूजी उस अधिवेशन में कुछ अन्य क्रान्तिकारियों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में पधारे थे।

इस प्रामाणिक घटना से स्पष्ट होता है कि अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के साथ ही भारतीय गांवों से वे जुड़ते चले गये। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देशवासियों में आत्मविश्वास और नैतिक बल जगाने के लिये वे महानगरों, नगरों तक ही सीमित नहीं रहे। गांवों में भी गये और गांवों को उन्होंने करीब से देखा व जिया। इसका स्वाभाविक प्रभाव भी उन पर पड़ा। गांवों और ग्रामीणों की दुर्दशा ने उन्हें उद्वेलित किया। सन् 1927-28 के अट्ठारह महीनों में उन्होंने सोवियत संघ सहित अनेक पश्चिमी देशों की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने इन यूरोपीय देशों के समाजवादी जीवन को भी बहुत करीब से देखा। उन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारों का भी गम्भीरता से अध्ययन किया। इस प्रकार उनका समाजवाद के प्रति झुकाव बढ़ता गया और एक स्वतन्त्र समाजवादी दर्शन उनमें जाग्रत हुआ। कांग्रेस के अधिवेशनों में तथा अन्यत्र भी, स्वाधीनता से पहले और बाद में उन्होंने अपने विचारों को जिस प्रकार प्रकट किया, उससे भी सिद्ध होता है कि गांवों के दुख-दर्द को उन्होंने गम्भीरता से समझा और उनमें स्वतंत्र

समाजवादी-दर्शन परिपक्व हुआ, जिस पर अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक वे कायम रहे।

सन् 1929 में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को यह बात समझाने की कोशिश की कि भारत में गरीबी और दुख केवल विदेशी शोषण के कारण नहीं हैं। वर्तमान में हमारे समाज की जो आर्थिक संरचना है, इसके मूल में राजा-महाराजा भी हैं। इसलिये हमें इस सारी व्यवस्था में आर्थिक-सामाजिक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। तभी हमारे प्रयत्नों का सुफल देशवासियों को प्राप्त हो सकेगा।

सन् 1931 में करांची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि 'हमें जनमानस में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना होगा और उन्हें आगे लाना होगा। राजनीतिक स्वतन्त्रता के अपने संकल्प में हमें लाखों भूखे लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता को सम्मिलित करना होगा।

नेहरूजी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत के गांव जब तक खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी रहेगी। इसीलिये उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही आर्थिक स्वतन्त्रता और ग्रामीणों तथा मजदूरों के विकास-विस्तार की बात को लगातार दुहराया। उन्होंने पश्चिमी देशों की समाजवादी व्यवस्था के अध्ययन-मनन के साथ ही, प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज-व्यवस्था का भी गहरायी से अध्ययन-मनन किया।

सन् 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ही की और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि "जब मैं समाजवाद शब्द का प्रयोग करता हूं तो यह नहीं समझना चाहिये कि यह मैं केवल मानवीय आधार पर कह रहा हूं, बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूं।" इसी वर्ष फैजपुर में उन्होंने कहा कि "हमारे देश में मजदूरों को प्रारम्भिक अधिकार मिलने चाहिये। उनके काम का समय आठ घण्टे निर्धारित होना चाहिये। जो लोग हमारे गांवों में और शहरों में बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये। आज जो जीवन-स्तर में सामान्य रूप से हम अन्तर देखते हैं, खासकर मजदूरों के जीवन स्तर में, वह बहुत गलत है। यह समाप्त होना चाहिये। इसके लिये हमें प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिये।"

इसके कुछ वर्ष बाद देश में अन्तरिम सरकारें बनीं जिनमें भारतीयों को सम्मिलित किया गया। सम्भवतः उसी दौर में नेहरूजी ने कहा कि "राज्य और कृषक के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाकर मध्यस्थों को समाप्त कर देना चाहिये।" ग्रामीण विकास के लिये वे कितने समर्पित थे, इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है।

वस्तुतः नेहरूजी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत के गांव जब तक खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी रहेगी। इसीलिये उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही आर्थिक स्वतन्त्रता और ग्रामीणों तथा मजदूरों के विकास-विस्तार की बात को लगातार दुहराया। उन्होंने पश्चिमी देशों की समाजवादी व्यवस्था के अध्ययन-मनन के साथ ही, प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज-व्यवस्था का भी गहरायी से अध्ययन-मनन किया। उनके अध्येता होने का ही परिणाम यह रहा कि पश्चिमी समाजवाद को आंख मूंदकर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भारतीय जीवन-दर्शन के अनुरूप हिंसा में नेहरूजी की आस्था नहीं थी। जबकि पश्चिमी देशों में जो समाजवादी व्यवस्था निर्मित हुई, वह हिंसा के बल पर प्राप्त की गयी थी।

देश के स्वाधीन हो जाने के उपरान्त भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री होने का गौरव नेहरूजी को प्राप्त हुआ। यहां स्वाधीनता की मध्यरात्रि में दिये गये उनके भाषण के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि "हमारा भविष्य सरल और आराम के लिये नहीं है। अब हमें भारत की सेवा में पूरी तत्परता से जुट जाना है। भारत की सेवा से यहां हमारा तात्पर्य देश के लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना और ग्रामीणों तथा मजदूरों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार लाना है।"

नेहरूजी ने स्वाधीनता के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में सहकारिता पर, ग्रामीण और औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित किया, जिसे अंग्रेजी शासन के दौरान नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया था। दामोदर वैली में सिन्दरी फर्टीलाइजर्स नामक कारखाना उन्होंने स्थापित कराया,

जिससे किसानों को खाद पर्याप्त रूप में सुलभ हो सके और किसान अपने खेतों में अधिकाधिक उत्पादन कर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने भाखड़ा डैम बनवाया, ताकि देश के किसानों को आवश्यकता के अनुरूप बिजली की सुविधा मिल सके और परम्परागत तरीकों के साथ ही हमारे किसान आधुनिक तरीकों को अपना सकें तथा अपने श्रम से अपना जीवन-स्तर ऊपर उठा सकें।

भूमि-सुधार कार्यक्रम को भी उन्होंने इसी दृष्टि से महत्व दिया और लागू कराया। उनका कहना था कि 'प्रत्येक किसान का अपनी भूमि पर पूर्ण और मौलिक अधिकार रहे, किन्तु वे कृषि-कार्य संयुक्त रूप से करें।' यहां यह जानकारी देना उचित होगा कि देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त कराने और छोटे किसानों को उनका हक दिलाने के लिये सर्वप्रथम नेहरूजी ने ही ठोस कदम उठाये और इस बात की उन्होंने कतई परवाह नहीं की कि बड़े-भू-स्वामी उनके इस प्रकार के कार्यों से नाराज तो होंगे ही, सरकार के लिये भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे किसानों का आज जो स्वरूप हमारे सामने है अर्थात कृषि-भूमि पर आज किसानों के जो अधिकार हैं, वे नेहरू युग की देन का एक ऐतिहासिक उदाहरण है।

पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पण्डित नेहरू ने ही करायी और इन योजनाओं में गांवों और ग्रामीणों के विकास तथा उन्नत जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस तरह के आरोपों में कोई सत्यता नहीं है कि नेहरूजी की नीतियां ग्रामीण विकास में बाधक बनीं। वस्तुतः ग्रामीण विकास के लिये जितना काम नेहरूजी ने किया, उतना अन्य किसी ने भी नहीं किया। जो लोग नेहरूजी के सम्पर्क में रहे हैं और जिन्होंने उन्हें नजदीक से देखा, जाना और समझा है, उनमें से आज अनेक जीवित हैं। लेखक का ऐसे अनेक लोगों से सम्पर्क रहा है और है। इनमें से आज अनेक व्यक्तित्व वर्तमान इंका सरकार से सन्तुष्ट नहीं होते हुए भी नेहरूजी के योगदान पर बेबाक रूप से अपना मत प्रकट करते हैं। और यह कोई छोटी या सामान्य बात नहीं है कि नेहरूजी के राजनीतिक विरोधी भी उनकी ग्रामोत्थान सम्बन्धी नीतियों को नकारने का साहस नहीं कर पाते हैं। यहां मुझे कहने में संकोच नहीं कि जो लोग नेहरूजी की ग्रामीण विकास से सम्बन्धित नीतियों को नकारते भी हैं वे केवल अपनी तुच्छ स्वार्थ की राजनीति और दुराग्रहों के कारण ही ऐसा करते हैं।

आज गांव-गांव में बिजली है, सड़कें हैं, सिंचाई के अप्राकृतिक साधन हैं, खेती की नयी-नयी तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं—ग्रामीण जन-जीवन में उत्साहजनक हलचल है, किसानों का, मजदूरों का जीवन-स्तर ऊपर उठा हुआ है इस सारी तरक्की के पीछे पण्डित नेहरू की वही दीर्घजीवी-सुफलदायी दृष्टि है, जिसे स्वाधीनता के बाद उन्होंने सम्पूर्ण मन से क्रियान्वित्त किया कराया।

स्वाधीनता के बाद भी गांवों से उनका निकट का सम्पर्क बना रहा। स्वाधीनता के पहले की तरह ही वे प्रधानमंत्री बन जाने पर गांवों में आते—जाते रहे। इलाहाबाद के अनेक गांवों में वे चुपचाप पहुंच जाते थे और ग्रामीणों की स्थिति का जायजा लेते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल इलाहाबाद के ही गांवों में आते-जाते थे। वे बगैर किसी भेद-भाव के देश भर के गांवों में, जब भी अवसर मिलता था, जाते थे। लोगों से मिलते थे। उनके दुख-तकलीफों की जानकारी लेते थे और फिर उन समस्याओं को दूर करने के ठोस उपाय करते थे।

नेहरूजी का कहना था कि "हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जिसमें कोई गरीब न हो और कोई अधिक अमीर भी न हो। लोग आपस में मिलकर रहें। मिलजुलकर काम करें। भीख मांगने के स्थान पर मिलकर श्रम और परिश्रम करें, ताकि देश के उत्पादन में वृद्धि हो। लोग आत्मनिर्भर बनें और उनकी शक्ति के बल पर देश भी प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का गौरव अर्जित कर सके।" ऐसा हुआ भी। उनकी बातें लोगों पर जादू जैसा असर करती थीं। इसका कारण भी था कि वे सभी वर्गों और समुदायों के लोगों से पूरी आत्मीयता के साथ मिलते थे और उनके दुःख-सुख में भागीदार बनते थे।

सन् 1957 का वह दृश्य मेरी आंखों में आज भी वैसा ही है। नेहरूजी शुक्रताल (उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का सुप्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल) पधारे थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां 'गंगा-मेला' प्रतिवर्ष आयोजित होता है। उस समय मैं करीब छः वर्ष का था। नेहरूजी मेले के मुख्य पर्व से कुछ दिन पहले आये थे। उनका कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया था कि अधिक से अधिक गांव मार्ग में पड़ें। कारण गांवों और ग्रामीणों को नजदीक से देखना ही रहा होगा। हमारे गांव से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर गंग नहर है। नेहरूजी एक खुली

जीप में गंग नहर की पटरी से होकर गये थे। उस समय आस-पास के गांवों के लोग स्वत: स्फूर्त रूप में उन्हें देखने-सुनने को जिस तरह उमड़े थे, लोगों की उस भावना को शब्द दे पाना कठिन है। अपने पिताजी की अंगुली पकड़े हुए भीड़ के उस सैलाब में, मैं भी था।

वर्ग-संघर्ष में उनका विश्वास नहीं था। सन् 1955 में अवाडी की एक सभा में उन्होंने कहा कि "हमें समाजवाद को शांतिपूर्ण तरीके से भारत में लाना है। यूरोप के समान वर्ग-संघर्ष द्वारा इसे लाना मूर्खता होगी। हमारा समाजवाद हमारा अपना होगा, उसकी जड़ें देश में होंगी।"

उनकी जीप से मुश्किल से दो मीटर की दूरी पर खड़े हुए मैंने देखा कि भीड़ अनुशासित थी। नेहरूजी खुली जीप में खड़े थे और मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अनेक लोग उन्हें फूल मालायें भी दे रहे थे। इन मालाओं को वे प्यार से, मुस्कुराते हुए लेते रहे और दूर के लोगों तक उन पुष्पों को पहुंचाते रहे। अनेक लोग अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक परेशानियों से लिखे कागज उन्हें दे रहे थे। उन कागजों को भी वे फूलों की तरह ही प्यार से ले रहे थे। इस तरह भी वे लोगों को करीब से जानने-समझने का प्रयास करते थे और लोगों के बीच इस तरह के उनके सम्पर्कों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से लोगों पर होता था।

वर्ग-संघर्ष में उनका विश्वास नहीं था। सन् 1955 में अवाडी की एक सभा में उन्होंने कहा कि "हमें समाजवाद को शांतिपूर्ण तरीके से भारत में लाना है। यूरोप के समान वर्ग-संघर्ष द्वारा इसे लाना मूर्खता होगी। हमारा समाजवाद हमारा अपना होगा, उसकी जड़ें देश में होंगी।" उनकी शान्तिप्रियता तो जग-जाहिर है। लेकिन इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि उनके समाजवादी चिन्तन को कांग्रेस में पूरी तरह मान्यता नहीं मिली। उनकी शान्तिप्रियता और समाजवादी दृष्टि को सन् 1962 के चीनी आक्रमण से गहरा आघात पहुंचा।

सन् 1963 में राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक सभा में उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें यह आघात स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उस भाषण की ये पंक्तियां यहां दृष्टव्य हैं कि "अगर समाजवाद के लिये कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है और जो अपनाया गया है उसे शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो मुझे भय है कि आने वाले दस-पन्द्रह वर्षों में शान्तिपूर्ण साधनों से लोग विश्वास उठा लेंगे और बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जायेगी।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि नेहरूजी अपने पूरे जीवन में ग्रामीण विकास के लिये एक समर्पित सैनिक की भांति निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे। गांवों के उज्ज्वल भविष्य को उन्होंने ऐतिहासिक दिशायें प्रदान की और ग्रामीणों में आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव का मन्त्र फूंका।

**टाइप बी, बी-26/368,
डी.एम.एस. कालोनी, हरिनगर घंटाघर,
नई दिल्ली-110064**

ग्रामीण विकास में नेहरूजी की भूमिका

जे.पी. यादव

सहायक प्रोफेसर
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

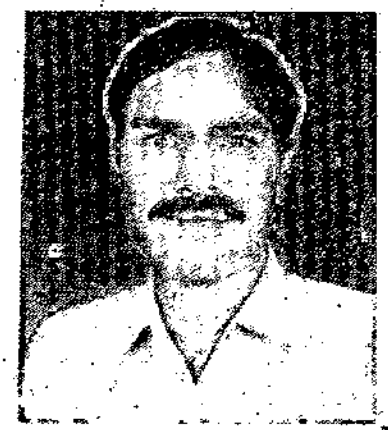

प्रस्तुत लेख में लेखक ने नेहरूजी के हृदय में किसानों के प्रति गहरी भावना को व्यक्त किया है। नेहरूजी मानते थे कि हमारे देश के किसान भले ही पढ़े लिखे न हों पर समझदारी में वे किसी से कम नहीं हैं। किसानों तक नई जानकारी पहुंचाने के लिए उन्होंने आकाशवाणी पर कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण तथा कृषि मेलों का आयोजन शुरू कराया। किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नेहरूजी ने आर्थिक नियोजन, भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम अपनाए।

लेखक का मत है कि नेहरूजी ग्राम विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन तथा पंचायती राज पर अत्यधिक जोर देते थे। नेहरूजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को रेखांकित करते हुए अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की।

भारत गांवों का देश है। देश की लगभग तीन-चौथाई जनता गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास के बिना देश का विकास कोरी कल्पना है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारत को ग्रामीणों का देश मानते थे। वे दूरदर्शी थे, आजादी से पूर्व ही भारत के भावी विकास की तस्वीर उनके दिमाग में थी। उनका कहना है – "देश के विकास का अर्थ गांवों का विकास है क्योंकि भारत का भाग्य गांवों के साथ जुड़ा हुआ है।" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के बहुसंख्यक किसानों के परम्परागत, आर्थिक, सामाजिक ढांचे में बदलाव नेहरूजी की मुख्य समस्या थी किन्तु वे इस बदलाव के प्रति आशावादी थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत के किसान दकियानुसी हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सके। उनका मत था कि यदि किसानों को नये तरीके बताये जायें तो वे अपने पुराने तरीकों को बदल सकते हैं।

कृषि में आधुनिकता पर जोर

18 जनवरी 1948 को आकाशवाणी से प्रसारित सन्देश में नेहरूजी ने 'अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम' की घोषणा करते हुए कहा था – "दरअसल एक भूखे इन्सान के लिए, एक बहुत गरीब मुल्क के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए।" उनका मानना था कि आजादी कायम रखने के लिए गरीबी हटाना जरूरी है और गरीबी तभी हटेगी जब पैदावार बढ़ेगी, खासतौर पर खेती की पैदावार। उन्होंने किसानों को अपने भाषण में बार-बार यह बात दुहराई कि वे खेती के पुराने तौर तरीके छोड़कर नई तकनीक अपनायें। इस प्रकार देश के लिए 'हरित क्रान्ति' का स्वप्न नेहरूजी ने ही संजाया था।

नेहरूजी कहा करते थे कि हमारे देश के किसान भले ही पढ़े लिखे न हों पर समझदारी में वे किसी से कम नहीं हैं। किसानों तक नई जानकारी पहुंचाने के लिए उन्होंने आकाशवाणी पर कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण तथा कृषि मेलों का आयोजन शुरू कराया। सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन ने ठीक ही कहा है-"देश को आजादी मिलते ही नेहरूजी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था कि बाकी सब कुछ रुक सकता है, मगर खेती को जरूर आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग गरीब जरूर हैं पर हमारा देश प्राकृतिक सम्पदा में भरपूर

है। इस प्राकृतिक सम्पदा को विज्ञान की सहायता से हम गरीबी हटाने का मजबूत हथियार बना सकते हैं। गरीब-अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए नेहरूजी ने विज्ञान का मुंह गांवों की ओर मोड़ा। इसी का परिणाम था कि आजादी के बाद सिन्दरी में पहला रासायनिक खाद कारखाना खुला। सिंचाई योजनायें शुरू हुईं और कृषि अनुसंधान के नये रास्ते खुले उन्हीं की डाली बुनियाद का फल है कि हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो गये हैं। नेहरूजी ने कहा था-"हमें खेती के काम को 'साइण्टिफिक' बनाना है, विज्ञान से फायदा उठाना है। जैसे और देशों में तरक्की हुई है 'एग्रीकल्चर' में, वैसे ही अपने देश में भी करनी है।"

'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्' की मासिक पत्रिका 'खेती' के मई 1948 के अंक में प्रकाशित प्रवेशांक के लिए भेजे सन्देश में नेहरूजी ने कहा था-"यह नितान्त आवश्यक है कि जनता तक आवश्यक अनुसंधान पहुंच सकें और लोग दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर सकें। ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति तथा सम्पन्नता को निश्चित करने के लिए प्रयत्न करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि कृषि सेवी लोग 'खेती' की मदद करेंगे और इसे विश्वसनीय साथी के रूप में अपनायेंगे।"

सामुदायिक विकास एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

प्रतापगढ़ का दौरा करते समय नेहरूजी को जमींदारी प्रथा के शोषण का ज्ञान हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। भारत के हर राज्य में 'जमींदारी उन्मूलन' विधेयक पारित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सामुदायिक विकास योजना तथा भूमि सुधार कानून को प्रभावी बनाकर नेहरूजी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 22 अगस्त 1960 को उन्होंने लोकसभा में कहा था-"मैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं तथा मैंने कई बार उसकी प्रशंसा की है। जो कुछ भी हुआ है, जो गलतियां हमने की हैं उनके बावजूद मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि सामुदायिक विकास योजना ने ग्रामीण भारत की काया-पलट दी है और इससे परिवर्तन हो रहा है।" पण्डित नेहरू का यह विश्वास था कि यदि विकास कार्यों में ग्रामीणों का सहयोग लिया जाये तो देश का तेजी से विकास हो सकता है।

ग्रामीण विकास का त्रिस्तम्भीय ढांचा

पण्डित नेहरू ग्रामवासियों के लिए लोकतन्त्र के समर्थक थे। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के गठन तथा उनके संचालन पर विशेष बल दिया। 17 अप्रैल, 1959 को राजापलयम (मद्रास) में गांवों के लिए तीन बुनियादी संस्थाओं पर जोर देते हुए कहा "देश में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' चल रहा है परन्तु हमने देश के सामने एक और सुझाव रखा है अर्थात् गांवों में सहकारी समितियां होनी चाहिये। इसका यह भी उद्देश्य है कि सब मिलजुलकर काम करें तथा ग्रामवासी आत्मनिर्भर बनें। इसलिए अब हम कहते हैं कि प्रत्येक गांव में एक शक्ति

उन्होंने किसानों को अपने भाषण में बार-बार यह बात दुहराई कि वे खेती के पुराने तौर तरीके छोड़कर नई तकनीक अपनायें। इस प्रकार देश के लिए 'हरित क्रान्ति' का स्वप्न नेहरूजी ने ही संजोया था।

सम्पन्न ग्राम पंचायत होनी चाहिए। उसे पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिये। उसी तरह गांवों में सहकारी समितियां होनी चाहिये जो आर्थिक कार्यकलापों को देखें। प्रत्येक गांव में एक स्कूल, एक पंचायत और सहकारी समिति होनी चाहिए। हमारी सरकार इसी ढांचे पर आधारित हो।" सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों का आर्थिक, स्कूलों से सामाजिक व पंचायतों से राजनैतिक उत्थान होगा। इस प्रकार नेहरूजी ग्रामवासियों का सर्वांगीण विकास चाहते थे।

(अ) गांव की पंचायत

ग्रामवासी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। वे सदियों पुरानी मानसिक दासता से ग्रसित हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए नेहरूजी चाहते थे कि पंचायतें देश के शासन तंत्र का आधार बनें। ग्रामवासियों से भूलें हो सकती हैं परन्तु भूलों से ही व्यक्ति सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। नेहरूजी का दृढ़ विचार था कि पंचायतों के माध्यम से जनसमुदाय को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् में 2 अक्तूबर

1958 को उन्होंने कहा-"पंचायतें हमारे शासनतन्त्र की बुनियाद हैं। यदि वह बुनियाद ठोस और पुख्ता नहीं होती तो ऊपरी ढांचा कमजोर रहेगा। यह सभी जानते हैं कि पंचायतों को चलाने वाले लोगों में अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। हमसे कहा जाता है कि हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हम इस तर्क को मानते हैं तो इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। हम जानते हैं कि लोग गलतियां करेंगे फिर भी उन्हें काम करने का और ट्रेनिंग पाने का मौका मिलना चाहिए। जब तक हम किसी संस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पायेंगे।"

2 अक्तूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज की शुरूआत करते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था "देश की सच्ची प्रगति तभी होगी जब गांव में रहने वाले लोगों में राजनैतिक चेतना आए। देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांव की प्रगति से है। यदि गांव उन्नति करेंगे तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा। यदि आप अपने निश्चय से डिग जायेंगे तथा आपसी झगड़ों और दलबन्दी में पड़ जायेंगे तो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे।....पंचायतों में सभी को बराबर माना जाना चाहिए। स्त्री-पुरुष, ऊँचे तथा नीचे का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें एकता और भाईचारे की भावना से आत्मविश्वास के साथ अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए।"

नेहरूजी का स्थानीय स्वशासन में पूर्ण विश्वास था। वे चाहते थे कि ग्रामवासियों को अपना देश और अपना राज मिले। वे आजीवन ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारों के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने पंचायती राज को एक महान प्रयोग माना और यह कहते रहे कि इस मसले पर विचार करते समय इस प्रयोग की समस्त पृष्ठभूमि में, हमारे देश की विशालता की ओर ध्यान देना ही होगा। उनका मानना था - "बहुत से लोग ठोकर खाते हैं; गिर जाते हैं; बहुत से लोग गलतियां करते हैं; पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं और हमारे उद्देश्य के साथ धोखा करते हैं। यह सब हो रहा है फिर भी समग्र रूप से हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।"

गांवों में रोजगार के अधिक अवसर

नेहरूजी के बताये मार्ग पर चलते हुए देश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक अधिकार दिये गये हैं तथा इन संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जा रहा है। नेहरूजी ने बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा था—"बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और यह हमारी प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर सकते। परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं कार्य की गारंटी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझता।" हाल ही में शुरू की गयी 'जवाहर रोजगार योजना' में पंचायतों के माध्यम से गांवों में रोजगार के नये अवसर सुलभ करा रहे हैं। इससे बेरोजगारी मिटाने में सहयोग मिलेगा।

ग्रामीण उद्योगों का समर्थन

नेहरूजी ने देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ कुटीर और लघु उद्योगों का समर्थन किया। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों से ही समस्या का निराकरण नहीं हो सकता अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए उन्होंने 'अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग' की स्थापना कराई। इसी प्रकार 'हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड', 'हैण्डलूम बोर्ड', 'रेशम बोर्ड' आदि गठित किये गये।

(ब) गांव की पाठशाला

पण्डित नेहरू का बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। वे चाहते थे कि देश का कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रत्येक गांव में स्कूल खोलने की सलाह दी। इसी नीति का फल है कि आज देश के सभी गांवों में स्कूल खुल गये। शिक्षा से व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है तथा इससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। नेहरूजी ने तीन दशक पूर्व प्रत्येक गांव में स्कूल का सुझाव दिया था। तीन दशक में जनसंख्या काफी बढ़ गयी है, गांव बड़े हो गये हैं; कई ढ़ाणियां भी गांवों के बराबर हो गयी हैं अतः अब तो ढ़ाणी-ढ़ाणी में स्कूल खोलने चाहिए। स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके; इस हेतु वहां सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।

(स) गांव की सहकारी समिति

भारत के गांव एक लम्बे अरसे से पिछड़े रहे हैं। नेहरूजी

ने सहकारिता को भारत के नागरिकों के विकास का मूलमन्त्र माना। उनका विश्वास था कि सहकारिता के सिद्धान्तों को अपना लेने से देश का कायापलट सम्भव है। सहकारी समिति तथा ग्राम पंचायत साथ-साथ काम करके गांव का सर्वांगीण विकास कर सकती हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 'सहकारी समिति' की स्थापना की सलाह दी। उनका मानना था कि भारत की भूमि समस्या का हल 'सहकारी खेती' से ही हो सकता है। जनवरी 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया।

'सहकारी खेती' से ही हो सकता है। जनवरी 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया।

सहकारी समितियों ने गांवों में आर्थिक क्रान्ति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांवों में साख समितियों, विपणन समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, बुनकर समितियों, उपभोक्ता समितियों आदि ने विकास में विशेष योगदान दिया है। साख समितियां किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाकर सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुलभ करा रही हैं। इससे खेती में उन्नत खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग होने लगा है। विपणन समितियां ग्रामीणों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिला रही हैं। इसी प्रकार अन्य समितियां भी अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। सहकारी संस्थाओं की महत्ता को स्वीकारते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विकास पर विशेष बल दिया गया है।

नेहरूजी को सच्ची श्रद्धांजलि

नेहरूजी द्वारा गांवों के विकास के लिए दी गयी भावी नीति से 'ग्रामीण विकास' को विशेष गति मिली है। सहकारी समिति, पंचायत एवं स्कूल को ग्रामीण विकास के तीन आधारभूत स्तम्भ मानना, उनकी दूरदर्शिता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास की भावना को

भारत के गांव एक लम्बे अरसे से पिछड़े रहे हैं। नेहरूजी ने सहकारिता को भारत के नागरिकों के विकास का मूलमन्त्र माना। उनका विश्वास था कि सहकारिता के सिद्धान्तों को अपना लेने से देश का कायापलट सम्भव है। सहकारी समिति तथा ग्राम पंचायत साथ-साथ काम करके गांव का सर्वांगीण विकास कर सकती हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 'सहकारी समिति' की स्थापना की सलाह दी।

दर्शाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में इन तीनों स्तम्भों को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक चेतना आयी है तथा लम्बे अरसे से पिछड़े गांव विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं। गांवों में आजादी के समय तथा आज की स्थिति में दिन रात का अन्तर है। यह नेहरूजी की नीतियों के अनुरूप आगे बढ़ने का ही परिणाम है।

हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि नेहरूजी की ग्राम-विकास सम्बन्धी नीतियों को आगे बढ़ायें। उनके बतायें तीनों स्तम्भों को सुदृढ़ करें ताकि उनकी आत्मा को शान्ति मिले। उनके बताये मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

62, कल्याण कालोनी
टोंक फाटक, जयपुर-302015.

गांव हों उन्नत हमारे तो देश बने खुशहाल

डा. कु. पुष्पा अग्रवाल

लेखिका ने अपने लेख में मत व्यक्त किया है कि नेहरूजी ने अपनी कल्पना, ज्ञान व दूरदर्शिता से विकास नीतियों का योजनाबद्ध क्रम से कार्यान्वयन किया व ऐसी संस्थाओं की नींव रखी जिनके बल पर देश आज गौरवपूर्ण स्थान पा चुका है। लेखिका के अनुसार नेहरूजी की विज्ञान व तकनीकी की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका में गहरी आस्था थी। इसी के अनुरूप उन्होंने योजनाओं में प्रगति-उन्मुख कार्यक्रमों को शामिल करके देश को नयी दिशा प्रदान की।

देश की नियति को नए सिरे से लिखने का श्रेय पण्डित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने ग्राम विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि के समानुरूप नीतियों का निर्धारण करके मार्ग दर्शन किया। उनकी चिन्ता का मूल आधार था कि किस प्रकार कृषक जगत को कार्यक्रमों के साथ नियोजित करके वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। वे इस सम्बन्ध में नवीन पद्धतियों और साधनों की खोज के आकांक्षी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में देश की प्रत्येक समस्या का स्वतः सन्धान तो किया ही, साथ ही अपनी कल्पना और ज्ञान की सम्पृक्तता तथा दूरदर्शिता से विकास नीतियों का श्रीगणेश और ऐसी संस्थाओं का संस्थापन किया, जिन्हें आज देश को उसके वर्तमान स्तर तक लाने का पूरा श्रेय है। यह उनकी सुदृढ़ धारणा थी कि जब तक आधुनिक विज्ञान और तकनीकी की जड़ें मजबूत नहीं होती तथा जब तक देश में उद्योग और कृषि का आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा तब तक भारत की जनता गरीबी के कठोर चंगुल से मुक्त नहीं हो सकेगी।

जवाहरलालजी ने जब भारत स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था तभी पहले पहल यह सुझाव दिया था कि देश के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी समग्र आयोजन तभी किया जा सकता है जब स्वाधीन राष्ट्रीय सरकार हो, जो सशक्त और लोकप्रिय हो तथा सामाजिक और आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन कर सके। वे अनुभव करते थे कि जब तक देश का औद्योगीकरण नहीं होगा तब तक गरीबी, बेकारी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और आर्थिक पुनर्जीवन की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। औद्योगीकरण के प्रथम चरण के रूप में भारी और आधारभूत उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास के प्रबन्ध के लिए एक समग्र नीति का निर्माण आवश्यक था। किन्तु इसका अभिप्राय कृषि की उपेक्षा नहीं था, क्योंकि वह जनता की जीविका का मूलाधार थी। 15 मार्च, 1950 को भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में स्थापना की। इसका उद्देश्य मन्त्रिमण्डल को अपनी सिफारिशें देना था। योजना आयोग और संविधान लगभग एक ही समय बने थे। नेहरूजी के सामने तीन पंचवर्षीय योजनाएं ही बन पाई थीं। प्रथम योजना में ऐसी बहुत-सी परियोजनाओं को ले लिया गया था, जिन पर पहले काम हो चुका था और इनको आर्थिक और सामाजिक विकास की एक सुगठित योजना में समन्वित कर दिया गया था। इसमें

जोर कृषि, सिंचाई, बिजली और परिवहन पर था, परन्तु उद्देश्य यह था कि भविष्य में अति द्रुतगामी आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए आधार तैयार किया जाए। अपनी सीमाओं के बावजूद प्रथम योजना क्रान्तिकारी विशेषताओं वाली थी। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन में रूकावट डालने वाली पुरातनवादी भू-प्रणाली में सुधार किया गया, समग्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक राष्ट्रव्यापी कृषि विस्तार सेवा की स्थापना हुई। सहकारी आन्दोलन को पुनर्जीवन दिया गया, सिंचाई और बिजली सुविधाओं का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। प्रशासकीय ढांचे को सुधारा और मजबूत बनाया गया, तथा कृषि और उद्योग को ऋण देने, लघु उद्योगों का विकास करने तथा जनता के पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता देने के लिए अनेकों विशिष्ट संस्थानों की स्थापना की गई।

जवाहरलालजी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। वे विकेन्द्रीकरण के उतने ही पक्षपाती थे जितना कोई और, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूरी यह थी कि पहले मूलभूत उद्योगों में केन्द्रीकृत उत्पादन हो, उसके बाद विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया जाए।

सही अर्थों में नियोजन दूसरी योजना से प्रारम्भ हुआ। सन् 1950 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने या सिंचाई सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया था। अतः औद्योगीकरण उद्देश्य मात्र रहा और अगले चरण के लिए सुरक्षित कर दिया गया। दूसरी योजना में आयोजन के लिए गम्भीर प्रयास हुए। इस बार उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यह कारखाने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में क्रमशः सोवियत संघ, जर्मन और ब्रिटिश सहयोग से स्थापित होने वाले थे। जवाहरलालजी कई चरणों में इसकी तैयारी कर रहे थे। उनका उद्देश्य लक्ष्यों को ऊंचा करना था, अर्थव्यवस्था में जो असन्तुलन था उसे ठीक करना था। यद्यपि निजी उद्योग का अपना स्थान था, फिर भी उसकी सीमाएं नियत करनी जरूरी थीं। संविधान में यह संशोधन कर दिया गया था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए सम्पत्ति अधिग्रहित की जा सकती है।

जवाहरलालजी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। वे विकेन्द्रीकरण के उतने ही पक्षपाती थे जितना कोई और, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूरी यह थी कि पहले मूलभूत उद्योगों में केन्द्रीकृत उत्पादन हो, उसके बाद विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया जाए।

दूसरी योजना में सार्वजनिक नियोजित पूंजी की मात्रा प्रथम योजना की मात्रा से दूनी कर दी गई और वह 4800 करोड़ रुपये रखी गई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 25 प्रतिशत रखा गया, जबकि प्रथम योजना का लक्ष्य केवल 11 प्रतिशत था। एक करोड़ और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य था। कृषि के क्षेत्र में भी मुख्य लक्ष्य यह थे कि उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हो, जिसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि खाद्यान्नों में होनी थी। उद्योग में वृद्धि के लिए जो लक्ष्य रखे गए वे चमत्कारी थे, जैसे शुद्ध औद्योगिक उत्पादन के लिए 64 प्रतिशत, पूंजीगत सामानों के उत्पादन में 150 प्रतिशत, कोयला उत्पादन में 63 प्रतिशत, लोह अयस्क के उत्पादन में 43 लाख टन से एक करोड़ 29 लाख टन तक, अल्यूमीनियम में 233 प्रतिशत, सीमेंट उत्पादन में 108 प्रतिशत, विद्युत में 100 प्रतिशत और इस्पात में 231 प्रतिशत यानी 13 लाख टन से बढ़ाकर 43 लाख टन। उद्योगों पर निवेश का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। सन् 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन किया गया और राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी 8 से बढ़ाकर 17 कर दी गई।

द्वितीय योजना में मूलभूत नीतियों को कुछ कदम आगे बढ़ाया गया था और यह लक्ष्य रखा गया था कि पूंजीनिवेश, उत्पादन तथा रोजगार में और अधिक वृद्धि हो। अगले 15-20 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को त्वरित करने की नीति के रूप में मूल और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देना आवश्यक समझा गया। पहली योजना में तुलनात्मक दृष्टि से उन कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया गया था जिससे देश की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ती थी। द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया और उद्योगों तथा खनिजों का हिस्सा 4 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। दोनों योजनाओं में परिवहन और संचार व्यवस्थाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय योजना के समय में कर लगाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाए गए। साधनों में जो कमी थी उसको कुछ तो घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा और कुछ विदेशी सहायता से पूरा किया गया।

तीसरी योजना ने संविधान के सामाजिक लक्ष्यों और

योजनाओं के उद्देश्यों को अधिक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। योजना पर कार्य 1958 के अंतिम चरण में प्रारम्भ हुआ। योजना आयोग का प्रारूप जुलाई, 1960 के प्रारम्भ में प्रकाशित किया गया। पहली बार जिला, प्रखंड और गांव स्तर पर कृषि, सहकारिता, शिक्षा और ग्रामीण उद्योगों के सम्बन्ध में स्थानीय योजनाएं तैयार की गईं। तृतीय योजना के निर्माण के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह एक विशाल राष्ट्रीय प्रयास था। यह योजना अगले पन्द्रह वर्षों में देश के दीर्घकालीन विकास की परियोजना का प्रथम चरण प्रकट करती थी।

जवाहरलाल नेहरू का यह अगाढ़ विश्वास था कि प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए जनतांत्रिक परम्पराओं को सम्मान देना एवं जन-सामान्य को विकास कार्यों में भाग लेने का पूर्ण अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने पंचायती राज और सहकारी आन्दोलन में उस उच्चतम आदर्श संरचना के दर्शन किए थे, जिसमें जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर जनता स्वयं प्रगति कार्यों में योगदान देकर, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के पथ पर एक साथ अग्रसर हो सकती है।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी आन्दोलन का विचार नेहरू के मन में उस समय ही गहरी जड़ें जमा चुका था, जब देश स्वतन्त्रता के लिए सतत् जूझ रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए सहकारी राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। उनके अनुसार सहकारिता ही एकमात्र ऐसी पद्धति थी, जिसके द्वारा व्यापक मान पर भूभाग के स्वामित्व की स्थापना द्वारा अधिकतम प्राप्ति के लिए औद्योगिक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है; विशेष रूप से जिस भूमि पर उत्पादन की कमी, कृषि उत्पाद की कमी के अभाव का कारण बनती है। उन्होंने कहा था "सहकारिता इस प्रकार से छोटे एककों और औद्योगिक तकनीकी के बीच के अन्तराल को पाटती है।" इस बात को उन्होंने अनथक रूप से दोहराया है कि "भारत के मूल आधार के रूप में ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां और ग्राम स्कूल ये तीन स्तम्भ होने चाहिए। इन्हीं तीनों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत की सम्पूर्ण संरचना होनी चाहिए। संसद के उच्च धरातल से सम्भवतया एक सार्वभौम सत्ता जैसी कानून बनाने वाली और दूसरे रूप में भारत के भाग्य को नियंत्रित करने वाली बड़ी चीजों के रूप में सोचते हैं, किंतु सशक्त नींव के बिना, जो आज के भारत में अनिवार्यतया गांव में स्थित हैं, संसद कोरी कल्पना में उड़ानें भरती हैं अतः ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समितियों और ग्राम स्कूलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।"

किसान कृषि उत्पादन में वृद्धि के समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम से पूरी तरह तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो। समन्वित प्रयासों के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन संसाधन आदि जैसी नवीन संरचना सुविधाओं पर दबाव पड़ा है। अतः कृषि उत्पाद कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कृषि सामान के विपणन और वितरण की पद्धति को आधुनिक बनाने में सतत् रूप से ताल-मेल स्थापित करने का प्रयास किया गया। सहकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1960-61 में 171 करोड़ रुपये की लागत से कृषि उत्पाद का विपणन किया गया था। सहकारी क्षेत्र अपने प्रारम्भ से ही संकट की स्थिति आने पर किसानों को राहत देने के लिए अपने तन्त्र को विकसित करने में प्रयत्नशील रहा है।

आज प्राथमिक सहकारी सेवा समितियों का व्यवस्थित तन्त्र एवं विपणन, उपभोक्ता, वितरण, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाएं जिनका लक्ष्य अल्प साधन सम्पन्न जन समुदाय का हित साधन ही है — पण्डित नेहरू की देश की भावी विकास सम्बन्धी उत्कट आकांक्षा और उनके मार्गदर्शन का परिणाम हैं। आज हमारा कृषि क्षेत्र बीजों की अति उपजाऊ किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों के प्रयोग द्वारा आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम है। इसका आधार हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त पहले 15 वर्षों में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप सतत् विकास की स्थिति का परिणाम हैं। उत्पादन में हुई वृद्धि जहां छोटे किसानों की खुशहाली में वृद्धि करने में सहायक हुई वहां समाज के विपणन वर्गों और उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर पर्याप्त आवश्यक मात्रा में अनिवार्य पण्यों की स्वतः उपलब्धि कराने में भी सक्षम रही। पण्डित नेहरू यह आवश्यक समझते थे कि कुछ एक गिने चुने क्षेत्र ही आर्थिक

दृष्टिकोण से सम्पन्न हो कर न रह जाएं, वरन् उन क्षेत्रों में बसा विशाल जन-समुदाय, जिन्हें प्रकृति ने अपनी उदारता का वरदान देकर पर्याप्त सम्पन्न नहीं बनाया है, के जीवन स्तर में भी परिष्कार और आर्थिक दृष्टि से निखार आए।

जवाहरलाल नेहरूजी ने कहा था, "सहकारिता प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत है—कृषि में, औद्योगिक क्षेत्र में और सर्विस में तथा अनेकों बहुत-सी चीजों में। मुश्किल से ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां समुचित दर पर जन समुदाय को उपभोक्ता वस्तुओं का सम्भरण करने वाला सहकारी भण्डार न हो। मूल्यों को नियंत्रित करने का यही सबसे उम्दा एवं प्रभावशाली ढंग है। भारत में मूल्यों से सम्बन्धित भारी जटिलताएं हैं, विशेष रूप से अनाजों के सम्बन्ध में, उनके वितरण के सम्बन्ध में और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के सम्बन्ध में हैं। इसका एकमात्र उपचार है सहकारिता।"

जवाहरलालजी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। वे विकेन्द्रीकरण के उतने ही पक्षपाती थे जितना कोई गैर। लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूरी यह थी कि पहले मूलभूत उद्योगों में केन्द्रीकृत उत्पादन हो उसके बाद विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया जाए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

1963-64 तक ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेकों परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम को देश के चुने हुए भागों में 2 अक्तूबर 1952 को लागू किया गया था। यह कार्यक्रम अपने मूल रूप से ग्रामवासियों के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने पर आधारित था। वित्तीय स्रोतों के सीमित होने के कारण सभी गांवों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त निधियां जुटाना संभव नहीं था। अतः ग्रामवासियों का सक्रिय योगदान प्राप्त कर के सरकार द्वारा आवश्यक सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए योगदान देने की आवश्यकता अनुभव की गई। ग्रामीण जनसमुदाय से सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भवनों के निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए अपने श्रम योगदान की अपेक्षा की और सरकार को तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करनी थी।

पंचायती राज पद्धति

वर्ष 1958 में देश भर में पंचायती राज पद्धति प्रारम्भ की गई, तथा ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम बनाने और उसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित सन्दर्भों में वित्तीय सहायता दी गई :

1. पीने का पानी, 2. स्कूल/औषधालय के लिए भवन, 3. सामुदायिक केन्द्र/स्थान, 4. गांव की सड़कें, 5. ग्राम पुस्तकालय, 6. सामाजिक वानिकी, 7. अन्य सामुदायिक मदें।

इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक सरकारी मशीनरी और पंचायती राज के रूप में जनता में से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की मिलीजुली नवीन संरचना थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय ग्रामों का आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उल्लेखनीय विकास हुआ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख रूप से दो उद्देश्य निहित थे एक मानव कल्याण जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में नितान्त आवश्यकता थी और दूसरी ग्रामीण आय में वृद्धि।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1960 तक मानव कल्याण के विभिन्न पहलूओं पर बल दिया गया। इस अवधि के दौरान इस में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। प्रमुख परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद में वृद्धि करने का लक्ष्य था जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए वर्ष 1960 में विभिन्न राज्यों के 15 जिलों में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से कृषि कार्यक्रम शुरू किए गए थे, और अधिकतम उत्पाद की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 1963 में उच्च उर्वरक किस्मों के उत्पादन का कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश में हरित क्रान्ति आई और कृषि के क्षेत्र में पारम्परिक पद्धति की बजाए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकी को अपनाया गया।

पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था

वर्ष 1954 में जन समुदाय के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। तभी ग्रामीण क्षेत्र में पीने के स्वच्छ पानी से सम्बन्धित कार्यक्रम एक साथ लागू नहीं हो सका। शुरू में केवल 64000 गांवों को ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

आवृत किया जा सका । इनमें से 40,000 गांवों में पीने के पानी की प्राप्ति एक जटिल समस्या थी क्योंकि इन गांवों में 15 मीटर की गहराई तक भी पानी उपलब्ध नहीं था ।यदि कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल भी जाता था तो वह मानवीय खपत के उपयुक्त नहीं था, यह रोग उत्पादक था या उसमें हानिकारक रसायन मिले हुए होते थे ।

ग्रामीण सड़कें

नवीन संरचना में गांव की सड़कें अपना अभिष्ट महत्व रखती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में इनका विशेष योगदान है । वर्ष 1962 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सभी गांवों को, जिनकी जनसंख्या एक हजार या उससे अधिक हो, को ग्रामीण सड़कों से परस्पर जोड़ने का कार्यक्रम अपनाया गया तथा निकटस्थ मण्डी से सड़क द्वारा गांव को जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई । इस सम्बन्ध में कार्य वर्ष 1963-64 में प्रारम्भ हुआ जिसमें बाद में पर्याप्त वृद्धि हुई ।

स्वास्थ्य

वर्ष 1963 में ही ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार की गई जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई । शुरू-शुरू में लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया ।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय की आवास स्थिति में परिष्कार लाने की दृष्टि से दो योजनाएं बनाई गईं । एक ग्राम आवास परियोजना जिसका प्रारम्भ 1957 में किया गया और दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थान जिसका प्रावधान 1962-63 में किया गया । ग्राम आवास परियोजना के अन्तर्गत ग्रामों में परिष्कृत आवास स्थानों के निर्माण के लिए वैयक्तिक ऋण दिए गए और सहकारी समितियों को भी ऋण दिए गए । भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थल की योजना को इस दृष्टिकोण से प्रारम्भ किया गया था कि जिनके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है वे अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर सकें । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थान के निर्माण के लिए बिना मूल्य के ही भूखण्ड दिए गए । बाद में इस योजना को राष्ट्रीय कार्यक्रम में समाविष्ट कर लिया गया ।

प्रारम्भिक शिक्षा

अनेकों स्कूलों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया तथा औसत उपस्थिति दर में भी वृद्धि की गई ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण ने एक उत्प्रेरक का कार्य किया । इसलिए नेहरू सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियां, समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम आदि के जरिए विकास योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी । प्रारम्भिक चरणों में बिजली पर विकास-निवेश की अपेक्षा सुविधा के रूप में अधिक जोर दिया गया । पर्याप्त बिजली का ढांचा होना ग्रामीण औद्योगीकरण तथा कृषि के अलावा ग्रामीण सामाजिक सेवा का एक स्वाभाविक रूप है । बिजली ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए विविधता, किफायत, स्वच्छता और सुविधा में बढ़ोतरी की । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के परिणामस्वरूप हुए प्रत्यक्ष तथा अप्रयक्ष लाभों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं – सिंचाई की क्षमता में वृद्धि, फसल चक्र में परिवर्तन, उत्पादकता तथा मुनाफे में वृद्धि, रोजगार के अवसर, गांवों से शहरी इलाकों में लोगों के प्रवास को कम करने के लिए समाज के पिछड़े क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक लाभ को बढ़ाना तथा घरेलू सफाई की दशाओं तथा पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार लाना । इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में 1950 के दशक में शुरू किया गया ।

पंप सेटों को बिजली

स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में केवल 3 गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी और 6400 पम्प सेटों को ऊर्जा प्रदान की गई थी । 1951 में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 3061 या 0.5 प्रतिशत थी । उदाहरण के लिए 1951-61 के दौरान विद्युतीकरण गांवों की संख्या 3 प्रतिशत थी जबकि 1971 में यह 15 प्रतिशत । पहले दशक में 1.5 प्रतिशत दूसरे दशक

में 10 प्रतिशत तथा तीसरे दशक में 24 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। इस प्रकार वार्षिक प्रगति 1.5 से 5 प्रतिशत तक रही। कुल मिलाकर 1960 के दशक में इसकी प्रगति मामूली थी। पहली योजना के दौरान केवल कुछ ही गांवों का विद्युतीकरण हो पाया था परन्तु बाद की दो योजनाओं में सभी राज्यों में इस कार्यक्रम में तेजी से प्रगति हुई।

ग्रामीण उद्योग

बिजली उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में तरह-तरह के उद्योग कायम किये जाने लगे। पहले जिन ग्रामीण उद्योगों में डीजल या मानव शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें बिजली का इस्तेमाल किया जाने लगा। कृषि में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। बिजली से चलने वाले संयंत्रों की संख्या में वृद्धि से खरीफ और रबी की फसलों में सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 66 प्रतिशत तक बढ़ गया।

कुल मिलाकर ग्रामीण विद्युतीकरण से गांव के आम लोगों के जीवन स्तर में बुनियादी परिवर्तन आया। गांवों में टेलीविजन और सिनेमा का प्रचार हुआ। खेतों और वर्कशापों में काम करने की बेहतर दशाएं उपलब्ध होने लगी, काम के घन्टे और बढ़ गए, सिंचाई में समय ज्यादा लगता था, परन्तु अब प्रति हैक्टेयर समय कम लगने लगा। गांवों के विद्युतीकरण से न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई बल्कि इससे सामाजिक, नागरिक और घरेलू सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक रूप से किसानों के मन में यह भावना जागी कि वे भी अन्य लोगों की तरह आधुनिक युग के प्राणी हैं।

जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सहकारिता एक जीवन दर्शन है। यह मितव्ययी है, बढ़िया है, समानता की स्थापक है। यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग है। अनेकों समस्याओं के होते हुए भी आज सहकारी आन्दोलन का इसके पूर्ण विकास एवं कृषि तकनीक को उत्पादनगत वृद्धि में बदल देने में जो योगदान है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसने देश को युगों पुरानी खाद्यान्न की अभाव सम्बन्धी जटिलताओं से आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में बदल डाला है।

इस परिप्रेक्ष्य पूर्ण आयोजन का उद्देश्य यह था कि देश के राष्ट्रीय साधनों, कृषि और औद्योगिक प्रगति, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विकास की समन्वित योजना का एक साधारण नमूना उपलब्ध हो सके। दीर्घगामी उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो और अपने आप में साधन उत्पन्न करने वाली हो। जवाहरलालजी ने इस परिकल्पना का सपना देखा, जो परामर्श हुए उनको दिशानिर्देश दिया और जो महत्वपूर्ण वार्ताएं हुईं उनकी अध्यक्षता की। परन्तु उनका सबसे बढ़िया योगदान योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य का निरुपण था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के विकास का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से यह होना चाहिए कि भारत की बहुसंख्यक जनता को अच्छा जीवन बिताने का अवसर प्रदान हो।

72, एस.एफ.एस. फलैट्स,
गौतम नगर
नई दिल्ली-110016

गांवों के विकास में उन्हें भारत का भविष्य दिखाई देता था...

डॉ. डी. रामकृष्णैया

नेहरूजी के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह रही है कि उनका झुकाव शहरों के प्रति अधिक था। उन्हें भारत में बड़े उद्योगों का जनक कहा जाता है। लेकिन ग्रामीण जनता के प्रति उनका लगाव और उनकी चिन्ता कितनी गहरी थी उसकी चर्चा कम की जाती है। प्रस्तुत लेख में लेखक डा. रामकृष्णैया ने नेहरूजी की ग्रामीण विकास की परिकल्पना और आज के संदर्भ में उसकी सार्थकता का विहन्तापूर्ण विश्लेषण किया है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के न केवल प्रमुख निर्माता थे बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर भी उनकी गहरी छाप पड़ी हुई है - इतनी गहरी कि उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी राजनीतिक चेतना का आधार लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाजवाद में दृढ़ विश्वास था। पण्डितजी के सिद्धान्त, उद्देश्य और दूरदृष्टि आज भी देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

पण्डित नेहरू के देश के औद्योगीकरण में योगदान को अक्सर याद किया जाता है लेकिन ग्रामीण विकास की समस्याओं की उनकी समझ और चिन्ता को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि पण्डितजी ने कृषि और ग्रामीण विकास को भी कोई कम महत्व नहीं दिया। उनकी विकास नीतियों का ध्यान से अध्ययन करने पर यह खुल कर सामने आ जाता है। पण्डित नेहरू ने कृषि अनुसंधान और उसके विस्तार तथा ग्रामीण पुनरूत्थान के लिए आवश्यक अन्य घटकों के विकास पर भी समान रूप से बल दिया। ग्रामीण विकास के बारे में परम्परागत तरीके से सोचने वालों से उनका केवल इस बात पर भेद था कि पण्डितजी ने कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा ग्रामीण जीवन के स्तर में सुधार के लिए विज्ञान और टैक्नोलॉजी की भूमिका के महत्व पर जोर दिया (आज के 'टैक्नोलॉजी मिशन' उनकी इस दूर दृष्टि को कितनी अच्छी तरह साबित कर रहे हैं)। इस प्रकार उन्होंने देश के गांवों की प्रमुख समस्याओं तथा गरीबी से सार्थक तरीके से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की ओर देखा।

अतः हम पाते हैं कि पण्डित नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही कृषकों और ग्रामीण समस्याओं में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही देश के विभिन्न भागों में किसानों से मिलते-जुलते, उनके बीच उठते-बैठते पण्डितजी इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि कृषि और भूमि वितरण प्रणाली में जब तक क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक देश में किसानों और ग्रामीण लोगों के दुखों और पीड़ाओं का अन्त नहीं होगा। इसलिए वे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और उसके बाद भी इसी बात पर जोर देते रहे।

ग्रामीण विकास का सिद्धान्त एक ऐसा सक्रिय सिद्धान्त है जिसके अंतर्गत विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के सभी पक्ष आते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास से भी संबद्ध है। अतः ग्रामीण विकास को सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। इसी ठोस तथ्य के पूर्ण महत्व को

पहचानते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने देश की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए केन्द्रीय योजना पद्धति को आधार बनाया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद पण्डितजी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा निर्ममता से शोषित और जर्जर अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ा । विदेशी शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने किसानों को इस कदर लूटा था कि देश की ग्रामीण जनता सोच की स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां वह सरकार को भलाई या सुखमय परिवर्तन का माध्यम नहीं बल्कि शोषण और यातना की व्यवस्था मानती थी । भारतीय स्वतंत्रता के सभी कर्णधार और विशेष रूप से पण्डित नेहरू, इस बात को भलीभांति जानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। एक मजबूत आर्थिक नींव पर आधारित शक्तिशाली भारत का निर्माण उस ऐतिहासिक मोड़ की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे पण्डितजी ने अपने स्वाभाविक क्रान्तिकारी उत्साह से स्वीकार कर लिया । इस चुनौती को स्वीकार करने का अर्थ था देश की ग्रामीण व्यवस्था में एक नया सुखमय क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना, ग्रामीण भारत का कायाकल्प कर देना । लोगों को न केवल प्रबुद्ध किया जाना था बल्कि साथ ही उनके दिलों में सरकार के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी पैदा करना था ।

इन सबको ध्यान में रखते हुए पण्डित नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के प्रति आवश्यक नीति और कार्यप्रणाली को बड़ी सावधानी से चुन कर इस प्रक्रिया की शुरूआत कर दी । कृषकों तथा ग्रामीण भारत की गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और रूढ़िवाद से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसमें भूमि सुधार, आत्मनिर्भरता, सार्थक रोजगार, सहकारिता तथा विज्ञान और टैक्नोलॉजी जैसे सशक्त उपाय शामिल थे । एकदम निचले स्तर पर अर्थात ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की गई । इसके अंतर्गत समुदाय विकास खण्डों की स्थापना की गई जिसमें ग्राम स्तर पर एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की व्यवस्था थी । गांवों के पूर्ण उत्थान के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुखमय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार ने सामुदायिक विकास का तरीका अपनाया तथा ग्रामीण विस्तार को इसके लिए माध्यम (एजेंसी) बनाया । बाद में, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विकास प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से बलवन्तराय मेहता समिति (1957) के सुझावों के अनुरूप देश के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई । इस त्रि-स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया ।

सामाजिक न्याय दिलाने और ग्रामीण भारत में व्याप्त भारी असमानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अतिरिक्त भूमि उन कृषकों में बांटने का काम शुरू कर दिया जो वास्तव में उस पर हल चलाते थे तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे । इन उपायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पण्डितजी को ग्रामीण गरीबों और विशेषकर कमजोर वर्गों का कितना ध्यान था ।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू से ही क्रान्तिकारी कार्यक्रम की संज्ञा दी थी । पेरम्बूर में 2 अक्तूबर 1955 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में उत्पादन कार्य का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा था : "भारत की सबसे बड़ी योजना न तो यह विशाल कारखाना है और न ही सैकड़ों अन्य परियोजनाएं हैं जो आज भारत को एक नया स्वरूप दे रही हैं । गांवों और भारत के हृदय में यही विशाल क्रान्ति हो रही है ।"

सन् 1950 से शुरू हुए दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास के साथ ही ग्रामीण जीवन स्तर में आम रूप से सुधार का प्रयास किया गया । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामवासियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता, बेहतर आवास प्रणाली, मवेशियों की नस्ल में सुधार तथा ऐसे कई अन्य मसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किए गए ।

साथ ही पण्डित नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमि-सुधार के जो वायदे किए थे (पहली बार 1928 में और फिर 1937 में) उन्हें भी अब लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया था । वे मानते थे कि भारत में कृषि

उत्पादकता का कम होने का मुख्य कारण यह था कि किसान खेतों में उतना मन लगा कर काम नहीं करता था जितना कि उसे लगाना चाहिए था क्योंकि आम तौर पर वह उस खेत या भूमि का स्वामी नहीं हुआ करता था। अतः उसे अपने कठिन परिश्रम का उचित फल मिलने की कोई आशा ही नजर नहीं आती थी जिस कारण भारतीय कृषक हतोत्साहित हो चुका था। संविधान के अंतर्गत भूमि संबंधी नीति के बारे में अधिकार राज्यों को सौंप दिया गया था और केन्द्र इसमें कुछ खास कर सकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पण्डितजी के आह्वान पर राज्यों ने भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए। आमतौर से राज्यों ने उनके आग्रह पर जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी तथा जमींदारों से, उनके स्वयं के अपने खेतों-खलिहानों को छोड़कर, वह सारी भूमि ले ली जिससे वे धन इकट्ठा करते थे। इसी सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत राज्यों ने भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी।

सामाजिक न्याय दिलाने और ग्रामीण भारत में व्याप्त भारी असमानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अतिरिक्त भूमि उन कृषकों में बांटने का काम शुरू कर दिया जो वास्तव में उस पर हल चलाते थे तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे। इन उपायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पण्डितजी को ग्रामीण गरीबों और विशेषकर कमजोर वर्गों का कितना ध्यान था।

ऐसा भी लगता है कि पण्डित नेहरू को मालूम था कि जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों के स्वामियों से भूमि के इधर-उधर छितरे टुकड़ों को लेकर उन्हें कमजोर वर्ग के भूमिहीन लोगों को देने से क्या आर्थिक परिणाम होंगे। पण्डितजी को इधर-उधर बिखरे भूमि के इन छोटे-छोटे टुकड़ों पर खेती किए जाने में होने वाले लाभ के बारे में अवश्य ही शंका रही होगी इसलिए उन्होंने जोरदार शब्दों में सहकारिता पर आधारित कृषि अपनाने की बात कहीं। इस दिशा में उन्हें चीन में सहकारिता के सिद्धान्त को मिली सफलता ने बड़ा प्रभावित किया था। अतः पण्डितजी ने इधर-उधर बिखरे छोटे-छोटे टुकड़ों पर खेती करने वालों को परिश्रम का अधिकतम संभव लाभ दिलाने के लिए सहकारी कृषि कार्य की वकालत की। इससे प्रत्येक किसान की अपनी पहचान भी बनी रह सकती थी।

वास्तव में सहकारी कृषि तो उस व्यापक सहकारिता आंदोलन का केवल एक ही हिस्सा थी जो पण्डित जवाहरलाल नेहरू की पहल और प्रयासों से सारे देश में फैल गया। सहकारिता के सिद्धान्त पर पण्डितजी का अटूट विश्वास था क्योंकि उनका मानना था कि इससे मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा हो सकता है। सहकारिता लोकतांत्रिक समाजवाद और शांतिपूर्ण आर्थिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभा सके। हालांकि पण्डित नेहरू ने विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं के गठन पर जोर दिया लेकिन वे हमेशा ही, विशेष रूप से, सहकारिता पर आधारित कृषि अपनाने के लिए किसानों को मनाते रहे।

एक सच्चे सहकारी सिद्धान्तवादी की तरह पण्डितजी ने ग्रामीण इलाकों और लोगों के उत्थान के लिए स्वेच्छा और आपसी सहायता के माध्यम से स्वयं अपनी सहायता किए जाने के सहकारिता के मूल सिद्धान्त का डट कर समर्थन किया। वे सरकार द्वारा सहकारी आन्दोलन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे सहकारिता के सिद्धान्त पर कुठाराघात होता था। वास्तव में नेहरूजी सहकारी आन्दोलन को जनआन्दोलन बनाना चाहते थे ताकि विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं – चाहे वह कृषि की हो, ऋण की हो या बहुउद्देश्यीय के सदस्य आत्मनिर्भरता, उत्साह, पहल करने की योग्यता तथा आपसी निर्भरता और सहयोग की भावना पैदा कर सकें।

देश में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में समुचित वृद्धि करने के लिए, ताकि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, पण्डित नेहरू ने विज्ञान और टैक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका को पहचाना। कृषि विज्ञान से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और उसके परिणामों को खेतों तक पहुंचने की आवश्यकता, कृषि के उन्नत तरीकों और उपकरणों की भूमिका के महत्व को समझते हुए, पण्डित नेहरू ने देश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का दूरदृष्टि भरा कदम उठाया। आज भी भारत विश्वभर में ऐसा एकमात्र देश है जहां कृषि, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवा की इतनी सुदृढ़, समन्वित और स्वदेशी संस्थागत व्यवस्था मौजूद है।

आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त से ही पूरी तरह जुड़ी नेहरूजी की यह विचारधारा थी कि कमी वाले राष्ट्रीय संसाधनों, और विशेषकर मानव संसाधनों का किस तरह

अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सके। उनकी पक्की धारणा थी कि अगर पूर्ण (सार्थक) रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे प्रयास जारी रहें तो गरीबी से निपटा जा सकता है। देश में व्यापक रूप से व्याप्त बेरोजगारी और अल्प रोजगार (जिसमें व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का उपयोग न हो) की चर्चा करते हुए एक बार पण्डित नेहरू ने कहा था, "यह एक विडम्बना और त्रासदी ही है कि एक ओर तो देश में उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी की यातना सह रहे हैं.... गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई केवल सामाजिक और आर्थिक योजनाओं से ही जीती जा सकती है ताकि हमारे संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके।"

इसी विचारधारा को लेकर पण्डितजी ने ग्रामीण इलाकों में कुटीर और ग्राम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना शुरू किया। इन उद्योगों को स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए चलाया जाना था। साथ ही नेहरूजी ने बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक पूंजीनिवेश को मुख्य आधार बनाया। उनकी धारणा थी कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वयं सरकार को सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करनी चाहिए तथा छोटे किसानों, कारीगरों और अन्य उत्पादकों को पूंजी ऋण के रूप में सहायता तुलनात्मक रूप से काफी कम रखी जानी चाहिए। इसलिए इन दोनों प्रकार के सार्वजनिक पूंजी निवेश को प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।

पंडित नेहरू की नीतियों की सार्थकता

इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय योजना का जो मार्ग चुना वह पूर्णतः उपयुक्त और सटीक था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था का चहुंमुखी विकास हुआ है अथवा सामाजिक न्याय, समानता और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पण्डितजी के मार्गदर्शन में चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीण कृषकों के लाभ के लिए राष्ट्रव्यापी विस्तार व्यवस्था की स्थापना की जा सकी है। यह ऐसी विशालतम और व्यापक सरकारी व्यवस्था है जो अब भी कार्यरत है। सम्पूर्ण विश्व में इसका कोई सानी नहीं है। आज अगर इस व्यवस्था की कार्यकुशलता और कर्मठता में कमी आई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसकी मूल रचना में कहीं कोई खामी है, बल्कि उसका कारण तो यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी, जैसे खंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) और ग्राम स्तर का कार्यकर्ता, जिम्मेदारियों के उस पहाड़ को ढो पाने में असमर्थ हो गए हैं जो बिना सोचे-समझे इन वर्षों के दौरान उन पर लाद दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के रूप में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के जिस स्वप्न को पण्डित नेहरू ने साकार करना शुरू किया था वही आज भी ग्रामीण विकास के हमारे प्रयासों तथा ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा हाल में संसद में पंचायती राज विधेयक रखा जाना ग्रामीण भारत को पुनर्चेतन करने में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति सरकार के दृढ़ विश्वास का द्योतक है। हाल में बनी जवाहर रोजगार योजना को सैकड़ों हजारों ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाना यह दर्शाता है कि स्थानीय स्व-शासन की कार्यकुशलता पर सरकार को कितना विश्वास है।

जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि पण्डित नेहरू ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा ग्रामीण उत्थान के लिए विज्ञान और टैक्नोलॉजी को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना था। समय के साथ उनकी इस नीति की व्यावहारिकता भी सिद्ध हो गई। सन् 1960 से शुरू हुए दशक के मध्य तक देश में 'हरित क्रांति' का उद्भव हो चुका था। इससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में एक सुखद बदलाव आ सका-कहां तो तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुर्छित-सी अवस्था में पड़ी थी और कहां वह इस 'हरित क्रांति' से मानो एकदम जाग उठी, जिससे न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ी बल्कि साथ ही कृषकों की आय में भी वृद्धि होने लगी। प्रारम्भिक वर्षों में यह परिवर्तन गेहूं और धान की फसलों तक सीमित रहा लेकिन अब इसके लाभ अन्य फसलों को भी मिलने लगा है। ऊंची पैदावार

भारत के भविष्य के साथ नेहरूजी

"हम भले ही कैसी भी योजना क्यों न बना लें, उसकी सफलता की कसौटी तो यह होगी कि उससे हमारे उन लाखों करोड़ों लोगों को कितनी राहत मिलेगी जो बस किसी तरह जीवन काट रहे हैं, अर्थात ऐसी प्रत्येक योजना की कसौटी हमारी जनता की भलाई और तरक्की है ।"

देने वाली किस्मों की फसल लगाने तथा कृषि के बेहतर तरीके अपनाने की दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिकाधिक प्रोत्साहन देकर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना संजोया था वह आज पूरा हो गया है । भारत अब गर्व से स्वयं की गिनती खाद्यान्न निर्यातक देशों में कर सकता है और इसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र पण्डितजी की दूरदृष्टि और निरन्तर प्रयासों के प्रति कृतज्ञ है ।

अन्त में हम पण्डितजी के ही शब्दों के दुहरा सकते हैं:– "हम भले ही कैसी भी योजना क्यों न बना लें, उसकी सफलता की कसौटी तो यह होगी कि उससे हमारे उन लाखों करोड़ों लोगों को कितनी राहत मिलेगी जो बस किसी तरह जीवन काट रहे हैं अर्थात ऐसी प्रत्येक योजना की कसौटी हमारी जनता की भलाई और तरक्की है ।" इसलिए ग्रामीण भारत के उत्थान के बनाई जाने वाली प्रत्येक योजना को आज भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए ।

अनुवाद : कमल कान्त पन्त
14/192, मलवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

पण्डित नेहरू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास

सतीश जुगरान

देश के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस बात को भली भांति समझते थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनके शासनकाल में ग्रामीण विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया और पंचायती राज प्रणाली तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किये गये इस लेख में बताया गया है कि पंडित नेहरू किस तरह पंचायती राज प्रणाली और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करना चाहते थे।

"हमारे देश की प्रगति हमारे गांवों की तरक्की से जुड़ी हुई है। यदि हमारे गांव और तरक्की करेंगे तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और कोई भी इसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन यदि हम अपने संकल्प से डिग गए और आपसी झगड़ों तथा गुटबाजी में पड़ गए तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते।"

यह उद्गार, राष्ट्र निर्माता एवं भारत के पहले प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जिनकी हम इस वर्ष जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ने दो अक्तूबर 1959 को नागौर, राजस्थान की एक सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। पं. नेहरू के शब्दों में भारत की 80 प्रतिशत से अधिक की आबादी गांवों में बसती है। भारत गरीब हैं, क्योंकि भारत के गांव गरीब है। यदि भारत के गांव धनी हो जाएं, तो भारत धनी हो जाएगा। इसलिए भारत की बुनियादी समस्या देश के गांवों से गरीबी हटाना है।

पं. नेहरू चाहते थे कि गांव के लोगों को अपने गांव में ही असली स्वराज प्राप्त हो सके। उनका यह दृढ़ मत था कि समस्त लोगों के पास अधिकार होने चाहिए तथा अधिकारी तबके की गांव के लोगों की जिन्दगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। गांवों को देश की बुनियाद बताते हुए पं. नेहरू ने घोषणा की थी कि "मैं गांवों से ही स्वराज का निर्माण करना चाहता हूं।"

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में "भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। वास्तव में श्री नेहरू ने राष्ट्रपिता के सच्चे अनुयायी के रूप में गांधीजी के इस स्वप्न को पूरा करने का बीड़ा उठाया और ग्रामीण अंचलों के उत्थान के लिए अनेक क्रान्तिकारी कदम उठाए। स्वतंत्रता आन्दोलन तथा उसके बाद स्वाधीन भारत में पं. नेहरू, अपने कार्यकाल के दौरान गांवों की तरक्की की ओर बराबर प्रयत्नशील रहे।

देश के आर्थिक विकास के लिए पं. नेहरू ने जो पांच सालाना योजनाओं का सिलसिला शुरू किया, उनमें ग्रामीण विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। गांवों में विकास की ओर पं. नेहरू की कितनी अधिक रुची थी, यह इस बात से साबित होती है कि उन्होंने गांवों के लिए न केवल एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया बल्कि केन्द्र में इसके लिए एक पृथक मंत्रालय का भी गठन

किया। पं. नेहरू द्वारा शुरू किए गए इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों की काया-पलट में एक नया मोड़ आया।

पं. नेहरू का पूरा जीवन देश तथा विशेष रूप से गांवों की सेवा से जुड़ा रहा। उनका यह दृढ़ मत था कि गांवों की तरक्की के बिना देश की तरक्की अधूरी है। उनके विचार में, भारत की सेवा का मतलब उन लाखों दीन हीनों की सेवा है, जो गांवों में रहते हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। उनका दृढ़ मत था कि जब तक देश के एक भी व्यक्ति की आंखों में आंसू रहेगा और जब तक प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर नहीं कर दिया जाता तब तक हमारा स्वराज पूरा नहीं हो सकता।

पण्डित नेहरू ने इस बात को महसूस किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से जुड़ी हुई समस्या जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से जुड़ी हुई है, को देखते हुए उन्होंने ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं। लोगों को गांवों में अपनी आजीविका उपलब्ध हो सके, इसलिए पं. नेहरू ने ग्रामीण अंचलों में लघु तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विस्तार पर जोर दिया।

आज हम अपने उस राष्ट्र निर्माता के प्रति के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने गांवों में बसने वाले उन लाखों लोगों के उत्थान का बीड़ा उठाया जिनकी ब्रिटिश शासन के दौरान अनदेखी की गई थी। पं. नेहरू ने स्वतंत्र भारत के बाद अपने कार्यकाल में गांवों के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनमें भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी बनाना, गांव के लोगों को शोषण से मुक्त कराने के लिए जमीन्दारी प्रथा को खत्म करना तथा ग्रामीण अंचलों और इनमें रहने वाले लोगों की खुशहाली के लिए सहकारिता आन्दोलन जैसी योजनाएं उल्लेखनीय हैं। पं. नेहरू ने उन लोगों, जिनकी ब्रिटिश काल के दौरान एक लम्बे अर्से तक उपेक्षा की गई थी, के उत्थान के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता को महसूस किया। स्वतंत्रता के बाद प्रारम्भिक चरण में नेहरू ने ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों, विशेष रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को विकसित करने का प्रयास किया।

पण्डित नेहरू ने देश के आर्थिक विकास के लिए 1952 में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, उसमें ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शामिल किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए एक समन्वित नीति बनाई। इस कार्यक्रम से गांव तथा खण्ड स्तर के श्रमिक समूहों को विशेष रूप से राहत मिली। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ही पं. नेहरू ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक विस्तार योजना का श्रीगणेश किया जिसके तहद इस योजना के अंत तक पांच हजार से अधिक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों का सृजन किया गया।

पं. नेहरू ने इस बात को महसूस किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से जुड़ी हुई समस्या जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से जुड़ी हुई है, को देखते हुए उन्होंने ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं। लोगों को गांवों में अपनी आजीविका उपलब्ध हो सके, इसलिए पं. नेहरू ने ग्रामीण अंचलों में लघु तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विस्तार पर जोर दिया।

गांवों की काया पलटने के लिए पं. नेहरू ने सामुदायिक विकास योजना को एक कारगर तंत्र का रूप दिया। वे बराबर इस कार्यक्रम पर जोर देते रहते थे। 22 अगस्त, 1960 को लोक सभा में दिए गए अपने एक भाषण में पं. नेहरू ने स्पष्ट किया था, कि हमारी तमाम खामियों के बावजूद सामुदायिक विकास योजना ने गांवों को बदल दिया है, और वह हमारे गांवों की काया कल्प करने में सहायक हो रहा है। पं. नेहरू का एक उल्लेखनीय कदम जमीन्दारी प्रथा को खत्म करने का रहा है। इस कदम से उन अनेक लोगों को मुक्ति मिली जो वर्षों से इस प्रथा के शोषण का शिकार थे।

पं. नेहरू के पदचिन्हों पर चल कर तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी उन ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का बढ़ावा दिया जो पं. नेहरू द्वारा शुरू किए गए थे। और अब आज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को और अधिक गति दी जा रही है। आज गांवों की खुशहाली के लिए पंचायती राज प्रणाली को बनाने के लिए श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जो सशक्त कदम उठाया जा रहा है, उसे यदि पं. नेहरू की ही देन कहा जाए तो कोई अनुचित बात नहीं होगी।

श्री नेहरू ने ही पंचायती राज प्रणाली की वकालत की। उनका यह दृढ़ मत था कि पंचायत ही हमारे प्रजातंत्र की आधारशिला है। वे चाहते थे पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों ताकि उन्हें गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी और का मोहताज नहीं बनना पड़े। श्री नेहरू की तरह ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी पंचायती राज प्रणाली पर जोर दिया। श्रीमती गांधी के शब्दों में, "प्राचीन काल से ही हमारे गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई रहे हैं और वे ही हमारे लोगों की उन्नति में बड़ा हाथ बंटा सकते हैं। श्रीमती गांधी ने कहा था कि हमने ग्राम पंचायतों को एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने की कोशिश की है, और यह भी कोशिश की है कि वे

पं. नेहरू के पदचिन्हों पर चल कर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी उन ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का बढ़ावा दिया जो पं. नेहरू द्वारा शुरू किए गए थे। और अब आज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को और अधिक गति दी जा रही है।

प्रशासन की एक सक्रिय इकाई के रूप में कार्य करें।

गांवों के असहाय तथा गरीब लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए पं. नेहरू ने एक और जो क्रांतिकारी कदम उठाया वह था सहकारिता का। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक व्यापक सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश किया। पं. नेहरू का विचार था कि हर गांव में सहकारिता होनी चाहिए। उनकी नजर में सहकारिता एक ऐसा तंत्र था जिससे न केवल गांव के लोगों का शोषण रुकेगा बल्कि इससे गांव के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे को जानेंगे। इस तंत्र के जरिए गांव एक परिवार के रूप में काम करने लगेगा।

पं. नेहरू ने सहकारिता का पंचायती राज प्रणाली से निकटतम संबंध बताते हुए यह कहा था कि पंचायत ग्रामीण जीवन के प्रशासनिक पहलू का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसान और अन्य लोग अपनी सहकारी समितियों के जरिए मिल जुलकर आर्थिक कार्यों को करेंगे जिन्हें वे अलग-अलग करते थे।

सहकारिता के विकास और विस्तार के लिए पं. नेहरू द्वारा उठाए गए इस कदम के परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीण अंचलों में सहकारी समितियों का जाल बिछा। इसमें दो राय नहीं कि सहकारिता आंदोलन के तहद गठित की गई अनेक सहकारी समितियां अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन कई ऐसी समितियां हैं, जिनमें खामियों के कारण संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गांवों के विकास के लिए सहकारिता की परम आवश्यकता है। हाल में श्री गांधी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के विकास और विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जो खामियां है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। श्री गांधी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि इन समितियों की खामियों को दूर करने के लिए सहकारिता से संबंधित कानूनों और नियमों में सुधार कर एक व्यापक कानून बनाया जाएगा। श्री गांधी की भी यह स्पष्ट धारणा है कि सहकारिता को मजबूत किए बिना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत नहीं बनाया जा सकता।

पं. नेहरू का यह दृढ़ मत था कि गांवों के विकास के लिए यह जरूरी है, कि गांव स्तर पर ही लोगों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव से शहर न आना पड़े। आज हमारी वर्तमान सरकार ने पं. नेहरू के इस स्वप्न को पूरा करने के लिए पं. नेहरू के नाम पर 'जवाहर रोजगार योजना' बनाई है, जो पूरी तरह से ग्रामीण लोगों के लिए होगी।

देश में पहली बार यह एक ऐसी योजना बनाई गई है जो फिलहाल देश के 120 पिछड़े जिलों में शुरू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इन जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को पूर्ण रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

पं. नेहरू द्वारा ग्रामों के विकास के लिए बनाई गई सामुदायिक विकास योजना के आधार पर हमारी वर्तमान सरकार ने जो समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम तैयार किया, वह गरीबी हटाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद करना है।

नेहरू दर्शन की प्रासांगिकता

डॉ. हरिवल्लभ त्रिवेदी

नेहरूजी ग्रामीण उत्थान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने समकालीन राजनीतिज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं की परवाह न करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लेखक कहना है कि नेहरूजी के उपरान्त उनके द्वारा अपनाए गए ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रति आज निष्ठा का अभाव पाया जाता है। लेखक का यह दृढ़ विश्वास है कि नेहरूजी को हम तभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं जब हम परस्पर आपसी सहयोग तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को कार्यान्वित करें।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में अस्सी का दशक कई मानों में विशेष महत्व रखता है। एक तो इसलिये कि इस दशक के प्रारंभ होने के साथ ही देश ने गरीबी निवारण का संकल्प किया था तथा इसी लक्ष्य के प्ररिप्रेक्ष्य में हमारी छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाऐं बनीं तथा क्रियान्वित की गईं। दूसरे इसलिये भी कि इस दशक की समाप्ति के छोर पर स्वतंत्र भारत की आर्थिक विकास यात्रा के प्रमुख व सूत्रधार पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जो हमें यह अवसर देता है कि अपनी चार दशाब्दियों की विकास यात्रा की समीक्षा करें तथा देखें कि तेजी से बदलते विश्व की चकाचौंध में स्वतंत्रता आन्दोलन के अनुभवों से प्रेरित समग्र ग्रामीण विकास के नेहरू दर्शन से हम कहीं भटक तो नहीं गये। बिगत ढाई दशकों में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक प्रगतिशील राष्ट्र की तस्वीर बनाने की ललक में समूचे ग्रामीण परिवेश को बदलने की महती आवश्यकता को ही हम भूला बैठे हों ?

गरीबी निवारण का वर्तमान दर्शन

बिगत दो पंचवर्षीय योजनाओं में 'गरीबी निवारण' को हमने अपनी आर्थिक नीतियों का प्रमुख लक्ष्य बनाया है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 2265 रुपये तक है उन्हें 'सबसे गरीब' (अकिंचन) माना गया है। जिन परिवारों की आमदनी 3500 रुपये वार्षिक है वे 'अत्यधिक गरीब' वर्ग में आते हैं। जो परिवार सालाना 4800 रुपये तक कमा लेते हैं उन्हें 'बहुत गरीब' श्रेणी में रखा जाता है तथा 6400 रुपये तक की वार्षिक आय कमाने वाले परिवारों को 'गरीबों में अमीर' मान लिया जाता है। छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने इस बात के प्रयास किये हैं कि इन विभिन्न वर्ग के गरीब लोगों को इतने साधन, उत्पादक परिसंपत्तियां (जमीन, दुधारू पशु, बैल, भेड़ें, बकरियां, ऊंट, बैल गाड़ी, दुकान, सिलाई मशीन आदि) प्रशिक्षण अथवा रोजगार अवसर उपलब्ध करवाये जायें जिससे कि ये लोग एक वर्ष की अवधि में गरीबी से संबन्धित

आय की वार्षिक सीमाओं को पार कर जायें ताकि अगले वर्ष बाकी बचे गरीब लोगों की स्थिति सुधारने पर ध्यान दिया जा सके।

गरीबी निवारण कार्यक्रमों की व्यापक व्यूह रचना कृषि उत्थान, पशुपालन, फल व शाक विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन अनुदान, शिक्षा सुविधाएं, सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम, जनजाति पहाड़ी क्षेत्र उपयोजनाऐं लघु तथा सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम, तो शामिल हैं ही, इनके अलावा समन्वित, ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.इ.पी.), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्रॉइसेम), ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.इ.जी.पी.) आदि पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर काफी धनराशि खर्च की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास से संबन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये प्रस्तावित धनराशि की निम्न रूपरेखा इन कार्यक्रमों की सापेक्ष महत्ता को इंगित करती है।

सातवीं योजना में ग्रामीण विकास के वित्तीय प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

सातवीं योजना के वित्तीय लक्ष्य

कार्यक्रम	केन्द्र शासित क्षेत्र	राज्य	केन्द्र	कुल
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (तथा इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम)	--	1609.61	1864.38	3473.99
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	--	1236.66	1250.81	2487.47
3. सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाऐं	19.85	396.30	--	416.15
4. विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम	--	509.24	--	509.24
5. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	--	--	1743.78	1743.78
6. भूमि सुधार	5.24	353.88	36.71	395.83
7. समन्वित ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम	4.70	37.15	5.91	47.76
	29.79	4142.84	4901.59	9074.22

उपर्युक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस योजना अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के जरिये गरीबी के विरुद्ध युद्ध लड़ने का संकल्प ले रखा है। पहले तथा तीसरे कार्यक्रम के संचालन में राज्य सरकारों को भी लगभग बराबरी का हिस्सेदार बनाया गया है।

जवाहर रोजगार योजना

केन्द्र सरकार ने अपने 1989-90 के बजट में 2600 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की है।' इस योजना में 'एन.आर.इ.पी.', 'आर.एल.इ.जी.पी.' तथा 'विशिष्ट रोजगार' कार्यक्रमों को लगभग मिला दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को सीधे पंचायतों के जरिये क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

इन सभी कार्यक्रमों के विगत एक दशक के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत छठी योजना के प्रारंभ के 48 के अंक से घट कर सातवीं योजना के प्रारंभ तक 37 तक रह जाना माना जाता है तथा वर्तमान योजना की समाप्ति तक इस वर्ग की जनसंख्या घटकर मात्र 26 प्रतिशत रह जायेगी, ऐसे अनुमान किये जा रहे हैं। पिछले दस वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या में 20 प्रतिशत से भी अधिक कमी होना वस्तुतः एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन हमारी यह उपलब्धि विवाद से परे नहीं है। अभी भी हमें इस बात का उत्तर खोजना है कि क्या एक मर्तबा 4800 रु. वार्षिक आमदनी की सीमा पार कर जाने वाले परिवार को हमेशा के लिये गरीबी की रेखा से बाहर निकल जाने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है ? इस परिवार की भौतिक उपलब्धि में सरकारी अनुदान तथा सहायता की क्या भूमिका रही है ? क्या उस परिवार में अपना परम्परागत आत्म-विश्वास लौट आया है? क्या वह परमुखापेक्षी तो नहीं बन गया ? क्या सरकारी अनुदान तथा सहायता के नशे की लत का वह

परिवार शिकार तो नहीं बन गया ? इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति से ग्रामीण क्षेत्रों में निहित स्वार्थ वाले नव-सामन्ति मध्यस्थ वर्ग का उदय तो नहीं हो रहा है ? क्या ग्रामीण भारत की परम्परागत भ्रातृत्व तथा पारस्परिक सहयोग की भावना के स्थान पर जातिगत, वर्गगत विद्वेष विकास के भौतिक मानदण्डों (स्कूल भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युत सड़क, पंचायत घर, विद्युतीकृत कूंऐं, रासायनिक खाद तथा बीजों की वितरित मात्राऐं आदि) के ऊंचे उठते रेखा चित्रों (ग्राफ) के साथ लोगों के सोचने तथा व्यवहार के ढंग में बदलाव आया है ? क्या श्रम की परम्परागत गरिमा की महत्ता घटती तो नहीं जा रही है ? अन्ततः इस बात पर गौर करना जरूरी है कि व्यक्ति तथा समूहगत आर्थिक उन्नयन के कार्यक्रमों को किस सीमा तक समग्र ग्रामीण विकास का पर्याय माना जा सकता है ?

पण्डित नेहरू के सामुदायिक विकास दर्शन की प्रासंगिकता

नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में उपर्युक्त अनुत्तरित प्रश्नों की खोज के लिये यह आवश्यक है कि देश नेहरूजी के 'सामुदायिक विकास योजना' कार्यक्रमों पर पुनः विचार करे

वे कहा करते थे कि "यदि हमारा कृषि आधार मजबूत नहीं है तो जिन उद्योगों को हम स्थापित करना चाहते हैं उनका आधार भी मजबूत नहीं होगा। ...यदि हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूत किलेबन्दी कर दी जाती है तो हमारे लिये औद्योगिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करना अपेक्षाकृत सरल रहेगा।"

तथा देखे कि वे कौन-सी महत्वपूर्ण तत्व पीछे छूट गये हैं? ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण हमें ग्रामीण विकास के अनुभव जनित कार्यक्रमों का प्रगतिशीलता के नित्य नये-नये जामें पहनाकर अपनाना पड़ रहा है? 'गरीबी निवारण बनाम समन्वित ग्रामीण विकास' के इस मुद्दे की समीक्षा की शुरूआत जून 1927 में अवध के किसान आन्दोलन के सम्पर्क में आने के बाद पण्डित नेहरू द्वारा व्यक्त विचारों के साथ की जा सकती है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में दर्शाये हैं : "उनकी (किसानों की) तकलीफों तथा अप्रत्याशित स्नेह को देख मेरा मन शर्म तथा दुःख से भर गया-मुझे अपने स्वयं के सुविधा भोगी जीवन तथा शहरों में केन्द्रित उस क्षुद्र राजनीति पर शर्म का अहसास हुआ जो भारत के इन अर्धनग्न बेटे-बेटियों की अपेक्षा करती रही है।" नेहरू के इन शब्दों की प्रासंगिकता आज खोजने की जरूरत पड़ेगी। सभी स्तरों पर स्थापित देश के राजनैतिक नेतृत्व तथा प्रशासकों को विचारना होगा कि आम ग्रामीण की जीवनशैली में तथा उनकी जीवनधारा में कहां क्या साम्य है तथा क्या विसंगतियां ? क्या हम उनके लिये निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं जिनकी बदौलत सत्ता तथा शोहरत प्राप्त है या फिर हम स्वयं के लिये ही चिन्तनशील हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि देश ग्रामीण भारत के किसानों, मजदूरों तथा दस्तकारों की समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझे। विकास की वे योजनाऐं जो एक किस्म के मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति का वादा करें किन्तु दूसरी किस्म के नव-सामन्ति मध्यस्थ वर्ग के जन्म का बीजारोपण कर दें, कदापि सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक ढांचे की सृजनकर्ता साबित नहीं हो सकतीं।

पण्डित नेहरू द्वारा प्रेरित सामुदायिक विकास योजनाऐं ग्रामीण भारत को जगाने तथा सदियों के शोषण के बोझ से पैदा हुऐ ग्रामीणों के भाग्यवादी सोच को बदलने एवं उनमें आत्म-विश्वास जगाने के उद्देश्य से सृजित की गई थीं। आजादी के पश्चात 1948 से 1955 के बीच विभिन्न भूधारण तथा काश्तकारी अधिकार कानूनों को पारित करवा कर पण्डितजी ने देश के 30.4 लाख कृषकों को भूस्वामित्व के अधिकार दिलवाये। 1965 के पश्चात् भी भूमि सुधारों से संबन्धित कई कदम उठाये गये हैं किन्तु निहित स्वार्थों के कारण इन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। गरीबी निवारण तथा सामाजिक न्याय की स्थापना की दृष्टि से इस अति आवश्यक कार्यक्रम को क्रियान्वित न कर पाना व्यवस्था की कमजोरी का परिचायक माना जा रहा है। इसके विपरीत, सामुदायिक विकास योजनाओं में जो तीन प्रकार के कार्यक्रम शामिल किये गये थे; उनके क्रियान्वयन की गति धीमी हो सकती थी किन्तु स्वयं के आर्थिक उन्नयन के लिए ग्रामीण लोगों को प्रेरित करने तथा उनके परम्परागत आत्म विश्वास को जगाने की दृष्टि से उन कार्यक्रमों की क्षमता शंका से परे थी। निम्न तीन कार्यक्रम् सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रमुख अंग थे :

1. कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से विभिन्न कृषि जिन्सों का उत्पादन बढ़ाने तथा पशुपालन, मत्स्य व लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने, पुनर्जीवित करने से सम्बद्ध कार्यक्रम।

2. स्वालम्बन तथा सहकारिता के सिद्धान्तों में विश्वास स्थापित करने तथा इन्हें अमली जामा पहनाने के लिये ग्राम विकास मण्डल, महिला मण्डल, मनोरंजन तथा क्रीडा केन्द्र एवं पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना।

3. ग्रामीण श्रमशक्ति के सदुपयोग के लिए विकास कार्यक्रमों के साथ 'श्रमदान' की धारणा को जोड़ना।

नेहरू युग में इन कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति के लिये 'विकास खण्ड' की भौगोलिक इकाई तय की गई तथा प्रथम चरण में देश के चुने हुऐ 55 विकास खण्डों में 'सामुदायिक विकास' के महायज्ञ को 1952 से ही प्रारंभ कर दिया गया था। 300 गांवों के दो लाख की आबादी वाले ऐसे प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 'विकास अधिकारी' (बी.डी.ओ.) नियुक्त किये गये तथा इन कार्यक्रमों में जनभागीदारिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पण्डितजी द्वारा अक्तूबर, 1959 से राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया। नेहरूजी के महान व्यक्तित्व तथा उनके प्रति लोगों के अपरिमित स्नेह के कारण गांवों का वातावरण विकास की निम्न स्वर लहरियों से गुंजित हो उठा था।

'पंचवर्षीय योजना को हम श्रम से सफल बनायेंगे।
छुपा इसी में भाग्य राष्ट्र का जन-जन को समझायेंगे।।'

स्कूल के बच्चे प्रभातफेरी में जब विकास के ये गीत गाते गलियों से गुजरते तो बड़े-बूढ़े सभी इस प्रभातफेरी में स्वेच्छा से शामिल होते तथा एक अद्भुत आनन्द का अनुभव करते थे। पचास के दशक का सरपंच शोषण का नहीं अपितु विकास की नयी आशा का प्रतीक था। गांव के किसी सार्वजनिक कार्य के लिए 'श्रमदान' का फैसला उमंग तथा सर्वसहमती से होता था। इसके लिये व्यक्तिगत कार्य को आगे-पीछे करने में लोग तनिक कोताई नहीं बरतते थे। ग्रामीण विकास कार्यों में लोगों की इस भागीदारी ने पण्डितजी को यह कहने के लिये प्रेरित किया कि 'सामुदायिक विकास' योजनाओं को मैं विशेष महत्व की व्यूहरचना मानता हूं। "...हम भारत के सभी लोगों को राष्ट्र निर्माता बनाना चाहते हैं। ये सामुदायिक विकास योजनाऐं मुझे विशेष महत्व की लगती हैं, इसलिये नहीं कि वे कुछेक भौतिक उपलब्धियों की जनक होंगी बल्कि इसलिए कि वे समुदाय तथा व्यक्ति के निर्माण का सशक्त माध्यम हैं।" ग्रामीण भारत के लोगों की नेहरूजी के प्रति जो अटूट आस्था थी, उसी के बूते पर पण्डितजी अपने समकालीन राजनीतिज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं को पचाते हुऐ देश की अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग दर्शन करते रहे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में उन पर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा तथा बृहद उद्योगों के पक्षपाती होने के आरोप लगाये गये। राष्ट्र के दीर्घकालीन स्वावलम्बन हितों को ध्यान तथा पोषित किया। लेकिन इसके साथ-साथ कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की ग्रामीण उत्थान व्यूहरचना को क्रियान्वित करने में उन्होंने कभी शिथिलता नहीं आने दी। वे कहा करते थे कि "यदि हमारा कृषि आधार मजबूत नहीं है तो जिन उद्योगों को हम स्थापित करना चाहते हैं उनका आधार भी मजबूत नहीं होगा। ...यदि हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूत किलेबन्दी कर दी जाती है तो हमारे लिये औद्योगिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करना अपेक्षाकृत सरल रहेगा।" कृषि विकास के प्रति इस प्रतिबद्धता के कारण ही पण्डितजी ने कृषि क्षेत्र के सामन्तों, मध्यस्थों तथा शोषणकर्ता बिचौलियों से कृषक वर्ग को मुक्त कराने में अत्यधिक तत्परता दिखाई थी। शोषणकारी भूधारण प्रणालियों से मुक्ति दिलाने के पश्चात् ग्रामीण सहकारिताओं के प्रोत्साहन की नीति अपनाकर कृषि आदाओं (बीज, खाद, कीटनाशक, औजार विपणन) की पुख्ता व्यवस्था 'ग्रामीण विस्तार सेवा' के मार्फत करवायी गई। व्यवस्थागत कमजोरियों के बावजूद भी ये सामुदायिक विकास योजनाऐं लोकप्रिय थीं। नेहरूजी को विश्वास था कि "भारत की सबसे बड़ी परियोजना कोई एक बड़ा कारखाना या 100 अन्य कारखाने नहीं हो सकते, बल्कि वे सैकड़ों सामुदायिक परियोजनाऐं हैं जो भारत की तस्वीर बदल रही हैं, अर्थात वह महान क्रान्ति, जो गांवों में तथा भारत की आत्मा में जन्म ले रही है।"

नेहरूजी के इस अटल विश्वास के कारण हमारी प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर करीब 501 करोड़ रुपये खर्च किये गये। विकास खण्डों के आकार में 1958 के पश्चात् परिवर्तन किया गया। तब करीब 100 गांवों के समूह का एक ब्लाक हुआ करता था तथा औसत आबादी भी एक लाख से अधिक नहीं हुआ करती थी। लेकिन तीसरी योजना समाप्त होने से पूर्व ही नियति के क्रूर हाथों ने नेहरूजी को हमारे बीच से उठा लिया। तत्पश्चात देश में राजनैतिक उथल-पुथल के एक

नये युग की शुरूआत हुई। इसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास का नेहरू दर्शन विकास कार्यक्रमों की पुरानी पीढ़ी का प्रतीक बन गया।

गरीबी निवारण बनाम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विखंडित तेवर

नेहरूजी के महाप्रयाण के पश्चात् 1977-79 के दो ढाई वर्षों के अन्तराल को छोड़ देश की राजनैतिक बागडौर कांग्रेस दल के पास ही रही है। लेकिन नेहरू युग की समाप्ति के पश्चात इस ऐतिहासिक राजनैतिक दल में भी सत्ता के लिये संघर्ष की स्थितियां बनने लगीं। ग्रामीण भारत की आस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हो गया कि विकास कार्यक्रमों को प्रगतिशीलता का नित नया जामा पहनाया जाये। फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना विकास के साथ 'सामाजिक न्याय' के आकर्षक उद्देश्य के साथ देश के जन-मानस के समझ प्रस्तुत की गई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से 'गरीबी निवारण' हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बन गया जो अब तक चल रहा है। यद्यपि लक्ष्य बदले कुछ नये कार्यक्रम भी लागू किये गये, किन्तु नेहरू युग के 'विकास खण्ड' की धारणा को हमने अभी भी बनाये रखा है। किन्तु सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि हमने व्यक्ति तथा समूहगत गरीबी निवारण के कार्यक्रमों को समग्र ग्रामीण विकास धारणा के समरूप मान लिया तथा लोगों के सोचने के ढंग से दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत नजर अन्दाज होती गई है। विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं में 'जिला स्तरीय नियोजन' तथा 'ब्लाक स्तरीय नियोजन' की ग्रामीण विकास व्यूहरचना पर विशेष बल दिया गया है। योजना निर्माण के समक्ष ग्रामीण विकास की इस व्यूह रचना को जितनी महत्ता दी जाती रही है उतनी ही लगन से यदि जिला स्तरीय नियोजन पद्धति को लागू किया गया होता तो संभवतः आज ग्रामीण विकास की जो तस्वीर है वह अधिक उजली तथा उत्साहजनक होती। नेहरू युग में 'विकास अधिकारी' के पद पर जिस क्षमता के अधिकारियों को लगाया जाता था वह बीते दिन की बात लगती है। लम्बे समय तक इस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी 'कार्यवाहक' दर्जे के रहते आये हैं। इन अधिकारियों के दैनिक कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ गया है। स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रम तैयार करने के बजाय आज के 'विकास खंड' उपरी आदेशों के पालनकर्ता बन कर रह गये हैं। ग्रामीण समाज में कार्यक्रमों के प्रति आस्था जगाना इनका दायित्व नहीं। इन्हें तो ऊपर से बताये गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भाग दौड़ से ही फुरसत नहीं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी नियमितता का अभाव रहा है। नेहरू के ग्रामीण विकास दर्शन की पंचायती राज संस्थाऐं वस्तुतः गैर राजनैतिक इकाइयों के रूप में कार्य करती थीं। बदले में इन संस्थाओं का इतना राजनीतिकरण हो गया है कि निचले स्तर पर स्पष्ट विभाजन रेखाऐं दिखने लगी हैं। राजनैतिक दलों के आधार पर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भेद-भाव बरते जाने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त भारतीय संसद के समक्ष 64वां संवैधानिक संशोधन विचाराधीन है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियमितता लाने तथा उन्हें केन्द्र द्वारा सीधे तौर पर वित्तीय साधन उपलब्ध करवा कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की वैधानिक व्यवस्थाऐं की जानी प्रस्तावित है।

दुर्भाग्य से यह विधेयक राजनैतिक विवाद के भंवर में फंसा हुआ है। यही बातें 'जवाहर रोजगार योजना' के बारे में कही जा रही हैं। नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में आम भारतीय नागरिक को देश के शासकों से कुछ विशेष अपेक्षाऐं हैं। हमें कार्यक्रमों को गरीबी निवारण के विवादों के भंवर से बाहर रखने की जरूरत है। नेहरू के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हम लोगों की जो आस्था थी उसे लौटाना होगा। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास की बात सोचनी होगी।

किसी एक कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर दूसरे अधिक प्रगतिशील दिखने वाले कार्यक्रम की शुरूआत भले ही राजनैतिक दृष्टि से उपयुक्त क्यों न हो किन्तु इससे प्रशासनिक कुशलता घटती है तथा लोक आस्था कमजोर होती है। नेहरू युग की सैद्धान्तिक राजनीति पर लौटकर हमें अपने विकास कार्यक्रमों की निरन्तरता तथा कुशल क्रियान्विति हेतु आम राजनैतिक सहमती बनानी होगी। भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में श्रम की महत्ता को पुनर्स्थापित करना होगा। यह तभी संभव है जब लोगों को शुद्ध प्रशासनिक तथा राजनैतिक आचरण पर आधारित 'सादा जीवन उच्च विचार' की परम्परागत जीवन शैली देखने को मिलेगी।

हमारी संसदीय व्यवस्था में राजनैतिक दल सत्ता में आते जाते रहेंगे लेकिन भारत तथा उसकी विकास

समस्याओं का स्वरूप तो वैसा ही रहेगा। इक्कीसवीं सदी में जाने के लिये नेहरू का ग्राम्य विकास दर्शन कोई बाधा उपस्थित करने वाला विचार नहीं हैं। बदलते युग, बदलती समस्याओं तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन करना अथवा नवीन तकनीकी का प्रयोग करना कोई अनहोनी बात नहीं, न ही उस पर कोई मतभेद है। किन्तु नेहरू युग की सहकारिता, पारस्परिक सहयोग तथा राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यक्रमों में सबकी भागीदारिता प्राप्त करने के सिद्धान्त आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अतः इनके अनुगमन के लिये हमें दृढ़

नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में आम भारतीय नागरिक को देश के शासकों कुछ विशेष अपेक्षाऐं हैं। हमें कार्यक्रमों को गरीबी निवारण के विवादों के भंवर से बाहर रखने की जरूरत है। नेहरू के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हम लोगों की जो आस्था थी उसे लौटाना होगा। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास की बात सोचनी होगी।

राजनैतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। चाहे फिर क्षणिक राजनैतिक लाभों से वंचित ही क्यों न रहना पड़े। यह देखना होगा कि अनुदान तथा आरक्षण की सुविधाएं आदत में न बदल जायें। कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है लेकिन इन वर्गों के दीर्घकालीन हित की दृष्टि से हमें इनका पथ प्रदर्शक बनना है। इनके उन्नयन के सही रास्ते तय करने में एक सच्चे मित्र की भाँति मदद करनी है एक निहित स्वार्थ वाले मौसमी मित्र की भाँति नहीं।

यह समय समूचे राष्ट्र के लिये, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिये तथा प्रशासकों के लिये भी आत्म निरीक्षण का है। यदि सभी मिलकर एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो यह पण्डितजी को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

अर्थशास्त्र विभाग, एम.एल.वर्मा,
राजकीय-स्वायतशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भीलवाड़ा (राजस्थान)

जवाहरलाल नेहरू

ओम प्रकाश मतवाला

ए जवाहरलाल नेहरू हिन्द के लाले-गिरां
ए वजीर आजम वतन के गुलसिता के बागबां
हमदमें-हिन्दू मुसलमां, रहबरे-हिन्दोसता
याद करता आ रहा है आपको सारा जहां
ए जवाहर.....
ए वजीराजम.....

उर्वरक, इस्पात, बिजली, तेल शोधन के लिए
हिन्द में चलवा दिये थे कारखाने आपने
बांध नदियों पर बंधाये, बिजली उत्पादन हुआ
और नल कूपों से सिंचाई कराई आपने
जाने कितने हलधरों की लहलहाई खेतियां
जाने कितने बेकसों के दिल बनाये शादमां
ए जवाहर.....
ए वजीराजम.....

दासता की बेड़ियों में कैद जितने मुल्क थे
उनके बन्धन काटने की, वकालत की आपने
जंग के बादल कहीं जब इस जहां में छा गये
कर दिये अपने असर से दूर बादल आपने
आपको हमदर्द अपना मानता था ये जहां
आपकी इन्सानियत पर था फ़िदा सारा जहां
ए जवाहर.....
ए वजीराजम.....

कर्म योगी, न्याय प्रेमी, सत्यवादी आप थे
हुक्मरां होते हुए आदर्शवादी आप थे
हौसले साइन्सदानों के बढ़ाये आपने
गामज़न राहे-तरक्की पर कराये आपने
गामज़न राहे-तरक्की पर है फौजी कारवां
शान से लहरा रहा है हिन्द का कौमी निशां
ए जवाहर.....
ए वजीराजम.....

द्वारा, श्री एच.सी. मित्तल
ए-42 सी.बी.आर.आई कालोनी
रुड़की 27667 (उ.प्र.)

पंचायती राज पर नेहरू के विचार आज भी प्रासंगिक

ब्रजलाल उनियाल

भारत में पंचायतों की परम्परा प्राचीन काल से रही है। नेहरूजी ने पंचायतों को सामाजिक ढांचे का आधार बनाने पर जोर दिया था। नेहरूजी ने इसी भावना से प्रेरित होकर इस विचार को आगे बढ़ाया और पंचायती राज प्रणाली का श्रीगणेश करके इस विचार को अमली जामा पहनाया। लेखक का कहना है कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में नेहरूजी ने पंचायती राज के बारे में जो विचार समय-समय पर प्रकट किये वे आज भी प्रासंगिक हैं।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू शताब्दी वर्ष में पंचायतों को संविधानिक तौर पर प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार देकर पण्डित नेहरू के सपनों को मूर्तरूप दिया जा रहा है। पंचायती राज की अवधारणा हमारे देश में कोई नयी नहीं है। इसका अर्थ है गांव के चुने हुए व्यक्तियों की सभा जो उस प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें भारत के असंख्य गणराज्यों का प्रशासन होता था। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने क्रूर तरीके अपना कर उस प्राचीन व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया था। इस दिशा में सबसे जोरदार पैरवी करने वाले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।

गांधीजी ने आजादी के तत्काल बाद हरिजन के 21 दिसम्बर, 1947 के अंक में लिखा था, "पंचायतों को जितना ही ज्यादा अधिकार होगा, लोगों के लिए वह उतना ही बेहतर होगा। पंचायतों को प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए लोगों की शिक्षा के स्तर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। मैं लोगों की प्रसार शक्ति में वृद्धि की बात नहीं सोचता, बल्कि उनकी नैतिक शक्ति में वृद्धि चाहता हूं।"

गांधीजी के ये विचार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में बड़े क्रान्तिकारी थे। भला, उनसे बड़ा लोकतंत्रवादी और भविष्यद्रष्टा कौन था ? उन्हीं की परम्परा में संसार के महत्तम लोकतांत्रिक नेताओं में पण्डित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सदैव पंचायती राज पर जोर देते रहे।

हमारे देश में प्राचीन काल से ही पंचायतों की परम्परा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों को सामाजिक ढांचे का आधार बनाया जाये। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसी भावना से प्रेरित होकर बलवंतराय मेहता अध्ययन समिति बनाई। इस समिति ने सन् 1957 में सामुदायिक विकास और राष्ट्र प्रसार कार्यक्रमों में जन सहयोग का गहराई से अध्ययन किया। उस समिति

ने निर्वाचित गांव पंचायत के गठन पर जोर देते हुए उसे संसाधन दिलाने, शक्ति और अधिकार प्रदान कर सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। उस समिति की सिफारिश थी कि प्रत्येक विकास खण्ड में विकास समिति होनी चाहिए।

2 अक्तूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में उन्होंने जो उद्घाटन भाषण दिया, वह आज की स्थितियों में भी बहुत प्रासंगिक है। गांधीजी की पुण्य जयंती पर पंचायती राज के विषय में उन्होंने विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा था कि राजस्थान के गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों ने यह शपथ ली है कि वे प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे और राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर अपने इस दायित्व को निभाया है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। 2 अक्तूबर तो बड़ा ही उपयुक्त दिन है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस जैसे मुबारक दिन पर पंचायती राज कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद हमने जनता के शासन की स्थापना की है। भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। लोगों ने इस अधिकार का प्रयोग किया है और विधान सभाओं व लोक सभा में

नागौर में भाषण देते हुए पण्डितजी ने कहा था कि प्रशासन का दायित्व केवल उच्च अधिकारियों के हाथों में न हो बल्कि देश की 40 करोड़ (तब देश की आबादी इतनी ही थी) जनता में विभाजित हो। उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत में महाराजा और उनकी प्रजा अलग-अलग बटे हुए थे, लेकिन अब शासक और शासित का भेद मिटा दिया गया है।

अपने प्रतिनिधि भी भेजे हैं। यह तो ठीक है पर इससे असली लोकतंत्र नहीं आ सकता।

मुल्क की असली तरक्की तभी होगी जब गांवों में रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हों। अगर हमारे गांव तरक्की करते हैं तभी हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और कोई भी इसकी तरक्की को तब रोक नहीं सकेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि जिम्मेदारी जनता के हाथों में सौंप दी जाएगी तो शायद वह इसका बोझ नहीं उठा पायेगी लेकिन जनता बोझ तभी उठा पायेगी जब उन्हें इसके लिए अवसर किया जायेगा। यह जरूरी है कि ऐसे ठोस कदम उठाये जायें जिससे अधिक से अधिक दायित्वों को जनता को दिया जा सके। जनता से केवल सलाह ही न ली जाये, बल्कि उन्हें प्रभावकारी अधिकार भी दिये जाएं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत हो जिसके व्यापक अधिकार हों और फिर एक सहकारी समिति हो जो उसके आर्थिक प्रयासों में मदद करें।

इसमें दो राय नहीं हैं कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू में पंचायती राज के प्रति जो गहरा विश्वास जागा। उसके दो प्रमुख कारण थे, एक तो गांधीजी का उनके पूरे राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव और दूसरा स्वयं नेहरूजी की लोकतंत्र में अटूट आस्था। नेहरूजी ने लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा था, "हम लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और हमारा भारत लोकतंत्र के आदर्श के प्रति समर्पित है। इतिहास में पहली बार हमने इतनी बहादुरी और हिम्मत दिखाई है कि भारत के करोड़ों लोगों को मतदान का अधिकार दिया है। हमने किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा। हमने इस अधिकार के लिए न तो जायदाद की शर्त रखी और न शिक्षा की।" नेहरूजी का विश्वास था कि भारत केवल लोकतांत्रिक तरीके से उन्नति कर सकता है और भारत के लाखों गांवों में तरक्की सही मायनों में ऊपर से नहीं थोपी जा सकती बल्कि गांव के लोगों द्वारा पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम, उत्तरदायी और अनुशासित बनाकर ही तरक्की की जा सकती है।

यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि नेहरूजी चाहते थे कि चाहे पंचायत हो या संसद सभी जगह स्वस्थ आलोचना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कहा था कि मैं संसद में आलोचना का स्वागत करता हूं। बिना आलोचना के लोग और सरकार खुशफहमी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए स्वस्थ आलोचना का पंचायत में भी महत्वपूर्ण स्थान होना अपेक्षित है।

पण्डित नेहरू का ध्रुव विश्वास था कि देश की प्रगति में आर्थिक प्रगति का बहुत महत्व है, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र या पंचायती राज या कोई भी विषय हो, उस पर चर्चा करते हुए आर्थिक पक्ष पर बल दिया। पंचायती राज के संबंध से भी ये विचार प्रासंगिक हैं। जीन फिलाजेंट द्वारा लिखित 'इंडिया दा कंट्री एंड इट्स ट्रैडीशन्स' की भूमिका (1962) में लिखा था :

"संभवतः आज भारत की सबसे क्रान्तिकारी घटना

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का फैलना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और ग्रामीण संगठनों को और अधिक शक्ति तथा संसाधन मिलेंगे। साथ ही सहकारी आंदोलन भी बहुत फैला है। सबसे पहले, इसके अपनाने से हमारी खेती को लाभ पहुंचेगा और ग्रामीण क्षेत्र को विभिन्न विकास योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अंतिम विश्लेषण में, इसका उद्देश्य व्यक्ति का सुधार करना और उसे अधिक आत्मविश्वासी बनाना है। इस प्रकार लोकतंत्र गांवों में करोड़ों लोगों तक फैल रहा है और पुरानी नौकरशाही का अभिशाप कम होता जा रहा है।"

पण्डित नेहरू यह भलिभांति समझते थे कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़े हैं, प्रत्येक दायित्व के साथ उसका निर्वाह जुड़ा है। इस संबंध में पांडिचेरी में भाषण करते हुए फरवरी, 1955 में उन्होंने कहा था, "हमने जंगल में रहने वाले लोगों को, ठीक शहर के निवासियों की ही तरह, मत देने का अधिकार दिया। हमने भारत के किसी भी व्यक्ति को मत देने से वंचित नहीं किया। हमने प्रत्येक व्यक्ति को आदमी समझा जिसे यह कहने का अधिकार है कि उसकी सरकार कैसी हो ...स्वतंत्रता तभी पनपती है जब स्वतंत्रता के दायित्व समझ लिए जायें और उन्हें निभाया जाये। यदि उत्तरदायित्व नहीं समझे और निभाए जाते तो स्वयं स्वतंत्रता भी खिसक सकती है। बिना उत्तरदायित्व व कर्त्तव्य के कोई अधिकार नहीं होता।"

नागौर में भाषण देते हुए पण्डितजी ने कहा था कि प्रशासन का दायित्व केवल उच्च अधिकारियों के हाथों में न हो बल्कि देश की 40 करोड़ (तब देश की आबादी इतनी ही थी) जनता में विभाजित हो। उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत में महाराजा और उनकी प्रजा अलग-अलग बटे हुए थे, लेकिन अब शासक और शासित का भेद मिटा दिया गया है। फिर भी कभी-कभी हमारे अधिकारी अपने को स्वामी समझने लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अध्यक्ष, सरपंच और दूसरे अधिकारीगण उस तरीके से काम नहीं करेंगे। अपना प्रभाव फैलाने वाला और नौकरशाही के तरीकों का इस्तेमाल करने वाला कोई अधिकारी जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता। एक अच्छा अधिकारी समानता की भावना से काम करता है। तभी दूसरों को प्रशिक्षण दे सकता है। राजनीतिक जीवन में सभी के पास एक वोट है। हमारी पंचायतों में भी प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाये, पुरुष और महिलाओं के बीच तथा ऊंच और नीच के बीच कोई भेद न रखा जाये। हमें एकता और भाईचारे की भावना के साथ और खुद में और अपने काम में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है।

पण्डित नेहरू ने कहा था कि ग्रामीण भारत का विकास तभी संभव है जबकि गांव के लोग पंचायतों के माध्यम से पूरी तरह से उनमें भागीदार बनें। उनका विश्वास था कि भारत के पांच लाख गांवों में प्रगति ऊपर से थोपी नहीं जा सकती। प्रगति तो केवल उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से संभव है जो कि लोगों द्वारा सीधे ही चुनी गयी हों। उनका मत था कि पंचायतों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा हो और पंचायतों को अधिकार और सत्ता दोनों ही दी जायें, साथ ही उसे विकास का प्राथमिक साधन बनाया जाये। वे इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते थे।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में नेहरूजी का पंचायती राज का स्वप्न साकार होने जा रहा है और इस प्रकार गांव की जनता बिना किसी भेदभाव के अपनी समस्याओं के निराकरण का स्वयं फैसला करेगी और लाल फीताशाही और नौकरशाही की जी हजूरी से मुक्ति पा सकेगी।

पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का एक उपयुक्त विधेयक संसद में रखा जा रहा है जो भारत के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम होगा। यह सत्य है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जनता को सरकार चुनने का अधिकार जरूर मिला था पर चुनी हुई सरकार में नौकरशाही का इतना वर्चस्व था और अब तक रहा भी है कि गांवों की पंचायतों तक सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं मुश्किल से ही पूरी तरह पहुंच पाती थीं। न तो उनके पास वैधानिक स्पष्ट रूपरेखा थी, न आर्थिक साधन थे और न व्यवस्था। अब इन सब समस्याओं का उत्तर देगा यह नया संविधानिक विधेयक।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में नेहरूजी का पंचायती राज का स्वप्न साकार होने जा रहा है और इस प्रकार गांव की जनता बिना किसी भेदभाव के अपनी समस्याओं के निराकरण का स्वयं फैसला करेगी और

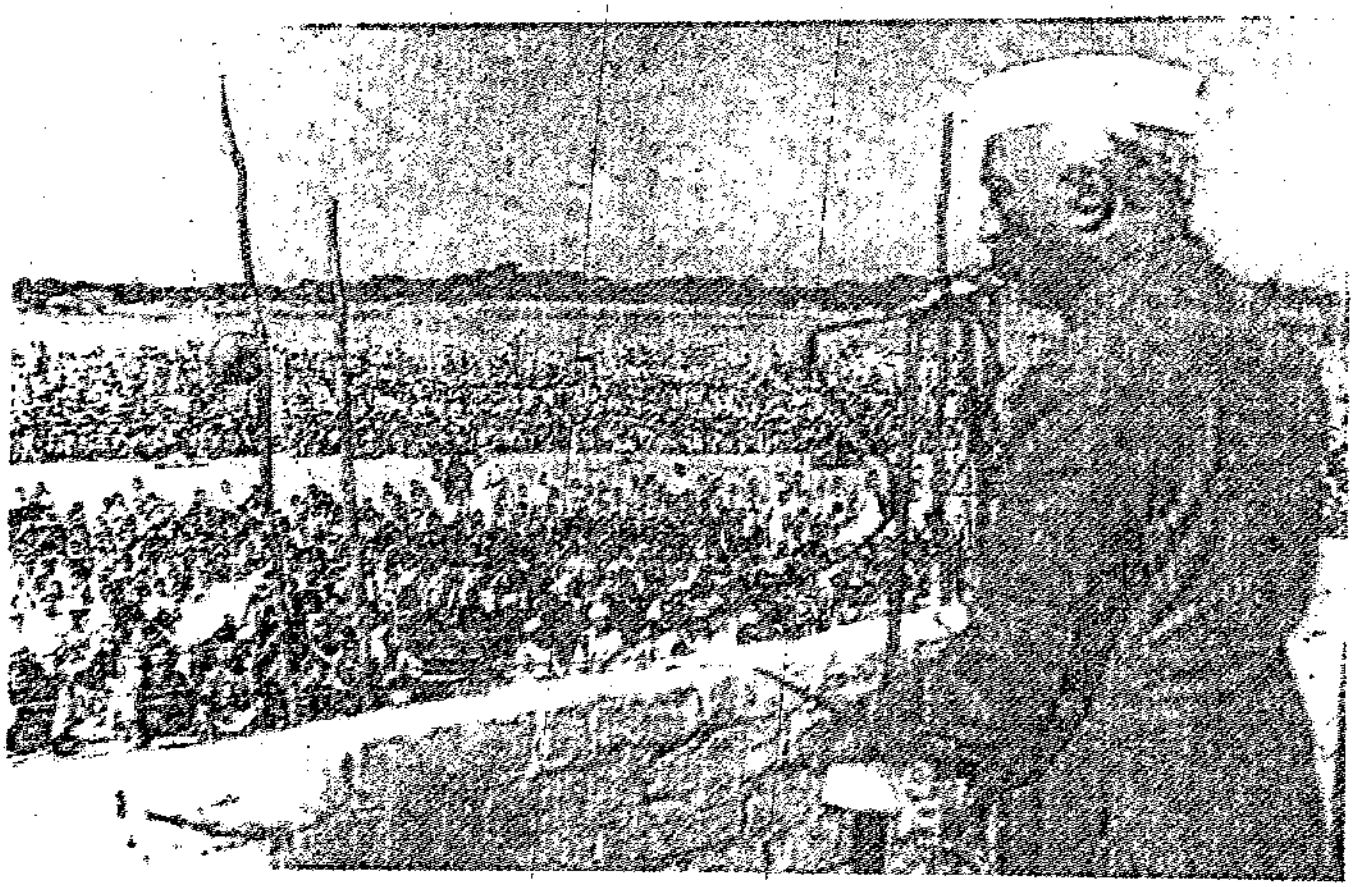

नेहरूजी ग्रामीण सभा के समक्ष

लाल फीताशाही और नौकरशाही की जी हजूरी से मुक्ति पा सकेगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा कि अस्सी करोड़ के देश में सात-आठ सौ सांसदों, चार पांच हजार विधायकों को यानी कुल, छह-सात हजार लोगों के भरोसे देश चल रहा है और मान लें तो 11-12 हजार लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी प्रजातंत्र में है। लेकिन पंचायती राज लागू होने से एक साथ सात लाख लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी हो जाएगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में नौ ऐतिहासिक मील के पत्थरों में पहला 1947 में भारत की स्वाधीनता, दूसरा देसी राज्यों का भारत में विलय, तीसरा गणतंत्र की घोषणा, चौथा जमींदारी उन्मूलन, पांचवां पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश, छठा अवाडी अधिवेशन में समाजवादी का लक्ष्य घोषित करना, सातवां राज्यों का पुनर्गठन, आठवां बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नवां प्रिवी पर्सों की समाप्ति था और दसवां होगा पंचायती राज विधेयक का नया रूप। इस 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में एकरूपता प्रदान की जायेगी। इस व्यवस्था से सत्ता विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्राम गरीबी उन्मूलन, रोजगार उपलब्ध कराकर पंचायतों को अधिकार व दायित्व सौंपे जायेंगे।

वयोवृद्ध नेता पं. कमलापति त्रिपाठी ने इस संबंध में कहा, "गांधीजी ने जिस ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी वह पंचायती राज की स्थापना से साकार हो सकेगी।"

आशा है कि विकेन्द्रीकरण और गांवों की समृद्धि की दिशा में यह क्रान्तिकारी कदम सफल होगा और पण्डित नेहरू की लोकतांत्रिक आस्था के प्रति यह समुचित श्रद्धांजलि होगी।

के. 38 एफ, साकेत
नयी दिल्ली-110017

नेहरूजी पंजाब के लुधियाना जिले में गांवों के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं

वे दिल्ली में नजफगढ़ क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं ।

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55
दिल्ली डाक

4·1·90

P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi
Delhi Postal

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती

JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY

1889 1989

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और वीरेन्द्र प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग